

THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

-The TFIC Team.

वरेया यन्थमाला का प्रथम पुष्प

जैनतत्त्वसीमांसा की मीमांसा

भाग १

लेखक: चंशीधर व्याकरणाचार्य बोना प्रकाशकः वरेया ग्रन्थमाला प्रकाशन विभाग दिगम्बर जैन सस्कृति सेवक समाज

×

सम्पादक ' वशीधर व्याकरणाचार्छ

*

प्रथम सस्करण नवम्बर, १६७२

+

मूलय चारा रुपये

.

٣

मुद्रक . हर्ष गुप्त राष्ट्रीय प्रेस, मथुरा ।

प्राक्कथन

अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषद के जबलपुर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के आधार पर प० पूलचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री वाराणसी ने जो "जैनतत्त्वमीमासा" पुस्तक लिखो थी और जिसका वाचन बीना (सागर) में हुई विद्वद्गोष्ठी में हुआ था उसके सम्बन्ध में उसी अवसर पर विद्वत्परिपद् की कार्यकारिणी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था।

"भारतवर्षीय दि० जैन विद्यत्परिषद् के जवलपुर अधि-वेशन के प्रस्ताव सख्या २ से प्रेरणा पाकर म ननीय प० पूराचन्द्र जी शास्त्री वाराणसी ने निमित्त-उपादान आदि विषयो पर शोधपूर्ण पुस्तक लिखी है। शास्त्री जी की इच्छा थी कि इस पुस्तक पर भारतवर्षीय दि० जैन विद्यत्परिषद के द्वारा आयो-जित विद्वद्गोष्ठी मे विचार विनमय हो। तदनुसार दि० जैन समाज बीना (सागर) ने श्रुत पञ्चमी से ज्येष्ठ शुक्ला १२ (३० मई से ६ जून) तक अपने यहाँ विद्वद्गोष्ठी का आयोजन किया। दि० जैन समाज के वर्तमान इतिहास मे यह पहला अवसर था जब इतने समय तक १ घण्टे प्रतिदिन सब विचारो के विद्वानो ने मतभेद होने पर भी महत्वपूर्ण विषयो पर गम्भीरता, तत्परता तथा सौहार्द पूर्वक विवेचन दिये और उस अवसर पर अनेक सुझावो का आदान-प्रदान किया गया। यह कार्यकारिणी शास्त्री जो द्वारा पुस्तक लेखन मे किये गये अथक परिश्रम की सराहना करती है।" यह प्रस्ताव स्पष्ट बतला रहा है कि प० फूलचन्द्रजी की उक्त पुस्तक पर विद्वानों में सद्धान्तिक मतभेद था। इसी मत-भेद के कारण मैंने तभी यह निर्णय किया था कि जैन सिद्धात के सरक्षणार्थ में उक्त पुस्तक की मीमासा करने का प्रयत्न करूँ गा। तदनुसार उस पुस्तक के प्रकाश में आने पर मैंने "जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा" नाम से उस पुस्तक की समा-लोचना के रूप में एक लेखम ला प्रारम्भ की थी जो २३ फरवरी १६६१ से जैनगजट पत्र में प्रकाशित होती रही। इस लेखमाला के लिखने में मेरा क्रम यह था कि जो मैं लिखता था वह जैनगजट में प्रकाशनार्थ भेज देता था और तब आगे का लिखना प्रारम्भ करता था। यह क्रम करीब १३-२ वर्ष तक चला, लेकिन प्रधात जैनगजट की उपेक्षावृत्ति के कारण मुक्ते आगे लिखना बन्द कर देना पढ़ा जो अभी तक बन्द है।

प० फूल्बन्द्र जी द्वारा "जैनतत्त्वमीमासा" लिखो जाने के पूर्व से ही जैन मान्यताओं के सम्बन्ध में कानजी स्वामी के साथ विद्वानों का तीन्न मतंभेद था जिसे समय-समय पर विद्वत्परिषद ने प्रगट किया और इसी विरोध के कारण विद्वत्परिषद ने दूसरी में कानजी स्वामी से सद्धान्तिक चर्चा करने की योजना बनाने के लिये पूज्यपाद प्र० गराश प्रसाद जी वर्णी के तत्त्वावधान से विद्वत्सम्मेलन बुलाया था, लेकिन इसके पश्चात जब प० फूलचन्द्र जी की 'जनतत्त्वमीमासा' पुस्तक प्रकाश में आयी तो सम्मेलन द्वारा किया गया निर्णय कार्यकारी नहीं हो सका तथा प० पूलचन्द्र जी के साथ चर्चा करने की बात तीन्नता के साथ सामने आई, लेकिन वह भी शिथिल पड़ गयी।

मैं तो किसी के साथ भी चर्चा का अत्यन्त विरोधी था वयों कि मैं जानता था कि विद्वानों की कषाय पूर्ण भावना चर्चा को सफल नहीं होने देगी। यहां कारण था कि करीब सन् १६६१ के मध्य जैन सघ मथुरा की कार्यकारिणों की जो बैठक होटल शाकाहार दिल्ली में हुई और जिसमें प० राजेन्द्र कुमार जी मथुरा, प० पूलचन्द्र जी वाराणसी और मैं भी सम्मिलत हुए थे, उस बैठक के अवसर पर जब पं० राजेन्द्र कुमार जी और प० पूलचन्द्र के मध्य चर्चा की बात चली तो मैंने हढता के साथ उसका विरोध किया था।

यद्यपि उस समय मेरो लेखमाला की शुरूआत ही थी, लेकिन जब उस लेखमाला का जैन गजट मे प्रकाशन बन्द हो गया और प० फूलचन्द्र जी ने पुन चर्चा करने का मुझसे अनु-रोध किया और विश्वास दिलाया कि उनकी ओर से चर्ची वीतराग भाव से तत्त्व फलित करने की दृष्टि से ही होगी तो मै तैयार हो गया तथा जब मेरे व प० फूलचन्द्र जी के हस्ता-क्षरी से एक वक्तव्य चर्चा करने के उद्देश्य से समाचार पत्रो मे प्रकाशित हुआ तो उसे लक्ष्य मे रखकर श्री १०८ आचार्य शिव सागर के तत्त्वावधान मे जयपुर (खानिया) मे तत्त्व चर्चा का आयोजन ब्र॰ सेठ हीरालाल जी पाटनी निवाई वालो के आर्थिक सहयोग से ब्र० लाडमल जी जयपुर वालो ने किया और अक्टूबर सन् १६६३ मे वृह चर्ची जयपुर (खानिया) मे की गई। दु.ख की बात यह रही कि जैसी मेरी आशका थी, चर्चा प्रारम्भ होने से पूर्व सोनगढ ने चालबुंजी से काम लिया और प० पूलचन्द्रं जी उस बहाव में बहकर चर्चा के मूल आधार से पीछे हट गये जो उन्होनें स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत किया था, तब जिस रूप मे बह चर्चा हुई बह समाज के सामने है।

यद्यपि इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालने की आवश्य-कता है, परन्तु यदि कभी जयपुर (खानिया) तत्त्व चर्चा की समीक्षा लिखी गई और उसके प्रकाशन की व्यवस्था हुई तो उसके सम्बन्ध में प्रकाश अवश्य डाला जायगा। यह अवसर उसके सम्बन्ध में प्रकाश डालने का नहीं है। यहाँ पर तो तत्त्व चर्चा के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया है वह इस प्रसग में किया है कि तत्त्व चर्चा में भाग लेने के लिये प० राजेन्द्र कुमार जी और मैं भी पहुँचे थे और वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा विचार विनमय किया था कि सोनगढ से जैन सस्कृति का सरक्षण करने के लिये एक सुष्टढ सगठन बनाया जाव। आगे चलकर प० राजेन्द्र कुमार जी ने जो "सस्कृति सेवक समाज" की स्थापना की उसका आधार हम दोनों का वह विचार-विनमय ही था।

प० राजेन्द्र कुमार जी की तीव अभिलाषा थी कि 'जैन-तत्त्वमीमासा की मीमासा' पुस्तक रूप मे जैन सस्कृति सेवक समाज की ओर से प्रकाशित हो, परन्तु आर्थिक कठिनाइयो के कारण यह कार्य अभी तक सम्पन्न नही हो सका।

वास्तव मे यह बात तथ्य पूर्ण है कि दि॰ जैन समाज में मोनगढ से जो विचारधारा प्रवाहित हुई है उसके प्रति एक ओर तो बहुत सा विद्वद्वर्ग और धनिक वर्ग मुक गया है ओर दूसरो ओर जिनका लगाव उसके प्रति नहीं है वे विद्वान और धनिक भी उदासीन बने हुए हैं, यही कारण है कि न तो विद्वान सोनगढ विचार के विरुद्ध ठोस साहित्य तैयार कर रहे हैं, और न धनिक भी आवश्यक साहित्य के प्रकाशन की ओर ध्यान दे रहे हैं जबिक सोनगढ का लक्ष्य अपनी ओर से साहित्य का प्रकाशन करके समस्त जैन समाज मे भर देना चाहता है। जैन समाज की तो यहाँ तक दशा हो रही है कि जो व्यक्ति सोनगढ विचारधारा के विरोधी भी हैं तो वे भी सस्ता होने की वजह से सोनगढ से प्रकाशित साहित्य ही खरीदना चाहते हैं और खरीद करते हैं जिसका प्रभाव मनोवैज्ञानिक ढग से समाज पर बहुत ही बुरा पड रहा है।

माना कि कानजी स्वामी के चरणों में समाज की ओर से हजारों और लाखों की सख्या में रुपया बहुता चला आ रहा है परन्तु इसका आशय यह नहीं कि सोनगढ़ से सिद्धान्त सर-क्षण के लियं पैसे की कमी समाज में हो गई है। बात केवल यह है कि घनिक वर्ग की रुचि जो अनावश्यक कार्यों की ओर हो रही है उसकी अपेक्षा अन्य आवश्यक कार्यों की ओर हो जावे।

भगवान महावीर के पश्चात् जैन समाज का जो दिगम्बर और क्वेताम्बर दो वर्गों मे और फिर उपवर्गो मे विभाजन अब तक होता आया हैउनमे से किसी भी वर्ग या उपवर्ग ने जैन सस्कृति की सैद्धातिक मान्यता पर इस तरह का कुठाराघात नहीं किया है जैसा कि सोनगढ की ओर से किया जा रहा है। इसलिये इस सम्बन्ध मे समाज जितना और जितने शीघ्र सचेत हो जावे उतना ही उत्तम होग

अस्तु। 'जैनतत्त्वमीमासा की 'मीमासा' का अभी तक एक भाग ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन इसे दश वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो जाना चाहिये था। वास्तव मे यदि यह दश वर्ष पूर्व प्रकाशित हो जाता तो अब तक और भी साहित्य निर्मित होकर प्रकाशित हो सकता था। अब भी यदि अनुकूलता रही भीर हुई तो 'जैनतत्त्वमीमांसा की मीमांसा' का द्वितीय भाग और . 'जयपुर (खानिया) तत्त्व चर्चा' की समीक्षा भी निर्मित होकर प्रकाश में आ जावेंगे।

मेरा निवेदन सक्षम विद्वानों से तो यह है कि वे जैन सिद्धान्त के लिये घातक सोनगढ विचारधारा को प्रभावहीन बनाने के अनुकूल ठोस साहित्य का उचित ढग से निर्माण करें और धनिकों से यह है कि वे आज के समय मे अनुकूल रुचि परिवर्तन करके आवश्यक कार्यों में ही अपने घन का उप गेग करें जिससे जैन संस्कृति का सरक्षण हो सके।

'जैनतत्वमीमासा की मीमासा' जैन संस्कृति सेवक समाज की ओर से हो रही है इसके लिये में उसका अत्यन्त आभारी हूँ। जैन संस्कृति सेवक समाज के प्रधान मन्त्री प० राजेन्द्र कुमार जी के अदम्य उत्साह और पुरुषार्थं का ही यह फल है। प० वालचन्द्र जी शास्त्री साहित्य सम्पादन विभाग वीर सेवा मन्दिर के सुझाव के अनुसार आवश्यक' विषय सूची भी तैयार करके इसमें जोड़ दी है जिससे विषय को ग्रहण करने मे,पाठकों को सुविधा प्राप्त होगी। यद्यपि पुस्तक के अन्त में मुभे आवश्यक शुद्धि पत्र जोड़ना पड़ा'है तथा ऐसी अशुद्धियाँ अब भी इसमें हैं या हो सकती हैं जिनका सुधारना जिवत था, परन्तु प्रूफ सशोधन कर्ता के प्रयास की सराहना किये विना मैं नहीं रह सकता हूँ क्योंकि सशोधन में किये गये उनके प्रयास से मुभे अत्यन्त सतीष है। प्रेस परिवार को भी मैं धन्यवाद देता'हूँ।

पाठको को मैं यह सूचना देना आवश्यक समझता हूँ कि जिस रूप मे लेखमाना जैनगजट मे प्रकाक्षित हुई थी उसके सशोधित और परिवर्धित रूप में यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है, फिर भी इसमें किसी प्रकार त्रुटि रह गई हो या आगम का विपर्यास हो गया हो तो पाठकों के सुझाव पर मैं ठीक करने के लिये सदा तैयार रहेंगा।

अन्त मे इतना और कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के प्राग्रूष्ण लेखमाला को तब प्रारम्भ किया था जब पूज्यपाद प्रात. स्मरणीय श्री १०५ क्षुल्लक गर्णीश प्रसाद जी वर्णी, जो अन्त मे श्री १०८ गर्णश कीर्ति महाराज के नाम से सबोधित हुए थे—हमारे मध्य विराजमान थे। उनका इसके प्रति आकर्णण था जो मेरे लिये गौरव की बात थी, परन्तु दु ख है कि मेरी लेखमाला प्रारम्भ होने से थोडे समय प्रश्चात् हो वे स्वर्गस्थ हो गये थे। मैं तो यहा समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद का ही फल यह पुस्तक है और अब यदि इस पुस्तक से पाठकों को लाभ हुआ तो मुक्ते प्रसन्नता होगी।

दिनाँक २४।१०।७२ स्थान-बीना

निवेदक— बशीधर शास्त्री (व्याकरणाँचार्य)

प्रकाशकीय वक्तव्य

(मीमांसा की मीमांसाका)

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भगवान महावीर के निर्वाण के वाद उनके अनुयायी एक रूप मे न रह सके और उनमे सघभेद होगया पहिले यह भेद दिगम्बर और श्वेताम्बर के रूपमे हुआ और वादमे इनमे भी विभाजन हुआ है, श्वेताम्बरों मे मूर्तिपूजक और स्थानवासी के रूपमे भेद हुए और आगे चलकर स्थानकवासी भी तेरहपक्षी और वाईसटोंले के रूपमे विभक्त होगरे हैं।

यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इन भेदोका मूल कारण माधुका वस्त्रहित और वस्त्र सहित होना ही है। महावीर की परम्परा में भेदो और प्रभेदोंके होनेपर भी परिग्रह की व्याख्या और उस सम्बन्धी चर्चाको छोडकर तात्विक मान्यतामें अन्तर नहीं के वरावर ही हुआ है यही कारण है कि एकादि सूत्रकी व्याख्या को छोडकर समूचे तत्वार्थ सूत्रको सवहीं ने प्रमाण रूप माना है तत्त्वार्थ सूत्रकी तरह भक्तामर स्तोत्रको मान्यता भी प्राय जैन परम्पराकी सवही शाखाओं में है सबही शाखायें कर्मवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। मोक्षमार्ग की प्रणाली में व्यवहार निश्चयके साधन साध्य भाव को भी सवही स्वतित्र मानने पर भी उनमें पाररपरिक सहयोग को भी सवही ने स्वीकार किया है। इस हो के आधार से वस्तुके उत्पाद में

उपादान और निमित्त दोनो ही कारणो को स्वीकार किया गया है यह भी स्पष्ट है कि छह द्रव्यों में से जीव और पुद्रगलको छोडकर शेष चार द्रव्य शुद्ध ही रहते है, जीव और पुद्गल को ही शुद्ध और अशुद्ध स्वीकार किया गया है इन दोनो की अंगुद्ध अवस्था हो इनकी पराधीन स्थिति है इससे स्पष्ट है कि ये दोनो ही सत्ताके दृष्टिकोण से स्वतंत्र होने पर भी स्थिति की द्रिष्टिसे पराधीन हैं । जीव द्रव्य की ऐसी स्थिति तबतक रहती है जब तक वह ससार मे रहता है अर्थात् ससारीजीव हो पराधीन है और मुक्तजीव चारो शुद्ध द्रव्योकी तरह स्वाधीन है। इस पराधीनता का नाम ही ससार और इससे छूटने का नाम ही मोक्ष है, जीव को यह स्वाधीनता अर्थात् मोक्ष सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र से प्राप्त होती है, तथा इस ही लिए ये मोक्षमार्ग कहलाते है जब तक मोक्षमाग अपूर्ण रहता है अर्थात् साधन के रूपमे रहता है वह व्यवहार मोधमार्ग कहलाता है और जब वह पूर्ण हो जाता है अर्थात् संसारी जीव मुक्त हो जाता है तब वही मोक्षमार्ग पूर्ण मोक्षमार्ग हो जाता है इस ही का पिंडत प्रवर टोडरमलजा ने मगलमय और मगलकरण के रूपसे कथन विया है, जोवद्रव्यक पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होने के मार्ग को व्यवहार और निश्चय मीक्षमार्ग को साधन और साध्य के रूपमे महावीर परम्परा की सब ही शाखाओं ने एक स्वर से स्वीकार किया है उपयुक्त चर्चा से स्पष्ट है कि जहाँ तक तत्त्वज्ञान की बात है महावीर के अनुयायियों में भेद और प्रभेद होने पर भी तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वे सब ही एक मत है इनमे अन्तर तो केवल आचार मार्ग मे ही हुआ है और वह भी केवल मुनि मार्ग तक ही। जहाँ तक ग्रहस्थाश्रम की बात है महावीर परम्परा के सब ही अनुयायी एक मत है।

महीवीर की परम्परा में आज एक ऐसे वर्ग (सोनगढी) का भी उदय हुआ है जो अपने को महावीर का उपासक कहता ही नहीं है किन्तु उनकी उपासना भी करता है, बेंद्रों में अपने को महावीर परम्परा की दिगम्बर शाखा का अनुयायी मानता है तथा मूल दिगम्बराचार्यों की रचनाओं को भी प्रमाण रूप से स्वीकार करता है किन्तु इस वर्ग की शब्दों की और वास्तविक स्थिति में अन्तर है शब्दों में तो इस वर्ग का नारा रहा है कि भये हैं न होयगे मुनिन्द्र कुन्दकुन्द से किन्तु मान्यता के रूप में इस वर्ग ने जिस तत्त्व का प्रतिपादन किया है वह महिष् कुन्दकुन्द और अमृतचद के भी प्रतिकूल है।

इस वर्ग की निम्नलिखित मान्यतायं है-

- (१) सब हो द्रव्य परम्पर निरपेक्ष है अर्थात् सत्ता की तरह उनका परिणमन भी परिनरपेक्ष ही होता है साथ ही द्रव्योका परिणमन क्रमनियमित भी है शास्त्रों में बहुर्चीचत निमित्तकारण को इसने शब्दों में मानकर भी अकिचित्कर माना है इस ही का परिणाम है जो इसने जीव पर कर्म के प्रभाव को भी अस्वीकार किया है जीवंका परिणमन चाहे वह स्वाभाविक हो या वंभाविक जीव के ही द्वारा होता है इस ही प्रकार कर्म की रचना भी अकेले पुद्गल का ही कार्य है कर्मादय से जीवंक विभावभाव एव जीव के विभावभाव से कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन भी इसकी मान्यता के वाहर है, यह वर्ग अकालमरण को भी नहीं मानता।
- (२) द्रव्यों के परंस्पर निरपेक्षता की दशा में कालद्रव्य, धर्मद्रंच्य, अधर्मद्रव्य और आकाश द्रव्य के कार्यों को भी इसने स्वीकार नहीं किया है।

- (३) तोथेकर की दिव्यध्विन और उनके ज्ञान मे कार्य- कारण सम्बन्ध नही है।
- (४) जीवद्रव्य पर किसी भी परद्रव्यका प्रभाव न मानकर इस वर्ग ने देव, शास्त्र और गुरुओ से लाभ एव मादक द्रव्यों के जीवपर प्रभाव को भी अस्वीकार किया है।
- (५) महर्षि अमृतचद ने स्वाश्रित के निश्चय तथा पराश्रित को व्यवहार माना है तथा जब यह वर्ग जीवपर कर्म के प्रभाव को ही नहीं मानता तब इसकी मान्यता में व्यवहारका स्थान ही सभव नहीं है किन्तु आचार्य परम्परा में जिसको व्यवहार माना गया है उस हो के आघार से यह वर्ग अगु वत, महावत, त्याग और तपादिक को रागरूप मानकर उनको सवर और निर्जरा का कारण न मानकर केवल आश्रव और बधका ही कारण मानता है और इस प्रकार इस वर्ग ने व्यवहार मात्र को हेय एव त्याज्य वतलाया है।
- (६) इस प्रकार इस वर्ग ने द्रव्योको परस्पर निरपेक्ष मानकर द्रव्यो तथा सप्ततत्त्वोके लोपका प्रसग उपस्थित किया है तथा परिणमन को क्रमनियत मानकर पुरुषार्थ के अभाव का प्रसग उपस्थित किया है उसही प्रकार व्यवहार को हेय तथा त्याज्य बतलाकर महावीर परम्परा मे चले आरहे मोक्षमार्ग के लोपकी समस्या भी उत्पन्न करदी है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस'नवोदित वर्ग की तत्त्व मान्यता एव आचार मान्यता दोनो ही महावीर परम्परा के आचार्योंकी मान्यता से मेल नही खाती। इस प्रकार यह एक ऐसा वर्ग है जिसने महावीर के शासन का नाम लेकर उसके .रूप को ही बदलने की चेष्टा की है महावीर काल से अब तक ढाई हजार वर्ष के समय मे यह एक सर्वप्रथम वर्ग है जिसने महावीर के शासन को पलटने की चेष्टा की है।

दिगम्बर जैन-सकृति सेवक समाज का उदय और उसका कार्यक्रम

क्रान्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक वाहरी तथा दूसरी भीतरी। वाहिरी क्रान्ति का रूप उसके खडन का होता है इससे जनता अपनी परम्पराकी रक्षामें सचेत हो जाती है और इसके लिए वह उससे अपनी परम्परा की रक्षा के लिए हर सभव प्रयत्न करतो है, भीतरी क्रान्ति का रग और रूप, बाहर से परम्परा के रूप का हो प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में वह परम्परा के रूपका न होकर उसकी आत्मा को कुचलने की चेष्टा ही होती है। यह चेष्टा जनता की निगाह में बहुत देर से आतो है। पहिले तो जनता भीतरों क्रान्ति को क्रान्ति न मान-कर परम्परा की मान्यताओं की व्याख्या मात्र मानती है और विचारशील व्यक्ति भी मानते हैं कि ऐसा करने का प्रत्येक विचारक को अधिकार है।

हमारे सामने भो यह प्रश्न आया है तथा हमारे महा-मन्त्रीजी ने इसका निम्न प्रकारसे स्पष्टीकरण किया है—

(3)

हमारे मन्तव्य एव कार्यक्रम के मम्बन्ध में हमारे एक माननीय एव विचारक सहयोगी ने हमको लिखा है कि सोनगढ का कार्यक्रम आर्य-समाज के कार्यक्रम से भिन्न है सोनगढ के विद्वान विचारकों ने तो पूर्वाचार्यों की मात्र व्याख्या ही की है तथा ऐसा करने का प्रत्येक विचारक को अधिकार है, इस सम्बन्ध में हम अपने माननीय सहयोगी से पूर्णतया सहमत है कि अपनी-अपनी व्याख्या उपस्थित करने का प्रत्येक विचारक को अधिकार है किन्तु यदि स्वामी जी की कथनी मात्र पूर्वाचार्यों की मान्यताओं की व्याख्या होती, तब तो इस ही वात पर चर्चा चल सकती थी कि क्या स्वामी जी की व्याख्या ठीक है या नहीं।

हम ही क्या भारत के न्याय विभाग का भी यही कार्य है भारत विधान की व्याख्या की अनुकूलता और प्रितिकूलता को लेकर, व्याख्या का प्रश्न भारत के उच्चतम न्यायालय तक पहुँचता है व्याख्या की सीमा व्याख्या तक ही सीमित है व्याख्या के रूप मे धारा के रूप को ही रूपान्तरित नहीं किया जा सकता।

जहाँ तक स्वामी जी कथनी है वह पूर्वाचार्यों के प्रतिपादन की व्याख्या मात्र नहीं हे किन्तु स्पष्ट उसका खण्डन है।

दूसरें के आक्रमण से अपनी परम्परा की रक्षा एक सरल कार्य है किन्तु भीतरी क्रान्ति से परम्परा की रक्षा का कार्य एक गुरुतर कार्य है इसकी सफलता के लिये कठोर सकल्प एव लगातार प्रयत्न की आवश्यकता जरूरी है इस ही लक्ष्य को लेकर दिगम्बर जेन-सस्कृति सेवक समाज की स्थापना हुई है। जहाँ तक सेवक समाज के कार्यक्रम की बात है इसके सम्बन्ध मे हम।रे महामन्त्रीजी ने निम्नलिखित रूपरेखा रवखी है।

(२)

जिस समय आर्य समाज ने जैन धर्म पर आक्रमण किया था तब उसके बचाव के लिये हमने तीन कार्य किये थे एक उनकी मान्यता का गम्भीर अध्ययन, दूसरे उनकी मान्यता सम्बन्धों विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन, तीसरे प्रचार कार्य। ऐसी ही व्यवस्था हमने सोनगढ की मान्यता के सम्बन्ध में की है। सोनगढ की मूल मान्यता का अध्ययन तथा उसका आचार्य परम्परा से मिलान तो पूर्ण हो चुका है, अब इस ही आधार से साहित्य का निर्माण होना है। इसकों भी हमने दो भागों में रक्खा है एक प्रचारोपयोगी साहित्य तथा दूसरा स्थायी साहित्य। प्रचारोपयोगी पुस्तकों भी तय्यार हो चुकी हैं। पण्डित फूलचन्द जी की जैनतत्वमीमासा की मीमासा यहो पुस्तक है। शेष सात आठ पुस्तकों के भी शीघ्र प्रकाशन का सकल्प है। इस प्रचारोपयोगी साहित्य के प्रचार के साधन प्रेस को मजबूत करके फिर प्लेट-फार्म से भी प्रचार का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जायगा।

जहाँ तक स्थायी साहित्य की बात है इसके सम्बन्ध में सेवक समाज मोक्षमार्ग प्रकाशक, पण्डित प्रवर और स्वामां जो की मान्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन की भूमिका के साथ, समयसार और कलश, मोक्षमार्ग प्रकाशक की तरह महर्षि कुन्द कुन्द और महर्षि अमृत चन्द की मान्यताओं का स्वामी जी को मान्यता से तुलनात्मक अध्ययन को भूमिका के साथ, खानिया चर्चा के निमित्तोपादान तथा व्यवहार निश्चय सम्बन्धी अध्याय, उचित भूमिका के साथ प्रकाशित करेगी।

जैसा कि महामन्त्रीजो के स्पष्टीकरण मे चर्चा है पुस्तको का प्रकाशन शुरू हो रहा है अ्रौर् सर्वप्रथम यह पहिली पुस्तक है।

श्री प० पूलचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री ने नवोदित वर्ग की मान्यताओं को लाकिक रूप देने के लिये जैनतत्त्वमीमासा के नाम

से एक पुस्तक लिखी है उसकी मीमांसा के रूप मे व्याकरणाचार्य प॰ वशीधर की वीना एक पुस्तक लिख रहे है उस ही का यह प्रथम भाग है। मीमासा की मीमासा के सम्बन्ध मे कुछ भी कहना मात्र अपने मुख से अपनी प्रशसा करना होगा अत ऐसा न करके इसका उत्तरदायित्व हम पुस्तक के पाठकों पर छोडते है तथा उनसे साग्रह निवेदन करते है कि वे इसका मनन की द्रष्टि से पढने का कष्ट करे।

अब रह जाती है व्याकरणाचार्यजी की भावना एव उनके प्रयत्नों की बात । इसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना व्याकरणाचार्य जी की भावना एव उनके प्रयत्नों को हलका करना होगा व्याकरणाचार्यजी इन दिनों वीमार रहे हैं किन्तु ऐसी स्थित में उनकों बीमारी के कष्ट से भी अधिक कष्ट इस बात का रहा है कि परम्परा को बिगाड़ा जा रहा है और पण्डितजन भी किसी भी आनिवर्चनीय कारण से ऐसे वर्ग की सारहोन मान्यताओं को भी तार्किक रूप देने जा रहे हैं व्याकरणाचार्य जी की इस ही वेदना का परिणाम है जो उन्होंने ऐसे वर्ग को मूल मान्यताओं के सम्बन्ध में तर्क एवं शास्त्राधार से आचार्य मान्यताओं के समर्थन में अनेक पुस्तकें लिखी है यह उनमें पहली पुस्तक है उनकी शेष रचनायें भी निकट भविष्य में ही सामने आ जायेगी।

जहाँ तक दिगम्बर जैन सस्कृति सेवक समाज का सम्बन्ध है व्याकरणाचार्यजी उसके एक अभिन्न अग है अत: यह हम खुले शब्दों में कहते. हैं कि उन्होंने यह कार्य कर्तव्यपालन एवं आत्म सन्तोप के लिए ही किया अत उनके सम्बन्ध में हमारे लिए इससे अधिक कुछ भी लिखना एक अनुचित ही चर्चा होगी।

जहाँ तक ग्रन्थमाला के सज्ञा करण की वात रही है कार्य समिति की भावना इसके साथ किसी ऐसे महापुरुप का नाम जोडने की थी कि जिसने योगत्रयसे जैन सस्कृति की सेवा एव प्रचार का कार्य किया हो, ऐसे नामो में सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय गुरु गोपालदासजी वरेया का नाम ही रहा है अत अ उमके नाम से ही ग्रन्थमाला का सज्ञा करण किया गया है। जहाँ तक ग्रन्थमाला से प्रकाशित पुस्तकों की वात है हम इनकों भेंट स्वरूप सिर्फ त्यागी वर्ग एवं सेवक समाज के आजीवन सदस्य एवं सरक्षक सदस्यों को ही दे सकेंगे।

यह कार्य इसलिए कि जिनकी सहायता से पुस्तकों की प्रकाशन होगा, उसको पुस्तकों को विना मूल्य वितरण करके उसी प्रकाशन के साथ समाप्त न किया जाय । किन्तु जो भी पुस्तकों प्रकाशित होगी उनके विक्री मूल्य से सहायता को सुरक्षित किया जाय—जिससे इस ही पुस्तक के प्रकाशन में दूसी सहायता की जरूरत न पडे। पुस्तकों का हिसाव नियमित रखा जायेगा जिससे कि भेंट में दी जाने वाली या विक्री से दी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की जाँच की जा सके।

्जहा तक अपनी भावना की बात है हम इसको तीर्थ रक्षा का एक प्रयत्न मानते है तथा यह कार्य किसी भी कार्य से कम महत्वशाली नहीं है।

> विनीत— कुंजीलाल जैन शास्त्री M. A.

मत्री— चरैया ग्रन्थमाला—प्रकाशन विभाग ्रिटि० जैन सस्कृति सेवक समाज

म्राधिक-सहयोग

31 - 14:

(१)

श्रो सेठ प्रकाशचन्द जी जैन लुहाड्या सासनी का उत्तर भारत की समाज मे उच्च स्थान है, आप सासनी के प्रसिद्ध खण्डेलवाल ग्यास वर्क्स के मालिक है, आप धार्मिक भावना एवं आचरण के व्यक्ति हैं।

आप ही के अनुरूप आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अमरो वाई जी जैन लुहाड्या हैं दिगम्बर जैन सस्कृति सेवक समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री प० इन्द्रमणि जी की प्रेरणा मे आपने सेवक समाज को तीस रिम कागज का अनुदान दिया है, इस ही का उपयोग इस पुस्तक के प्रकाशन मे हुआ है।

इस सहयोगी के लिए वरैया ग्रन्थ-माला की तरफ से आपका हृदय से आभारी हुँ।

श्री माणिकचन्द जी जैन कासलीवाल, कलकत्ता के एक उदीयमान नवयुवक है आप अपने जीवन में एक साधारण व्यापारी के स्थान से मिल मालिक हुए है यह सब आपके ही व्यक्तिगत परिश्रम एवं पुरुषार्य का परिणाम है। आपकी उद्योगपित होने के साथ ही साथ धार्मिक भावना एवं रुचि भी उल्लेख योग्य हैं।

हमारे महामत्री जी पर्यू षण मे कई वर्ष हुए जब मैं कलकत्ता गया था आपसे जब उनको एक पुस्तक के प्रकाशन की सहायता स्वीकार की थी इसके बाद भी जब-जब उनसे आपके इस विषय की चर्चा हुई तब भी आपकी भावना उत्तरोत्तर प्रमतिशील ही मिली।

जब वरैया-ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प के प्रकाशन का समय आया, इसके निमित्त कागज का सहयोग तो सासनी वालो से प्राप्त हो चुका था, सिर्फ छपाई आदि सम्बन्धी प्रेस के बिल के पेमेन्ट की बात ही शेष थी।

आप दिगम्बर जैन सस्कृति सेवक समाज के सरक्षक सदस्य हैं तथा हमारे महामत्री जी से आपका व्यक्तिगतस्व है आपने ही अपनी पूज्य माता जी श्रीमती पतासी देवी जी जैन धर्म पत्नी श्री रमनलाल जी जैन कामली बाल अलनियावास nixx

नागोर के स्मरणार्थ वरैया गन्यमाल को यह सहयोग दिया है इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ।

विनीत .

विरोडी १२-१•-७२ फुद्धीलाल जैन शास्त्री एम ए. म'री बरैबा ग्रन्थ-गासा

विषय-सूची

3

, - पृ० सं०
१
ी दृष्टि ७
. १३
38
२२
२७
্ ২দ
35
. ₇ 38
३४
ों है ३७

क्र॰ र	त्र नाम पृ	• H°
	७- परिणमनशीलता के अर्थ मे उत्पाद और व्यय के साय श्रोब्य भी गर्भित है	न्द
	ै≒- परिणमन के भेद	¥3
	६- परिणमन की स्वसापेक्षता और स्वपरमापेक्षता का अभिप्राय	¥ሂ
	१०- स्वसापेक्ष परिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष परिणमनो	
	मे भेद का कारण	४६
	११- दोनो प्रकार के परिणमनो का दायरा	૪ ૭
	१२- दोनो प्रकार के परिणमनो मे कार्यकारण भाव की विवेचना का आधार	૪૬
	१३- निमित्तो की विविधता	አያ
	१४- प० फूलचन्द्र जी का अपने अभिमत को गुष्ट	
	करने का एक प्रयाम	3,8
	१५- प० जी के प्रयास की निर्यंकता	Ęo
	१६- स्वमापेक्ष परनिरपेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में	
	विवेचन	દહ
	१७- स्वपरमापेक्ष परिणमन ते सम्बन्ध में विवेचन	৩০
	१८- आकाश प्रव्य का खदाहरण	৫ ১
	१६- दर्गेण का उदाहरण	94

क्रम	सं• नाम	पृ० स०
	२०- आकाश और दर्पण के उदाहरणों मे अन्तर	৬४
	२१- दीपक का उदाहरण	७६
	२२- आत्मा का उदाहरण	50
	(क) वस्तु विज्ञान की दृष्टि मे आत्मतत्त्व	<u>ټ</u> و
	१- आत्मा की पदार्थ प्रतिविम्बक शक्ति	
	की आवश्यकता	5 X
•	२- आत्मा की पदार्थ प्रतिविम्बक शक्ति	;
	हो दर्शन शक्ति है	न्द
-	३- दर्शन स्वभावतः अविसवादी होता	है ६२
	४- पदार्थ दर्शन का सद्भाव पदार्थ ज्ञा	न
	की प्रत्यक्षता का और असद्भाव	<u>.</u> व
	परोक्षता का कारण है	४३
	५- प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्दों का अर्थ	৩ 3
	६- पदार्थ दर्शन के भेद और उनका	
	नियमन	દ હ
	७-पदार्थ ज्ञान की प्रत्यक्षता और	
	अप्रत्यक्षता का विभाजन	६८

फ्रम स॰		नाम	पृ० स
		दर्शन के स्वलों की विवेचना .	33
		६- प्रष्टत मे आत्मा का उदाहरण के रूप स्पष्टीकरण	मे १०२
	(ग्र)	आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि में आत्मतत्त्व	१०४
		१- समस्त जीवो का दो वर्गों मे विभाजन	१०६
		२- मुक्त और समारी जीवो का परिमाण	१०६
		३- गसारी जीवो के दो वर्ग-भव्य और अभव्य	१०=
		४- भन्यत्व और अभव्यत्य के अन्य प्रकार	308
		४- जीवां और पुद्गलों में एक वैभाविक राक्तिभी है	११०
		६- जीव के भव्यन्य और अभव्यन्य का क्यात्यान	१११
		७- मन्यत्य बोर अभन्यत्य का शुद्धि गति। और अशुद्धि मिता के रूप में विवेचन	
		द- गुद्धि सक्ति और अशद्धि शक्ति के प्रतिनियम का आधार	११६

फ़्रम सं•	नाम	ī		 1		पृ० स	,
	1.	ावो का बद्ध म मे विवेचः		गौर अबद्ध ।	ह्मष्ट	१२६	
	•	इगलो का २ वद्ध स्पृष्ट रू		. •		१३०	
	औ	ावो और <i>्री</i> र अबद्ध स्प शेषता		-		१३०	
	•	ाध्यात्मिक ह तके अभाव				१३४	
	१३- ब ू उ	द्व स्पृष्टता अ गसहार	गैर अब	द्ध स्पृष्टता -	का	१३८	
२३-	द्रव्यो की अ	र्थपर्यायें अो	र व्यज	नपर्यायें		१४०	
•	१- अर्थपर्या	यो का विवे [.]	चन			१४०	
	२- व्यजन	पर्यायो का ि	वेवेचन			१४२	
२४-	जीवो का पू वास्तविक ह		थ वद्धत	ारूप सयो	ग	१४५	

क्रि॰ स॰	नाम	पृ० सं०
२५-	संदेलेप(बद्धता)रूप सयोग की उपचरितता का ग्राह्म अर्थ	१ ४७
२६-	दो आदि वस्तुओ पर आघारित सयोग, निमित्त-नैमित्तिक व आघारांघेय आदि	
	सम्बन्ध वास्तविक हैं कल्पनामात्र नही हैं	१४४
	निश्चय और व्यवहार के रूप द्रव्यानुयोग की व्यवस्था मे निश्चय और	१८२
	<u>व्यवहार</u>	१६१
२६-	करणानुर्योग की व्यवस्था मे निश्चय और व्यवहार	१६४
₹0-	चरणानुयोग की व्यवस्था मे निश्चय और व्यवहार	२०१
	१- जीव की भाववती और क्रियावती शक्तियाँ तथा उनके अर्थ	२०३
	२- पुरुषार्थ के विविध रूप	२२०
₹१•	- तत्त्वार्थसूत्र अ०१० सू०१ के आधार पर निमित्त की कार्यकारिता का समर्थन	२२३

क्र	स	नाम

पृ॰ स॰

308

३०६

३१५

- ३२- अन्य विवध प्रकार से निमित्त को कार्यकारिता का समर्थन २३६
- ३३- निमित्त की कार्यकारिता व व्यवहाररत्नत्रय की धर्म रूपता का समर्थन तथा व्यवहार रत्नत्रय का निश्चयरत्नत्रय के साथ साध्यसाधक भाव २६४
- ३४- (र्क) योगरूप परिणमन क्रियावती शक्ति का ही होता है ३०६
 - (ख) योग कर्मों के आस्त्रवित होने या प्रकृतिबन्घ और प्रदेशबन्ध होने मे कारण है ३०६
 - (र्ग) योगो का कषाय (राग-द्वेप) से अनुरजित होना स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध का कारण है
 - (घ) मोह (ज्ञान की अज्ञानरूपता) कर्मबन्ध का साक्षात् कारण नही होता किन्तु कपाय को प्रभावित करता हुआ परपरया कारण होता है
 - ३४- पापाचरण, पुण्याचरण, व्यवहार धर्म और निरुचय धर्म मे अन्तर

क्र॰ स॰	नाम	पृ०ःस०
३६-	निश्चयधर्म और उपादान कारण की वास्तविकता व व्यवहारधर्म और निमित्त	J "
,	कारण की उपचरितता का अभिप्राय	३२२
•	उपचार का विवेचन ,	358
\$ -	उपचार अर्थ मे होता है शब्द उसका प्रतिपादक है	३३२
-3β	अर्थ और शब्द के प्रकार तथा शब्द द्वारा अर्थ प्रतिपादन का नियमन	३३६
४०	उपचरित अथ लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ से भिन्न शब्द का अभिवयार्थ ही है	३४८
४१-	कार्योत्पत्ति मे पच कारण समवाय का अभिप्राय	३५२
४२-	"ताहशी जायते बुद्धि." इत्यादि पद्यवत स्पष्टीकरण	३६०
<i>8₹</i> -	प॰ प्रवर टोडरमल के मोक्षमार्ग प्रकाशक के उद्धरण का अभिप्राय	३६७

जैनतत्त्वसीमांसा की सीमांसा

भाग १

and the second of the second o

जैनतत्त्वमीमांसा की मीमांसा

(ले॰ वशीषर व्याकरगाचार्य बीना)

(१) विषय-प्रवेश

१—श्री प० फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री वाराणसी ने 'जैनतत्त्वमीमासा' नाम से एक पुस्तक स्वय लिखकर और स्वय सपादित कर अशोक प्रकाशन मदिर २।३८ भदेनी वाराणसी से प्रकाशित कराई है। प० जी की गणना समाज के उच्चकोटि के विद्वानों में की जाती है। इनका जीवन साहित्य सेवा में ही व्यतीत हुआ है और हो रहा है। साहित्य सेवा में इनकी लगन और श्रम वेजोड माने जा सकते है। अत इसमें सदेह नहीं, कि 'जैनतत्त्वमीमासा' इनके अटूट परिश्रम का परिणाम है।

इस पुस्तक के विषय-प्रवेश, वस्तु-स्वभाव मीमांसा, निमित्त की स्वीकृति, उपादानिनिमित्तमीमासा, कर्तृ कर्ममीमासा, पट्कारकमीमासा, क्रमनियमितपर्यायमीमासा, सम्यग्नियति-स्वकृपमीमासा, निश्चयव्यवहारमीमासा, अनेकान्तस्याद्वाद-मीमासा, केवलज्ञानमीमासा और उपादानिनिमत्त सवाद—ये वारह अधिकार है। इन अधिकारो मे जिन विषयो की मीमासा की गयी है ये विषय अधिकारों के नामकरण से ही समझ में आ जाते हैं अत. यहा पर उनका स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है।

पं. फुलचन्द्र जी ने पुस्तक प्रारम्भ करने से पूर्व अपने 'आरमनिवेदन' प्रकरण मे यह भी नकेन किया है कि वे अनुप्र-लता रहने पर कविवर वनारमीदानजी, कविवर भूधरदामजी, कविवर दीलतरामजी, कविवर भैया भगवतीदामजी, कविवर भागचन्द्रजी आदि प्रौढ अनुभवी विद्वानो के आध्यारिमक साहित्य को भी सकलित और मपादिन करके प्रकाशित करना घाहते हैं। हमारी धारणा है कि प० जी ने 'जैनतन्वमीमासा' के लियने मे अपनी जिस विचारवारा को आधार बनाया है उसी विचारधारा का अवलम्बन वे कविवर वनारमीवामजी आदि उक्त प्रीढ विद्वानों के आध्यात्मिक साहित्य के सकलन और सपादन में करेंगे। उसका अभिप्राय यह है कि अब वे अन्ती विचारघारा को हढता के साथ प्रसारित करने की तैयारी मे लगेंगे और यह निश्चित है कि प० जी को अपने इस प्रयास में सफलता मिल जायगी बयोकि प० जगन्मोहनलाल जी शास्त्री कटनी ने जिस हम से जैनतत्त्वमीमासा का प्राक्कथन लिखा है उससे स्पष्ट है कि वे प॰ जी की विचारघारा से पूर्णत सहमत हैं। साथ ही इसमें सदेह नहीं कि प० जी बहुत से दूसरे विद्वानों को भी सरलता के साथ अपनी विचारधारा का अनुयायी वना लेंगे. कारण कि जैन-सम्कृति के तत्त्वज्ञान के विषय मे विद्वद्वर्ग में भी साधारण समाज की तरह प्रायः चिन्तनशक्ति की न्यूनता और गतानुगतिकता पायी जाती है।

२-आचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी का समयसार उच्च-कोटि का आध्यात्मिक ग्रन्थ है, परन्तु वह इतना गहन है कि उसके रहस्य को समझकर हृदयङ्गम कर लेना उच्चकोटि के तर्कशास्त्रियों के लिये भी सरल नहीं है। अत' उसके पठन-पाठन से कोई भी व्यक्ति प्राय प्रकाश न पाकर अन्धकार में ही भटक सकता है। यही कारण है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक इसके पठन-पाठन और स्वाध्याय के प्रति समाज के सभी वर्गों की रुचि एव प्रवृत्ति प्राय नाममात्र को थी। परन्तु वर्तमान में एक ओर तो सोनगढ के सत कानजी स्वामी के प्रभावपूर्ण प्रवचनों को सुन कर सौराष्ट्र और गुजरात आदि प्रान्तों के गृहस्थ वर्ग की रुचि एव प्रवृत्ति समयसार के स्वाध्याय की ओर वढी है व दूसरी ओर उत्तरभारत में श्री १०५ क्षुल्लक गरोश-प्रसादजी वर्णी के सपर्क से त्यागि-वर्ग का भुकाव भी समयसार के पठन-पाठन और स्वाध्याय की ओर हुआ है।

यहा यह बात अवश्य घ्यान मे रखने योग्य है कि जहां कानजी स्वामी के अल्प सपर्क मे आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने को समयसार का वेत्ता एव सम्यग्दृष्टि समझने लगता है वहा पूज्यपाद वर्णी जी के सपर्क मे आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्त करण मे तत्त्वजिज्ञासुता का ही भाव उत्पन्न करता है, परन्तु यह निश्चित है कि पूज्यपाद वर्णीजी का सपर्क समाज को अब अधिक समय के लिये प्राप्त रहने वाला नहीं है इसलिये इनके पश्चात् समयसारी त्यागि-वर्ग का मुकाव किस ओर हो जायगा ? यह वतलाना आज कठिन है। प० फूलचन्द्र जी की 'जैनतत्त्वमीमासा' के प्रकाशन से इस समस्या का और भी जटिल वन जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त अव मुझे यह भी भान होने लगा है कि जैन समाज का विद्वद्वर्ग भी जैन-सस्कृति की सैद्धान्तिक मान्यता के विषय मे विना चिन्तन किये धीरे-धीरे सोनगढ से प्रवाहित विचारधारा का अनुयायी वन जाने वाला है।

यह सब मैं इस आधार पर लिख रहा हूं कि 'जैनतत्त्व-मीमासा' मे प० फूलचन्द्रजी ने अपनी जिस विचारधारा की झलक दी है वह कानजी स्वामी की विचारधारा से मिलती हुई ही है।

३—माना, कि कानजी स्वामी जैनसस्कृति के व्याव-हारिक धर्म की कुछ-कुछ क्रियाये यथाशक्ति करते है और प० फूलचन्द्रजी ने भी 'जैनतत्त्वमीमासा' मे स्थान-स्थान पर निमित्त तथा व्यवहार की प्रतिष्ठा की है। इसलिये यद्यपि यह कहा जा सकता है कि कानजी स्वामी जो कुछ आर्प-विरुद्ध कहते हैं और प० फूलचन्द्र जी ने 'जैनतत्त्वमीमासा' मे जो आर्पविरुद्ध कथन किया है उसमे उनको प्रेरणा देने वाली दुर्भावनाये नहीं है परन्तु दोनो के कथनो मे उनकी दार्शनिक बुद्धि की कमी का आभास अवश्य मिलता है।

४—यद्यपि कानजी स्वामी लम्बे समय से जैन-सस्कृति की सैद्धान्तिक मान्यता के सम्बन्ध मे अपनी विचारधारा का प्रचार करते आ रहे हैं, परन्तु मेरा अब तक यह विचार रहा कि उनकी विचारधारा का प्रचार समाज मे कितना भी क्यो न हो जावे ? फिर भी उसका असर जैन-सस्कृति की मूलसैद्धा-न्तिक मान्यता पर तब तक पडने वाला नही है, जब तक जैन-समाज का विद्धद्वर्ग उसकी पृष्टि नही करता है। अभी तक तो अ० भा० दि० जैन वि० परिषद् ने कानजी स्वामी का पूर्ण सम्मान करते हुए उनकी सैद्धान्तिक विचारधारा के प्रति अपनी असहमित ही प्रगट की है। इतना ही नही, उसने उनके साथ जैन-सस्कृति की सैद्धान्तिक मान्यता के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श करने के लिये एक विद्धत्सगठन की भी स्थापना की है और यह एक कारण है कि मै अभी तक कानजी स्वामी की विचारधारा के विषय मे कुछ लिखने का लोभ सवरण करता रहा हू। उक्त विषय में कुछ नहीं लिखने का दूसरा कारण यह है कि वि॰ परिषद् की उपेक्षा करके व्यक्तिगत रूप से आगे कदम बढाना मेरे लिये उचित भी नहीं है, लेकिन अब प॰ फूलचन्द्रजी की 'जैनतत्त्वमीमासा' के प्रकाशित हो जाने से एक तो मेरा यह विचार शिथिल पड गया है कि कानजी स्वामी की विचारधारा का असर जैन-सस्कृति की मूल मान्यता पर पड़ने वाला नहीं है, दूसरे प॰ जी की विचारधारा का कानजी स्वामी की विचारधारा के साथ मेल हो जाने से वि॰ परिषद् उनके साथ विचार-विमर्श के लिये अपने निर्णीत मार्ग पर अग्रसर रहेगी—इसमें मुझे सदेह होने लगा है।

इन सब कारणो की वजह से मुझे उक्त विषय मे कुछ लिखना आवश्यक हो गया है । यह सोच कर सर्वप्रथम मैं , जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा लिखने जा रहा हू।

- १—वैसे तो जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा मे सभी विषय विस्तार से सर्वागीण लिखा जाना चाहिये परन्तु समय और शक्ति के अनुसार जितना सभव होगा मैं उतना ही लिखने का प्रयत्न करू गा।
- २—मैं 'जैनतत्त्वमीमासा' के सम्बन्ध मे जितना भी सोचता हू उससे मुझे ऐसा लगता है कि प० फूलचन्द्रजी ने इसके लेखन मे वहुत ही उतावली से काम लिया है क्योंकि प० जी की जैनतत्त्वमीमासा का परिणाम जैन-सस्कृति के लिये अच्छा होने वाला नही है। हो सकता है मेरा ऐसा लिखना भावुकता का कार्य समझा जावे, परन्तु यह मैं अपने अन्तकरण की आवाज के रूप मे ही लिख रहा हू।
- ३—मुझे इस बात का दुःख है कि जैनतत्त्वमीमासा की इस मीमासा के प्रकाशन मे मुझे जैन-सदेश और जैन-मित्र इन

दोनो पत्रों से सहयोग नहीं मिल सका है। इस सम्बन्ध में एक सभावना तो यह है कि इन पत्रों के मालिकों ने जैनतत्त्वमीमासा से होने वाले दुष्परिणाम को गभीरता से नहीं समझा है। दूसरे यह भी कहा जा सकता है कि जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा के प्रकाशन को इन्होंने अपने पत्रों के लिये आर्थिक घाटें का कारण समझ लिया हो। जैन-सदेश के विषय में तो यह भी सोचा जा सकता है कि इसके एक सपादक प० जगन्मोहनलालजी शास्त्री का समर्थन जैनतत्त्वमीमासा को प्राप्त है अत वे स्वाभाविक रूप से अपने पत्र में जैनतत्त्वमीमासा के प्रतिकृत कुछ भी प्रकाशित करना नहीं चाहेंगे।

४—मुझे यह भी मालूम पडा है कि जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा करने में बहुत से विद्वान सचेष्ट हैं जो यद्यपि प्रसन्नता की वात है, परन्तु इतना अवज्य हैं कि प्रत्येक लेखक को यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि उसको अपने लेखन कार्य में तत्त्वविमर्श की दृष्टि रखना ही उपयोगी होगा क्यों कि यदि कोई लेखक तत्त्वविमर्श की दृष्टि को ओझल करके व्यक्तिगत समा-लोचना में भटक गया अथवा भाषा की उग्रता को अपनाया तो इससे लाभ के वजाय हानि होने की ही सभावना रहेगी।

मुझे विश्वास है कि तत्त्वविमर्श की दृष्टि से लिखे गये ठोस तात्विक लेख अवश्य ही प० फूलचन्द्रजी का मार्गदर्शन करेंगे।

(२) जैनतत्त्वमीमांसा के लेखन में

पं० फूलचन्द्र जी की हिण्ट !

जैनतत्त्वमीमासा प्रारम्भ करने से पूर्व मुभे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तत्त्वमीमांसा के लेखन मे निहित पं० फूलचन्द्र जी की दृष्टि को समझ लिया जाय अत सर्वप्रथम प० जी की दृष्टि को ही यहाँ तत्त्वमीमासा के आधार पर निबद्ध किया जा रहा है।

(१) क—वस्तु मे प्रतिक्षण यथायोग्य स्वभाव अथवा विभाव रूप जो भी परिणमन हो रहा है वह सब परिनरपेक्ष केवल वस्तु के स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाव के बल पर ही हो रहा है। यद्यपि वस्तु का परिणमन स्वभाव स्वत सिद्ध होने से अनादि है, परन्तु उसके आधार पर होने वाला कोई भी परिणमन तभी होता है जब वह वस्तु उस परिणमन से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती परिणमन मे पहुँच जाती है।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु मे उसकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्याये (परिणमन) अनादिकाल से शक्ति (अव्यक्त) रूप मे विद्यमान हैं इसे उपादान शक्ति कहते है। इस तरह प्रत्येक वस्तु मे उसकी अपनी उक्त सपूर्ण पर्यायो की उपादानता

अनादि से है, परन्तु विवक्षित वस्तु मे विवक्षित परिणमन, जो कि कार्य कहलाता है, तभी उत्पन्न होना है जब वह वस्तु उस विवक्षित परिणमन की उत्पत्ति के क्षण से अव्यवहितपूर्वक्षण-वर्ती परिणमन मे पहुँच जाती है।

- (१) ख—कार्य से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती परिणमन में वस्तु के पहुँच जाने पर वह वस्तु उस परिणमनरूप कार्य की समर्थ उपादान कहलाने लगती है क्योंकि तव उस वस्तु में वह कार्य नियम से उत्पन्न होता है।
- (१) ग—चूं कि वस्तु का यथायोग्य स्वभाव अथवा विभावरूप परिणमन प्रतिक्षण हुआ करता है अत यह मानना उचित है कि काल के भूत, वर्तमान और भविष्यत् जितने अविभागी क्षण सभव हो उतने ही परिणमन प्रत्येक वस्तु के नियत हैं और प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन स्वभाव के वल पर परिणमन करती हुई अर्थात् भविष्यत् से वर्तमान होती हुई भूत का रूप धारण करती जा रही है तथा यह प्रवाह अनन्त काल तक इसी रूप मे चलता जायगा।
- (१) घ—पर्यायो (परिणमनो) के उक्त प्रवाह मे जिस वस्तु की जो भविष्यत् पर्याय जिस क्षण मे वर्तमानता (व्यक्तता) को प्राप्त होती है उस वस्तु की वह पर्याय उस क्षण मे अपनी अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट उसी वस्तु का कार्य कहलाती है और कार्यरूप उस पर्याय से विशिष्ट वही वस्तु उसी क्षण मे उस कार्यरूप पर्याय से अव्यवहित उत्तरक्षणवर्ती पर्याय का उपादान कहलाती है।

इस प्रकार कार्योत्पत्ति के सम्बन्ध मे प० फूलचन्द्र की हिल के अनुसार निम्नलिखित सिद्धान्त फलित होते है—

क-प्रत्येक वस्तु मे पर्याय या परिणमन रूप कार्य की

उत्पत्ति केवल उसकी स्वत सिद्ध स्वभावभूत नित्य उपादान शक्ति और कार्योत्पत्तिक्षण से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायरूप अनित्य उपादानशक्ति के वल पर ही होती है।

ख—अनित्य उपादान शक्ति का अपर नाम समर्थ-उपादान है। ये समर्थ उपादान प्रत्येक वस्तु मे उतने ही माने जा सकते है जितने काल के त्रैकालिक समय है।

ग—प्रत्येक वस्तु की अमुक पर्याय के अनन्तर ही अमुक पर्याय उत्पन्न होती है और वह नियम से होती है।

घ-प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति का समय नियत है।

इसका फिलतार्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु की निश्चित त्रैकालिक पर्यायों में से प्रत्येक पर्याय नियत क्रम से अपने-अपने काल में अपने आप कार्यक्रपता (अव्यक्तरूपता से व्यक्तरूपता) को प्राप्त होकर अर्थात् भविष्यद्र पता से वर्तमान रूपता को प्राप्त होकर विनष्ट (भूतरूपता को प्राप्त) होती जा रही है। उपर्युक्त सपूर्ण कथन की पृष्टि प० फूलचन्द्र के निम्नलिखित कथनों से होती है। यथा—

" इस प्रकार इतने विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक उपादान अपनी-अपनी स्वतत्र योग्यता सम्पन्न होता है और उसके अनुसार प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति होती है तथा इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रत्येक समय का उपादान पृथक्-पृथक् है इसलिये उनसे क्रमश जो-जो पर्याये उत्पन्न होती है वे अपने-अपने काल मे नियत है। वे अपने-अपने समय मे ही होती है आगे पीछे नही होती।" (जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ १६२)

''स्वभाव और समर्थ उपादान मे फर्क है। स्वभाव सार्व-कालिक होता है। इसी का दूसरा नाम नित्य उपादान है और समर्थ उपादान जिस कार्य का वह उपादान होता है उस कार्य के एक समय पूर्व होता है कार्य समर्थ उपादान के अनुसार ही होता है। "समर्थ उपादान प्रत्येक समय का अन्य होता है।" (जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ४१ की टिप्पणी)

(२) यद्यपि प० फूलचन्द्रजी ने अपनी उल्लिखित दृष्टि के समर्थन में शास्त्रीय उद्धरणों का 'जैनतत्त्वमीमासा' पुस्तक में भण्डार भर दिया है परन्तु इसके साथ यह समस्या भी विचारणीय वन कर उनके सामने उपस्थित हुई मालूम देती है कि आगम ग्रन्थों में कार्योत्पत्ति की पद्धित पर विचार करते समय निमित्तों की स्थिति को भी स्वीकार किया गया है। इसलिये आगम के साथ अपनी दृष्टि का सामजस्य स्थापित करने के लिये उनका कहना है कि कार्य तो अपने स्वकाल में केवल उपादान की अपनी योग्यता के आघार पर ही उत्पन्न होता है फिर भी जब जो कार्य उत्पन्न होता है तव निमित्त भी वहा पर तदनुक्त विद्यमान रहते हैं। इसका आशय यह हुआ कि कार्य जब भी उत्पन्न होगा तव वह निमित्तों के सद्भाव में हो होगा । इस तरह यह समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी कि निमित्तों का अभाव होकर कार्योत्पत्ति रुक जायगी क्योंक उस अवसर पर निमित्तों का सद्भाव सदा बना ही रहेगा।

कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों की स्थिति के सम्बन्ध में प० फूलचन्द्र जी की उक्त दृष्टि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सिनेमा फिल्मों में मानव चित्रों में दिखाई देने वाली ओष्ठादि की हलन-चलन रूप क्रिया के साधन अन्य होते हैं और दर्शकों को श्रवण में आने वाली आवाज के साधन अन्य होते हैं, फिर भी एक ही साथ उत्पन्न होने के कारण वहा पर दर्शक की समझ में एकाएक यह आता है कि मानव चित्रों में दिखाई देने वाली ओष्ठादि की हलन-चलन रूप क्रिया मे से ही आवाज निकल रही है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु यद्यपि अपने-अपने स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाव के बल पर ही नियत समय मे नियत कार्यरूप परिणत होती है लेकिन साथ ही निमित्त भी अपने परिणमन स्वभाव के आधार पर नियत समय मे नियत कार्यरूप परिणत होते रहते हैं अत निमित्तों का उपादान से जन्य कार्य के साथ अन्वयीपना समझ मे आने के कारण कार्य-कारणभाव न रहते हुए भी लोक मे ऐसा बोला जाता है कि अमुक कार्य मे अमुक निमित्त है। वस्तुत कार्य तो सर्वदा केवल उपादानभूत वस्तु के स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाव के वल पर ही उत्पन्न होता है निमित्त वहा अकिचित्कर ही बना रहता है। इस सम्बन्ध मे प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा में बहुत लिखा है उसमे से कुछ को यहा उद्धृत किया जा रहा है।

१—" रूढिवश जो जिस कार्य का निमित्त कहा जाता है उसके सद्भाव मे भी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती जब तक जिस कार्य का वह निमित्त कहा जाता है उसके अनुरूप उपादान की तैयारी न हो । अतएव कार्य की सिद्धि में निमित्तों का होना अकिचित्कर है।"

(जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५२)

२—"उपादान के ठीक होने पर निमित्त मिलते ही हैं उन्हें मिलाना नहीं पडता। निमित्त स्वयं कार्यसाधक नहीं है किन्तु उपादान के कार्य के अनुद्गल व्यापार करने पर जो बाह्य सामग्री उसमें हेतु होती है उसमें निमित्तपने का व्यवहार किया जाता है।" (जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५३)

३—''इस प्रकार कार्योत्पत्ति के पूरे कारणो पर दृष्टिपात करने से ही यह फलित होता है कि जहा पर कार्य के अनुकूल द्रव्य की स्ववीर्य और उपादान शक्ति होती है वहा अन्य साधन सामग्री स्वयमेव मिल जाती है।" (जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६७)

४—कार्योत्पत्ति मे निमित्त की अकिंचित्करता को प० फूलचन्द्रजी केवलज्ञान के आघार पर भी सिद्ध करते हैं 'तथा वे यह तर्क भी उपस्थित करते हैं कि लोक मे मनुष्य जैसा सोचता है और उसके अनुसार जैसा प्रयत्न करता है वैसा कार्य न होकर वहुत वार उसके प्रतिक्तल भी कार्य हो जाया करता है, तीसरे उनका कहना है कि जव वस्तु परिणमनशील है तो निमित्तो के अभाव मे अथवा बाधक निमित्तो के सद्भाव मे उसका एक क्षण के लिये भी परिणमन रुक जाना असभव है अत कार्योत्पत्ति मे निमित्तो को वल देना युक्ति सगत नही है। केवल इतना ही स्वीकार करना उचित है कि जब कार्य अपने उपादान के वल पर उत्पन्न हो रहा हो तब उसके अनुकूल निमित्त रहते ही हैं। 3

इस प्रकार मैने कार्यकारणभाव के सम्बन्ध मे प० फूल-चन्द्रजी की दृष्टि को यहा आवश्यकतानुसार सक्षेप से सग्रहीत करने का प्रयत्न किया है । इसमे यदि अतिरेक या विपर्यास जैसी स्थिति पैदा होगयी हो तो मैं प० जी से व पाठको से निवेदन करता हू कि वे उसकी सूचना मुझे देने की कृपा करें मैं अपनी दृष्टि मे सशोधन कर लूगा। मतभेद कहा-कहा है ?

१ इस सम्बन्ध में जैनतत्त्वमीमामा का किवलज्ञानस्वभावमीमासा' प्रकरण देखो।

२ इसका समर्थन प० जगन्मोहनलालजी ने जैनतत्त्वमीमासा के प्राक्-कथन में प्रारम्भिक पृष्ठ पर किया है।

३ इसका भी समर्थन प० जगन्मोहनलालजी ने जैनतत्त्वमीमासा के प्राक्कयन में पृष्ठ १२ पर किया है।

डिपर जो पं० फूलचन्द्रजी की दृष्टियो का सग्रह किया गया है उनमे कहा-कहा मतभेद है ? इसे स्पष्ट किया जा रहा है।

- (१) वस्तू मे प्रतिक्षण जो यथायोग्य स्वभाव अथवा विभाव रूप परिणमन होता है वह वस्तु की अपनी स्वभावगत योग्यता के आधार पर ही होता है अर्थात् प्रत्येक वस्तु मे होने वाला कोई भी परिणमन ऐसा नहीं है जो उस वस्तु की अपनी रवभावगत योग्यता के अभाव मे केवल पर द्वारा निष्पन्न किया जाता हो प० फूलचन्द्रजी की यह दृष्टि निर्विवाद है, परन्तु वस्तु के सभी परिणमन केवल उस वस्तु की स्वभावगत योग्यता के वल पर ही निप्पन्न होते हो-ऐसा नही है नयोकि आगे युक्ति, अनुभव और आगम के आधार पर यह वतलाया जायगा कि प्रत्येक वस्तु मे दो प्रकार के परिणमन हुआ करते है। उनमे से एक प्रकार के परिणमन तो वे है जो केवल वस्तु की स्वभावगत योग्यता के वल पर ही निष्पन्न होते है। इन्हे आगम मे 'स्वप्रत्यय परिणमन' नाम दिया गया है। दूसरे प्रकार के परिणमन वे हे जो वस्तु की स्वभावगत योग्यता के आधार पर निष्पन्न होकर भी अनुकूल परवस्तु की सहायता से ही निष्पन्न होते हैं। इन्हे आगम मे 'स्वपरप्रत्यय परिणमन' नाम दिया गया है। कोई भी परिणमन केवल परप्रत्यय नही होता—यह निर्विवाद है।
- (२) प० फूलचन्द्रजी की जो यह र्हाप्ट है कि वस्तु का परिणमनस्वभाव स्वत सिद्ध होने से अनादि है यह रृष्टि भी निर्विवाद है और वे जो कहते है कि वस्तु मे उस स्वत सिद्ध ओर अनादि परिणमन स्वभाव के आवार पर होने वाला विव- क्षित परिणमन तभी निष्यन होता है जव वह वस्नु उस विविक्षत परिणमन से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय मे पहुँच जाती है सो

उनका यह कहना भी निर्विवाद है, परन्तु जहा प० जी का यह कहना है कि वस्तु विविक्षत परिणमन से अव्यवहित पूर्वक्षण-वर्ती पर्याय में कालक्रम से अपने-आप पहुँच जाती है वहा अनुभव, युक्ति आर आगम के आधार पर आगे यह वतलाया जायगा कि उनका यह कथन केवल वस्तु के स्वप्रत्यय परिणमन के सम्बन्ध में ही लागू होता है वस्तु के स्वपरप्रत्यय परिणमन के सम्बन्ध में नहीं, क्योंकि आगे स्पष्ट किया जायगा कि वस्तु का विविक्षित स्वपरप्रत्यय परिणमन भी यद्यपि स्वप्रत्यय परिणमन की तरह उससे अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में वस्तु के पहुँच जाने पर हो होता है, परन्तु वस्तु विविक्षित स्वपरप्रत्यय परिणमन से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में अनुकूल परवस्तु की सहायता से ही पहुँच सकती है स्वप्रत्यय परिणमन की तरह काल क्रम से अपने-आप नहीं और न उसके अनन्तर होने वाला वह कार्य भी अपने-आप होता है।

यद्यपि प० पूलचन्द्रजी का कहना है कि जिस प्रकार वस्तु के त्रैकालिक स्वप्रत्ययपिरणमन केवलज्ञान में युगपत् प्रति-भासित होते हैं उसी प्रकार वस्तु के त्रैकालिक स्वपरप्रत्यय पिणमन भी केवलज्ञान में युगपत् प्रतिभासित होते हैं अत वस्तु के स्वप्रत्यय पिणमनों की तरह वस्तु के स्वपरप्रत्यय पिणमनों की तरह वस्तु के स्वपरप्रत्यय पिणमनों में भी काल की नियत पर्याय से सम्बद्ध रहने के कारण नियतपना सिद्ध होता है, परन्तु प० जी ने स्वय ही जैनतत्त्वमीमासा में इसके विरुद्ध कथन किया है जैसा कि वे जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ २६१ पर लिखते हैं—

"यद्यपि हम मानते है कि केवलज्ञान को सब द्रव्यो और उनकी सब पर्यायों का जानने वाला मान कर भी क्रमबद्ध पर्यायों की सिद्धि मात्र केवल ज्ञान के अवलम्बन से न करके कार्यकारण परम्परा को ध्यान मे रखकर की जानी चाहिये।"

इसके अतिरिक्त जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ २६७ पर भी प० जी ने लिखा है—

"माना कि केवलज्ञान जानने वाला है और सकल पदार्थ उसके ज्ञेय है इसलिये केवलज्ञान से जैसा जानते हैं मात्र इसी कारण पदार्थों का वैसा परिणमन नही होता, क्यों कि उनका परिणमन अपनी कार्यकारणपरम्परा के अनुसार होता है। केवलज्ञान आकर उन्हें परिणमाता हो और तव वे परिणमन करते हो यह नहीं है। वह उनके परिणमन में निमित्त भी नहीं है।"

इस तरह पं० फूलचन्द्रजी की दृष्टि मे भी केवलज्ञान के आधार पर जहा जैसा कार्यकारणभाव है उसका निषेध नहीं होता है। अत कार्य की उत्पत्ति अपने अनुकूल कारणों से होती है यह वात निर्विवाद हो जाती है और तव यह प्रश्न खडा होता है कि सभी कार्य क्या स्वप्रत्यय ही होते है इस सम्बन्ध मे प० फूलचन्द्रजी का कहना तो यही है कि सभी कार्य स्वप्रत्यय ही होते है परन्तु उनसे मतभेद रखने वालों का अनुभव, युक्ति और आगम के आधार पर यह कहना है कि सभी कार्यों में से कोई कार्य तो स्वप्रत्यय कार्यों की कोटि में आते है और कोई कार्य स्वपरप्रत्यय कार्यों की कोटि में आते है और कार्य स्वपर्य कार्यों की कोटि में आते है जैसा

(३) इसी प्रसग मे प० पूलचन्द्रजी ने नित्य उपादान और अनित्य उपादान की भी चर्चा की है और कहा है कि नित्य उपादान तो वस्तु के स्वत सिद्ध तथा अनादिस्वभावरूप होता है व अनित्य उपादान वस्तु की कार्यरूप पर्याय से अव्यव- हित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायम्प होता है नो उनका यह कथन भी निर्विवाद है परन्तु जैसा कि ऊपर वतलाया जा चुका है कि विवाद इस बात का है कि स्वपरप्रत्यय कार्य की कारणभूत कार्याव्यवहितपूर्वक्षणवर्ती पर्याय रूप अनित्य उपादान की उत्पन्ति को जहां भी प० पूलचन्द्रजो स्वप्रत्यय कार्य की तरह अपने-आप मानते हैं वहा उनसे मतभेद रखने वाले उसकी उत्पत्ति को रवप्रत्यय कार्य की तरह अपने-आप न मानकर परवस्तु के सहयोग से मानते हैं। इसे भी आगे स्पष्ट किया जायगा।

- (४) प० फूलचन्द्रजी का यह कथन भी विवादपूर्ण है कि जब वस्तु कार्याव्यवहितपूर्वक्षणवर्ती पर्याय में पहुँच जातो है तब वह वस्तु नियम से उसी कार्य की उत्पादक होती हैं। यह कथन विवादपूर्ण इसलिये हैं कि प० जी से भिन्न रखने वालों का कहना है कि उस समय भी उसमें नाना उपादान शक्तियों का सद्भाव रहा करता है अत जिस कार्य के अनुकूल निमित्तों का योग होगा उसी कार्य की उत्पत्ति होगी अन्य की नहीं। इस मतभेद का आधार यह है कि जहा प० फूलचन्द्रजी का यह कहना है कि जैंपा कार्य होता है वैसा हो निमित्तों का योग मिलता है वहा उनसे मतभेद रखने वालों का कहना है कि जैंसा निमित्तों का योग मिलता है वैसा ही उपादान शक्ति के आधार पर कार्य होता है।
- (५) यद्यपि प० फूलचन्द्र जी ने अपने उक्त मत की पृष्टि मे कार्योन्पत्ति के लिये वस्तु मे उतनी योग्यताये मान्य की है जितने काल के त्रैकालिक समय है परन्तु उनकी यह मान्यता उनसे भिन्न मत रखने वालो को मान्य नहीं है क्योंकि उनका कहना है जब वस्तु की कार्योत्पत्ति सम्बन्धी नित्य उपादानशक्ति स्वभावसिद्ध है तो उसे किसी भी दशा मे सीमाबद्ध नहीं किया

जा सकता है और अनित्य उपादान जिंतियों के विषय में प० जी से भिन्न मत रखने वालों का कहना है कि वे अनित्य उपादान शिंतिया निमित्तों की अधीनता में ही उत्पन्न हुआ करती हैं अत. उन्हें नियत मानने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है कारण कि ऐसा मानने पर भी निमित्त की अकिंचि-त्करता सिद्ध नहीं होती है। स्वय प० फूलचन्द्र जी ने भी वस्तु की नित्य उपादान शिंति को सीमाबद्ध नहीं माना है क्यों कि उन्होंने जैनतत्त्वमीमासा के केवलज्ञानस्वभाव मीमासा प्रकरण में पृष्ठ २६६ पर निम्नलिखित कथन किया है—

"लोक-अलोक मे जितने पदार्थ और उनकी पर्यायें हैं उनसे भी अनन्तगुरो पदार्थ और उनकी पर्यायें यदि हो तो उन्हें भी उसमे जानने की सामर्थ्य है।"

इतना अवस्य है कि प० फूलचन्द्र जी चूं कि यह मानते है कि जब जैसा कार्य होता है तब निमित्त भी तदनुकूल ही मिला करते है इसीलिये उनके मतानुसार यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु में कार्य की अनित्य उपादान शक्तिया उतनी ही सभव है जितने काल के त्रैकालिक समय है। परन्तु प० जी से भिन्न मत रखने वालों को यह इसलिये मान्य नहीं है कि उनके मतानुसार प० जी का यह सिद्धान्त ही गलत है कि जब जैसा कार्य होता है तब निमित्त भी तदनुकूल ही मिला करते हैं। उनके मत से तो यह सिद्धान्त ही सत्य है कि जब जैसे निमित्त मिलते है तब कार्य भी जपादानगत योग्यता के आधार पर उन्हीं के अनुसार होता है। इस तरह कार्याव्यवहित पूर्वक्षण ये अवसर पर वस्तु में कार्यरूपरिणत होने योग्य नाना उपादान शक्तियों का सद्भाव सिद्ध हो जाता है लेकिन प्राप्त निमित्तों की अनुकूलता और वाधक कारणों के अभाव के आधार पर एक ही उपादान शक्ति कार्य रूप परिणत हुआ करती है। इसका स्पष्टीकरण आगे अनुभव, युक्ति और आगम के अध्यार पर किया जायगा।

- (६) कार्योत्पत्ति मे निमित्त की अकिचित्करता को सिद्ध करने के लिये प० फूलचन्द्रजी का एक तर्क यह भी है कि निमित्त-भूत वस्तु भी अनादि काल से अपनी क्रमबद्ध पर्यायो मे परिणत होती चली आ रही है और उपादानभूत वस्तु भी अनादिकाल से अपनी क्रमवद्धपर्यायों मे परिणत होती चली आ रही है। ऐसी दशा मे निमित्त को कार्य की उत्पत्ति मे कार्यकारी मानने की कोई आवश्यकता ही नही रह जाती है वात केवल यह है कि निर्मित्तभूत वस्तु में कार्योत्पत्ति के अवसर पर चू कि कार्य के प्रति अनुकूलता समझ में आती है अत उसमे कार्य के प्रति निमित्तता का व्यवहार मात्र (कथन मात्र) किया जाता है। प॰ जी का यह तक भी उनसे भिन्न मत रखने वालो को मान्य नहीं है इसका कारण यह है कि प० जी का तर्क उनके इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जब उपादान कार्यरूप परिणत होता है तब तदनुक्तल निमित्त भी वहा रहा करते हैं जब कि उनसे भिन्न मत रखने वालो का कहना है कि जब जैसे निमित्त मिलते हैं तव तदनुकूल ही उपादान स्वयोग्यतानुसार कार्यरूप परिणत होता है। इसे भी आगे स्पष्ट किया जायगा।
- (७) मूलत विवाद प० फूलचन्द्रजी के साथ जैनतत्त्व-मोमासा को लेकर इस बात का है कि आगम में जिस प्रकार कार्योत्पत्ति के विषय में उपादानपरक कथन मिलते हैं उसी प्रकार निमित्तपरक कथन भी मिलते हैं इसलिये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या दोनो कथनो में से एक को सत्य और दूसरे को असत्य माना जाय? इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि

पं० फूलचन्द्रजी और उनसे मतभेद रखने वाले दोनो ही आगम के उक्त दोनो कथनो को प्रमाण मानते है । यही कारण है कि प० फूलचन्द्र जी ने भी कार्योत्पत्ति के विषय मे उपादान की स्वीकृति के साथ निमित्त की स्वीकृति की घोषणा जैनतत्त्व-मीमासा मे की है, परन्तु उन्होने आगम के उपादानपरक और निमित्तपरक कथनो मे समन्वय करने का जो प्रयास किया है वह उनसे मतभेद रखने वालो को अनुभव और युक्ति से गलत जान पडता है। इसे भी आगे स्पष्ट किया जायगा।

पुस्तक में कुछ अस्पष्ट गलत और परस्पर विरोधी बातें

- (१) जैनतत्त्वमीमासा पुस्तक मे कही-कही निमित्त के विषय मे यह भी लिखा है कि वह वलाधान मे निमित्त होता है। एक स्थान पर यह लिखा है कि अपने-अपने उपादान के अनुसार कार्योत्पत्ति होने के समय निमित्त बलाधान मे हेतु होता है। परन्तु जब पं० फूलचन्द्रजी निमित्तभूत वस्तु को कार्योत्पत्ति मे अकिचित्कर ही मानते है तो उनका उक्त प्रकार के लिखने मे क्या अभिप्राय है ? इसे स्पष्ट करने का पुस्तक मे कही भी प्रयत्न नही किया गया है।
- (२) प० फूलचन्द्रजी जैनतत्त्वमीमासा मे प्रयुक्त निमित्त तथा हेतु इन दोनो शब्दो के अर्थ मे क्या अन्तर समझते है ? यह मेरी समझ मे नही आया है। लेकिन यह निश्चित है कि दोनो शब्दो का प्रयोग उन्होने अलग-अलग अर्थों मे ही किया है। ?

१ देलो जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ८४ पक्ति २-३।

२ देखो जैनतत्त्वमीमामा पृष्ठ ३२ की टिप्पणी।

३. यह अभिप्राय जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ३२ की टिप्पणी से निकलता है !

- (३) आगम सम्बन्धी जो उद्धरण प० फूलचन्द्रजी ने अपने पक्ष के समर्थन में दिये हैं उनका अर्थ करने में उन्होंने बहुत सी भूलें भी की हैं। उदाहरण के रूप में जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ४१ पर नियमसार गाथा १५३ का अर्थ उन्होंने अपनी दृष्टि के अनुसार जीव की लोकान्तगमन योग्यता की पृष्टि के रूप में किया है जबकि गाथा १५४ को घ्यान में रखकर उसका अर्थ जीव की ऊर्घ्वगमन योग्यता की पृष्टि के रूप में ही होना है।
- (४) इसी प्रकार प० जी कही तो यह लिखते हैं कि कार्य की सिद्धि में निमित्तों का होना अकिचित्कर है ' और कही इससे विपरीत आशय को प्रगट करने वाला ऐसा कथन करते हैं कि उपादान के ठीक होने पर निमित्त मिलते ही हैं उन्हें मिलाना नही पडता। ' एक जगह तो उन्होंने निमित्त की कार्यकारिता को सिद्ध करने वाला यह कथन भी किया है कि उनकी ईरण (गित्त) किया की प्रकृष्टता अन्य द्रव्यों के क्रिया व्यापार के समय उनके वलाधान में निमित्त होती है।
- (५) प० फूलचन्द्र जी की मान्यता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता यानि एक द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य सहायक भी नहीं होता है। इसी मान्यता के आधार पर उनका कहना है कि उपादान के कार्य के अनुकूल व्यापार करने पर जो बाह्य सामग्री उसमें हेतु होती है उसमें निमित्तपने का व्यवहार किया जाता है। परन्तु प० जी के इस कथन का उनके ऊपर उद्घृत इस कथन से विरोध आता है कि उनकी

१ जैनतत्त्वमीमांसा पृष्ठ २५२। २ जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५३ ।

३ जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ५४ । ४ जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५३ ।

ईरण (गति) क्रिया की प्रकृष्टता अन्य द्रव्यों के क्रिया व्यापार के समय उनके वलाधान में निमित्त होती है।

(६) यद्यपि प० फूलचन्द्र जी की यह मान्यता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में सहायक नहीं होता है यानि प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक परिणमन उस वस्तु की स्वत सिद्ध योग्यता के आधार पर निमित्त की अपेक्षा किये विना अपने-आप ही होता है फिर भी उन्होंने अपनी इस मान्यता की पुष्टि के लिये कार्यो-त्पत्ति में निमित्तों की सार्थकता को सिद्ध करने वाले आदि लौकिक पद्यों का सहारा लिया है।

"तादृशी जायते वुद्धिन्यंवसायश्च तादृशः । सहायास्तादृशा सन्ति यादृशी भवितन्यता ॥"

वास्तिवक वात यह है कि प० फूलचन्द्र जी ने निमित्ती के विषय मे अपनी जैनतत्त्वमीमासा पुस्तक मे पूर्वोक्त प्रकार जो अस्पष्ट, गलत और परस्पर विरोधी विचार प्रगट किये हैं उनसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि निमित्तों के विषय मे उनकी कोई निश्चित विचारधारा नहीं है और चू कि कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता को वे स्वय नहीं समझ सके है इस-लिये उन्हे प्रत्येक वस्तु मे उपादानशक्तिरूप उतनी योग्यतायें स्वीकार करनी पड़ी हैं जितना काल के आधार पर भूत, वर्तमान और भविष्यत् रूप मे उस वस्तु के परिणमनो का विभाग सभव है। इसी आधार पर उन्होंने क्रम नियमित पर्याय जव्द का अर्थ करने मे भी भूल की है और प्रत्येक कार्य का समग नियत है यह सिद्धान्त भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा है।

१. जैनतत्त्वमीमामा पृष्ट ६६ ।

यद्यपि केवलज्ञान के आधार पर उक्त कल्पना की जा सकती है, परन्तु यह ऐकान्तिक कल्पना है तथा इससे ससारी जीवो में पुरुषार्थहीनता का भी दोष आता है, कारण कि केवलज्ञान में कार्यकारणभाव की व्यवस्था ही नहीं वनती है कार्यकारणभाव की व्यवस्था ही नहीं वनती है कार्यकारणभाव को गुक्ति प्राप्त करने के लिये केवलज्ञान की व्यवस्था उपयोगी न होकर पुरुषार्थ को जाग्रत करने वाली श्रुतज्ञान द्वारा प्रस्थापित अनेकान्तमयी कार्यकारणभाव की व्यवस्था ही उपयोगी होती है जिसमे न तो वस्तु में उतनी योग्यताय स्वीकार करने की आव- क्यकता है जितने परिमाण भूत, वर्तमान और भविष्यत् रूप में काल के समयों का विभाग सभव है और न इस बात को मानने की आवश्यकता है कि वस्तु में होने वाले प्रत्येक परिणमन का समय नियत है। इसी प्रकार निमित्त अकिंचित्कर है इस अनर्थ- कारी व्यवस्था को भी मानने की आवश्यकता नहीं है।

मुक्ते अपनी इस पुस्तक मे प० फूलचन्द्र जी की ऊपर निर्दिष्ट मान्यताओं की ही मुख्य रूप से मीमासा करनी है क्योंकि जैनतत्त्वमीमासा के अन्य सभी विषयों की भूमिका इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है। वैसे आवश्यकतानुसार इसमें जैनतत्त्वमीमासा के सभी विषय चिंचत किये जावेगे। इसके लिये सर्वप्रथम कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता के सम्बन्ध मे विचार किया जा रहा है।

(३) कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता

लोक में कार्यकारणभाव को लक्ष्य में रखकर निमित्तों का उपयोग किया जाता है, जैन आगम ग्रन्थों में भी कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों की स्थिति को स्वीकार किया गया है और प० फुलचन्द्र जी ने भी जैनतत्त्वमीमासा पुस्तक में कार्यकारणभाव पर विचार करते समय निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध को मान्यता दी है। इन सब बातो के आधार पर इतना निष्कर्ष तो निकल ही आता है कि कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्त नाम की वस्तु का अस्तित्व विवाद का विषय नही है किन्तु विवाद इस बात का है कि कार्य के प्रति निमित्तो की क्या कुछ सार्थकता है अथवा वे वहा पर सर्वथा अकिचित्कर ही बने रहते है ?

इस प्रश्न पर यदि गभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि यह वहुत हो महत्व का प्रश्न है क्योंकि इसके समाधान से यदि निमित्तों की कार्य के प्रति अकिंचित्करता सिद्ध होती है तो जैनतत्त्वमीमासा की स्थिति अत्यन्त सुदृढ हो जाती है और उसमें प्रतिपादित सभी विषय निर्विवाद सिद्ध हा जाते है। यदि उक्त प्रश्न के समाधान स्वरूप निमित्तों की कार्य के प्रति सार्थकता सिद्ध होती है तो फिर जैनतत्त्वमीमासा का समूचा आधार ही समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि मैंने सर्वप्रथम कार्योत्पत्ति में निमित्तों की सार्थकता के विषय में ही विचार करने का निर्णय किया है।

में ऊपर बतला आया हूँ कि प० फूलचन्द्रजी और उनसे मतभेद रखने वालो के मध्य प्रकृत विपय मे मत्तभेद इस बात का है कि प० जी कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तो की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी कार्य की उत्पत्ति को केवल उपादान के वल पर ही मानते हैं तथा निमित्त को वहा सर्वथा अकि-चित्कर मान लेते हैं और इसका कारण वे यह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के त्रैकालिक परिणमन निश्चित है तथा वे परिणमन अपनी-अपनी नियत उपादान शक्ति के बल पर अपने-अपने नियत समय मे विकास को प्राप्त होकर विनष्ट हो जाते हैं।

प० जी से मतभेद रखने वालो का कहना है कि प० जी की उक्त मान्यता सही नहीं है क्योंकि प्रत्येक वस्तु में परिणमन दो प्रकार से उत्पन्न हुआ करते है । उनमे से एक परिणमन तो वह है जिसका विकास केवल स्व (उपादान) की अपनी योग्यता के वल पर ही हुआ करता है और दूसरा परिणमन वह है जिसका विकास स्व (उपादान) और पर (निमित्त) दोनों के वल पर ही हुआ करता है। केवल स्व (उपादान) के वल पर होने वाले परिणमन को तो स्वसापेक्ष (स्वप्रत्यय) परिणमन और स्व (उपादान) तथा पर (निमित्त) दोनो के वल पर होने वाले परिणमन को स्वपरसापेक्ष (स्वपरप्रत्यय) परिणमन कहते है। स्वसापेक्ष परिणमन का अपरनाम परिनरपेक्ष परिणमन भी है और स्वपरसापेक्ष परिणमन का अपरनाम परसापेक्ष परिणमन भी है। इस प्रकार जो परिणमन अपनी उत्पत्ति मे स्वपरसापेक्ष अर्थात उपादान के साथ निमित्त की भी अपेक्षा रखते हैं उनकी उत्पत्ति के प्रति उपादान के वल के साथ-साथ निमित्तों के वल को भी स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वस्तु मे यदि विवक्षित रूप से परिणमित होने की योग्यता नहीं है तो लाखों निमित्त मिल कर भी उसमें उस परिणमन को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार विवक्षितरूप से परिणमित होने की योग्यता सपन्न वस्तु में उस रूप परिणमित होने के लिये यदि स्वभावतः निमित्तों की अपेक्षा अपेक्षित हो तो जय तक निमित्तों का सहयोग उसे प्राप्त नहीं होगा तय तक वह वस्तु केवल अपनो परिणमित होने की योग्यता के वल पर कदापि उस रूप परिणमित नहीं होगी। इस विषय को समझने के लिये समयसार वन्चाधिकार की निम्नलिखित गाथाओं पर च्यान देना चाहिये। "जह फिलहमाणी सुद्धी ए सय परिणमइ रायमाईहि। राइज्जिद अण्णेहि दु सो रत्तादीहि दन्वेहि।।३०९।। एव रागणी सुद्धी ण सय परिणमइ रायमाईहि। राइज्जिद अण्लेहि दु सो रागादीहि दोहिह। ३०२॥"

इन गाथाओं का अर्थ यह है कि जिस प्रकार शुद्ध (स्वत -सिद्ध निज निर्मल स्वभाव का धारक) स्फिटिकमणि परिणमन स्वभाव वाला होते हुए भी स्वय (अपने आप अर्थात् निमित्तभूत परवस्तु के सहयोग के विना) रक्तादि रूपता को प्राप्त नही होता किन्तु अन्य रक्तादि वस्तुओं का सहयोग पाकर ही वह रक्तादि रूपता को प्राप्त होता है उसी प्रकार शुद्ध (स्वत सिद्ध निज ज्ञान स्वभाव का धारक) आत्मा परिणमन स्वभाव वाला होते हुए भी स्वय (अपने-आप अर्थात् निमित्तभूत परवस्तु के सहयोग के विना) रागादिरूपता को प्राप्त नही होता किन्तु अन्य रागादि पुद्गल कर्मों का सहयोग पाकर ही वह रागादि रूपता को प्राप्त होता है।

ये गाथाये हमे इस वात का निर्णय करने का उपदेश देती है कि वस्तु मे परिणमन करने की स्वत सिद्ध योग्यता रहते हुए भी उसमे किसी-किसी परिणमन के उत्पन्न होने मे स्व के साथ-साथ पर की अपेक्षा भी स्वभावत रहा करती है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिये उक्त गाथाओं की आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा कृत टीका को भी ध्यान से पढना चाहिये। उस टीका मे निवद्ध निम्नलिखित कलश पद्य भी उक्त विषय को समझने भें बड़े उपयोगी है।

"रागादयो वन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ता । आत्मा परो वा किमु तित्रिमित्तिमिति प्रशुन्ना पुनरेवमाहु ॥१७४॥

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः । तत्मित्रिमित्त परसग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१७४॥"

यहा पर प्रथम कलग पद्य में आचार्य श्री ने यह प्रश्न प्रस्तुत किया है कि आत्मा की जिन रागादि परिणतियों को कर्मवन्ध का कारण माना गया है वे जब आत्मा के स्वत सिद्ध निजस्वरूप चैतन्य तेज से पृथक् हैं तो उनकी उत्पत्ति में क्या आत्मा स्वय निमित्त है अथवा कोई अन्य वस्तु उसमें निमित्त होती है?

इस प्रवन का उत्तर दूसरे कलश पद्य मे यह दिया गया है कि सूर्यकान्तमणि की तरह आत्मा भी अपने अन्दर रागादि-रूप परिणति की उत्पत्ति मे स्वय निमित्त नही होता है किन्तु उसमे परवस्तुभूत रागादि पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ सञ्लेशरूप सयोग ही निम्त्ति होता है क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है।

इससे यह वात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि सूयकान्तमणि अथवा आत्मा की तरह प्रत्येक वस्तु अपनी किन्ही-किन्ही पर्यायों की उत्पत्ति में अन्य वस्तुभूत निमित्तों की म्वभावत अपेक्षा रखती है। इसका फलितार्थ यह है कि प्रत्येक बस्तु में स्वसापेक्ष अर्थात् परिणमन परिणमनों की तरह स्वपरसापेक्ष अर्थात् परसापेक्ष परिणमन भी उत्पन्न हुआ करते हैं। नियमसार में आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने आत्मा के स्वपर-सापेक्ष परिणमनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

> "पज्जाओ दुवियप्पो सपरावेषको म णिरवेषको ।" (गा०१४ का उत्त०)

इसका अर्थ स्वय प० फूलचन्द्रजी ने यह किया है कि पर्याये दो प्रकार की होती हैं—एक स्वपरसापेक्ष और दूसरी परिनरपेक्ष ।

इस प्रकार ऊपर किये गये विवेचन से यह वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु के कोई-कोई परिणमन उस वस्तु की स्वत सिद्ध परिणमनशीलतारूप योग्यता के कार्य होते हुए भी जब तक निमित्तो का सहयोग वस्तु को प्राप्त नहीं होता तब तक वे परिणमन उत्पन्न नहीं होते है।

एक प्रश्न और उसका समाधान

यद्यपि प० फूलचन्द्र ने जैनतत्त्वमीमासा मे कार्यकारण-भाव की उक्त निमित्तनैमित्तिक स्थिति को स्वीकार किया है, परन्तु उनका कहना है कि वस्तु के जिस परिणमन का जब स्वकाल आ जाता है तब वह परिणमन उस काल मे नियम से होता है। इसलिये वे "जब तक अनुकूल निमित्तो का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक स्वत सिद्ध परिणमनशीलतारूप योग्यता का सद्भाव रहते हुए भी वस्तु का स्वपरसापेक्षपरिणमन नहीं होगा" इस कथन पर यह प्रश्न उपस्थित करना चाहेगे कि यदि निमित्तों के अभाव में स्वत सिद्ध परिणमनशील वस्तु का परिणमन रुक सकता है तो फिर उसकी स्वत सिद्ध परिणमन-शीलता का क्या उपयोग रह जायगा?

इसके उत्तर में मेरा कहना यह है कि उस समय भो एक तो वहा पर उस वस्तु का परिनरपेक्ष परिणमन होता रहेगा, दूसरे उस समय जो अन्य अन्य निमित्तों का सहयोग उस वस्तु को प्राप्त रहेगा उनके वल पर उसके स्वपरसापेक्ष परिणमन के होने मे भी कोई वाघा उपस्थित नहीं होगो, केवल इतना अवज्य होगा कि अनुकूल निमित्तों का अभाव रहने के कारण उस वस्तु का विवक्षित परिणमन नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न और उसका समाधान

यद्यपि उक्त उत्तर के पश्चात् भी प० फूलचन्द्र जी यह कहना चाहेंगे कि प्रत्येक वस्तु का भूत, वर्तमान और भविष्यत् समयों में से प्रत्येक समय में होने वाला परिणमन निश्चित हैं और प्रत्येक समय में निश्चित प्रत्येक परिणमन की योग्यता भी वस्तु में विद्यमान है इसलिये उस योग्यता का स्वकाल आने पर वह परिणमन अवश्य होगा अन्यथा उस काल में अन्य योग्यता का अभाव रहने के कारण वह वस्तु उस काल में अपरिणामी ही ठहर जायगी जिससे वस्तु के स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाव का घात हो जायगा, अत यही मानना श्रेयस्कर है कि वस्तु का स्वपरसापेक्ष परिणमन भी परिनरपेक्ष परिणमन की तरह केवल उसकी अपनी परिणमनशीलतारूप योग्यता के वल पर ही होता है निमित्त की उसको उत्पत्ति में कोई उपयोगिता नहीं है वह तो वहा पर अिंकचित्कर ही है।

इसके उत्तर में भी मेरा यह कहना है कि प॰ जी की यही सबसे वड़ी भूल है कि वे प्रत्येक वस्तु में काल के भूत, वर्तमान और भविष्यत् समयों में से प्रत्येक समय में होने वाले परिणमन की निश्चित योग्यता मानते हैं। वास्तव में तो प्रत्येक वस्तु में स्वसापेक्ष अर्थात् परिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष अर्थात् परसापेक्ष ऐसी दो ही परिणमन योग्यताये विद्यमान हैं। इनमें से स्वसापेक्ष अर्थात् परिणमन योग्यताये विद्यमान हैं। इनमें होने वाला परिणमन तो क्रमश एक के वाद एक के रूप में सतत ही होता रहता है लेकिन स्वपरसापेक्ष अर्थात् परसापेक्ष परिणमनयोग्यता के बल पर होने वाला परिणमन प्राप्त होने वाले निमित्तों के अनुसार बदली हुई धारा में भी मानना युक्ति-सगत है। इसलिये यह कहना उचित ही है कि जब तक विविक्षत स्वपरसापेक्ष परिणमन की उत्पत्ति के लिये वस्तु को तदनुकूल निमित्तों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक उस वस्तु का वह विविक्षत परिणमन उत्पन्न नहीं होगा किन्तु वहीं स्वपरसापेक्ष परिणमन उत्पन्न होगा जिसके अनुकूल निमित्तों का सहयोग उस समय उस वस्तु को प्राप्त रहेगा। प० फूल-चन्द्रजी अपनी इस विषय सम्बन्धी व्यवस्था की सगति जो केवलज्ञान के आधार पर कर लेना चाहते है उसका निराकरण पूर्व में किया हो जा चुका है।

निमित्तो की सार्थकता में एक अन्य युक्ति

कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता सिद्ध करने में एक युक्ति यह भी है कि यदि कार्योत्पत्ति कें अवसर पर निमित्तों का सद्भाव रहते हुए भी कार्य केवल उपादान शक्ति के बल पर ही होता है निमित्त वहा पर उपादान की सहायला नहीं करता है तो फिर कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों के सद्भाव को बतलाने की उसी प्रकार आवश्यकता नहीं रह जाती है जिस प्रकार कि घंडे की उत्पत्ति के अवसर पर घंडे की उत्पत्ति में सहायक न होने के कारण गंधे की उपस्थिति को निमित्त रूप बतलाना आवश्यक नहीं माना गया है । चूकि स्वपरसापेक्ष कार्यों की उत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों के सद्भाव को आगम में आवश्यक बतलाया गया है और लोक में भी कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों के सद्भाव पर बल दिया जाता है तथा पूर्वीक्त प्रकार प० फूलचन्द्रजो ने भी निमित्तों को कार्योत्पत्ति के अवसर पर उपादान का बलाघायक स्वीकार किया है अतः यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि जितने स्वपरसापेक्ष कार्य होते है उन सब की उत्पत्ति में उपादान को निमित्तों के सहयोग की नियम से आवश्यकता रहा करती है।

इस तरह कार्यकारणभाव के सम्बन्ध मे प० फुलचन्द्रजी का यह सिद्धान्त समाप्त हो जात। है कि प्रत्येक वस्तु मे कार्य-रूप से परिणत होने की उतनी ही उपादान शक्तिया विद्यमान हैं जितने काल के त्रैकालिक समय सभव है तथा यह सिद्धान्त भी समाप्त हो जाता है कि वस्तु के प्रत्येक परिणमन का समय निश्चित है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त भी समाप्त हो जाता है कि कार्योत्पत्ति मे निमित्तो का होना अकिंचित्कर है। एक वात पूर्व मे यह वतलायी ही जा चुकी है कि कार्योत्पत्ति के सम्बन्ध मे निमित्तो को स्थान देने मे जैन आगम का यही अभिप्राय है कि जब जैसे निमित्तो का सहयोग उपादान को प्राप्त होता है तब उपादान अपनी योग्यतानुसार तदनुकूल कार्य के रूप मे ही परिणत होता है । कार्योत्पत्ति के सम्बन्ध मे निमित्तो को स्थान देने मे जैन आगम का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उपादान अपनी स्वकालगत योग्यता के अनुसार जव जिस कार्यरूप परिणत होता है तव तदनुकूल निमित्त भी वहा उपस्थित रहा करते हैं जैसा कि प० फुलचन्द्र जी स्वीकार करते हैं।

आग कार्योत्पत्ति मे निमित्तो की सार्यकता सिद्ध करने के लिये क्रमबद्ध विचार करने की आवश्यकता है अत सर्वप्रथम यहा पर वस्तु की स्थिति के विषय मे विचार किया जाता है।

वस्तु स्वरूप स्वतःसिद्ध है

जैन-संस्कृति मे वस्तुओं की सख्या इस प्रकार निर्घारित की गयी है—एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश द्रव्य, असख्यात काल द्रव्य, अनन्तानन्त जीव द्रव्य और अनन्तानन्त पुद्गल द्रव्य। इन सब द्रव्य रूप वस्तुओं को स्वतः सिद्ध माना गया है अतः इनके सम्बन्ध मे निम्नलिखित चार बातें फलित होती है।

प्रत्येक वस्तु की सत्ता अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहने वाली है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु आत्मिनर्भर तथा स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर रह रही है। पचाध्यायी प्रथम अध्याय मे वस्तु के सम्बन्ध मे इन्ही चार बातो का समर्थन किया गया है। यथा—

तत्त्वं सल्लाक्षणिक सन्मात्रं वा यत स्वतः सिद्धय्। तस्मावनादिनिधन स्वसहाय निर्विकल्प च ॥ ८॥

अर्थ—स्वरूप और स्वरूपवान में भेद दृष्टि अपनाने से 'सत्' जिसका लक्षण हैं और अभेद दृष्टि अपनाने से जो स्वय 'सत्' है वही तत्त्व है—वस्तु हैं और क्योंकि वह स्वत सिद्ध है अतः वह अनादि (उत्पत्ति रहित), अनिधन (विनाश रहित), स्वसहाय (आत्मिनर्भर) और निविकरूप (स्वरूप के साथ तादात्म्य को लिये हुए) है।

इन चार वातों में से यदि किसी भी एक बात की उपेक्षा करके वस्तु को स्वीकार करने का प्रयत्न किया जायगा तो वस्तु व्यवस्था में जो गडबडी होगी उसका सकेत पचाध्यायी में षही पर आगे निम्न प्रकार किया गया है।

इत्य नो चेदसत प्रादुर्भू तिनिरकुशा भवति । परत प्रादुर्भावो युतसिद्धत्व सतो विनाशो वा ॥ ६ ॥

अर्थ—यदि वस्तु को अनादि नहीं माना जायगा तो जिन वस्तुओं का आज अस्तित्व नहीं है उन नवीन वस्तुओं की निराबाध उत्पत्ति होने लगेगी, यदि वस्तु को अनिधन नहीं माना जायगा तो जिनका आज अस्तित्व है उनके विनाश का प्रसग उपस्थित हो जायगा, यदि वस्तु को स्वसहाय नहीं माना जायगा तो अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति होने लग जायगी और यदि वस्तु को निविकल्प नहीं माना जायगा तो स्वरूप और स्वरूपवान दोनों की स्वतन्त्रता सिद्ध हो जाने से दो के मेल से बनी हुई वस्तु मानने का प्रसग उपस्थित हो जायगा।

इस गडवडी का जो अन्तिम परिणाम होगा उसको भी पचाध्यायी मे उसी स्थान पर आगे पढिये।

(१) असत् की उत्पत्ति के प्रसग में

असत प्रादुर्भावे द्रव्याणामिह भवेदनन्तत्वम् । को वार्यायतु शक्तः कुम्भोत्पत्ति मृदाद्यभावेऽपि ॥ १०॥

अर्थ—असत् की उत्पत्ति स्वीकार करने से एक तो वस्तुओं को सख्या वतलायी हुई सख्या से इतनी आगे वढ जायगी जिसका कही अन्त नहीं होगा, दूसरे मिट्टी आदि घटोत्पत्ति के साधनों के अभाव में घट की उत्पत्ति का निवारण करना अञ्चक्य हो जायगा।

(२) अन्य से अन्य की उत्पत्ति के प्रसंग में

परत सिद्धत्वे स्यादनवस्था लक्षणो महान् दोषः । सोऽपि पर परतः स्यादन्यस्मादिति यतश्च सोऽपि परः ॥११॥

अर्थ — वस्तु को अपने अस्तित्व मे आत्म-निर्भर नहीं मानने से अन्य से अन्य की उत्पत्ति का प्रसग उपस्थित हो जाने पर अनवस्था नाम का महान दोष हो जायगा। अर्थात् जव एक वस्तु का अस्तित्व दूसरी वस्तु पर निर्भर होगा तो स्वत. ही उस दूसरी वस्तु के अस्तित्व को तीसरी वस्तु पर निर्भर मानना होगा। इस तरह प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व के लिये अपनायी गयी परावलम्बन की इस धारा का कही भी पहुँचने पर अन्त नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि कारणभूत वस्तु के अभाव में कार्यभूत वस्तु का अभाव हो जाने पर सम्पूर्ण वस्तुओं का अभाव हो जायगा।

(३), वस्तु को युतसिद्ध मानने के प्रसंग में

युतिसद्धत्वेऽप्येव गुणगुणिनोः स्यात्पृयक् प्रदेशत्वम् । उभयोरात्मसमत्वाल्लक्षण भेदः कथ तयोर्भवति ॥१२॥

अर्थ—वस्तु को स्वरूप के साथ तदात्मक नहीं मानने से उसमें युत्तिद्धता अर्थात् गुण और गुणी दोनों के मेल से वस्तु की उत्पत्ति का प्रसग उपस्थित हो जाने पर गुण और गुणी दोनों को पृथक्-पृथक् प्रदेशवत्ता स्वीकार करनी होगी इस तरह दोनों में समानता आ जाने से गुण गुणों के आश्रित है और गुणों गुणों का आश्रय है यह लक्षणभेद गुण और गुणों में कैंसे सम्भव होगा?

. (४) सत् वस्तुओं के विनाश के प्रसंग में

अथवा सतो विनाश स्यादिति पक्षोऽपि वाधितो भवति । नित्यं यतः कथचिद् द्रव्य सुझै प्रतीयतेऽध्यक्षात् ॥१३॥

अर्थ — सत् का विनाश स्वीकार करने का पक्ष भी इस-लिये गलत है कि ज्ञानी जनो को प्रत्येक वस्तु में कथिवत् स्थायीपने का सतत अनुभव होता रहता है।

अन्त मे विषय का उपसहार करते हुए पचाध्यायीकार ने वही पर कहा है—

तस्मा दनैकदूषण दूषित पक्षान निन्छता पु सा । अनवद्यमुक्त लक्षण मिह तस्व चानुमन्तन्यम् ॥१४॥

अर्थ—इसलिये उल्लिखित अनेक दोषों से दूषित पक्षों को न चाहने वाले व्यक्ति को वस्तु का जो निर्दोप लक्षण ऊपर बतलाया गया है उसका ही अनुमोदन करना चाहिये।

इस प्रकार जब किसी भी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करने के लिये उस वस्तु को अनादि, अनिघन, आत्मनिर्भर और अखण्ड मानना आवश्यक है तो यह स्थित वस्तु को स्वत सिद्ध मानने के लिये वाघ्य कर देती है और जब वस्तु को इस तरह स्वत सिद्ध मान लिया जाता है तो इसका निष्कर्ष यही होता है कि वस्तु का अपना निजी स्वरूप स्वत सिद्ध है कारण कि वस्तुस्वरूप की स्वस सिद्धता को छोड़कर वस्तु की स्वत-सिद्धता और कुछ नहीं है।

वस्तु स्वरूप प्रतिनियत भी है

अब आगे यह बतलाया जा रहा है कि जिस प्रकार वस्तु का स्वरूप स्वत सिद्ध है उसी प्रकार वह प्रतिनियत भी है क्यों कि प्रत्येक वस्तु स्व को छोड कर अन्य किसी भी वस्तु में नहीं पाये जाने वाले स्वरूप के आधार पर ही दूसरी सभी वस्तुओं से अपनी भिन्नता सुरक्षित रखती है। इस तरह प्रत्येक वस्तु के स्वरूप के प्रतिनियत होने (स्व को छोड कर अन्य किसी भी वस्तु में नहीं पाया जाने) के कारण ही विश्व की वस्तुओं की सख्यानियत परिमाण में अनन्त सिद्ध होती है। समयसार में वस्तु के स्वरूप को प्रतिनियत ही स्वीकार किया गया है।

"एयत्तणिच्छयगओ समओ सन्वत्य सु दरो लोए।।" (गाथा ३ का पूर्वार्घ)

टीका—समय शब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते। समयत एंकीभावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति निरुक्ते । तत सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मिन लोके ये यावन्त केऽप्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यान्तर्मगनानन्तस्वधर्म- चक्रचुम्बिनोऽपि परस्परमचुम्बन्तोऽत्यन्तप्रत्या सत्तावपि नित्यमेव स्वरूपाद पतन्तः पररूपेणापरिणमवादिवनष्टानन्त व्यक्तित्वाद - कोत्कीर्णा इव तिष्ठन्त समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुत्या शक्वदेव विश्वमनुगृह्णन्तो नियतमेकत्व निश्चयगतत्वेनैव सौन्दर्य मा पद्यन्ते, प्रकारान्तरेण सर्व सकरादिदोषापत्ते.।

गाथार्थ—एकत्व और निश्चय को प्राप्त अर्थात् अखण्ड एकत्व को प्राप्त समय (पदार्थ) ही लोक मे सर्वत्र सुन्दरता को प्राप्त हो रहा है। अर्थान् वस्तु की कोटि मे गिना जाता है।

टीकार्थ-गाथा में समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थों को ग्रहण किया गया है, क्योकि जो अखण्ड रूप से अपने गूण और पर्यायों में रह रहा है वह समय कहलाता है ऐसी ही निरुक्ति यहा समय शब्द की स्वीकार की गयी है। इसलिये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव द्रव्यों के रूप में अवस्थित सम्पूर्ण लोक मे जितनी सख्या मे जो कोई पदार्थ विद्यमान हैं वे सब पदार्थ एक तरफ तो अपने-अपने द्रव्य मे अन्तर्मग्न और अनन्त सच्याक स्वकीय धर्मी के समूह से अभिन्न हो रहे हैं तथा दूसरी ओर वे सभी पदार्थ एक-दूसरे पदार्थ से विल्कुल भिन्नता को प्राप्त हो रहे है, इसके अतिरिक्त यद्यपि वे सभी पदार्थ एकक्षेत्रावगाही हो रहे हैं फिर भी वे कभी अपने स्वरूप से च्यूत नहीं होते और चूकि पररूपता को वे कभी प्राप्त नही होते, इसलिये अपना-अपना पृथक्-पृथक् व्यक्तित्व कायम रखते हुए वे सव पदार्थ मिलकर अपनी अनन्त सख्या को अक्षुण्ण रक्ये हुए हैं। अर्थात् उल्लिखित धर्मादि सभी पदार्थ जितनी सख्या मे अनादि काल से अवस्थित होकर चले आ रहे है अनन्त काल तक उनकी उतनी ही सख्या अक्षुण्ण बनी रहने वाली है। इस तरह जैसे टाकी से ही उत्कीर्ण कर दिये गये हो-ऐसे रहते हुए तथा सम्पूर्ण विरुद्ध और अविरुद्ध कार्यों मे हेत् बन कर विश्व को सहायता पहुँचाते हुए वे सव पदार्थ नियम से अपने आप मे अखण्ड और अपने अस्तित्व मे आत्म-निर्मर होकर ही सौदर्य को प्राप्त हो रहे है। अर्थात् प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने पृथक्-पृथक् स्वरूप के आधार पर सत्ता को प्राप्त होकर लोक में अवस्थित हो रहे हैं । यदि इस प्रकार से पदार्थी की व्यवस्था स्वीकार नहीं कि जाती है तो सम्पूर्ण पदार्थी मे परस्पर सकर हो जाने का तथा आदि पद से नवीन पदार्थों की

उत्पत्ति और विद्यमान पदार्थों के विनाश का प्रसंग उपस्थित होता है।

इस प्रकार पचाच्यायी और समयसार के उल्लिखित उद्धरण हमें स्पष्ट बतला रहे है कि प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना स्वरूप जैसा स्वत सिद्ध है वैसा प्रतिनियत (स्व को छोड कर अन्य किसी भी चस्तु में नहीं पाया जाने वाला) भी है।

वस्तु और वस्तुस्वरूप में परिणमनशीलता भी है

जिस प्रकार वस्तुस्वरूप स्वतःसिद्ध और प्रतिनियत है जिसो प्रकार वह परिणमनशोल भी है। परिणमनशीलता का अर्थ वस्तु की उत्पाद, व्यय और ध्रीव्यात्मकता है। पचाध्यायी के प्रथम अध्याय के निम्नलिखित पद्यो द्वारा इस दात का समर्थन होता है।

वरत्वस्ति स्वतःसिद्धं यथा तथा तत्स्वतश्चर्णरिणामि । त्रिसमादुत्पादस्थितिभगमय तत्सदेतदिह नियमात् ।। द्रहः।। वस्तु यथा परिणामि तथैव परिणामिनो गुणाश्चापि । सस्मादुरपादव्ययद्वयमपि भवति हि गुणानां सु ।।११२।।

पहले पद्य में वस्तु को स्वतःसिद्ध और उत्पाद, व्यय तथा घोव्यरूप मे परिणामी वतलाया गया है तथा दूसरे पद्य मे वस्तु के गुणो अर्थात् स्वरूप को उसी प्रकार परिणामी स्वीकार किया गया है।

पहले पद्य का अर्थे है कि वस्तु जिस प्रकार स्वतःसिद्ध है उसी प्रकार वह परिणामी भी है इसिखये वह उत्पाद, व्यय और ध्रुवता को प्राप्त हो रही है। दूसरे पद्य का अर्थ है कि जिस प्रकार वस्तु परिणामी है उसी प्रकार उसके गुण भी परिणामी है इसलिये गुणो में भी उत्पाद तथा व्यय सिद्ध हो जाते हैं।

तत्त्वार्थसूत्र के पचम अध्याय मे भी "सद्द्रव्यलक्षणम् ।।६।।" तथा "उत्पादव्ययधीव्ययुक्त सत् ।।३०।।" इन दोनो सूत्रो द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन किया गया है। उक्त दोनो सूत्रो का अभिप्राय यह है कि उत्पाद, व्यय और धौव्य के रूप मे जो परिणमनशील हो उसे सत् नाम से पुकारा जाता है और जो उक्त प्रकार से सत् हो उसे ही द्रव्य नाम से पुकारा जाता है। चूकि पूर्वोक्त एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, असख्यात कालद्रव्य, अनन्तानन्त जीवद्रव्य और अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्य ये सब वस्तुयें अपने-अपने पृथक्-पृथक् स्वत सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप के आधार पर 'सत्ं' की कोटि मे समाविष्ट होती हैं अत इन सव वस्तुओ को उत्पाद, व्यय और धौव्य के रूप मे परिणमनशील स्वीकार किया गया है।

परिणमनशीलता के अर्थ में उत्पाद और व्यय के साथ श्रीव्य भी गर्भित है

परिणमनज्ञोलता के अर्थ मे उत्पाद और व्यय के साथ ध्रीव्य को भी गिंभत किया गया है इसका कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु के स्वभाव मे जो पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद रूप परिणमन होता है वह परिणमन वस्तु स्वभाव के साथ प्रतिनियत रहता है अर्थात् वह परिणमन वस्तु-स्वभाव की परिधि मे हुआ करता है वस्तुस्वभाव की परिधि के बाहर त्रिकाल मे कभी किचिन्मात्र परिणमन नहीं होता है। इस तरह प्रत्येक वस्तु के अपने-अपने स्वभाव में होने वाले उत्पाद और व्यय की यह प्रतिनियतता उस उस स्वभाव की ध्रुवता की निज्ञानी है क्योंकि उत्पाद तथा व्यय रूप परिणमन होते हुए भी उल्लिखित प्रतिनियतता का सद्भाव रहने के कारण उस परिणमन मे कभी भी स्वभावरूपता का अभाव नहीं होता है।

जैसे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पुद्गल द्रव्य के स्वत.सिद्ध और प्रतिनियत स्वभाव है। इन चारो ही स्वभावों में परिणमित होने को अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् स्वत सिद्ध योग्यता
पायी जाती है जिसके आधार पर उक्त चारो स्वभावों में सतत
उत्पाद और व्यय रूप परिणमन होता रहता है। चूिक प्रत्येक
स्वभाव में होने वाला उनका अपना अपना वह परिणमन उस
उस स्वभाव के साथ प्रतिनियत रूप में ही हुआ करता है यानि
वह परिणमन उस उस स्वभाव की अपनी-अपनी परिधि में ही
होता है अत उनमें प्रतिक्षण उत्पाद और व्यय रूप से परिणमन
होते हुए भी उनका अपना रूपपना, रसपना, गन्धपना और
स्पर्शपना सत्तत चना ही रहा करता है।

इसी प्रकार जायकपनेरूप देखने व जानने की शक्ति के रूप में स्वत सिद्ध और प्रतिनियत दो स्वभाव आत्मा के है तथा इन दोनों हो स्वभावों में परिणमित होने की अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् स्वत सिद्ध योग्यता है जिसके आधार पर उन स्वभावों में सतत उत्पाद और व्यय रूप परिणमन होता रहता है। चूकि उन स्वभावों में होने वाला अपना-अपना परिणमन उन स्वभावों के साथ प्रतिनियत रूप में हो हुआ करता है यानि वह परिणमन उस उस स्वभाव की अपनी अपनी परिध में ही होता है अत उनमें प्रतिक्षण उत्पाद और व्ययरूप परिणमन

होते हुए भी उनका अपना दर्शनपना और ज्ञानपना सतत वना ही रहा करता है।

समयसार गाथा ३७२ की टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र के निम्नलिखित कथन द्वारा उल्लिखित वात का ही समर्थन होता है।

"सर्वद्रव्याणा स्वभावेनैवोत्पादात् । तथा हि मृत्तिका कुम्भभावेनोत्पद्यमाना कि कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते कि मृत्तिका स्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुम्भकरणा- हकारनिर्भर पुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुपशरीराकार कुम्भः स्यात्, न च तथास्ति, द्रव्यान्तर स्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पाद-स्यादर्शनात् । एव च एति मृत्तिकाया स्वस्वभावानितक्रमान्न कुम्भकार कुम्भस्योत्पादक एव मृत्तिकैव कुम्भकार स्वभाव मस्पृशन्ती स्वस्वभावेन कुम्भभावेनोत्पद्यते।"

अर्थे—समस्त द्रव्यों का उत्पाद स्वभाव से (स्वभाव की परिधि में) ही होता है। अर्थात् द्रव्य के अपने किसी भी उत्पाद में उस द्रव्य का अपना म्वभाव नष्ट नहीं होता है। जैसे मृत्तिका जब घट रूप से उत्पन्न होती है तो प्रश्न खडा होता है कि वह क्या कुम्भकार के स्वभाव रूप से घट वनती है अथवा मृत्तिका के अपने स्वभाव रूप से घट वनती है ? यदि कुम्भकार स्वभाव-रूप से घट वनती है—ऐसा माना जावे तो फिर घट के उत्पादन के अहकार से परिपूर्ण पुरुष से अधिष्ठित और हस्तो के व्यापार से युक्त शरीर के आकार का ही घट वनना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता है। अर्थात् घट की उत्पत्ति कुम्भकार के उल्लिखत स्वभावरूप से नहीं हुआ करती है क्योंकि एक द्रव्य का परिणमन कभी भी दूसरे द्रव्य के स्वभावरूप से नहीं हुआ करता है। इस प्रकार मृत्तिका जब अपने स्वभाव को छोडती नहीं तो फिर

कुम्भकार कुम्भ का उत्पादक न होकर मृत्तिका ही कुम्भकार के स्वभाव को नही छूती हुई अपने स्वभावरूप से कुम्भरूपता को प्राप्त होती है।

इसका आशय यही है कि जब मृत्तिका घटरूप से उत्पन्न होती है तो वह घट सतत मृत्तिका के स्वभाव मे ही रहता है। इस तरह प्रत्येक वस्तु का परिणमन कभी भी उस वस्तु के स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करता है। अर्थात् परिणमन होते हुए भी उसमे वस्तु की स्वभावरूपता सतत बनी ही रहती है। इस तरह उत्पाद तथा व्यय के अवसर पर इस स्वभावरूपता का बना रहना ही धींव्य कहलाता है।

आप्त मीमासा की निम्नलिखित कारिका का भी यही अभिप्राय है।

न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् । व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्।।५७।।

अर्थ—वस्तु अपने सामान्य स्वभाव से न उत्पन्न होती है और न विनष्ट होती है विशेष स्वभाव से ही उत्पन्न और विनष्ट होती है। इस तरह उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य तीनो की एक वस्तु मे एक साथ स्थिति रहा करती है।

इस कारिका में विशेष (उत्पाद और व्यय रूप अशो) के साथ वस्तु के सामान्य (धीव्य) की स्थिति को स्वीकार किया गया है जो इस बात का सूचक है कि उत्पाद और व्यय बिना धीव्य के नहीं रहते। अत परिणमन का अर्थ उत्पाद, व्यय और धीव्य इन तीनों की वस्तु में एक साथ स्थिति अथवा एकरूपता ही ग्रहण करना युक्त है। उत्तर के जराहरणों हारा गैने पुद्गत और आत्मा दोनों वन्तुओं के स्वभावों में उत्पाद, व्यय और धीव्य रूप में परिण-गन की विवेचना की है। रवामी तमन्तभद्र ने आप्त मीमासा में पन्तु की प्रव्यपर्यायों (व्यजन पर्यायों) को लेकर भी उत्पाद, व्यय और धीव्य रूप में परिणमन की विवेचना की है जो निमन प्रकार है—

> घटमीलिसुवर्णार्थो नाशोत्पादस्थितिष्ववम् । शोकप्रमोदमाञ्यस्य जनो याति सहेतुकम् ॥५६॥ पयोवतो न दध्यति न पयोत्ति दिधियत । भगो रस वर्तो नोने तस्मातत्त्व श्रयात्मकम् ॥६०॥

अर्थ-स्वर्णकार द्वारा सोने के घड़े को मिटाकर उसका मुर्ट बना देने पर जो घडे के खरीददार को विषाद, मुकूट के गरीददार को हपं और गोने के धरीददार को विपाद या हपं न होगर साम्यभाव उदित होता है ये तीनो व्यक्तियों की भिन्न-भित्र प्रकार को मानसिक वृत्तिया विना कारण के सम्भव नही र्ते, रमिलये ममझ मे आता है कि वस्तु **उत्पाद-व्यय-श्रीव्यर**प से त्रयात्मक ही है। अथवा देखने में आता है कि जिस व्यक्ति ने नम्पूर्ण गोरसो में से केवल दुग्ध सेवन का व्रत ले रक्खा है वह व्यक्ति दिथ का सेवन नहीं करता है वयोकि वह समझता है कि गोरस की दुग्ध पर्याय न रह कर दिध पर्याय वन जाने के कारण उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वह उसके लिये अभध्य हो चुका है, ऐसे ही जिसने समस्त गोरसों में से केवल दिध सेवन का व्रत ले रक्या है वह दुग्ध का सेवन नहीं करता है वयोकि वह समजता है कि दुग्धपर्याय दिधपर्याय नहीं है इसलिये जसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वह उसके लिये अभक्ष्य है और ऐसे ही जिस व्यक्ति ने अगोरस सेवन का व्रत ले रनखा है वह दुग्व और दिध

दोनों का ही सेवन नहीं करता है क्यों कि वह समझता है कि दुग्ध पर्याय में दिधपर्याय का अभाव व दिधपर्याय में दुग्धपर्याय का अभाव रहने पर भी दुग्ध और दिध दोनों पर्यायों में गोरस-पना तो है ही, इसलिये वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुग्ध और दिध दोनों को ही अभक्ष्य मानता है । इस तरह इस उदाहरण से भी समझ में आता है कि वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य रूप से त्रयात्मक ही है।

प्रत्येक वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव मे उपर्युक्त प्रकार से परिणमित होने की योग्यता स्वत सिद्ध ही मानी गयी है यह वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव की लिब्ध या शक्तिरूप अप्रकट विशेषता है तथा इसके आधार पर वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव मे होने वाला परिणमन उपयोग या व्यक्ति रूप प्रकट विशेषता है। वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव मे विद्यमान परिणमित होने की वह योग्यता ही उपादान शक्ति कहलाती है और उसके आधार पर होने वाला परिणमन उसका कार्य कहलाता है। आगे परिणमन के भेदो पर विचार किया जाता है।

परिणमन के भेद

परिणमन के भेदो की विवेचना करने से पूर्व मैं यह वतला देना चाहता हू कि ऊपर के कथन से निम्नलिखित बाते फलित होती है—

- (१) वस्तु और उसका स्वभाव दोनो हो स्वत सिद्ध हैं तथा स्वत सिद्ध होने से दोनो ही अनादि काल से अनन्द्रकाल तक रहने वाले है।
- (२) दोनो ही परिणमनशील है और दोनो का वह परिणमन उनकी अपनी परिधि में ही हुआ करता है अर्थात्

दोनो परिणमन करते हुए भी अपने सामान्य रूप को नहीं छोडते है। इस तरह दोनो ही उत्पाद, व्यय और ध्रुवता को लिये हुए हैं।

- (३) परिणमन कार्य कहलाता है और जिसमे या जिसका वह परिणमन होता है अर्थात् जो परिणमित यानि कार्यरूप परिणत होता है वह कारण कहलाता है। इस तरह वस्तु के परिणमन मे वस्तु कारण है और वस्तु के स्वभाव के परिणमन मे वस्तु का स्वभाव कारण है तथा दोनों मे होने वाला अपना-अपना वह परिणमन कार्य कहलाता है।
- (४) चूकि वस्तु के परिणमन मे वस्तु स्वय (आप) परिणमित यानि कार्येरूप परिणत होती है और वस्तु स्वभाव के परिणमन मे वस्तु स्वभाव स्वय (आप) परिणमित यानि कार्येरूप परिणत होता है अतः दोनो अपने-अपने परिणमन के उपादान कारण माने गये हैं तथा दोनो मे विद्यमान परिणमित होने की योग्यता उपादानशक्ति कहलाती है।
- (५) वस्तु मे होने वाला परिणमन द्रव्यपरिणमन कहलाता है और वस्तु के स्वभाव में होने वाला परिणमन गुणपरिणमन कहलाता है।

अव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव मे विद्यमान परिणमित होने की योग्यता (उपादान-शक्ति) के आघार पर होने वाला वह परिणमन क्या स्वयं (अपने आप) ही हुआ करता है ? तो इसका समाधान येंह है कि वस्तु मे उसकी अपनी स्वत सिद्ध योग्यता (उपादानशक्ति) के आघार पर जो परिणमन होता है वह परिणमन उसके अनुकूल अन्य पदार्थ का सहयोग मिलने पर ही होता है और वस्तु के स्वभाव मे उसकी अपनी स्वत सिद्ध योग्यता (उपादान-शक्ति) के आधार पर जो परिणमन होता है वह दो प्रकार से हुआ करता है। अर्थात् वस्तु स्वभाव का कोई परिणमन तो उसके अनुकूल अन्य पदार्थ का सहयोग प्राप्त होने पर ही होता है और कोई परिणमन स्वत (अपने-आप अर्थात् अन्य पदार्थ के सहयोग की अपेक्षा के विना) ही हुआ करता है। इस तरह परिणमन के दो भेद हो जाते हैं-एक स्वसापेक्ष परिणमन और दुसरा स्वपरसापेक्ष परिणमन । स्वसापेक्ष परिणमन को आगम मे स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष अथवा परनिरपेक्ष परिणमन भी कहा गया है और स्वपरसापेक्ष परिणमन को परसापेक्ष परिणमन भी कहा गया है। स्वसापेक्ष परिणमन को स्वप्रत्यय और स्वपर-सापेक्ष परिणमन को स्वपरप्रत्यय अथवा परप्रत्यय परिणमन भी आगम में कहा गया है। इनमें से ऊपर कहे अनुसार वस्तु के द्रव्यपरिणमन तो स्वपरसापेक्ष ही हुआ करते है और वस्तु के गुणपरिणमनो मे से कोई परिणमन तो स्वसापेक्ष होते हैं और कोई परिणमन स्वपरसापेक्ष हुआ करते है। यहा इतना ध्यान रखना चाहिये कि वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव का कोई भी परिणमन स्वनिरपेक्ष परसापेक्ष नही होता, जैसा कि आगे स्पष्ट किया जायगा ।

परिणमन की स्वसापेक्षता और स्वपरसापेक्षता का अभिप्राय

जिसमे या जिसका परिणमन होता है यानि जो परिणत होता है वह 'स्व' फहलाता है। इसे उपादानकारण भी कहते हैं। इसकी अपेक्षा रवसापेक्षपरिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष दोनो ही प्रकार के परिणमनों में रहा करती है। जो परिणमित तो न हो परन्तु परिणमित होने वाली वस्तु को परिणमित होने में सहायक अवश्य हो अर्थात् जिसकी सहायता के विना परिणमित होने वाली वस्तु परिणमित न हो वह 'पर' कहलाता है इसे निमित्त अर्थात् सहायक कारण भी कहते है । इसकी अपेक्षा स्वपरसापेक्ष परिणमन मे ही रहा करती है स्वसापेक्ष पर-निरपेक्ष परिणमन मे नहीं।

स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष परिणमनो में भेद कारण

ऊपर के कथन से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि स्व-सापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष दोनो परिणमनो मे भेद का कारण उस उस परिणमन मे पायी जाने वाली परनिरपेक्षता और परसापेक्षता ही है क्योंकि परिणमन के प्रतिनियत रहने (स्वभाव की परिधि मे होने) के कारण स्व की अपेक्षा तो दोनो परिणमनो मे समान रूप से रहा करती है। इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि वस्तु मे अथवा वस्तु के स्वभाव मे कोई परिणमन स्व की अपेक्षारिहत केवल परसापेक्ष नहीं होता है। अर्थात् वस्तु मे अथवा वस्तु के स्वभाव मे जिस प्रकार के षरिणमन की योग्यता विद्यमान नही है उस प्रकार का परिणमन वस्तू मे अथवा वस्तु के स्वभाव मे केवल पर के वल पर त्रिकाल मे कभी भी नही हो सकता है। यही कारण है कि आगम मे स्वनिरपेक्षपरसापेक्ष परिणमन का विधान नही पाया जाता है प्रत्युत स्वनिरपेक्षपरसापेक्ष परिणमन का आगम मे दृढता के साय निषेच ही किया गया है। इस सम्बन्ध मे समयसार की ११६ से १२० तक की व १२१ से १२५ तक की गाथाओ तथा गाथा १०३ का गहराई के साथ अवलोकन करना चाहिये।

क्योकि इनमे स्वनिरपेक्षपरसापेक्ष परिणमन का स्पष्ट रूप से निषेघ किया गया है।

स्वसापेक्षपरिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष परिणमनो के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि दोनो प्रकार के परिणमनो में से प्रत्येक परिणमन में विद्यमान अपनी अपनी परिनरपेक्षता और परसापेक्षता स्वय सिद्ध समझना चाहिये, इसलिये परिनरपेक्ष परिणमन हमेशा परिनरपेक्ष ही हुआ करता है और परसापेक्ष परिणमन हमेशा परसापेक्ष ही हुआ करता है। इसी प्रकार दोनो ही परिणमनो में समान रूप से विद्यमान स्वसापेक्षता को भी स्वय सिद्ध समझना चाहिये।

दोनो प्रकार के परिणमनों का दायरा

स्वसापेक्षपरिनरपेक्ष परिणमन की विवेचना करते हुए आचार्य श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने आचार्य श्री कुन्दकुन्द द्वारा विरचित नियमसार के जीवाधिकार सम्बन्धी गाथा १४ की टीका मे निम्नलिखित कथन किया है—

"अत्र स्वभावपर्याय. षड्द्रव्यसाधारण अर्थ पर्याय अवाड्मानसगोचर अतिसूक्ष्म आगमप्रामाण्यादम्युपगम्योऽपि च षड्ढानिवृद्धिविकल्पयुत । अनन्तभागवृद्धि, असख्यात भागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणवृद्धि, तथा हानिश्च नीयते।"

अर्थ — स्वसापेक्षपरिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष दोनो प्रकार की पर्यायो (परिणमनो) मे से स्वभाव पर्याय (स्वसापेक्षपर-निरपेक्ष परिणमन) छह प्रकार के सभी द्रव्यो (एकधर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, असख्यात कालद्रव्य, अनन्ता-नन्त जीवद्रव्य और अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्य इन सव द्रव्यो) मे समान रूप से अपने-अपने प्रतिनियतरूप मे पायी जाती है। इसे अर्थ पर्याय भी कहते हैं। यह छद्मस्थों के वचन और मन के अगोचर है, अत्यन्त सूक्ष्म है, आगम प्रमाण से (सर्वज्ञ द्वारा उप-दिष्ट होने से) गम्यमान है और हानि तथा वृद्धि के निम्नलिखित छह छह भेदों द्वारा क्रमश धारावाही रूप से प्रवर्तमान हैं। अनन्त भागवृद्धि, असख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यात गुण वृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि इस क्रम से वृद्धि के छह विकल्प है तथा अनन्त भागहानि, असख्यात भागहानि, सख्यात भागहानि, सख्यात भागहानि, सख्यात भागहानि, अनन्तगुणहानि इस क्रम से हानि के भी छह विकल्प हैं।

तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५ के "निष्क्रियाणि च ॥७॥" सूत्र की सर्वाथसिद्धिटीका मे भी स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन के सम्बन्ध मे निम्नलिखित कथन पाया जाता है।

"द्विविध उत्पाद स्वनिमित्त परप्रत्ययश्च । स्वनिमित्त-स्तावदनन्तानामगुरुल बुगुणानामागमप्रामाण्यादम्युपगम्यमानाना पट्स्थानपतितया वृद्घ्या हान्या च प्रवर्तमानाना स्वभावादेतेषा-मुत्पादो व्ययश्च ।"

अर्थ—उत्पाद दो प्रकार का है—स्विनिमित्त (स्वसापेक्ष-परिनरपेक्ष) और परप्रत्यय (स्वपरसापेक्ष) । स्विनिमित्त (स्वसापेक्षपरिनरपेक्ष) उत्पाद वह है जो अनन्त अगुरुल बुगुणो (अगुरुल बुगुण के अनन्त अविभागि प्रतिच्छेदरूप शक्त्यशो) मे षट्स्थानपतित हानि और वृद्धि के रूप मे स्वभाव से (परिनरपेक्ष होकर) होता है तथा जो आगम प्रमाण के आधार पर ही स्वीकृत करने योग्य है। यह स्वसापेक्षपरिनरपेक्ष परिणमन की विवेचना है।
यह उक्त सभी वस्तुओं में अगुरुलघुगुण के शक्त्यशों की उक्त क्रम
सिहत छह भेद रूप हानि, इस हानि के पश्चात् छह भेदरूपवृद्धि,
इस वृद्धि के परचात् फिर हानि और इस हानि के परचात् भी
फिर वृद्धि इस प्रकार सदा काल स्वत प्रतिनियत रूप में
प्रवर्तमान है। इसका फिलतार्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु के
उक्त प्रकार से होने वाले इस परिणमन के परिनपेक्ष अर्थात्
केवल निजी स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव के आधार पर स्वत
होते रहने के कारण यह सतत समान क्रम से ही हुआ करता है
किसी भी वस्तु के अनादि से अनन्त काल तक इसके उक्त क्रम
में कभी न तो वैषम्य हुआ और न हो सकता है। इसके
अतिरिक्त जितने भी गुणपरिणमनरूप स्वभाव परिणमन होते है
चे तथा सभी प्रकार के द्रव्यपरिणमन इन्हे स्वपरसापेक्ष परिण-

दोनों ही परिणमनो में कार्यकारणभाव की विवेचना का आधार

वस्तु स्वभावगत उक्त स्वसापेक्ष परिनरपेक्ष परिणमन में कार्यकारणभाव की विवेचना की आधार केवल वस्तुस्वभाव और उसका उक्त षड्गुणहानि वृद्धि रूप परिणमन इन दोनों में पाया जाने वाला उपादानोपादेय भाव ही है क्यों कि इस परिणमन में पायों जाने वाली परिनरपेक्षता की वजह से कार्यकारणभाव का दूसरा आधार निमित्तनैमित्तिकभाव यहा पर सम्भव नहीं है। इसलिये कर्तृ कर्मभाव और आधाराध्यभाव आदि सम्बन्धों को वतलाने वालों कारक व्यवस्था भी यहा पर केवल उपादानोपादेयभाव के आधार पर ही स्वीकृत करने योग्य है। इस तरह जव स्वसापेक्ष परिणमन में

उपादानोपादेयभाव के आधार पर कर्तृ कर्मभाव और कारक-व्यवस्था स्वोकार कर ली जाती है तो कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण का आरोप विवक्षित एक उपादानभूत वस्तु में ही किया जाता है।

स्वपरसापेक्ष परिणमन मे कार्यकारणभाव की विवेचना का आधार उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव दोनो ही सिद्ध होते हैं, इसलिये वहा पर जो कार्यकारणभाव, कर्त्-कर्मभाव और कारक व्यवस्था स्वीकार की जाती है उसमे निमित्तनैमित्तिकभाव और उपादानोपादेयभाव दोनो ही आघार हो जाते है। इस तरह स्वपरसापेक्ष परिणमन मे कर्ता और कर्म को छोडकर करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण कारको का आरोप विवक्षित उपादानभूत वस्तु से भिन्न उन वस्तुओं में भी पृथक्-पृथक् यथायोग्य रूप से किया जाता है जो वस्तुये वहा पर उपादान की कार्यरूप परिणति मे अपने-अपने ढग से सहायक हुआ करती है। कर्मकारक का आरोप उपादान की कार्यपरिणति मे ही यहा पर भी हुआ करता है क्योंकि उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव का कर्म-रूप विषय एक और वह भी उपादान की कार्यरूप परिणति ही हआ करती है। कर्ताकारक का आरोप यहा पर उपादानो-पादेयभाव के आघार तो उपादान स्वय मे और निमित्त-नैमित्तिकभाव के आधार पर उपादान से भिन्न उस वस्तू मे किया जाता है जो वस्तु उपादान की उस कार्यरूप परिणति मे स्वतन्त्र रूप से सहायक हुआ करती है।

इस प्रकार जो कार्य अथवा परिणमन अपनी उत्पत्ति में स्व (उपादान) के साथ-साथ पर (निमित्त) की अपेक्षा रखने वाले होते हैं उनमे उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव इन दोनों के आधार पर उक्त प्रकार से कार्यकारणभाव, कर्तृ - कर्मभाव और कारक व्यवस्था बनती है—ऐसा जानना चाहिये तथा जो कार्य अथवा परिणमन अपनी उत्पत्ति मे पर (निमित्त) की अपेक्षा रहित केवल स्व (उपादान) की अपेक्षा रखने वाले है उनमे कार्यकारणभाव, कर्तृ कर्मभाव और कारक व्यवस्था उक्त प्रकार से केवल उपादानोपादेयभाव के आधार पर बनती है ऐसा जानना चाहिये।

निमित्तों की विविधता

जो स्वय (आप) विवक्षित कार्यरूप परिणत होता है उसे उपादान कहते है क्यों कि उपादान शब्द' उप' उपसर्गपूर्वक आदाना-र्थंक 'आ' उपसर्गविशिष्ट 'दा' धातु से निब्पन्न हुआ है जिसका च्युत्पत्त्यर्थं परिणमन को स्वीकार या ग्रहण करने वाला अर्थात् कार्यरूपपरिणत होने वाला होता है। इसी प्रकार जो स्वय (आप) विवक्षित कार्यरूप तो परिणत न हो परन्तु उपादान की उस विवक्षित कार्यरूप परिणति मे सहायक अवस्य हो अर्थात् जिसके सहयोग के विना उपादान कार्यरूप परिणत न हो उसे निमित्त कहते है क्योंकि निमित्त शब्द 'नि' उपसर्ग पूर्वक स्नेहार्थक 'मिद्' घातु से निष्पन्न हुआ है जिसका व्युत्पत्त्यर्थ उपादान की कार्य परिणति में स्नेहन करने वाला अर्थात महायता पहुँचाने वाला होता है । ऐसे निमित्त उपादान को विवक्षित कार्यरूप से परिणत होने मे यथायोग्य भिन्न-भिन्न रूप मे होते हुए विविध प्रकार के हुआ करते है। अर्थात् जितने भी स्वपरसापेक्ष कार्य हुआ करते हैं उनकी उत्पत्ति में अपने-अपने ढग से यानि यथावश्यक और यथासम्भव कर्ता, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण रूप से सहयोग प्रदान करती हुई पर (अन्य) वस्तुयें निमित्तकारण कही जाती हैं। ऐसी वस्तुये कार्योत्पत्ति में साक्षात् निमित्त होती है तथा स्वस्वा-भिभावादि सम्बन्ध विशेष वस्तु भी कदाचित् परम्परया निमित्त हुआ करती है । इस सम्बन्ध में उदाहरण के रूप में निम्न-लिखित वाक्य उपस्थित किया जा सकता है—

"आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने अमुक समय मे अमुक स्थान पर वैठकर भव्य जीवो के लिये अथवा भव्य जीवो के कल्याण के लिये ताडपत्र पर लोहे की शलाका द्वारा समयसार ग्रन्थ की रचना की।"

इस उदाहरण में समयसार नामक ग्रन्थ (विवक्षित अक्षरो, पदो, वाक्यो और महावाक्यो का विवक्षित क्रम से ताड पत्र पर उत्कीर्ण हो जाना) ही कार्य है, इसका उपादान-कारण ताडपत्र है क्योंकि ताडपत्र की ही उस रूप परिणति हुई है, ताडपत्र के उक्त रूप से परिणमनरूप कार्य मे आचार्य श्री कुन्दकुन्द कर्ता रूप से निमित्त वर्ने हुए हैं, लोहें की शलाका करण रूप से और भव्य जीव अथवा भव्य जीवो का कल्याण सम्प्रदान रूप से निमित्त बने हुए है। ''अमुक स्थान पर बैठकर'' इस वाक्याश के 'बैठकर' शब्द से गमन क्रिया को निवृत्ति का वोघ होता है अत जहां से गमन करके अमुक स्थान पर आया गया वह अपादान रूप से तथा वह स्थान जहां बैठकर आचार्य श्री ने समयसार की रचना की और वह काल जिस काल में वह रचना की वे दोनो अधिकरण रूप से निमित्त बने हुए है। इसी प्रकार जब भेद विवक्षा से भव्य जीवो का कल्याण इस वाक्यांश में से केवल कल्याण शब्द के अर्थ में ही सम्प्रदानता स्वीकार की जाती है तो वह कल्याण भव्य जीवो का ही हो सकता है इस तरह कल्याण के साथ भव्य जीवो का स्वस्वामि-

भाव सम्बन्ध विशिष्टता भी परम्परया ग्रन्थरचना मे निमत्तता को प्राप्त हो जाती है।

इस प्रकार किसी भी स्वपरसापेक्ष कार्य की उत्पत्ति के विषय में कार्यकारणभाव का विचार करने पर यह फलित होता है कि विवक्षित कार्यपरिणतियोग्यता सम्पन्न उपादान कों उसकी उस कार्यरूप परिणति मे कर्तारूप निमित्तकारण यथा-सम्भव करण आदि उल्लिखित निमित्तकारणों का सहयोग प्राप्त कर अपना सहयोग प्रदान करता है और तब उपादान को आदि देकर यथावश्यक सम्पूर्ण निमित्तों की अनुकूलता यदि हो जाती है तो विवक्षित कार्य की उत्पत्ति हो जाती है या फिर उपादान अथवा उल्लिखित निमित्तो में से एक अथवा अनेक या सभी की अपनी-अपनी योग्यता में जिस प्रकार की होना-धिकरूप विशेषता पायी जाती है उसी प्रकार से कार्य के रूप मे भी अन्तर हो जाया करता है अथवा यदि उपादान विवक्षित कार्य परिणति योग्यता सम्पन्न नही होता है तो सम्पूर्ण निमित्तों का सहयोग प्राप्त रहने पर भी कार्योत्पत्ति नही होती है या उपादान के विवक्षित कार्यपरिणति योग्यता सम्पन्न होते हुए भी यदि उल्लिखित निमित्तो मे कमी अथवा उनका अभाव या बाधक निमित्तों का सद्भाव कार्योत्पत्ति में प्रतिकूल वन कर उपस्थित हो जाता है तो भी उस कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती है।

उपर्युक्त प्रक्रिया पर यदि सूक्ष्मता के साथ विचार किया जाय तो समझ में आ सकता है कि वह प्रक्रिया अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और युक्ति से संगत है। इसमें एक द्रव्य की दूसरे द्रव्यरूप परिणति अथवा एक द्रव्य के गुणो का दूसरे द्रव्य में प्रवेश होने की आशंका करना व्यर्थ है क्योंकि उपादान और कर्ता, करण आदि हप में निमित्तभूत त्रम्तुओं का सर्वदा अपने अपने स्वभाव में रहते हुए अपना-अपना व्यापार अपने-अपने में हुआ करता है निमित्तों का केवल सहयोग मात्र उपादान को उसकी कार्यरूप परिणति में होता है।

जिस प्रकार ऊपर ताडपत्र की विवक्षित अक्षरात्मक परिणति को कार्य मानकर उसकी उपादानता ताटपत्र मे म्बीकार की गयी है उसी प्रकार यदि पुद्गलात्मक शब्द वर्गणा की विवक्षित अक्षरात्मक परिणति को कार्य माना जाय तो फिर वहा पर उपादानभूत वस्तु ताडपत्र न होकर पुद्गलात्मक गव्द वर्गणा होगी तथा यदि श्री कुन्दकुन्दाचार्य की आत्मा के स्वभाव यकपने की भावात्मक समयसाररूप परिणति को कार्य माना जाय तो उपादानभूत वस्तु अभेद विवक्षा मे शीकुन्दकुन्दाचार्य की आत्मा तथा भेद विवक्षा में आत्मा का स्वभाव ज्ञायकपना हो होगा। इतना अवश्य है कि उक्त प्रकार से उपादान को मिन्न-भिन्न रूपता प्राप्त हो जाने पर भी कार्य की परसापेक्षता मे कुछ अन्तर नही पटता है अत यहा पर भी कार्यकारणभाव की विवेचना का आधारभूत निमित्तनैमित्तिकभाव उपादानो-पादेयभाव के साथ सतत बना ही रहता है अन्तर सिर्फ यह है कि जहा ताडपत्र समयसार का उपादान या वहा करण लोहे की जलाका थी, जहा पुद्गलात्मक शब्दवर्गणा उपादान वन गयी वहा आचार्य श्री कुन्दकुन्द का पौद्गलिकमुख अथवा मुख के सहारे पर आत्म प्रदेशपरिस्पन्दात्मक वचन योग को करणता प्राप्त हो गयी और जहा कुन्दकुन्दानार्य की आत्मा का स्वभाव-भूत ज्ञायकपना उक्त भाव समयसाररूप कार्य का उपादान बना तों वहा आचार्य श्री कुन्दकुन्द के पीद्गलिक मस्तिष्क को अथवा कार्यानुहुल ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को करणता प्राप्त होगयी।

उपर्युं क्त विवेचन से यह समझ मे आ जाता है कि स्वपरसापेक्ष कार्य की उत्पत्ति के लिये उपादानगत कार्योत्पत्ति की योग्यता के साथ-साथ यथावश्यक कर्ता, करण आदि अनुकूल निमित्तो का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है । इस प्रकार स्वपरसापेक्ष कार्य मे जितना बल उपादान को प्राप्त है उतना ही वल उपादान द्वारा अपेक्षित निमित्तो को भी मिल जाता है केवल भेद यह है कि उपादान तो कार्यरूप परिणत होता है और निमित्त उपादान की उस कार्यरूप परिणति मे अपनी सहायता प्रदान करके ही कृतकृत्य हो जाते है । निमित्त उपादान के बलाधान मे सहायता करता है इसका भी यही आशय है।

निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर वनने वाली कार्य-कारणभाव की व्यवस्था का वर्णन समयसार मे प्रचुरता के साथ पाया जाता है। यहा हम "जह सिप्पिओ दु कम्म" आदि ३४६ से ३५२ तक की गाथाओं के अर्थ के रूप मे आचार्य श्री अमृतचन्द्र की टीका का उद्धरण दे रहे है—

''यथा खलु शिल्पो सुवर्णकारांदि कुण्डलादिपरद्रव्य परिणामात्मक कर्म करोति । हस्त कुट्ठकादिभि परद्रव्यपरिणामा-मात्मके करणे करोति । हस्त कुट्ठकादिभि परद्रव्यपरिणामा-त्मकानि करणानि गृह्ह्णाति । ग्रामादि परद्रव्य परिणामात्मक कुण्डलादिकर्मफल भुक्ते च, न त्वनेक द्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सित तन्मयो भवति । ततो निमित्तनैमित्तिकभाव मात्रेणेव तत्र कर्तृ -कर्म भोक्तृ भोग्यत्व व्यवहार । तथात्मा पि पुण्यपापादिपुद्गल-परिणामात्मक कर्म करोति । काय वाड्मनोभि पुद्गल परिणामात्मक कर्म करोति । कायवाड्मनोसि पुद्गल परिणात्मकानि करणानि गृह्ह्णाति । सुख दु खादि पुद्गलद्रव्य परिणामात्मक पुण्य पापादिकर्मफलं भुक्ते च, न त्वनेकद्रव्यत्वेन ततो अन्यत्ये सति तन्मयो भवति । तती निमित्तनैमित्तिकभाव मात्रेणैव तत्र कर्तृ कर्मभोक्तृ भोग्यत्व व्यवहार ।"

अर्थ-जिस प्रकार सुवर्णकारादि शिल्पी अपने से भिन्न परद्रव्यात्मक कुण्डल आदि वनाता है, इन्हें हयीहा आदि अपने से भिन्न परद्रव्यात्मक करणों का सहारा लेकर बनाता है तथा परद्रव्यात्मक हथौडा आदि को वह उक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये ग्रहण करता है और कुण्डल आदि का निर्माण हो जाने पर पारिश्रमिक अथवा पारितोषक रूप मे प्राप्त होने वाले ग्राम-वनादिक वस्तुओं का उपभोग भी करता है किन्तु भिन्न-भिन्न द्रव्य होने में उन सबसे भिन्न ही रहता है तनमय नहीं होता, अत यहा पर निमित्तनैमित्तिकभाव मात्र से ही कर्त कर्मभाव व भोक्त भोग्यभाव व्यवहार मे आता है। इसी प्रकार आत्मा भी अपने से भिन्न पौद्गलिक पुण्य-पाप आदि कर्म करता है, पौद्गलिक काय, वचन और मनहप करणो द्वारा करता है, पौदगलिक काय, वचन और मनरूपकरणो को ग्रहण करता है और पूण्य-पापादिरूप कमं के पौद्गलिक सुख-दु खादिरूप फल को भोगता है। किन्तु भिन्न-भिन्न द्रव्य होने से उन सबसे भिन्न ही रहता है तन्मय नहीं होता। अत यहा पर भी निमित्त-नैमित्तिकभाव मात्र से कर्तृकर्मभाव और भोक्तृ भोग्यभाव व्यवहार मे आता है।

तात्पर्य यह है कि सुवर्णकार अपने से भिन्न हथौडा के द्वारा सुवर्ण से कुण्डल बनाने की आकाक्षा के साथ बनाने की क्रिया भी करता है और बन जाने पर उसके फलस्वरूप प्राप्त धनादिक का उपभोग भी करता है फिर भी जैसे सोना कुण्डल बन जाता है वैसे सुवर्णकार, कुण्डल, हथौडा अथवा धन ये सव परस्पर एक दूसरे रूप परिणत होते नही देखे जाते हैं अलग-

अलग ही रहते है और इतने पर भी सोने की कुण्डलरूप परिण्ति, सुवर्णकार की उसको बनाने की आकाक्षा व बनाने की क्रिया, हथौडा आदि को ग्रहण करना और उसके जिरये कुण्डल का निर्माण होना तथा उसके निर्माणस्वरूप धनादि की प्राप्ति होना व उसका उपभोग सुवर्णकार द्वारा किया जाना ये सब बातें अनु-भव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और युक्ति से असगत नही समझ मे आती है इसलिये इन सब मे अपने-अपने स्वभावानुसार निमित्तनैमित्तिक-भाव की स्वीकृति कल्पना मात्र नही है और इस दृष्टान्त के आधार पर जो आत्मा को दृष्टान्त बना कर कथन किया गया है वह भी कल्पनामात्र न रह कर निमित्तों की तथा निमित्तनैमित्तिकभाव के आश्रित कार्यकारणभाव की सार्थकता को ही सिद्ध करता है।

पहले भी वतलाया जा चुका है कि आत्मा अपने राग, द्वेष और मोह रूप अज्ञान से कर्मों से बधता है और वद्धकर्मों के परिपाक से आत्मा मे राग, द्वेष और मोह रूप अज्ञान पैदा होता है। अब यदि निमित्तों की सार्थकता न मानी जावे और निमित्तों की उपेक्षा करके केवल उपादान की अपने आप ही कार्यरूप परिणित मान ली जावे तो राग, द्वेष और मोह रूप अज्ञान से आत्मा कर्मबन्धन को प्राप्त होती है तथा वद्ध कर्मों के परिपाक से आत्मा मे पुन राग, द्वेष मोह रूप अज्ञान पैदा होता है—यह कथन निरर्थक ही हो जायगा।

इस प्रकार यह बात निविवाद हो जाती है कि जितने स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष कार्य होते हैं उनमे केवल उपादानोपादेय-भाव के आश्रय से कार्यकारणभाव की व्यवस्था निश्चित होती है और जितने स्वपरसापेक्ष कार्य होते है उनमे उपादानोपादेय-भाव और निमित्तनैमित्तिकभाव दोनों के आश्रय से कार्यकारण-भाव की व्यवस्था सिद्ध होती है क्योंकि स्वपरसापेक्ष कार्य मे निमित्तनैमित्तिकभाव के आश्रय से जो कार्यकारणभाव बनता

है उसमे उपादान के साथ-साथ उससे भिन्न कर्ता, करण आदि के एप मे परवस्तुयें भी कार्य के प्रति निमित्तरूप से करण होती हैं और चूंकि निमित्ताधीन कार्यकारणभाव स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष कार्यों मे नही पाया जाता है क्योंकि वहा उपादान से भिन्न वस्तुयें कर्ता, करण आदि के रूप मे निमित्तरूप से कारण नहीं होती हैं अत वहा पर केवल उपादानोपादेयभाव के आश्रय से ही कार्यकारणभाव बनता है। इस विषय को पूर्व मे स्पष्ट किया ही जा चुका है।

समयसार ३४५ से ३४८ गाथाओं की टीका के अन्त में भी आचार्य अमृतचन्द्र ने निम्नलिखित कलश काव्य लिखा है—

"व्यावहारिकदृशेव केवल कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते । निश्चयेन यदि वस्नु चिन्त्यते कर्तकर्म च सदैकमिष्यते ॥२१०॥"

इसका अर्थ यही है कि व्यावहारिक दृष्टि अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभावरूप पराश्रितपने की दृष्टि से कर्ता और कर्म भिन्न-भिन्न ही रहते हैं और निश्चयदृष्टि अर्थात् उपादानोपादेयभावरूप स्वाश्रितपने की दृष्टि से कर्ता और कर्म सतत एक रूप ही रहा करते है। इसका आशय यह है कि निमित्तरूप कर्ता कभी विवक्षित कार्यरूप परिणत नही होता अत' निमित्तकर्ता और कर्म सदा भिन्न ही रहा करते हैं और उपादानरूप कर्ता ही कार्यरूप परिणत होता है अत उपादान कर्ता और कर्म सदा एकरूप हो रहा करते हैं।

यहा पर यदि कोई कहे कि पराश्रित होने से निमित्त-नैमित्तिकभाव हेय है और स्वाश्रित होने से उपादानोपादेयभाव उपादेय है इसलिये निमित्तनैमित्तिकभाव के ऊपर से हिण्ट हटा कर उपादानोपादेयभाव पर दृष्टि रखना श्रेयस्कर है, तो इस विषय मे मेरा कहना यह है कि कहा पर किस रूप से कैसा कार्यकारणभाव बना हुआ है मात्र इसका ही यहा पर निर्णय करना है। हेय और उपादेय का प्रश्न इससे अलग है जिस पर आगे विचार किया जायगा । इस विषय मे यहा पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू कि निमित्ताश्रित कार्यकारणभाव से दृष्टि हटाने का अर्थ यही है कि निमित्त प्रधान कार्यों की तरफ से हमे मुख मोडने का प्रयत्न करना चाहिये। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यदि हम पाप करते है तो वह स्वभावतः (अपने आप) होता है, यदि हम पुण्य करते है तो वह भी स्वभावत (अपने आप) होता है और यदि हम पुण्य तथा पाप से निवृत्त होते है तो वह भी स्वभावत (अपने आप) होता है। वास्तविक वात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाश्रित बनने के लिये पाप प्रवृति से हटने का और पुण्य प्रवृत्ति करने का प्रयत्न करना चाहिये और फिर पुण्य प्रवृत्ति मे न रम कर अपनी स्वाश्रित प्रवृत्ति मे आना चाहिये। केवल इस मान्यता से काम चलने वाला नही है कि निमित्त कुछ नही करता जो कुछ होता है वह उपादान के केवल अपने ही वल पर होता है, क्योकि जब तक हमारे निमित्ताश्रित कार्य हो रहे है तब तक उनकी निमित्ताश्रितता का लोप कौन कर सकता है ?

पं० पूलचन्द्रजी का अपने अभिमत को पुष्ट करने में एक प्रयास

समयसार मे निम्नलिखित गाथा पायी जाती है— अण्णदिवयेण अण्णदिवयस्स णो कोरदे गुण विधादो । तह्या दु सम्बदम्बा उप्पज्जते सहावेरा ॥ ३७७॥ अर्थ-अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जाती है इस कारण में सम्पूर्ण द्रव्य अपने स्वभाव में ही उत्पन्न हुआ करते हैं।

इस गाया का उल्लेख प० पूलचन्द्रजी ने जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ ६५ पर किया है तथा इसके द्वारा उन्होने निमित्तों को कार्य के प्रति अकिचित्कर बनाने का प्रयास भी किया है जिसकी निरर्थकता पर आगे विचार किया जाता है।

पं० जी के उक्त प्रयास की निरर्धकता

उक्त गाथा का भाव यह है कि निमित्तभूत अन्य द्रन्म रपादानभूत द्रव्य में ऐसी विशेषता पैदा नहीं कर सकता है जिसकी योग्यता (उपादानशक्ति) उसमें विद्यमान न हो । जैसे मिट्टी में घटरूप परिणत होने की उपादान शक्ति पायी जाती है तो वह मिट्टी कुम्हार आदि यथायोग्य निमित्त का सहयोग मिलने पर घटरूप परिणत हो जाया करती है और चूकि उस मिट्टी में पटरूप से परिणत होने की योग्यता (उपादान शक्ति) नहीं पायी जाती है इसलिये पटरूप परिणति के निमित्तभूत जुलाहा आदि का सहयोग प्राप्त होने पर भी वह पटरूप कदापि परिणत नहीं होती है।

गाथा का दूसरा भाव यह है कि उपादानभूत वस्तु ही विवक्षित कार्यरूप परिणत होती है निमित्तभूत वस्तु नही। जैसे मिट्टी का स्वभाव ही घटरूप परिणत होने का है अतः मिट्टी ही घटरूप परिणत होती है कुम्हार, चक्र भादि कभी घटरूप परिणत नही होते।

गाथा का तीसरा भाव यह है कि कोई भी कार्य हमेशा अपने उपादान के रूप में ही प्रगट होता है निमित्त के रूप में कदापि प्रगट नहीं होता। जैसे उपादान होने के कारण घट हमेशा मिट्टी के रूप में ही प्रगट होता है निमित्तभूत कुम्हार, चक्र आदि के रूप में कभी प्रगट नहीं होता।

गाथा का चौथा भाव यह है कि यदि उपादान मे विव-क्षित कार्यक्प से परिणत होने की स्वाभाविक योग्यता विद्यमान हो तो निमित्तों का सहयोग मिलने पर उससे उस विवक्षित कार्य की उत्पत्ति हो सकती है अन्यथा नहीं। जैसे वालुका मिश्रित मिट्टी में घट निर्माण की स्वाभाविक योग्यता विद्यमान नहीं है तो कुम्हार, चक्र आदि निमित्त उसमे घट निर्माण की योग्यता को कदापि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं वे तो केवल मिट्टी को घटक्प से परिणत होने में सहयोग मात्र दे सकते हैं।

इस प्रकार देखने मे आता है कि उक्त गाथा से यह अर्थ ध्वनित नहीं होता कि कार्य की उत्पत्ति उपादान मे अपने आप (निमित्त के सहयोग की अपेक्षा के बिना) ही हो जाया करती है निमित्त वहा अकिंचित्कर ही बना रहता है।

इसलिये प० फूलचन्द्रजी उक्त गाथा द्वारा जो कार्य की उत्पत्ति में निमित्तों की अकित्करता सिद्ध करना चाहते हैं सो उनका यह प्रयास निरर्थक ही समझा जाना चाहिये क्यों कि यदि मिट्टी कुम्हार आदि निमित्तों के सहयोग के बिना अपने आप ही घटरूप परिणत हो सकती हैं तो फिर इसके लिये कुम्हार आदि निमित्तों को जुटाने की क्या आवश्यकता रह जाती हैं देशी प्रकार निमित्तों के सहयोग के बिना ही उपादान यदि विवक्षित कार्यरूप परिणत होता है तो आगम मे परिणमन

रूपकार्य के जो स्वसापेक्षपरिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष ऐसे दो भेद स्वीकार किये गये हैं इस दो भेदरूप स्वीकृति का क्या प्रयोजन रह जाता है विस्योकि प० जी के मतानुसार वे दोनो ही परिणमन समान रूप से निमित्तों के सहयोग के विना ही उत्पन्न हो सकते हैं।

वास्तविक वात यह है कि निमित्तों के सहयोग के विना स्वपरसापेक्ष कार्य की उत्पत्ति अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष, युक्ति और आगम के विरुद्ध है अत प० फूलचन्द्रजी की उक्त मान्यता मिथ्या ही मानी जायगी और ऐसी दशा में उनकी यह मान्यता भी मिथ्या मानी जायगी कि कार्यात्पत्ति में निमित्त अकिंचित्कर है।

श्री आचार्य जयसेन ने भी सम्यसार की उल्लिखित गाथा का अर्थ करते हुए अपनी तात्पर्य वृति टीका मे लिखा है— "अण्णदिवएण अण्णदिवयस्स णो कीरदे गुणविधादो । तह्या दु सब्दद्वा उप्पज्जते सहावेण ॥"

टोका—अन्य द्रव्येण विहरग निमित्तभूतेन कुम्भकारादिनाऽन्य द्रव्यस्योपादान रूपस्य मृत्तिकादेन क्रियते, स क ? चेतनस्याचेतनरूपेण, अचेतनस्यचेतनरूपेण वा चेतना चेतनगुणघातो
विनाशो न क्रियते यस्मात् तस्मात् कारणात् मृत्तिकादिसर्वद्रव्याणि कर्तृ णि घटादि रूपेण जायमानानि स्वकीयोप दानकारगोन मृत्तिकादिरूपेण जायन्ते न च कुम्भकारादिबहिरगनिमित्तरूपेण। कस्मादिति चेत्, उपादानकारणसदृश कार्य भवतीति
यस्मात्। तेन कि सिद्धम् ? यद्यपि पचेन्द्रियविषयरूपेण शब्दादीना वहिरगनिमित्तभूतेनाज्ञानिजीवस्य रागादयो जायन्ते तथापि
जीवरूपा एव चेतना न पुन शब्दादिरूपा अचेतना भवन्तीति
भावार्थः।

अर्थ—बहिरग निमित्तभूत कुम्भकारादि अन्य द्रव्य द्वारा उपादानभूत मृत्तिका आदि अन्य द्रव्य का चेतन का अचेतनरूप से और अचेतन का चेतन रूप से गुणघात क्योंकि नही किया जाता है अत. कर्त्तारूप मृत्तिका आदि सम्पूर्ण द्रव्य घटादिरूप से उत्पन्न होते हुए अपने उपादानकारण मृत्तिका आदिरूप ही उत्पन्न होते है कुम्भकार आदि बहिरग निमित्तरूप नही उत्पन्न होते है । क्योंकि "उपादानसदृश ही कार्य उत्पन्न होता है" यह नियम है । इससे यह सिद्ध होता है कि पाचो इन्द्रियों के विषयभूत शब्दादि निमित्तों के सहयोग से यद्यपि अज्ञानी जीव के रागादि उत्पन्न होते है तो भी वे रागादि जीवरूप से चेतन ही होते है शब्दादिरूप से अचेतन नहीं होते है ।

इसमे इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कार्य तो उपादान-रूप ही उत्पन्न होता है परन्तु वह निमित्तो के सहयोग से ही उत्पन्न होता है।

श्री आचार्य अमृतचन्द ने भी पुरुवार्यसिद्ध्युपाय ग्रन्थ मे निम्न गाथाओ द्वारा उक्त अर्थ की पुष्टि की है—

"जीव कृत परिणाम निमित्त मात्र प्रपद्य पुनरन्ये। स्वयनेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन।।१२।। परिणममानस्य चित्रश्चिदात्मके स्वयमिष स्वकेर्भावे। भवति हि निमित्तमात्र पौद्गलिक कर्म तस्यापि।।१३॥"

इन गाथाओं में बतलाया गया है कि जीव के परिणामों का मात्र निमित्त (सहयोग) पाकर अन्यद्रव्यरूपपुद्गल अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्मरूप परिणत हो जाया करते है तथा इसी प्रकार अपने चिदात्मक भावों के रूप परिणत होने वाले आत्मा को पौद्गलिक कर्म भी निमित्त मात्र (महायक मात्र) हुआ करते हैं।

स्वय आचार्य कुन्दकुन्द ने भी समयसार के कर्तृ कर्मा-धिकार मे यही लिखा है—

- "जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणमति। पुग्गलकम्मिशामित्त तहेव जीवो वि परिशामद्व॥ ण वि मुख्वद कम्मगृशे जीवो कम्म तहेव जीवगुरो। अण्योण्णासिमित्तोण दु परिशाम जाण दोण्हपि॥"

अर्थ — जीव के परिणामो का निमित्त (सहयोग) पाकर पुद्गल कर्म रूप परिणत होते हैं और पुद्गल कर्मों का निमित्त (सहयोग) पाकर जीव रागादि रूप परिणत होता है । जीव पुद्गल में कर्म रूप से परिणत होने की योग्यता को उत्पन्न नहीं करता और इसी तरह कर्म भी जीव में रागादि रूप से परिणत होने की योग्यता उत्पन्न नहीं करता केवल उस उस प्रकार की स्वाभाविक योग्यता सम्पन्न दोनो वे परिणाम एक दूसरे के निमित्त (सहयोग) से हुआ करते हैं।

इस प्रकार इन सब उद्धरणों के आघार पर यह निर्णीत हो जाता है कि प॰ फूलचन्द्रजों समयसार की उक्त ३७२ वी गाथा में पिठत "सहावेण" पद का जो यह अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वभाव से अर्थात् निमित्तों की सहायता की अपेक्षा के विना अपने आप ही हुआ करता है सो यह उनका मिथ्या प्रयास है। क्योंकि उक्त उद्धरणों से उपादानभूत वस्तु के परिणमन में निमित्तभूत वस्तु के सहयोग का निषेध नहीं होता है प्रत्युत उसका तो समर्थन ही होता है बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी परिणमन उपादान की स्वभावगत योग्यता के अनुसार उस स्वभाव के दायरे में ही हुआ करता है । इसमें अन्य द्रव्य तो केवल सहायक मात्र हुआ करता है । इसलिये उक्त गाया ३७२ में पठित 'सहावेण' पद का यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसके अपने स्वभावानुसार अर्थात् स्वभाव के दायरे में ही हुआ करता है स्वभाव के अभाव में अन्य निमित्तभूत द्रव्य अन्य उपादानभूत द्रव्य में उसपरिणमन को उत्पन्न कर देता हो अथवा उसमें उस परिणमन का स्वभाव उत्पन्न कर देता हो अथवा उसमें उस

प० पूलचन्द्र जी पुरुषार्थसिद्घ्युपाय की उल्लिखित गाथाओ मे पठित 'स्वयमेव' और 'स्वयमिप' पदो का जो ''निमित्तो की सहायता के विना अपने आप'' अर्थ कर लेना चाहते हैं वह भी मिथ्या ही है क्योंकि इन पदो का अर्थ वही है जो समयसार गाथा ३७२ मे पठित 'सहावेण' पद का होता है।

यहा पर हम इतना और स्पष्ट कर देना चाहते है कि एक तरफ तो प० फूलचन्द्रजी ऊपर लिखे प्रकार स्वपरसापेक्ष-परिणमन मे निमित्तो को अकिचित्कर सिद्ध करना चाहते है और दूसरी तरफ वस्तु के स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन मे काल की निमित्तता का समर्थन भी करते है। इस सम्बन्ध मे उन्होने 'जैनतत्त्वमीमासा' के पृष्ठ ४२ पर निम्नलिखित कथन किया है।

"यदि प्रति समय पर्यायरूप से द्रव्य का जो परिणमन होता है फिर चाहे वह द्रव्य का शुद्ध परिणमन हो और चाहे द्रव्य का अशुद्ध परिणमन हो, उसके इस परिणमन मे कालद्रव्य निमित्त है।" आगे फिर व लिखते है-

"यद्यपि नियमसार में आचार्य कुन्दकुन्द ने स्वपरसापेक्ष और परनिरपेक्ष इन दो प्रकार की पर्यायों का निर्देश किया है पर वहा उनके उक्त कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि द्रव्यों की शुद्ध पर्यायों में काल द्रव्य निमित्त नहीं है किन्तु वहा उनके उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि जीवों और पुद्गलों की अशुद्ध अवस्था में प्रत्येक पर्याय के निमित्तनैमित्तिकभाव से प्राप्त हुए जो अलग-अलग निमित्ता होते हैं ऐसे निमित्ता द्रव्यों की शुद्ध पर्यायों में नहीं पाये जाते है इसलिये द्रव्य की शुद्ध पर्यायें परनिरपेक्ष होती है।"

प० जी के इस कथन से यह सकेत मिलता है कि उन्हें भी परिणमन के स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय ऐसे दो भेद स्वीकार हैं और यही कारण है कि परिणमन के परिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष ऐसे दो भेद स्वीकार करते समय उनके सामने यह समस्या उपस्थित हुई है कि काल द्रव्य को आगम मे वस्तू के परिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष दोनो प्रकार के परिणमनो मे निमित्तारूप से स्वीकार किया गया है इसलिये इस आधार पर यदि काल द्रव्य को परिनरपेक्ष परिणमन मे निमित्तरूप से स्वीकार किया जाता है तो फिर उसकी परिनरपेक्षता ही समाप्त हो जायगी। इस प्रकार इस समस्या का समाधान करने के लिये प० जी ने वह कथन किया है जिसमे उन्होने यह वतलाया है कि निमित्तनैमित्तिकभाव से प्राप्त होने वाले अन्य निमित्ती की निमित्तता और कालद्रव्य की निमित्तता मे अन्तर पाया जाता है। हम नहीं कह सकते हैं कि प० जी की दृष्टि में वह अन्तर क्या है ? इसलिये आवश्यक जान कर यहा पर वह अन्तर दिखलाया जा रहा है।

आगम मे विश्व की समस्त वस्तुओं के प्रति आकाश द्रव्य का उपकार उन्हे अपने अन्दर समा लेने का बतलाया है तथा जीव और पुद्गल द्रव्यों के प्रति धर्मद्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार क्रमश उन दोनो की गति और स्थिति मे अवलम्बन रूप से सहायक होने का बतलाया है। इसी प्रकार आगम मे समस्त वस्तुओ के प्रति काल द्रव्य का उपकार वर्तना के रूप मे वतलाया गया है और व्यवहार काल का उपकार वस्तुओ के यथायोग्य परिणाम, क्रिया तथा परत्वापरत्व के रूप मे स्वीकार किया गया है। अब प्रकृत मे विचारणीय बात यह है कि यदि काल द्रव्य वस्तु के परिणमन मे उसी प्रकार निमित्त होता है जिस प्रकार कि दूसरी वस्तुये निमित्त होती है तो परिणमन विशेषरूप जीव और पुद्गल द्रव्यो की गति मे भी कालद्रव्य को निमित्तता प्राप्त हो जायगी जिससे धर्मदव्य की निरर्थकता का प्रसग उपस्थित हो जायगा। इसलिये वास्तविक बात यह है कि प्रत्येक परिणमन अपने-अपने यथायोग्य स्वत सिद्ध स्वसापेक्षपरिनरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष परिणमन स्वभाव के अनुसार क्रमश स्वत और निमित्तभूत पर की सहायता से हुआ करता है इसमे कालद्रव्य निमित्त नही हुआ करता है परन्तु वस्तु का कोई उत्पाद अथवा व्ययरूप परिणमन जो एक क्षण अथवा आवतो मुहूर्त, घड़ी, घन्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष आदि की मर्यादा लिये हुए होता है इसका व्यवस्थापक व्यवहार काल होता है और उसको प्रवर्तमानरूपता का व्यवस्थापक कालद्रव्य होता है।

तात्पर्य यह है कि वस्तु का परिणमन या तो स्वत. होता है अथवा परिणमन के अनुक्तल निमित्तो के सहयोग से होता है परन्तु कोई भी परिणमन कव प्रारब्ध हुआ और कब समाप्त हुआ इसको वतलाने वाला व्यवहार काल होता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को हम जाते है तो हमारे उस गमन में धर्मद्रव्य अवलम्बनरूप से निमित्त होता है, तागा आदि वाहन करणरूप से निमित्त होते हैं और भी अपने-अपने ढग से निमित्त हुआ करते है लेकिन हमने गमन कब प्रारव्ध किया और कव विवक्षित स्थान पर पहुँचे इसकी व्यवस्था व्यवहार काल के द्वारा की जाती है और गमन क्रिया की जो प्रवर्तमानता है उसका व्यवस्थापक काल द्रव्य होता है। परिणमन में पायी जाने वाली प्रवर्तमानरूपता और उसकी काल मर्यादा से हमें कालद्रव्य और व्यवहार काल का भेद भी समझ में आ जाता है। इतना ही नहीं वर्तना और परिणाम (परिणमन) में क्या अन्तर है ? यह वात भी समझ में आ जातो है।

काल द्रव्य और व्यवहार काल की स्थिति, उनके स्वरूप तथा उनके वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व तथा अपरत्व रूप कार्यों का विवेचन एव उनमें पाये जाने वाले अन्तर का यद्यिप विस्तार से कथन आवव्यक हैं परन्तु यहा पर मुफ्ते केवल प्रसगवग इतना ही वतलाना है कि स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन में उक्त प्रकार से कालद्रव्य और व्यवहार काल की अवलम्बन-रूप निमित्तता रहते हुए भी उस परिणमन की परनिपेक्षता पर कोई आच नहीं आती है।

अभी तक के विवेचन का सार

अभी तक मैंने कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता सिद्ध करने के प्रसग में जो कुछ लिखा है उसका सार यह है कि यथायोग्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल नामों से पुकारी जाने वाली जितनी अनन्तानन्त वस्तुयें विश्व में हैं इन सभी वस्तुओं का अपना-अपना पृथक्-पृथक् निजी स्वयसिद्ध और प्रतिनियत (स्व के अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तु मे नही पाया जाने वाला) स्वरूप है। ये सभी वस्तुयें विश्व मे अनादि-काल से रहती आयी और अनन्तकाल तक रहने वाली है तथा इनमें से प्रत्येक वस्तु अपने आप मे तथा स्वरूप के साथ अखण्ड त्तथा अपने अस्तित्व मे पराश्रितता से रहित आत्मनिर्भरता को धारण किये हुए है। इतना ही नहीं, प्रत्येक वस्तु स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाव वाली है अर्थात् प्रत्येक वस्तु मे परिणमित होने की स्वत सिद्ध योग्यता (उपादान शक्ति) विद्यमान है। परिणमन भी प्रत्येक वस्तु मे जव जैसा होता है वह उस-उस चस्तु के अपने-अपने स्वभाव की सीमा में ही हुआ करता है किसी भी वस्तु का कोई भी परिणमन उसके अपने स्वभाव वाहर त्रिकाल में कदापि नहीं होता है। इतना अवश्य है कि प्रत्येक वस्तू का कोई परिणमन तो स्वसापेक्षपरनिरपेक्षरूप मे और कोई परिणमन स्वपरसापेक्षरूप मे हुआ करता है। अर्थात् यद्यपि कोई परिणमन परिनरपेक्षरूप में और कोई परिणमन परसापेक्षरूप में हुआ करता है लेकिन स्वसापेक्षता दोनो ही प्रकार के परिणमनों में रहा करती है। परिणमनों की यह स्वसापेक्षता और परनिरपेक्षता तथा स्वपरसापेक्षता उस-उस चस्तु मे स्वयसिद्ध रूप मे ही विद्यमान है। इस प्रकार यह सब प्रत्येक वस्तु को स्वाभाविक स्थिति है इसमें विवाद करने की "स्वभावोऽतर्कगोचर" के न्याय के अनुसार कुछ भी गुजाइश नहीं है। इसके आगे यहा अब मैं उक्त दोनो स्वसापेक्षपर्निरपेक्ष त्तथा स्वपरसापेक्ष परिणमनो का आवश्यकतानुसार विशेष विवेचन करना उचित समझता हू।

स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में विवेचन

स्वसापेक्षपरिनरपेक्ष परिणमन के सम्बन्व में मैं यह चतला चुका हू कि विश्व के सभी पदार्थों के अगुरुलघुगुण के शक्तयशों मे जो अनन्तभागवृद्धि, असख्यातभागवृद्धि, सख्यात-भागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि और अनन्त-गुणवृद्धि इन छह भेदरूपवृद्धि तथा अनन्तभागहानि, असख्यात-भागहानि, सख्यातभागहानि, सख्यातगुणहानि, असख्यात-गुणहानि और अनन्तगुणहानि इन छह भेदरूपहानि सतत हुआ करती है इसो का नाम स्वसापेद्यपरनिरपेक्ष परिणमन है क्योंकि यह परिणमन परवस्तु को सहायता के विना अपने आप हो सतत होता रहता है।

अव यदि इस पड्गुणहानिवृद्धि रूप परिणमन मे कार्य-कारणभाव व्यवस्था को स्थान दिया जाय तो उसकी सगित इसमे स्वसापेक्षता विद्यमान रहने के कारण यद्यपि उपादानो-पादेयभाव के आधार पर विठलाई जा सकती है, परन्तु कार्य-कारणभाव व्यवस्था की उपयोगिता यहा पर कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रत्येक वस्तु के इन पड्गुणहानिवृद्धिरूप परिणमनो में ऐसी कोई भी विलक्षणता नहीं पायी जाती है जिसको लक्ष्य में रख कर कार्यकारण व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक हो जाय। इसलिये इस सम्बन्ध में अधिक विचार न करके अव स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में विवेचन

प्रत्येक वस्तु के स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व मैं यह बतला देना चाहता हू कि इन परिणमनों को कार्यकारणभाव व्यवस्था की उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अर्थात् एक प्रकार का स्वपरसापेक्ष परिणमन ऐसा होता है जिसमे परसापेक्षता के विद्यमान रहने के कारण

निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारणभाव व्यवस्था की सगित हो जाने पर भी उसका कुछ उपयोग नही होता है अत इसमे भी स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन की तरह कार्य-कारण व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक नही है। लेकिन एक ऐसा भी स्वपरसापेक्ष परिणमन होता है जिसमे निमित्त-नैमित्तिकभाव के आधार पर विद्यमान कार्यकारणभाव व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। स्वपरसापेक्ष परिणमन मे उपादानोपादेयभाव के आधार पर विद्यमान कार्यकारणभाव की व्यवस्था भी जहा उपयोगी होती है वहा उस पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है जैसे बालुका के मिश्रण से रहित मिट्टी से ही घट का निर्माण हो सकता है बाल्का मिश्रित मिट्टी से नही, इसी तरह भन्य ही मुक्ति पा सकता है अभव्य नही-इत्यादि रूप से लोक मे और आगम में विचार किया जाता है। इस पर विशेष विचार न करके निमित्ताश्रित कार्यकारणभाव व्यवस्था पर ही यहा विचार किया जा रहा है।

इसके सम्बन्ध में सर्वप्रथम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जिसमे परसापेक्षता विद्यमान रहने के कारण यद्यपि निमित्त-नैमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारण व्यवस्था का सद्भाव रहता है परन्तु उसकी कुछ उपयोगिता नहीं है। इनमे प्रथमत आकाश द्रव्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

आकाश द्रव्य का उदाहरण

आकाश द्रव्य का स्वभाव आत्मा के स्वपरप्रकाशक स्वभाव की तरह स्व और विश्व के अन्य सभी पदार्थों को अवगाहित करने का (अपने अन्दर समा लेने का) है और चूकि इस तरह परपदार्थों को अवगाहित करने का उसका स्वभाव परसापेक्ष होकर ही परिणमनशील है अत जब जैसा परिणमन उन अवगाह्ममान पर पदार्थों का परिणमन के अनुकूल कारणों के आधार पर होता है तब उसी रूप से वे पदार्थ आकाश में अवगाहित होते है इसका आशय यह हुआ कि तब आकाश के अवगाहक स्वभाव में अवगाह्ममान उन पदार्थों के निमित्त से परिणमन स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात् जिस पर वस्तु को आकाश पहले जिस रूप से अवगाहित कर रहा था उस पर वस्तु का कालान्तर में रूप वदल जाने पर उसको आकाश द्रव्य तब उस वदले हुए रूप से हो अवगाहित करने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि आकाश का परपदार्थों को अपने अन्वर अवगाहित करने का स्वभाव अपने परिणमन में परपदार्थसापेक्ष है।

इस तरह आकाश के अवगाहक स्वभाव के परिणमन में परमापेक्षता होने के कारण निमित्तनंमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारणभाव व्यवस्था की सगित हो जाती है तथा यह वात पहले ही वतलायी जा चुकी है कि कोई भी स्वपरसापेक्षपरिण्मन वस्तु स्वभाव के प्रति प्रतिनियत रहने के कारण स्वापेक्ष तो रहता ही है अत इसमे उपादानोपादेयभाव के आधार पर भी कार्यकारणभाव की सगित हो जाती है। इस तरह आकाश के अवगाहक स्वभाव के परिणमन मे निमित्तनंमित्तिकभाव और उपादानोपादेयभाव दोनो आधारो पर कार्यकारणभाव व्यवस्था की सगित हो जाने से ही कहा जाता है कि आकाश के अवगाहकस्वभाव मे होने वाले परिणमनरूप कार्य का आकाश अथवा उसका अवगाहकस्वभाव उपादानकर्ता है और अवगाहमान पदार्थों का परिणमन उसमे उदासीन निमित्त है।

इतना होने पर भी आकाश द्रव्य चूिक कभी विभाव परिणति को प्राप्त नही होता अतः इसमे कार्यकारणभाव व्यवस्था की कुछ उपयोगिता नहीं रह जाती है।

स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में आकाश जैसी स्थिति अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परद्रव्यों से भिन्न स्वावलम्बन पूर्ण स्थिति को प्राप्त धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और समस्त कालद्रव्यों को भा जान लेना चाहिये।

यद्यपि स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में आकाश जैसी स्थिति अपने स्वभाव के अनुरूप परद्रव्यो से भिन्न स्वावलम्बन पूर्ण स्थिति को प्राप्त सिद्धो अर्थात् मुक्त जीवो की भो हुआ करती है, परन्तु जीव का उदाहरण प्रकृत विषय मे मैं आगे इसी प्रकरण में पृथक् से देने वाला हूँ अत आकाश और धर्मादि उल्लिखित द्रव्यो के साथ यहा पर सिद्ध जीवो को सम्मिलित नहीं किया गया है।

दर्पण का उदाहरण

उक्त स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्वन्ध मे एक उदाहरण यहा पर दर्पण का भी उपस्थित किया जा सकता है। यथा—

दर्णण का स्वभाव परपदार्थों को अपने अन्दर प्रति-विम्वित करने का है और उसका यह स्वभाव चूिक परसापेक्ष होकर ही परिणमनशील है अत जब जैसा परिणमन उन प्रतिविम्वित होने वाले पदार्थों का अपने अनुकूल कारणों के आधार पर होता है उसके अनुसार वैसा ही परिणमन तब दर्पण के प्रतिविम्वक स्वभाव का भी हो जाता है। अर्थात् दर्पण मे प्रतिविम्वित होने वाले पदार्थ जब जैसा अपना रूप वदलते जावेगे तो वे पटार्थ अपने उस वदले हुए रून से ही दर्पण मे प्रतिविम्वित हो अथवा उन पदार्थों के हटने पर दूसरा पदार्थ दर्पण के सामने उपस्थित हो जायगा तो वह पदार्थ अपने रूप से ही दर्पण मे प्रतिविम्वत होगा। इसका फलितार्थ यह हुआ कि प्रतिविम्वित होने वाले पदार्थ जिस रूप से दर्पण में प्रतिविम्वित होने वाले पदार्थ जिस रूप से दर्पण में प्रतिविम्वित होने उनके अनुसार दर्पण का प्रतिविम्वक स्वभाव भी परिणत होता जायगा।

इस कथन से यह वात निश्चित होती है कि दर्ण का परपदार्थों को अपने अन्दर प्रतिविम्वित करने का स्वभाव अपने परिणमन में परसापेक्ष है । इसिलये दर्णण के प्रतिविम्विक म्वभाव के उस परिणमन में आकाश द्रव्य की तरह निमित्त-नैमित्तिकभाव और पूर्वोक्त प्रकार उपादानोपादेयभाव इन दोनों के आधार पर कार्यकारणभाव व्यवस्था सगत हो जाती है। इस तरह कहा जा सकता है कि दर्णण के प्रतिविम्वक स्वभावमें होने वाले परिणमन रूप कार्य में दर्णण अथवा दर्गण का प्रतिविम्वक स्वभाव उपादान कर्ता है और प्रतिविम्वित होने वाले पदार्थों का उस उस समय का परिणमन उसमें उदासीन निमित्त है। दर्गण के इस परसापेक्ष परिणमन में भी आकाश की तरह कार्यकारण व्यवस्था की कुछ उपयोगिता नहीं है।

आकाश और दर्पण के उदाहरण में अन्तर

यहा पहला उदाहरण मैंने आकाश द्रव्य का दिया है और दूसरा उदाहरण दर्पण का दिया है। ये दोनो उदाहरण यद्यपि एक ही विषय की पृष्टि के लिये दिये गये हैं परन्तु दोनों की स्थित में निम्न प्रकार का अन्तर पाया जाता है।

आकाश एक अखण्ड द्रव्य है लेकिन दर्पण समान परिणमन करने वाले अनेक अगुरूप पुद्गल द्रव्यो का पिण्ड
(स्कन्ध) है। आकाश के परपदार्थ व गाहक स्वभाव के परिणमन
मे परपदार्थ केवल उदासीन रूप से ही निमित्त होते हैं जब कि
दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्वक स्वभाव के परिणमन मे
परपदार्थ कही तो उदासीन रूप से निमित्त होते है और कही
प्रेरकरूप से भी निमित्त होते है। दर्पण की इन दोनो प्रकार की
स्थितियो मे से ऊपर मैंने दर्पण की उस स्थिति को दृष्टान्तरूप
से लिया है जिसके अनुसार दर्पण के प्रतिविम्वक स्वभाव के
परिणमन मे परपदार्थ उदासीन निमित्त वने हुए है। दूसरी
स्थित के अनुसार दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्वक स्वभाव के
परिणमन मे परपदार्थ प्रेरक निमित्त भी हुआ करते है, इसलिये
जहा दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्वक स्वभाव मे परपदार्थ प्रेरक
निमित्त होते है वहा उल्लिखित कार्यकारणभाव व्यवस्था की
उपयोगिता हो जाती है।

इसका तात्पर्य यह है कि जहां दर्पण के परपदार्थ प्रति-विम्वक स्वभाव के केवल परिणमन मात्र पर दृष्टि हो वहां तो परपदार्थ उस परिणमन में उदासीन रूप से ही निमित्त होते हैं लेकिन जहां दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्बक स्वभाव के परिणमन की उपयोगिता हो वहां उस परिणमन में परपदार्थ प्रेरक निमित्त भी हो जाया करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दर्पण का स्वभाव परपदार्थों को प्रतिविम्बत करने का है इसलिये यदि हम अपना मुख दर्पण में प्रतिविम्बत करना चाहते है तो हमें अपना मुख-दर्पण के सामने ले जाना होगा या दर्पण को अपने मुख के सामने लाना होगा। इस तरह हमारे मुख का जो प्रतिविम्ब दर्पण में पड़ेगा वह प्रतिविम्ब दर्पण के प्रतिविम्बक स्वभाव का परि-णमन ही तो होगा। चूकि इसमें हमारा दर्पण के सामने अपने मुख को ले जाने अथवा दर्पण को अपने मुख से सामने लाने रूप पुरुपार्थ अपेक्षित हो जाता है अत उस समय हम दर्पण के उस प्रति-विम्वक स्वभाव के परिणमन में कर्ता रूप से निमित्त हो जाते हैं तथा हमारे द्वारा व्यापारित मुख अथवा मुख का उस समय का परिणमन उसमें करणरूप से निमित्त होता है। इसी प्रकार उसमें हमारा जो उद्देश्य रहता है वह सम्प्रदान रूप से निमित्त होता है अपेर इसी प्रकार आवश्यकतानुसार कोई अपादानरूप से और कोई अधिकरणरूप से भी निमित्त होता है।

दीपक का उदाहरण

स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्वन्ध मे आकाश और दर्पण के अनन्तर तीसरा उदाहरण दीपक का उपस्थित किया जा रहा है।

लोक मे तेल, वत्ती और पात्र (वर्त्तन) विशेप के सहारे पर प्रज्वलित अग्नि को ही दीपक नाम से पुकारा जाता है। पूर्व कथनानुसार जिस प्रकार दर्पण का स्वभाव परपदार्थों को अपने अन्दर प्रतिविम्वित करने का है उसी प्रकार दीपक का स्वभाव स्व को (अपने को) और परपदार्थों को प्रकाशित करने का है और पूर्वकथनानुसार ही जिस प्रकार दर्पण का वह प्रतिविम्वक स्वभाव परसापेक्ष होकर परिणमनशील है उसी प्रकार दीपक का परपदार्थों को प्रकाशित करने का वह स्वभाव भी परसापेक्ष होकर परिणमनशील है। अर्थात् जिस प्रकार जब जो पदार्थ जिस रूप में दर्पण के सामने आता है तब उस पदार्थ को उसी रूप से दर्पण अपने में प्रतिविम्वत करता है उसी प्रकार जव जो पदार्थ जिस रूप में दीपक के समक्ष उपस्थित होता है तब उस पदार्थ को उसी रूप में ही दीपक प्रकाशित करता है तह उस पदार्थ को उसी रूप में ही दीपक प्रकाशित करता है।

इस प्रकार दर्पण और दीपक दोनों के अपने-अपने पर-सापेक्ष परिणमन में स्वभाव और उसके परिणमनरूप कार्य का भेद होने पर भी कार्यकारणभावव्यवस्था की दृष्टि से दोनों में समानता पायी जाती है। अर्थात् जिस प्रकार पहले उपादानो-पादेयभाव और निमित्तनिमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारण-भावव्यवस्था का प्रतिपादन दर्पण में किया गया है उसी प्रकार उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारणभाव व्यवस्था का प्रतिपादन दीपक में भी किया जा सकता है। यानि दर्पण की तरह दीपक के विषय में भी यह कहा जा सकता है कि दोपक के परपदार्थप्रकाशक स्वभाव के परपदार्थ प्रकाशक स्वभाव उपादान कर्ता है और अपने अपने रूप से प्रकाशित होने वाले परपदार्थ अथवा उनका अपना अपना उस समय का परिणमन निमित्त कर्ता है।

देखने मे आता है कि दीपक के समक्ष जब घट आता है तो दीपक घट का ही प्रकाशन करता है और उससे घट ही प्रकाशित होता है उस समय दीपक के समक्ष न आने वाले अन्य पदार्थों का प्रकाशन न तो दीपक करता है और न वे पदार्थ उस समय प्रकाशित ही होते हैं। इसी प्रकार दीपक के समक्ष घट के आने पर घट का प्रकाशन होते हुए भी भिन्न-भिन्न समय मे घट की प्रतिनियत विविध कारणों के आधार पर जैसी-जैसी अवस्थायें बदलती रहती हैं वैसा-वैसा बदलाव दीपक के प्रकाशकपने रूप स्वभाव मे और घट के प्रकाशितपने रूप स्वभाव में भी होता जाता है। यदि इस अनुभवपूर्ण स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाय तो घट के प्रकाशन के समय अन्य पदार्थों का और घट की एक अवस्था के प्रकाशन के समय उसकी अन्य अवस्थाओं का भी प्रकाशन होना चाहिये लेकिन चूकि ऐसा प्रकाशन होता नहीं है अत यही माना जायगा कि घटादि पदार्थ अथवा उनके भिन्न-भिन्न समयों में होने वाले अपने-अपने परिणमन दीपक के प्रकाशक स्वभाव के प्रतिनियत परिणमन में निमित्त होते हैं। दीपक के परपदार्थ प्रकाशक स्वभाव की यही परसापेक्षता है।

दीपक के परपदार्थ प्रकाशक स्वभाव के इस प्रकार के परिणमन की यह परसापेक्षता दर्पण की तरह ही दो प्रकार को होती है। अर्थात् उसका एक प्रकार का परसापेक्ष परिणमन तो ऐसा होता है जिसमे परपदार्थ उदासीन रूप से निमित्त होता है और दूसरे प्रकार का परसापेक्ष परिणमन ऐसा होता है जिसमे प्रेरकता के आधार पर परपदार्थ निमित्त होते हैं।

पहले प्रकार के परसापेक्ष परिणमन में तो यह स्थिति रहती है कि दीपक के समक्ष जो घटादि पदार्थ अनायास आते रहते हैं उन्हें दीपक अनायास ही प्रकाशित करता है और वे पदार्थ अनायास ही प्रकाशित होते रहते हैं। दीपक के प्रकाशक स्वभाव की और उन पदार्थों के प्रकाशित होने रूप स्वभाव की उक्त परिणित में कोई पदार्थ प्रेरक नहीं होता है, फिर भी यहा पर दीपक के प्रकाशक स्वभाव की परिणित में दीपक उपादानोपादेयभाव से और घटादि पदार्थ निमिन्न-नैमित्तिकभाव से कारण होते हैं तथा इसी प्रकार घटादि पदार्थ के प्रकाशित होने रूप स्वभाव की परिणित में घटादि पदार्थ उपादानोपादेयभाव से और दीपक निमित्तनमित्तिकभाव से कारण होते हैं।

दूसरे प्रकार के परसापेक्ष परिणमन मे ऊपर वतलायी गयी पहले प्रकार की परमापेक्ष परिणमन की स्थिति से भिन्न

ही स्थिति रहा करती है। अर्थात् एक व्यक्ति जब यह जानता है कि दीपक मे घटादि पदार्थों को प्रकाशित करने की योग्यता है और घटादि पदार्थों मे दीपक से प्रकाशित होने की योग्यता है यानि उक्त प्रकाशनरूप कार्य मे दीपक और घटादि पदार्थो मे अपने-अपने द्वा की उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिक-भाव पर आधारित कार्यकारणभाव व्यवस्था विद्यमान है तो इस प्रकार की जानकारी रखने वाला वह व्यक्ति यदि अपने विवक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिये दीपक के जरिये घटादि विवक्षित पदार्थों को प्रकाशित करना चाहता है तो उस समय वह व्यक्ति या तो घटादि विवक्षित पदार्थी को दीपक के समक्ष लाता है अथवा दीपक को उन पदार्थों के समक्ष ले जाता है। इस प्रकार इस प्रकाशनरूप कार्य मे उस व्यक्ति का पुरुपार्थ प्रेरक निमित्त होता है और तब इस प्रेरक निमित्तता के आधार पर वह व्यक्ति कर्तारूप से निमित्त होता है तथा दीएक के प्रकाशक स्वभाव की घटादि प्रकाशनरूप परिणति मे घटादि पदार्थ और घटादि पदार्थों के प्रकाशित होने की योग्यता रूप स्वभाव की प्रकाशित होने रूप परिणति मे दीपक करणरूप से निमित्त होते हैं।

समस्त विश्व का कार्यकारणभाव इसी ढग से चल रहा है तथा यह व्यवस्था प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के लिये अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और युक्ति से गम्यमान है। मुक्ते आशा है कि प० फूलचन्द्रजी इससे वस्तु के स्वपरसापेक्ष परिणमन की परसापेक्षता, उसमे पायी जाने वाली निमित्तनैमित्तिकभाव पर आधारित कार्यकारणभाव की व्यवस्था, निमित्तो की यथायोग्य उदासीनतारूप व प्रेरकतारूप कार्यकारिता और उदासीन तथा प्रेरक निमित्तो मे पायी जाने वाली विशेषता (विलक्षणता) को आकने का प्रयत्न करेंगे।

आत्मा का उदाहरण

म्वपरसापेक्ष परिणमन के विषय मे विशेष प्रतिपादन को दृष्टि से यहा चौथा उदाहरण आत्मा का दिया जा रहा है परन्तु आत्मा को उदाहरण रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकरण के लिये उपयोगी आत्मतत्त्व पर दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है अत सर्वप्रथम यहा आत्मतत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है। आत्मतत्त्व पर दो दृष्टियो से विचार किया जा सकता है—एक तो वस्तु विज्ञान की दृष्टि से और दूसरे अध्यात्म-विज्ञान की दृष्टि से। इनमे से प्रथमत वस्तु विज्ञान की दृष्टि से आत्मस्वरूप पर विचार किया जाता है।

वस्तु विज्ञान की दृष्टि में आत्मतत्त्र

वस्तु विज्ञान की दृष्टि में आत्मा का स्वरूप चेतना है। चेतना में जातृत्व, कर्तृ त्व और भोक्तृत्व ये तीन शक्तिया गिंभत हैं। इनका क्रमश ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल-चेतना नामों से भी पुकारा जा सकता है। यद्यपि जैनागम में सम्यग्दृष्टि के ज्ञान को ज्ञान चेतना, सम्यग्दर्गनरहित सज्ञी-पचेन्द्रिय जीवों के ज्ञान को कर्मचेतना और सभी असज्ञीजीवों के ज्ञान को कर्मफल चेतना कहा गया है परन्तु यह घ्यान में रखना चाहिये कि जैनागम का यह कथन अघ्यात्मिवज्ञान की दृष्टि से है बस्तु विज्ञान की दृष्टि से नहीं, अत मेरे उक्त कथन का जैनागम के इस कथन से कोई विरोध नहीं समझना चाहिये।

वस्तु विज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण चेतन और अचेतन पदार्थों में कर्तृत्व और

भोक्तृत्व दोनो शक्तिया पायो जाती हे। इनमे से प्रत्येक पदार्थ मे कर्तृत्व शक्ति के दो रूप पाये जाते है—एक उपादानकर्तृत्व का और दूसरा निमित्तकर्तृत्व का।

प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का उपादानकर्ता है क्यों कि वह स्वय (आप) उस परिणमनरूप परिणत होता है और वही पदार्थ अपने से भिन्न पदार्थों के परिणमन का अपने ढग से निमित्तकर्ता होता है क्यों कि उस परिणमनरूप वह स्वय (अप) परिणत न होकर अपने से भिन्न पदार्थों के उस परिणमन मे सहायक मात्र होता है। इस सम्बन्ध में आकाश, धर्म, अधर्म, काल, दर्पण और दीपक के उदाहरण पूर्व में दिये जा चुके हैं तथा आत्मा का विवेचन किया ही जा रहा है।

सम्पूर्ण चेतन और अचेतन पदार्थों मे भोक्तृत्व की सिद्धि इस प्रकार होती है कि वे सभी पदार्थ अपने अपने परिणमन के साथ तन्मय होकर ही रहा करते है अर्थात् प्रत्येक चेतन अथवा अचेतन पदार्थ का जब जो परिणमन होता है तब वह पदार्थ स्वय (आप) उस रूप परिणत हो जाया करता है। प्रत्येक पदार्थ का भोजतृत्व यही है।

वर्तृत्व और भोक्तृत्व मे यह विशेषता है कि जहां प्रत्येक चंतन और अचेतन पदार्थ का कर्तृत्व उपादान कर्तृत्व और निमित्तकर्तृत्व के रूप मे दो प्रकार का है वहा प्रत्येक चेतन और अचेतन पदार्थ का भोक्तृत्व दो प्रकार का नहीं है क्योंकि वस्तु विज्ञान की दृष्टि से जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन के साथ तन्मय होकर रहता है उस प्रकार वह दूसरे पदार्थ के परिणमन के साथ कभी तन्मय होकर नहीं रहता है। यह बात अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और युक्ति से सिद्ध है और यहीं कारण है जैनागम में यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि

एक पदार्थ कभी दूसरे पदार्थ रूप नहीं होता और न एक पदार्थ के गुणधर्म भी कभी दूसरे पदार्थ के गुणधर्म होते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी पदार्थ का एक गुण कभी उसका दूसरा गुण नहीं होता और न एक गुण की पर्याय कभी दूसरे गुण की पर्याय होती है।

इसका तात्पर्य यह है कि आकाश जब अपके स्वभाव के अनुसार स्वपरावगाहक है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने परिणमन का उपादानकर्ता और पर के परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु दोनो का परिणमन अपना अपना ही है। इसी प्रकार धर्मद्रव्य जब अपने स्वभाव के अनुसार स्वय निष्क्रिय रह कर जीव और पुद्गल की गति मे सहायक होता है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने परिणमन का उपादानकर्ता और जीव और पुद्गल के गतिकप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु धर्मद्रव्य का तथा जीव और पूट्रगल का परिणमन अपना अपना ही हैं। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भो जब अपने स्वभाव के अनुसार स्वय निष्क्रिय रह कर जीव और पूद्गल की स्थिति में सहायक होता है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने परिणमन का उपादानकर्ता और जीव और पुद्गल के स्थिति रूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्त् अधर्म द्रव्य का तथा जीव और पुद्गल का परिणमन अपना अपना ही है। इसी प्रकार कालद्रव्य भी जब अपने स्वभाव के अनुसार स्व और पर का वर्तियता है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने वृत्तिरूप परिणमन का उपादान-कर्ता और पर के वृत्तिरूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्त परिणमन दोनो का अपना अपना ही है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव भी जब अपने स्वभाव के अनुसार स्वपरावभासक

है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने अवभासनरूप परिणमन का उपादानकर्ता और पर के अवभासनरूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु परिणमन दोनो का अपना अपना हो है। इसी प्रकार प्रत्येक पुद्गल भी जब अपने स्वभाव के अनुसार अपने में और दूसरे पुद्गलों में पूरण और गलनरूप परिणमन करने वाला है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार भेद, और सघात के आधार पर अपने पूरण और गलनरूप परिणमन का उपादानकर्ता और दूसरे पुद्गलों के पूरण और गलनरूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु प्रत्येक पुद्गल का पूरण और गलनरूप परिणमन अपना अपना ही है।

ऊपर मैने वस्तुविज्ञान की दृष्टि से आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण किया है और इस प्रसग से आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल द्रव्यों के स्वरूप का भी वस्तु विज्ञान की दृष्टि से आवश्यक समझकर विश्लेषण किया है । साथ ही समस्त चेतन और अचेतन द्रव्यों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भी वस्तु विज्ञान की दृष्टि से विवेचन किया है। अब आगे वस्तुविज्ञान की दृष्टि से ही आत्मतत्त्व का विस्तार से विवेचन किया जा रहा है।

ऊपर कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप चेतना है। चेतना शब्द का अर्थ अनुभव करना भी होता है। इस तरह यद्यपि विश्व के पूर्वोक्त समस्त पदार्थों मे जैन मान्यता के अनुसार अपने अपने स्वभाव के अनुकूल अर्थिक्याकारिता विद्यमान है परन्तु आकाश, धर्म, अधर्म काल और पुद्गल इन सभी अचेतन द्रव्यों मे चेतना शक्ति की अविद्यमानता के कारण इनको अपनी अर्थिक्या का अनुभवन नहीं होता है जब कि समस्त जीव चेतना शक्ति के सद्भाव के आधार पर अपनी अपनी अर्थक्रियाकारिता का सतत अनुभव करते रहते है।

चेतना का अपरनाम ज्ञायक स्वभाव है और इस स्वभाव के आधार पर ही प्रत्येक जीव पदार्थों का हष्टा और ज्ञाता बना हुआ है। अर्थात् प्रत्येक जीव मे ज्ञायकस्वभाव के रूप में दर्शन और ज्ञान नाम की दो शक्तिया विद्यमान है। इनमें से दर्शनशक्ति के आधार पर तो प्रत्येक जीव पदार्थ का दर्शन करता है और ज्ञानशक्ति के आधार पर वह पदार्थ का ज्ञान करता है। यहा यह ध्यान रखना चाहिये कि जीव का पदार्थ को दर्पण की तरह अपने अन्दर प्रतिविम्वित करने का नाम दर्शन है और उसका पदार्थ को दीपक की तरह प्रतिभासित करने का नाम ज्ञान है।

आत्मा मे दर्पण की तरह पदार्थ प्रतिविम्वित होते है इस विषय मे आचार्य श्री अमृतचन्द्र द्वारा विरचित पुरुपार्थ-सिद्च्युपाय का निम्नलिखित पद्य घ्यान देने योग्य है— तज्जयित पर ज्योति सम समस्तैरनन्तपर्याय । दर्पणतल इव सकला प्रति फलनि पदार्थमालिका यत्र ॥१॥

अर्थ-सर्वोत्कर्ष को प्राप्त वह चैतन्य विश्व मे जयवन्त (प्रभावशाली) रहे जिसमे विश्व के समस्त पदार्थ अपनी अनन्त पर्यायो के साथ युगपत् प्रतिविम्बित हो रहे हैं।

रत्नकरण्डश्रावकाचार मे आचार्य श्री समन्तभद्र ने भी कहा है-

नम श्री बर्हमानाय निधूँतकलिलात्मने।
सा लोकाना त्रिलोकाना यहिया वर्पणायते।।१॥
अर्थ-जिन्होने घातिया कर्मों को नष्टकर अपनी आत्मा
को निर्मल बना लिया है अतएव जिनका ज्ञान अलोक सहित

तीना लोकों के सम्बन्ध में दर्पण की तरह हो रहा है अर्थात् जिनके ज्ञान में अलोक सहित तीनो लोक प्रतिविम्बित हो रहे हैं उन वहां मान भगवान को नमस्कार हो।

जिस प्रकार आतमा में पदार्थों के प्रतिविम्बित होने के लिये आगम में उपर्युक्त प्रकार दर्पण का उदाहरण दिया गया है उसी प्रकार आत्मा में पदार्थों के प्रतिभासित होने के लिये जागम में दीपक का उदाहरण दिया गया है।

एस प्रकार यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि आत्मा मे परस्पर भिन्न दो शक्तिया विद्यमान हैं। उनमें से एक दक्ति के आधार पर आत्मा अपने अन्दर दर्पण की तरह पदार्थों को प्रतियिम्बित करता है और दूसरी शक्ति के आधार पर वहीं आत्मा अपने अन्दर प्रतिविम्बित पदार्थों को दोपक की नग्ह प्रतिभासित करता है। जिस शक्ति के आधार पर आत्मा अपने अन्दर पदार्थों को प्रतिविम्बित करता है वह दर्शनशक्ति है और जिस शक्ति के आधार पर आत्मा अपने अन्दर प्रति-विम्बित पदार्थों को प्रतिभासित करता है वह जानशक्ति है।

दोनो जित्तया परस्पर भिन्न हैं—इसका आधार यह है कि अत्मा की जो प्रतिविभ्यक गक्ति है वह पदायों को प्रतिभाग्ति करने में असमर्थ है क्योंकि दर्पण पदार्थों का प्रतिविभ्यक तो है लेकिन प्रतिभागक नहीं है। इसी तरह जो आत्मा की प्रतिभागक गक्ति है वह पदार्थों को प्रतिविभ्यित नहीं करती है क्यांकि दीपक पदार्थों का प्रतिभासक तो है नेकिन प्रतिविभ्यक नहीं है।

आत्मा मे पटायेप्रतिविध्दक (दर्शन) शक्ति की आवश्यकता

अतमा में पदार्थ पतियासम (ज्ञान) ज्ञाति तो निर्वियाद दे प्रयोगि जातृमा मनत पदायो ना प्रतिभान किया करता है परन्तु पदार्थ प्रतिविम्बक (दर्शन) शक्ति विवादरिहत नहीं हैं अत' इसकी आवश्यकता क्यो है ? इस पर विचार किया जाता है।

जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि विना पदार्थ दर्शन के पदार्थ ज्ञान नही हुआ करता है अतः वहाँ पर आत्मा मे दर्शन और ज्ञान को समान शक्ति-सम्पन्न जोडे के रूप मे स्वी-कार किया गया है। तात्पर्य यह है कि जैन-दर्शन की मान्यता के अनुसार जब पदार्थ आत्मा मे प्रतिविम्वित होगा तभी आत्मा की पदार्थज्ञान होगा, अन्यथा नही। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थ के क्षेत्र में दीपक विद्यमान रहता है उस प्रकार प्रतिभासित होने वाले पदायं के क्षेत्र मे आत्मा की पहुँच नही है लेकिन जिस प्रकार दीपक और पदार्थ का सम्बन्व स्थापित हुए विना पदार्थ प्रतिभासित नही होता उसी प्रकार आत्मा और पदार्थ का सम्बन्ध स्थापित हुए विना भी पदार्थ प्रतिभासित नही होता। इसी आघार पर जैन-दर्शन मे आत्मा मे पदार्थ को प्रतिभासित करने वाली ज्ञान शक्ति के साथ-साथ पदार्थ को प्रतिविम्बित करने वाली दर्शन शक्ति की सत्ता स्वीकार की गयी है। इस प्रकार जब पदार्थ अपने प्रतिविम्व द्वारा आत्मा से सम्वन्व स्थापित कर लेता है तव आत्मा उसका ज्ञान करती है अत पदार्थज्ञान के लिए पदार्थ-दर्जन की अनिवार्य आवश्यकता है।

आत्मा की पदार्थ प्रतिविम्बक शक्ति ही दर्शन शक्ति है

बौद्ध दर्शन मे विणित प्रत्यक्ष और जैन दर्शन मे विणित दर्शनोपयोग दोनो के स्वरूप मे करीय-करीय समानता पायी है लेकिन बौद्ध दर्शन मे जहाँ उसके द्वारा माने गये प्रत्यक्ष को प्रमाण मान लिया गया है वहाँ जैन-दर्शन मे दर्शनोपयोग को प्रमाणता और अप्रमाणता की परिधि से वाहर रवखा गया है। इसका कारण यह है कि जैनदर्शन मे स्वपरव्यवसायी ज्ञान को प्रमाण माना गया है और जो ज्ञान स्वव्यवसायी होते हुए भी परव्यवसायी नहीं होता उसे अप्रमाण माना गया है। इस तरह ये दोनो अवस्थायें ज्ञानोपयोग की ही हुआ करती है अत. ज्ञानोपयोग तो प्रमाण और अप्रमाण रूप होता है लेकिन दर्शनोपयोग चू कि स्वपरव्यवसायी नहीं होता इसलिये तो प्रमाणरूप नहीं है और वह केवल स्वव्यवसायी भी नहीं होता अतः अप्रमाण रूप भी नहीं है। इतना अवश्य है कि ज्ञानोपयोग की उत्पत्ति में अनिवार्य कारण होने की वजह से उसकां (दर्शनोपयोग का) जैनदर्शन में कम महत्व नहीं आँका गया है।

विश्व को जैन-दर्शन मे, जैसा कि पूर्व मे वतलाया जा चुका है, छह प्रकार के द्रव्यों में विभक्त कर दिया गया है—(१) अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता वाले अनन्त जीव द्रव्य (२) अगु और स्कन्ध रूप पुद्गल द्रव्य, (३) एक धर्म द्रव्य (४) एक अधर्म द्रव्य, (५) एक आकाश द्रव्य और (६) अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता वाले असख्यात काल द्रव्य। इन सब द्रव्यों को समुदाय रूप से विश्व नाम से पुकारा गया है क्योंकि विश्व शब्द का अर्थ 'सर्व' होता है और उक्त सब द्रव्यों के अतिरिक्त विश्व में कुछ शेप नहीं 'नहीं' रह जाता है। विश्व को जगत भी कहते है क्योंकि ये सभी द्रव्य अपने-अपने स्वरूप को न छोडते हुए परिणमनशील है।

उक्त सभी द्रव्य प्रति समय अपने-अपने नियत स्वभाव के अनुरूप कार्य करते रहते है—यह भी पूर्व मे वतलाया जा चुका है। अर्थान् आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों की सतत अपन अन्दर समाये हुए हैं, सभी काल द्रव्य समस्त द्रव्यो को प्रतिक्षण उनकी अपनी-अपनी सभाव्य पर्यायो के रूप मे वर्णन करा रहे हैं, धर्म द्रव्य जीवो और पुद्गलो को हलन-चलन ह्या क्रिया करते समय उस क्रिया में सतत सहायक हो रहा है, अवर्म द्रव्य जीवो और पुर्गलो को उस हलन-चलन रूप क्रिया के रुकते के समय उसमे सतत सहायक हो रहा है, सभी पुद्गल द्रव्य अगुद्ध जीव द्रव्यों के साथ और परस्पर एक-दूसरे पुद्गल के साथ सतत मिलते और विद्युडते रहते हैं तया सभी जीव द्रव्य सपूर्ण द्रव्यो को अपनी-अपनी योग्यता के विकास के अनुसार सतत देखते और जानते रहते है। जीवो की इस देखने और जानने रूप प्रवृत्ति को ही जैन-दर्शन मे क्रमश दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग कहा गया है। इसका ही तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में वतलाया जा चुका है, यह है कि प्रत्येक जीव को देखने और जानने रूप दो पृथक्-पृथक् शक्तियाँ है और यही कारण है कि दोनो शक्तियो को ढकने वाले दर्शनावरण और ज्ञानावरण दो पृथक्-पृथक् कर्म जैनकर्म सिद्धान्त मे स्वीकार किये गये है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग आत्मा की डन्ही दोनो गक्तियो के पृथक-पृथक् विकास रूप परिणमन है।

अव विचारणीय वात यह है कि आत्म प्रदेशों में पदार्थ के प्रतिविम्व पड़ने से अतिरिक्त दर्शनोपयोग और क्या हो सकता है ? तो विचार करने पर ऊपर के कथन से अर्थात् दर्शनोपयोग के प्रमाणता और अप्रमाणता की परिधि से वाहर होने पदार्थ ज्ञान में पदार्थ प्रतिविम्व की अनिवार्य आवश्यकता होने व पदार्थज्ञान तथा पदार्थ प्रतिविम्ब में अन्तर होने आदि से यही निणीत होता है कि आत्म-प्रदेशों में पदार्थ का प्रतिविम्वतहोना हो दर्शनोपयोग है—ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार जव

दर्शनोपयोग के आधार पर ही ज्ञानोपयोग होता है तो कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ के समस्त दर्शनावरण और समस्त ज्ञानावरण कर्मी का एक साथ क्षय हो जाता है इसलिए समस्त प्रतिक्षण स्वभावत उसके आत्म-प्रदेशों में प्रतिविम्बित होते रहते है और तब स्वभावत ही उसे प्रतिक्षण समस्त पदार्थी का ज्ञान सतत होता रहता है। मित ज्ञानी जीव के आत्म प्रदेशों में पदार्थ का प्रतिविम्बित होना दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ ही इन्द्रियाधीन है अर्थात् उसके आत्म-प्रदेशो मे पदार्थ का प्रतिविम्व इन्द्रियो द्वारा ही पहुँचता है और यह नियम है कि एकेन्द्रिय जीव के एकस्पर्शन इन्द्रिय का, द्वीन्द्रिय जीव के स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियो का, त्रीन्द्रियजीव के स्पर्शन, रसना और नासिक इन तीन इन्द्रियो का, चतूरिन्द्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, नासिका और नेत्र इन चार इन्द्रियो का असज्ञी पचेन्द्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँचो इन्द्रियो का और सज़ी पचेन्द्रिय जीव के उक्त पाँचो इन्द्रियो के साथ मन का भी सद्भाव अपने-अपने दर्शनावरण और मति ज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशन के अनुसार रहा करता है और यह भी नियम है कि स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्श के रूप मे, रसनेन्द्रिय द्वारा रस के रूप मे, नासिकेन्द्रिय द्वारा गन्ध के रूप मे, नेत्रेन्द्रिय द्वारा वर्ण के रूप मे, कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द के रूप में और मन के द्वारा अपने सामान्य रूप में पदार्थ आत्म-प्रदेशो मे प्रतिविम्बित होता है तथा यह भी नियम है कि मित ज्ञानी जीव के उपर्युक्त नाना इन्द्रियों का सद्भाव एक साथ रहते हुए भी क्रिमिक होने के कारण जिस अवसर पर किसी एक इन्द्रिय द्वारा पदार्थं आत्मप्रदेशो मे प्रतिविम्बित होता है उस अवसर पर किसो अन्य इन्द्रिय द्वारा पदार्थ आत्म-प्रदेशो मे प्रतिविम्बित नही होता अत कहा जा सकता है कि मतिज्ञानी जीव के जिस

अवसर पर जिस इन्द्रिय द्वारा अपने प्रतिनियत रूप से पदार्थ आत्मप्रदेशों में प्रतिविम्बित होता है उस अवसर पर उसी इन्द्रिय द्वारा प्रतिनियत रूप मे ही पदार्थ प्रतिभासित होता है। श्रुत ज्ञान मतिज्ञानपूर्वक ही हुआ करता है अत श्रुतज्ञान से होने वाले पदार्थज्ञान से आत्मा के प्रदेशों में पदार्थ के प्रति-विम्बित होने को आवश्यकता आगम में नहीं बतलायी गयी है। अवधि ज्ञानी जीव के अवधि दर्शनावरण और अवधि ज्ञाना-वरण कर्मों का एक साथ क्षयोपशम रहा करता है इसलिए उसके आत्मप्रदेशों में उसी रूप से यथासमय प्रतिनियत पदार्थ प्रतिविम्बित होते हैं और तब उसी रूप से प्रतिनियत पदार्थी का ज्ञान अविध ज्ञानी को हुआ करता है। मन पर्ययज्ञान यद्यपि ईहामति ज्ञानपूर्वक होता है परन्तु जिस प्रकार श्रुतज्ञान मे मतिज्ञान साक्षात् कारण होता है उस प्रकार ईहामतिज्ञान मन पर्ययज्ञान मे साक्षात् कारण नही होता है अत मेरी समझ के अनुसार यहाँ ऐसा मानना चाहिये कि ईहामतिज्ञान के लिए आत्मप्रदेशो मे जो पदार्थ प्रतिविम्ब कारण होता है वही पदार्थ प्रतिविम्ब मन पर्ययज्ञान मे कारण होता है। यहाँ प्रसगानुसार इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि सर्वज्ञ के आत्मप्रदेशों में जो पदार्थ प्रतिविम्ब पडता है उसे केवल दर्शन नाम से मति ज्ञानी के आत्मप्रदेशों में जो पदार्थ प्रतिविम्व पड़ना है उसे इन्द्रियापेक्ष होने के कारण यथायोग्य चर्झ्दर्शन और अचर्झ्दर्शन नामो से तथा अवधिजानी के आत्मप्रदेशों में जो पदार्थ प्रति विस्व पडता है उसे अवधिदर्शन नाम से आगम मे पुकारा गया है।

यदि आत्मप्रदेशों में पड़े हुए पदार्थ प्रतिविम्व को ही दर्शन मान लिया जाता है तो आगम में दर्शन को जो सामान्य ग्रहण, निराकार, अब्यवसायात्मक और मिविकल्पक शब्दों से पुकारा गया है इसकी भी सगित हो जाती है जिसका स्पष्टी-करण निम्न प्रकार है।

ऊपर दर्शन का जैसा स्वरूप निर्धारित किया गया है उसमे ज्ञान की तरह प्रमाणता अथवा अप्रमाणता का रूप नही पाया जाता है और यह बात मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि स्वपरव्यवसायात्मकता प्रमाणता का तथा स्वव्यवसायात्मकता के सद्भाव मे परव्यवसायात्मकता का अभाव अप्रमाणता का चिन्ह है जिनका कि दर्शन के पूर्वोक्त स्वरूप मे अभाव पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि दर्शन के पूर्वोक्त स्वरूप मे पदार्थ का अवलम्बन होने के कारण वह पदार्थ ग्रहणरूप तो है परन्तु वह न तो स्वपरव्यवसायात्मक है और न केवल स्वव्यव-सायात्मक ही है अत उसे सामान्यग्रहण शब्द से पुकारना उचित ही है चू कि प्रमाणज्ञान स्वपरव्यवसायी होता है और अप्रमाणज्ञान परव्यवसायी न होकर भी स्वव्यवसायी तो होता ही है अत प्रमाणज्ञान और अप्रमाणज्ञान दोनो को विशेषग्रहण शब्द से पुकारना उचित है। दर्शन को आगम मे जो निराकार कहा गया है वह भी उचित है क्योंकि ऊपर दर्शन का जो स्वरूप निर्घारित किया गया है उसमे स्वपरव्यवसायात्मकता का अभाव रहने के कारण प्रमाणता का और परव्यवसायात्मकता के अभाव के साथ स्वव्यवसायात्मकता का भी अभाव रहने के कारण अप्रमाणता का भी आकार नही पाया जाता है। आगम मे दर्शन को जो अव्यवसायात्मक कहा गया है वह भी इस आधार पर उचित है कि ऊपर दर्शन को जो स्वरूप निर्धारित किया गया है उसमे न तो प्रमाणज्ञान की तरह स्वपरव्यव-सायात्मकता पायी जाती है और न अप्रमाणज्ञान की तरह केवल स्वव्यवसायात्मकता ही पायी जाती है। इसी प्रकार आगम के दर्शन को जो निर्विकत्पक कहा गया है वह भी उचित है क्योंकि ऊपर दर्शन का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है उसमें स्वपरव्यवसायात्मकता का अभाव रहने के कारण न तो प्रमाणता का विकल्प पाया जाता है और परव्यवसायात्मकता के अभाव के साथ स्वव्यवसायात्मकता का भी अभाव रहने के कारण अप्रमाणता का भी विकल्प नहीं पाया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्प निकलता है कि आत्मा की पदार्थ प्रतिविम्वक शक्ति ही दर्शन शक्ति है और आत्मप्रदेशों में पदार्थ का प्रतिविम्वित हो जाना ही दर्शन या दर्शनोपयोग है। इसी प्रकार आत्मा की पदार्थ प्रतिभासक शक्ति ही ज्ञानगक्ति है और आत्मा को पदार्थ का प्रतिभास न होना ही ज्ञान या ज्ञानोपयोग है तथा यह ज्ञान या ज्ञानोपयोग उपर्युक्त प्रकार के दर्शन या दर्शनोपयोग के आधार पर ही होता है अन्यथा नहीं।

दर्शन स्दमावतः अविसंवादी होता है

यत. पूर्वकथनानुसार पदार्थ का आत्मप्रदेशो पर प्रति-विम्व पडना ही दर्शन है अत दर्शन स्वभावत अविसवादी अर्थात् विवादरिहत है इसका तात्पर्य यह हे कि पदार्थ जिस रूप मे विद्यमान होता है उसका दर्शन उसी रूप मे होता है ऐसा कभी नही होता कि पदार्थ विद्यमान न होते हुए भी पदार्थ-दर्शन हो जाय अथवा एक पदार्थ के विद्यमान रहते हुए दूसरे पदार्थ का दर्शन हो जाय। अत दर्शन मे किसी को भी और कभी भी विवाद करने की गुंजाइक नही रहा करती है। दर्शन के स्वभावत अविसवादी होने के कारण ही वौद्धदर्शन मे उसे प्रमाण रूप से स्वोकार किया गया है। जैन-दर्शन में दर्शन को अविसवादी रहते हुए जो प्रमाण नहीं माना गया है इसका कारण यह है कि वह स्वपरव्यवसायी नहीं है और ज्ञान चू कि स्वपरव्यवसायी होता है अत उसे जैन-दर्शन में प्रमाण माना गया है व जो ज्ञान स्वव्यवसायी होकर भी परव्यवसायी नहीं होता उसे जैन-दर्शन में अप्रमाण माना गया है।

जैसे घट के सद्भाव मे यह तो निश्चित समझना चाहिये कि दर्शन घट का ही होगा कारण कि जव आत्मप्रदेशो मे पदार्थ का प्रतिविम्व पडने को दर्शन पूर्व मे निर्णित किया जा चुका है तो यह तो हो नही सकता कि घट के सद्भाव मे आत्मप्रदेशो मे प्रतिविम्व घट का न पडकर किसी अन्य पदार्थ का पड जावे। अब यदि उस अवसर पर ज्ञान भी घट का होता है तो वह ज्ञान स्वपरव्यवसायात्मक होने से प्रमाणरूप ही होगा। इसी प्रकार शीप के सद्भाव में भी यह निश्चित है कि दर्शन उपर्युक्त प्रकार शीप का ही होगा परन्तु उस अवसर पर यदि चाँदी का ज्ञान हो जावे तो उस ज्ञान में स्वव्यवसायात्मकता रहते हुए भी चू कि परव्यवसायात्मकता का अभाव है अत वह ज्ञान भ्रमरूप मे अप्रमाण कहा जायगा। इसी प्रकार शीप के सद्भाव मे उपर्युक्त प्रकार यह तो निश्चित है कि दर्शन शीप का ही होगा परन्तु उस अवसर पर यदि "शीप है या चाँदी" इस प्रकार ढ्लमिल ज्ञान हो जावे तो उस ज्ञान मे भी स्वव्यव-सायात्मकता रहते हुए भी चू कि परव्यवसायात्म का अभाव है अत वह ज्ञान भी संशय रूप मे अप्रमाण कहा जायगा। इसी प्रकार किसी वस्तु के सद्भाव मे यह तो निश्चित है कि दर्शन उसी वस्तु का होगा जिसका वहाँ सद्भाव होगा परन्तु वहाँ पर यदि ऐसा ज्ञान होता है कि ''यहाँ मुभे किसी वस्तु का

आभास हो रहा है" तो इस ज्ञान मे भी स्वव्यवसायात्मकता रहते हुए भी चूकि परव्यवसायात्मकता का अभाव है अब यह ज्ञान भी अनध्यवसायरूप मे अप्रमाण कहा जायगा। तात्पर्य यह है कि चाहे प्रमाणज्ञान हो चाहे अप्रमाणज्ञान हो दोनो प्रकार के ज्ञान दर्शनपूर्वक ही हुआ करते हैं और उस अवसर पर दर्शन भी उसी पदार्थ का होता है जिसका वहा सन्द्राव रहता है परन्तु यदि ज्ञान उस पदार्थ का हो रहा है जिसका दर्शन हो रहा है तो वह ज्ञान स्वपरन्यवसायात्मक होने से प्रमाण रूप है। यदि ज्ञान, जिस पदार्थ का दर्शन हो रही है उससे भिन्न पदार्थ का हो रहा है, तो वह स्वव्यवसायात्मक होते हुए भी परव्यवसाया-त्मक न होने के कारण भ्रमरूप अप्रमाण है, यदि ज्ञान जिस पदार्थ का दर्शन हो रहा है उसका और उससे भिन्न पदार्थ का ढुलिमल रूप मे हो रहा है तो वह स्वव्यवसायात्मक होते हुए भी परव्यवसायात्मक न होने के कारण सशयरूप अप्रमाण है. और यदि ज्ञान पदार्थ का दर्शन होते हुए भी किसी विशेष पदार्थ को विपय करने वाला न हो तो वह ज्ञान स्वव्यवसाया-त्मक होते हुए भी परव्यवसायात्मक न होने के कारण अनध्यव-सायरूप अप्रमाण है।

दर्शन का सद्भाव पदार्थ ज्ञान की प्रत्यक्षता का और असद्भाव परोक्षता का कारण है

जैनदर्शन में ज्ञान के दो भेद स्वीकार किये गये हैं—एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष । अब इस विषय मे प्रश्न यह उपस्थित होता है कि एक ज्ञान प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष क्यो है ? इसके सम्बन्ध में जैनागम में जो कुछ कहा गया है उसका सार यह है कि सब जीवों में पदार्थों के जानने की शक्ति पायी जाती है। उसके द्वारा प्रत्येक जीव पदार्थ बोध किया गया है। पदार्थ बोघ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान के भेद से पाच प्रकार होता है। मतिज्ञान में स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाच इन्द्रियो में से किसी भी इन्द्रिय अथवा मन की सहायता अपेक्षित रहा करती है, श्रुतज्ञान सिर्फ मन की सहायता से हुआ करता है और अवधि, मन पर्यय और केवल ये तीनो ज्ञान इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना केवल आत्मसापेक्ष ही हुआ करते हैं। यथायोग्य इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण मितज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्ष कहते है तथा इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के विना ही उत्पन्न होने के कारण अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है। जैनागम मे इससे भी आगे यह कथन और पाया जाता है कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारो प्रकार के मितज्ञान और श्रुतज्ञान सर्वथा परोक्ष है, अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान और केवलज्ञान सर्वथा प्रत्यक्ष हैं तथा शेष अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा ये चारो प्रकार के मतिज्ञान इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण जहा परोक्ष है वहा लोक व्यवहार मे प्रत्यक्ष माने जाने के कारण प्रत्यक्ष भी है।

यहा पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चारो मितज्ञानो को लोक व्यवहार में जो प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है उसका कारण क्या है ? इसके समाधान में मेरा कहना यह है कि जैनागम में इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने वाले ज्ञानो को परोक्ष और इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही उत्पन्न होने वाले ज्ञानो को प्रत्यक्ष कहने का आश्य उन उन ज्ञानो की पराधीनता और स्वाधीनता वतलाना है इसे स्वरूप कथन नहीं समझना

चाहिये। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उक्त ज्ञानों के उक्त लक्षण करणानुयोग की विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि मे कहे गये है। लेकिन स्वरूप का कथन करने चाला जो द्रव्यानुयोग है उसकी दृष्टि से प्रत्यक्षज्ञान वह है जिसमे पदार्थ का साक्षात्कार रूपवोध होता है और परोक्षज्ञान वह है जो जिसमे पदार्थ का वोध तो हो लेकिन वह बोध साक्षात्काररूप न हो। पदार्थ का साक्षात्काररूप बोच वह है जो पदार्यदर्शन के सन्द्राव मे होता है और पदार्थ का असाक्षात्काररूप बोच वह है जो पदार्थदर्शन का सद्भाव न रहते हए होता है। इस प्रकार पदार्थदर्शन के सद्भाव में जो वोच होता है उसे प्रत्यक्ष और पदार्थदर्शन के असद्भाव मे जो बोच होता है उसे परोक्ष समझना चाहिये। प्रत्यक्ष और परोक्ष के इन लक्षणों के अनुसार पदार्थदर्शन के सद्भाव में होने के कारण अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा ये चारो मितजान तथा अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान और केवलज्ञान ये सव प्रत्यक्ष-ज्ञान हैं शेप स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारो मतिज्ञान तथा शुतज्ञान ये सब चू कि पदार्थ दर्जन के असद्भाव में होते है अत परोक्ष है।

इसका तात्पर्य जेसा कि पूर्व मे कहा जा चुका है यह है कि प्रत्येक जीव मे पदार्थों को जानने की योग्यता को तरह पदार्थों को देखने की भी योग्यता विद्यमान है इसलिये जिस प्रकार प्रत्येक जीव जानने की योग्यता का सद्भाव रहने के कारण पदार्थों को जानता है उसी प्रकार वह देखने की योग्यता का सद्भाव रहने के कारण पदार्थों को देखता भी है। चू कि पदार्थंदर्शन का सद्भाव पदार्थ के प्रत्यक्षज्ञान मे कारण होता है अत जो जीव पदार्थ का प्रत्यक्षज्ञान करना चाहता है उसमे पदार्थंदर्शन का सद्भाव अवश्य होना चाहिये।

प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्दों का व्युत्पर्त्थ

प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ "अक्षं—आत्मानं प्रति" इस व्युत्पत्ति के अनुसार पदार्थ की आत्मावलम्बनता के सद्भाव में होने वाला पदार्थ ज्ञान होता है और परोक्ष शब्द का अर्थ "अक्षात्—आत्मान परम्" इस व्युत्पत्ति के अनुसार पदार्थ की आत्मावलम्बनता के असद्भाव में होने वाला पदार्थ ज्ञान होता है तथा इस प्रकरण में पदार्थ की आत्मावलम्बनता का अर्थज्ञान के आधारभूत पदार्थ का आत्म प्रदेशों में प्रतिविम्बित हो जाना ही है इसी को पदार्थ का दर्शन या दर्शनोपयोग समझना चाहिये।

पदार्थदर्शन के भेद और उनका नियमन

उपर्युक्त पदार्थदर्शन कही-कही तो स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाच इन्द्रियों में किसी इन्द्रिय द्वारा अथवा मन द्वारा यथासम्भव यथायोग्यरूप में हुआ करता है और कही-कही इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही यथायोग्यरूप में हुआ करता है। इस तरह जैनागम में पदार्थ-दर्शन के चार भेद माने गये है—चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अविधदर्शन और केवलदर्शन।

नेत्रेन्द्रिय द्वारा पदार्थ के नियत आकार का नियत आतम प्रदेशों में प्रतिविम्बित हो जाने को चक्षुर्दर्शन, नेत्रेन्द्रिय को छोडकर शेत्र स्पर्शन, रसना, नासिका और कर्ण इन चार इन्द्रियों में से किसी भी इन्द्रिय द्वारा अथवा मन द्वारा अपने-अपने अनुरूप पदार्थ के नियत आकारों का नियत आत्म प्रदेशों में प्रतिविम्बित हा जाने को अचक्षुर्दर्शन, इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के विना ही रूपी पदाय आकार का नियत आत्म- प्रदेशों में प्रतिविम्बित हो जाने को अविधिदर्शन और इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के विना ही विश्व के समस्त पदार्थों के आकारों का समस्त आत्म प्रदेशों में प्रतिविम्बित हो जाने को केवलदर्शन समझना चाहिये।

नेत्रेन्द्रिय से होने वाले अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा रूप मितज्ञानों में चक्षुर्वर्शन का सद्भाव कारण होता है, स्पर्शन, रसना, नासिका और कर्ण इन्द्रियों में से किसी भी इन्द्रिय अथवा मन से होने वाले अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा रूप मितज्ञानों में उस-उस इन्द्रिय अथवा मन से होने होने वाले अचक्षुर्वर्शन का सद्भाव कारण होता है तथा अवधिज्ञान में अवधिदर्शन का केवलज्ञान में केवलदर्शन का सद्भाव कारण होता है। मन पर्ययज्ञान में भी मानसिक अचक्षुर्दर्शन का सद्भाव कारण होता है।

पदार्थज्ञान की प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता का विमाजन

इस प्रकार अविधिशान, मन पर्ययशान और कैवलशान तो सर्वथा प्रत्यक्ष हैं अर्थात् इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के विना ही उत्पन्न होने के कारण ये तीनो ज्ञान चूकि स्वाधीन है अत करणानुयोग की विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रत्यक्ष हैं और चूकि ये तीनो ज्ञान चूकि उक्त प्रकार से पदार्थदर्शन के सद्भाव मे ही उत्पन्न होते हैं अत स्वरूप का कथन करने वाले इव्यानुयोग (वस्तुविज्ञान) को दृष्टि से भी प्रत्यक्ष हैं तथा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारो मितज्ञान व श्रुतज्ञान ये सब ज्ञान सर्वथा परोक्ष हैं अर्थात् यथासम्भव इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण चूकि ये ज्ञान पराधीन हैं अत करणानुयोग की विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से भी परोक्ष

हैं और चूिक ये ज्ञान उक्त प्रकार पदार्थदर्शन का सद्भाव रहते ही उत्पन्न हुआ करते हैं अत स्वरूप का कथन करने वाले द्रव्यानुयोग (वस्तुविज्ञान) की दृष्टि से भी परोक्ष है। लेकिन अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा ये चारो मितज्ञान कथ चित् प्रत्यक्ष और कथ चित् परोक्ष है अर्थात् ये चारो इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण करणानुयोग की विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से तो परोक्ष है और उक्त प्रकार से पदार्थदर्शन के सद्भाव मे होने के कारण स्वरूप का कथन 'करने वाले द्रव्यानुयोग (वस्तुविज्ञान) की दृष्टि से प्रत्यक्ष है।

इस प्रकार इस विवेचन के साथ आगम के पूर्वोक्त इस कथन का भी सामजस्य स्थापित हो जाता है कि अवधि, मन -पर्यय और केत्रल ये ज्ञान सर्वया प्रत्यक्ष है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान रूप मित्ज्ञान तथा श्रुतज्ञान सर्वथा परोक्ष है तथा अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप मित्ज्ञान कथिचत् प्रत्यक्ष और कथिचत्परोक्ष है।

दर्शन के स्थलो की विवेचना

यहा इतना विशेष समझना चाहिये कि जिस प्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा रूप मित तथा अविध, मन - पर्यय और केवल ये सभी ज्ञान पदार्थदर्शन के सद्भाव में ही होते हैं उस प्रकार स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान रूप-मित तथा श्रुत इन सब ज्ञानों के होने में पदार्थदर्शन के सद्भाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्मृति हमेशा घारणापूर्वक ही हुआ करती है, प्रत्यभिज्ञान स्मृति और प्रत्यक्षपूर्वक ही होता है, तर्क प्रत्यभिज्ञानपूर्वक ही होता है, तर्क प्रत्यभिज्ञान अनुमानपूर्वक ही होता है लेकिन स्मृति आदि उक्त ज्ञानों को मूल कारणभूत धारणा तो

पदार्थदर्शन के सद्भाव में ही होती है अतः इन ज्ञानों में भी परम्परया पदार्थदर्शन कारण होता ही है। दूसरी वात यह है कि आगम के कथन पर यदि वारीकी के साथ ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि स्मृति मे धारणा सामान्यरूप से कारण नहीं होंती है किन्तु घारणा का उद्योध कारण होता है और धारणा का यह उद्वोध मस्तिष्क द्वारा आत्म प्रदेशो मे घारणा का प्रतिविम्वित होना ही है इस तरह कहना चाहिये धारणा की दर्शनरूप स्थिति ही स्मृति मे कारण हुआ करती है। यही वात प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानों के विषय में भी जानना चाहिये। इस तरह प्रत्येक ज्ञानदर्शन के सद्भाव में ही होता है यह सिद्धान्त अखिण्डत है। विशेषता इतनी है कि जो ज्ञान पदार्थदर्शन के सद्भाव में उत्पन्न होते हैं वे तो प्रत्यक्ष कहलाते हैं और जो पदार्थदर्शन के सद्भाव मे न होकर पदार्थज्ञान के दर्शन के सद्भाव मे होते हैं वे परोक्ष है। इससे यह निर्णीत होता है कि अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा तथा अवधि, मन पर्यय और केवल ये सभी ज्ञान चूकि पदार्थ दर्शन के सद्भाव मे होते हैं अत प्रत्यक्ष है और स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुत ये सभी ज्ञान चूिक पदार्थदर्शन के सद्भाव में न होकर पदार्थज्ञान के दर्शन के सद्भाव में होते हैं अत परोक्ष हैं।

प्रश्न-जिस प्रकार घारणापूर्वक होने वाले स्मृतिज्ञान को, स्मृतिपूर्वक होने वाले प्रत्यिभज्ञान को, प्रत्यिभज्ञानपूर्वक होने वाले तर्कज्ञान को, तर्कपूर्वक होने वाले अनुमान ज्ञान को और अनुमानपूर्वक होने वाले श्रुतज्ञान को द्रव्यानुयोग (वस्तु विज्ञान) की दृष्टि से परोक्षज्ञान कहा गया है उसी प्रकार अवग्रहपूर्वक होने वाले ईहाज्ञान को, ईहापूर्वक होने वाले अवाय ज्ञान को और अवायपूर्वक होने वाले घारणाज्ञान को. भी द्वेट्यानुयोग (वस्तु विज्ञान) की दृष्टि से परोक्षज्ञान क्यो नही कहना चाहिये ? अथवा जिस प्रकार ईहा आदि ज्ञानो को प्रत्यक्षज्ञान कहा गया है उसी प्रकार स्मृति आदि ज्ञानो को भी प्रत्यक्षज्ञान क्यो नहीं कहना चाहिये ?

उत्तर—यह ठीक है कि जिस प्रकार धारणा आदि ज्ञानपूर्वक स्मृति आदि ज्ञान होते हैं उसी प्रकार अवग्रह आदि ज्ञानपूर्वक ईहा आदि ज्ञान होते हैं परन्तु स्मृति आदि ज्ञानो को जो
प्रत्यक्षज्ञान न कहकर परोक्षज्ञान कहा गया है वह इसिलये नहीं
कहा गया है कि वे ज्ञान धारणा आदि ज्ञानपूर्वक होते हैं किन्तु
इसिलये कहा गया है कि वे पदार्थदर्शन के असद्भाव में होते
हैं। चूकि ईहा आदि ज्ञान पदार्थदर्शन के असद्भाव में होते
हैं। चूकि ईहा आदि ज्ञान पदार्थदर्शन के असद्भाव में होते
एदार्थदर्शन के सद्भाव में हो होते हैं अत उन्हें परोक्ष न कह
कर प्रत्यक्ष कहा गया है। यही बात मन पर्ययज्ञान के सम्बन्ध
में भी जान लेना चाहिये। अर्थात् मन पर्ययज्ञान यद्यपि ईहाज्ञानपूर्वक होता है परन्तु पदार्थदर्शन के सद्भाव में होता है
अत उसे प्रत्यक्षज्ञान कहा गया है।

यहा पर प्रसग पाकर में इतना और कह देना चाहता हूं कि अवग्रह ज्ञान के पश्चात् ईहाज्ञान होना हो चाहिये ऐसा नियम नहो है। ईहाज्ञान वही पर हो सकता है जहा अवग्रह के पश्चात् उस ज्ञान में सशय उत्पन्न हो जावे। यदि अवग्रह स्वय अवायात्मक रूप से उत्पन्न हुआ हो अथवा अचग्रह होकर तत्काल ज्ञान समाप्त हो जावे तो सशय उत्पन्न नही होगा। इसी प्रकार सशय के पश्चात् भी ज्ञान ईहारूप भो हो सकता है, अवायरूप भी हो सकता है या सयशरूप ही बना रह सकता है। इसी प्रकार ईहाज्ञान के पश्चात् भी ज्ञान अवायरूप भी हो सकता है। सकता है, ईहारूप भी बना रह सकता है अथवा पुन सशय की

कोटि में आ सकता है। अवाय के पश्चात् ज्ञान धारणा का रूप ले सकता है या समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार धारणा होकर भी कालान्तर में वह घारणा भी समाप्त हो सकती है।

इस प्रकार आत्मतत्त्व पर वस्तुविज्ञान की दृष्टि से विस्तार के साथ प्रकाश डालने के अनन्तर प्रकृत मे आत्मा का उदाहरण के रूप मे स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

प्रकृत में आत्मा का उदाहरण के रूप में स्पष्टीकरण

ऊपर के कथन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा के स्वभाव दर्शन का कार्य पदार्थों का दर्पणं के समान आत्म प्रदेशों मे प्रतिविम्बित करना है और आत्मा के स्वभाव ज्ञान का कार्य आत्म प्रदेशों में प्रतिविम्बित उन पदार्थी को दीपक की तरह प्रकाशित करना है। आत्म प्रदेशो पदार्थों के प्रतिविम्बित होने से जो परिणति आत्मा की या आत्मा के स्वमाव दर्शन की होती है उसमे आत्मा का स्वत सिद्ध दर्शन स्वभाव ही उपादानशक्ति है और उनको प्रतिभासित करने मे आत्मा का स्वत सिद्ध ज्ञान स्वभाव ही उपादानशक्ति है। अर्थात् आत्मा के ये दोनो स्वभाव ही परपदार्थ का अवलम्बन लेकर क्रमश देखने व जानने रूप परिणमन करते रहते हैं। इसलिये जब जैसा परिणमन दृश्यता व ज्ञेयता को प्राप्त होने वाले पदार्थों का होता जायगा उसके आधार पर वैसा ही परिणमन आत्मा के दर्शन और ज्ञानरूप स्वभावो का भी होता जायगा। इसका तात्पर्य यह है कि हश्य और ज्ञेय पदार्थ अपने उस परिवर्तित रूप से ही उस समय आत्मा मे स्वत अथना इन्द्रियो या मन की सहायता से यथायोग्य रूप मे प्रतिविम्बित होकर आत्मा द्वारा जाने जावेगे । इस प्रकार आत्मा के दर्शन

और ज्ञांन दोनों प्रकार के ज्ञायक स्वभाव के उपयोगाकार परिणमन मे उल्लिखित प्रकार से चूकि आत्मा स्वय अथवा 'उसके उक्त दोनो स्वत सिद्ध स्वभाव उपादान है व देखने और जानने के विषयभूत पदार्थ निमित्त हैं । इसलिये यहां पर भी आकाश, दर्पण और दीपक की तरह उपादानोपादेयभाव तथा निमित्तनैमित्तिकभाव दोनो के आधार पर कार्यकारणभाव की सगित को असगत नहीं माना जा सकता है। इतना अवस्य है कि आकाश के अवगाहकस्वभाव के अवगाह्यमान पदार्थों को अवगाहित करने रूप परिणमन मे अवगाह्यमान पदार्थो की तरह मुक्तात्मा के दर्शन और ज्ञानरूप ज्ञायक स्वभाव के उपयोगाकार परिणमन मे उनके विषयभूत दृश्य और ज्ञेय पदार्थ केवल उदासीन रूप से ही निमित्त होते है। इसी प्रकार जीव-न्मक्त (अर्हन्त) अवस्था को प्राप्त संसारी जीवो के दर्शन और ज्ञान रूप जायकस्वभाव के उपयोगाकार परिणमन में भी उनके विषयभूत दृश्य और ज्ञेय पदार्थ उदासीनरूप से निमित्त ही होते हैं वयोकि इन मुक्त और जीवन्मुक्त ससारी जीवो को दर्शन और ज्ञान के विपयभूत पदार्थों को देखने व जानने की आकाक्षा एव घयत्न नही करने पडते है । उक्त मुक्त और जीवन्मुक्त ससारी जीवो को छोड़ कर शेष समस्त ससारी जीवो में से जिनमे पदार्थों का ज्ञान करने के लिये आकाक्षा और प्रयत्न हो रहे हो , उतके ज्ञायकस्वभाव के देखने च जानने रूप परिणमन मे उदासीन निमित्तो के अलावा प्रेरक निमित्तो की भी उपयोगिता स्वीकार करनी पडती है।

यहा प्रसगवश पुद्गलद्रव्य के सम्बन्ध मे भी मै इतना कह देना चाहता हू कि पुद्गलद्रव्य के स्वभाव रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के परिणमनो का कथन पूर्व मे किया जा चुका है। उनके विषय मे प्रकृत में मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि यदि गहराई से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि वे परिणमन भी स्वपरसापेक्ष अर्थात् उपादान और निमित्त दोनों कारणों के वल पर ही हुआ करते हैं। जैसे आम्रफल के स्वभाव रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का अपना-अपना जो परिणमन उसको कच्ची और पको अवस्था में हुआ करता है वह सब स्वपर-सापेक्ष ही हुआ करता है।

इस तरह मैंने अब तक वस्तु विज्ञान की दृष्टि से इस वात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि पूर्वोक्त प्रकार जितनी अनन्तानन्त वस्तुये स्वत सिद्ध अर्थात् अनादि, अविनश्वर, स्वाश्रित और अखण्डता के लिये हुए विश्व में विद्यमान हैं उन सब वस्तुओं के स्वत सिद्ध और प्रतिनियत स्वभाव में पूर्वोक्त प्रकार से स्वसापेक्ष परिनरपेक्ष अर्थात् केवल उपादानोपादेयभाव के आधार पर तथा स्वपरसापेक्ष अर्थात् उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव दोनों के आधार पर परिणमन सतत हो रहे हैं। आगे अध्यादम विज्ञान की दृष्टि से आत्मतत्त्व पर विचार किया जाता है।

अध्यात्मविज्ञान को दिष्ट में आत्मतत्त्व

पूर्व मे ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि आक शद्रव्य एक है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, कालद्रव्य असख्यात हैं, जीवद्रव्य अनन्तानन्त हैं और पुद्गलद्रव्य भी अनन्तानन्त हैं। इस तरह कुल मिलाकर विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओ की सख्या अनन्तानन्त है। पूर्व मे ऐसा भी प्रतिपादन किया गया है कि इन सब अनन्तानन्त वस्तुओ मे से प्रत्येक वस्तु अपने स्वत सिद्ध, स्वाश्रित और प्रतिनियत स्वरूप के आधार पर परस्पर एक

दूसरी वस्तु से सतत भिन्नता को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार स्वरूप दृष्टि से पृथक्-पृथक् विद्यमान अर्थात् अपना-अपना अलग-अलग स्वरूप घारण करती हुई उक्त सभी वस्तुओं में से एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अपने से भिन्न अन्य वस्तु से विल्कुल अस्पृष्ट होकर रह रहों हो। अर्थात् सभी वस्तुयें यथा-सम्भव एक दूसरी वस्तु से स्पृष्ट होकर ही रही हैं।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि उक्त सभी वस्तुये जब आकाश के अन्दर समायी हुई है तो वे आकाश को स्पर्श करती हुई ही रह रही है। इसके अलावा अनन्तानन्त प्रदेश वाले अखण्ड आकाश द्रव्य के मध्य उसके असख्यात प्रदेशों पर असख्यात प्रदेशों अखण्ड धर्मद्रव्य विराजमान है और जहां धर्मद्रव्य विराजमान है वही पर समान असख्यात प्रदेशी अखण्ड अधर्मद्रव्य विराजमान है वही पर समान असख्यात प्रदेशी अखण्ड अधर्मद्रव्य भी विराजमान है। आकाश के जिन और जितने प्रदेशों पर धर्म और अधर्म द्रव्य स्थित है उनमें से प्रत्येक एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालद्रव्य स्थित है। इतना ही नहीं, सम्पूर्ण अनन्तानन्त जीवद्रव्य और सम्पूर्ण अनन्तानन्त पुद्गल-द्रव्य भी अपनी-अपनी छोटी-बडी अथवा स्थूल-पूक्ष्म आकृति को लेकर आकाश के यथायोग्य इन्ही असंख्यात प्रदेशों पर स्थित हो रहे हैं अथवा विचर रहे हैं।

इतना होने पर भी आकाश, धर्म, अधर्म और सम्पूर्ण काल नाम की वस्तुये परस्पर अथवा जीव और पुद्गल नाम की वस्तुओं के साथ कभी बद्धता (मिश्रण) को प्राप्त नहीं होती हैं इसलिये इन चारो प्रकार की वस्तुओं को मैं अबद्धस्पृष्ट कहना चाहता हूँ। अर्थात् उक्त चारो प्रकार को वस्तुये यद्यपि अपने से भिन्न वस्तुओं के साथ स्पृष्ट होकर ही रह रही हैं फिर भी ये सभी वस्तुये परम्पर मिलकर एक पिण्ड का रूप नहीं घारण करती है। उक्त चारो प्रकार की वस्तुओं को छोडकर शेप जीव और पुद्गल नाम की जितनी वस्तुये विश्व में विद्यमान है उनके विपय में जेन-संस्कृति के आगम ग्रन्थों में निम्न प्रकार की व्यवस्था वतलायी गयी है।

समस्त जीवो का दो वर्गों में विभाजन

स्वरूप दृष्टि से अपनी-अपनी पृथक्-पृथक सत्ता की प्राप्त सम्पूर्ण अनन्तान्त जीव यद्यपि अनादिकाल से ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप पुद्गलो से और मन, वचन तथा कायरूप तीन नोकर्मरूप पुद्गलो से बद्धता (मिश्रण) को प्राप्त होकर रहते आये हैं, परन्तु आगे चलकर ये सव जीव मुक्त और ससारी दो वर्गों में विभक्त हो गये है।

जो जीव उक्त ज्ञानावरणादि आठ कर्मे रूप और मन, चचन और काय इन तीन नोकर्म रूप पुद्गलों के साथ अनादि-कालीन परम्परा से चली आ रही बद्धता को सर्वथा समाप्त कर चुके हैं वे सब जीव मुक्त कहलाते हैं और जो जीव उक्त कर्म तथा नोकर्म रूप पुद्गलों के साथ अनादिकालीन परम्परा से चली आ रही बद्धता को अभी तक सर्वथा समाप्त नहीं कर सके हैं अर्थात् उस बद्धता में ही रह रहे हैं वे सब जीव ससारी कहलाते हैं इस तरह मुक्त जीवों को अबद्धस्पृष्ट और ससारी जीवों को बद्धस्पृष्ट कह सकते हैं।

, मुक्त और ससारो दोनो प्रकार के जीवों का परिमाण

मुक्त और ससारी दोनो प्रकार के जीवो की यदि, परिगणना की जाय तो वे दोनो ही प्रकार के जीव पृथक्-पृथक् गणना मे अनन्तानन्त ठहरते है फिर भी मुक्त जीवो की सख्या ससारी जीवो की सख्या से अनन्तवेंभाग है और इसी तरह ससारी जीवो की सख्या मुक्त जीवो की सख्या से अनन्तगुणी है। मुक्त और ससारी जीवो का इस प्रकार का परिमाण आगामी अनन्तकाल मे अनन्तान्त ससारी जीवो द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेने के अनन्तर भी बना रहने वाला है क्यों कि जैनागम मे अनन्तानन्त के अनन्तानन्त भेद स्वीकार किये गये है। इसलिये उक्त प्रकार मुक्ति की प्रक्रिया चालू रहने के कारण मुक्त जीवो के परिमाण में अनन्तानन्त जीवों की वृद्धि हो जाने पर भी उनकी सख्या सर्वदा ससारी जोवो की सख्या की अपेक्षा , अनन्तवेभाग ही वनी रहने वाली है। इसी प्रकार ससारी जीवो के परिमाण मे अनन्तानन्त जीवो की कमी हो जाने पर भी उनकी सख्या मुक्त जोवो की सख्या की अपेक्षा अनन्तगुणी बनी रहने वाली है क्योंकि जैन-सस्कृति मे यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि जव ससारी जीव अनादिकाल से अब तक नियत-क्रम से सबत मुक्ति को प्राप्त करते जा रहे है और मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् कोई भी मुक्त जीव कभी ससारी नहीं बनता है तो ससारी जीवो मे अनादिकाल से कमी होते रहते यदि अभी तक अनन्तानन्त काल बीत जाने पर भी उनकी सख्या समाप्त नही हो सकी तो आगे अनन्तानन्त काल मे अनन्तानन्त ससारी जीवो द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेने के अनन्तर भी उनकी उस सख्या की समाप्ति होने वाली नही है। इसके आधार पर ही यह निश्चित होता है कि मुक्त जीवो को सख्या मे वृद्धि हो जाने पर भी उनका परिमाण हमेशा ससारी जीवो के परिमाण की अपेक्षा अनन्तवेभाग तथा ससारी जीवो की सख्या मे कमी हो जाने पर भी उनका परिमाण हमेशा मुक्त जीवो के परिमाण की अपेक्षा अनन्तगुणा वना रहने वाला है। ससारी जीव मुक्त होते हैं और मुक्ति प्राप्त जीव कभी पुन ससारी नही वनते— यह सिद्धान्त एक तो आगम वचन होने से श्रद्धा की वस्तु है दूसरे जैन दर्शन ग्रन्थों में तर्क द्वारा भी इस सिद्धान्त की पृष्टि की गयी है। प्रकरण के लिये उपयोगी न होने के कारण मैं यही उक्त सिद्धान्त की तर्क द्वारा पृष्टि करना आवश्यक नहीं समझता हूँ।

ससारी जीवों के दो वर्ग भव्य और अभव्य

संसारी जीवों के भी जैनागम मे दो वर्ग निश्चित किये गये हैं। उनमें से एक वर्ग तो भव्य जीवों का है और दूसरा वर्ग अभव्य जीवों का है। जिन संसारी जीवों मे मुक्ति या मुक्ति प्राप्ति के साधनभूत सम्यग्दर्शन आदि को प्राप्त करने की अथवा मौजूदा संसार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि को नष्ट करने की योग्यता पायी जाती है वे सब भव्य जीव कहे गये है और जिन संसारी जीवों में उक्त प्रकार की योग्यता नहीं पायी जाती है अर्थात् भव्य जीवों से विपरीत योग्यता पायी जाती हैं वे सब अभव्य जीव कहे गये हैं।

आचार्य श्री उमास्वामी ने तत्त्वार्थसूत्र अध्याय दो के ''जीवभव्याभव्यत्वानिच् ॥ ७ ॥'' सूत्र द्वारा उक्त प्रकार की घोग्यता को भव्यत्व और उसके अभाव या उससे विपरोत घोग्यता को अभव्यत्व नामो से हो पुकारा है। स्वामी समन्तभद्र ने आप्त मीमासा में उसे शुद्धिशक्ति और उसके अभाव या विपरीत योग्यता को अशुद्धि शक्ति नाम दिये है।

तत्त्वार्थ सूत्र के उक्त सूत्र द्वारा ही उक्त भन्यत्व और अभन्यत्व दोनो को जीवत्व भाव के साथ पारिणामिक भावो में

गिनाया गया है जिसका भाव यह है कि ये दोनों भाव जीवत्व-भाव की तरह जीव के स्वत सिद्ध भाव है और स्वत सिद्ध होने से जहा ये दोनो भाव अनादि है वहा परस्पर विरोधी होने से एक ही जीव में उन दोनों का पाया जाना असम्भव है। इतना ही ही नहीं, जिस जीव में भव्यत्व अनादि से हैं उसमें कभो अभव्यत्व नहीं आ सकता है और जिस जीव में अभव्यत्व अनादि से हैं उस जीव में कभी भव्यत्व नहीं आ सकता है। इसका भी भाव यह है कि भव्य कभी अभव्य नहीं होता भव्य ही रहता है और अभव्य कभी भव्य नहीं होता अभव्य ही रहता है।

भव्यत्व और अभव्यत्व के अन्य प्रकार

प्रसगवश यहाँ हम इतनी बात और कह देना चाहते है कि जीवो के जिन भव्यत्व और अभव्यत्व का ऊपर कथन किया है वे जीव के असाधारण भाव हैं अर्थात् जीवो के अतिरिक्त अन्य वस्तुओ मे नही पाये जाते है । परन्तु इनके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी भव्यत्व और अभव्यत्व होते है जो सभी वस्तुओ मे पाये जाते हैं। जैसे प्रत्येक द्रव्य मे परस्पर एक-दूसरे द्रव्यरूप परिणत होने की योग्यता नही पायी जाती है अथवा एकद्रव्य के गुणो का परिणमन दूसरे द्रव्य मे कदापि नही होता है जब कि प्रत्येक द्रव्य सतत अपनो द्रव्यपर्यायो और अपनी स्वभावपर्यायो मे परिणमन करता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु मे अपनी द्रव्यपर्यायो और स्वभावपर्यायो की अपेक्षा भव्यत्व और अपने से भिन्न वस्तु की द्रव्यपर्यायो और स्वभावपर्यायो की अपेक्षा अभव्यत्व दोनो ही परस्पर अविरोधी होने के कारण सतत एक साथ रहा करते है।

जीवो और पुद्गलों में एक वैमाविको शक्ति भी है

समस्त जीवो मे एक वैभाविकी शक्ति भी स्वत सिद्ध रूप मे विद्यमान है जिसके वल पर ही जीव अनादिकाल से पुद्गलद्रव्य के साथ बद्धता को प्राप्त होकर रहता आया है। ऐसी शक्ति पुद्गलद्रव्य मे भी जैन दर्शन द्वारा स्वीकृत की गयी है क्योंकि उसके पुद्गलद्रव्य मे स्वीकार किये बिना जीव का पुद्गल द्रव्य से वन्ध को प्राप्त होना असम्भव था। यही कारण है कि पचाध्यायीकार ने जीव और पुद्गल दोनो मे उक्त वैभाविकी शक्ति के सद्भाव का स्पष्ट उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार है—

''अवस्कान्तोपलाकृष्टसूचीवत्तद्द्वयो पृथक् । अस्ति ज्ञक्तिविभावाख्या मियो बन्धाधिकारिणी ॥२-४५॥

अर्थ — चुम्वक पत्यर द्वारा आकृष्ट सुई के समान जीव पुद्गल दोनो द्रव्यो मे पृथक्-पृथक् विभाव नाम की शक्ति विद्यमान है जो जीव और पुद्गल के परस्पर वन्य का कारण है।

यह विभाव शक्ति भी एक प्रकार का भन्यत्व भाव ही है क्योंकि शक्ति, योग्यता, भन्यत्व और उपादानता ये सव एकार्थ-वाची शब्द है। इसलिये इस दृष्टि से प्रत्येक जीव और कर्म-वर्गणा तथा नोकर्मवर्गणारूप पुद्गल ये सभी भन्यरूपता को प्राप्त हो रहे हैं।

एक भन्यत्व ऐसा है जो केवल पुद्गल द्रव्यों में ही रहता है और जिसके वल पर सभी पुद्गल द्रव्य यथा काल स्कन्ध-रूपता को प्राप्त होते रहते हैं और यथा काल विद्युडते भी रहते हैं। जीवो का विभाव शक्ति नाम का भव्यत्वभाव ऊपर वतलाये गये भव्य और अभव्य दोनो प्रकार के ससारी जीवो में और स्वत सिद्ध होने के कारण विनाश रहित होने से मुक्त जीवो में भी समान रूप से विद्यमान रहता है।

जीवो के भव्यत्व और अभव्यत्व का व्याख्यान

यहा प्रकरण उन भन्यत्व और अभन्यत्व भावों का है जो जीवद्रव्य के अलावा किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाये जाते हैं तथा जिनके विषय में ऊपर कहा गया है कि मुक्ति या मुक्ति के साधनभूत सम्यग्दर्शन आदि को प्राप्त करने अथवा ससार या ससार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि को विनष्ट करने की योग्यता का नाम भन्यत्व है और इस प्रकार की योग्यता का अभाव अथवा इससे विपरीत योग्यता का नाम अभन्यत्व है।

इनमें से अभव्यत्व जिन ससारी जीवों में है उनमें वह अनादि काल से तो चला ही आ रहा है साथ ही अनन्तकाल तक रहने वाला भी है। लेकिन जिन ससारी जीवों में भव्यत्व भाव है उनमें वह यद्यपि अनादिकाल से विद्यमान चला आ रहा है परन्तु किन्ही-किन्ही जीवों में तो वह अनन्तकाल तक अपने रवाभाविक भव्यत्वरूप में ही रहने वाला है और किन्ही-किन्ही जीवों में वह निमित्त मिलने पर परिवर्गतत हो जाने वाला है अथवा यो कहिये कि विनष्ट हो जाने वाला है।

पूर्व मे वतलाया जा चुका है कि जिन ससारी जीवो में अभन्यत्व है वे अभन्य कहे जाते है और जिन ससारी जीवो में भन्यत्व हैं वे भन्य कहे जाते हैं चूकि अभन्यतत्व स्थायी है अत अभन्य हमेशा अभन्य ही रहने वाले हैं परन्तु भन्यत्व में उक्त

प्रकार की विशेषता रहने के कारण भन्यों में भी विशेषता हो जाती है। अर्थात् जिन ससारी जीवो का भन्यत्व अनन्तकाल तक अपने स्वाभाविक भन्यत्वरूप में ही रहने वाला है वे तो हमेशा भन्य ही रहने वाले है और जिनका भन्यत्व परिवर्तित होने वाला है वे मुक्त हो जाने वाले है। इम प्रकार जिनका भन्यत्व परिवर्तित हो चुका है वे भन्य तो मुक्त हो चुके है और जिनका भन्यत्व परिवर्तित होने वाला है वे भी यथा काल मुक्त हो जावेंगे।

तात्पर्य यह है कि "भविष्यतीति भव्य " इस व्यत्पत्ति के अनुसार जो ससारी जीव अभी तक नही प्राप्त हुई मुक्ति या मुक्ति की साधनभूत सम्यग्दर्शनादिरूप पर्याय को बागामीकाल मे अनुकूल निमित्तो के प्राप्त होने पर प्राप्त कर सकते हैं अथवा जो ससारी जीव अभी तक नहीं नष्ट हुए ससार या ससार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि को आगामीकाल मे अनुकूल निमित्तों के प्राप्त होने पर नष्ट कर सकते हैं उन्हें ही भव्य सज्ञा दी गयी है। इससे सिद्ध होता है कि मुक्ति या मुक्ति के साधन-भूत सम्यग्दर्शन आदि की प्राप्ति का अथवा ससार या ससार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि के नाश का भविष्यत्पना ही यहा भव्यत्व शब्द का अर्थ लिया गया है लेकिन जिस प्रकार काल के भविष्यत् समय एक-एक करके अपनी भविष्यता को समाप्त करके वर्तमान होकर भूत होते जाते हैं फिर भी भविष्यत् समयो का कभी अन्त नहीं होने वाला है उसी प्रकार भव्य जीव भी मुक्ति या मुक्ति के साघनभूत सम्यग्दर्शन आदि की प्राप्ति के अनुक्कल निमित्त मिलने पर मुक्ति या सम्यग्दर्शन आदि को प्राप्त करते जाते हैं अथवा ससार या ससार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि के नाश के अनुकूल निमित्त मिलने पर ससार

या मिध्यादर्शन आदि का नाश करते जाते हैं फिर भी भव्य जोवो का कभी अन्त होने वाला नही है।

प्रदत—जो भव्यजीव भव्य होकर भी कभी मुक्ति या सम्यग्दर्शनादिक को प्राप्त नही होगे अथवा ससार या मिथ्यादर्शनादिक का नाश नहीं करेगे उन्हें भव्य कहना असगत क्यो नहीं है ?

उतर—भविष्यत् शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार काल के जिन समयो मे भविष्यत् से वर्तमान होकर भूत होने की योग्यता है जन्हे हो भविष्यत् सज्ञा प्रदान की गयी है तो जो भविष्यत् सम्य कभी भी वर्तमान होकर भूत होने वाले नही है उन्हे जिस प्रकार भविष्यत् कहना असगत नही है उसी प्रकार जो भव्य जीव भव्य होकर भी कभी मुक्ति या सम्यग्दर्शनादिक को प्राप्त नही होंगे अथवा ससार या मिथ्यादर्शनादिक का नाश नही करेंगे उन्हे भव्य कहना भी असगत नही है।

तात्पर्य यह है कि "भविष्यतीति भन्य" इस न्युत्पत्थं के गर्भ मे दो अर्थ समाये हुए हैं—एक तो "भवितु योग्य भन्य" इस न्युत्पत्ति के अनुसार जो मुक्ति या सम्यग्दर्शन प्राप्त करने अथवा ससार या मिथ्यादर्शन का नाश करने की योग्यता रखता है वह भी भन्य है और दूसरा "भवितु शक्य भन्य" इस न्युत्पत्ति के अनुसार जा मुक्ति या सम्यग्दर्शन प्राप्त करने अथवा ससार या मिथ्यादर्शन का नाश करने की सामर्थ्य रखता है वह भी भन्य है । न्याकरणशास्त्र मे योग्यता और सामर्थ्य दोनो के अर्थ मे निम्न प्रकार से अन्तर वतलाया गया है।

व्याकरणशास्त्र में क्रयार्थक कृ धातु के दो रूप पाये जाते हैं—एक 'क्रेय' और दूसरा 'क्रय्य'। इन दोनो की व्युत्पत्ति अलग-अलग वहा बतलायी गयी है। अर्थान् "क्रेत् शवर्य क्रय्यम्" यह क्रय्य शब्द की ब्युत्पत्ति है जिमका अर्थ होता है यरीदी के लिये दुकान में रक्यी हुई वस्तु और "क्रीतु योग्यम्" यह क्रेय शब्द की ब्युत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है जो खरीद तो की जा सकर्ती है पर खरीदी के लिये दकान मे नहीं रखखीं गयी है जैसे घरेलू नामान । घरेलू सामान ऐसा नही होता कि वह कभी खरीदा ही नही जा सकता हो। परन्त्र वह तव तक नहीं खरीदा जाता है जब तक उसे वेचने का उसके स्वामी ने सकल्प न किया हो । इस तरह एक भव्य वह है जिसमें मुक्त होने की योग्यता तो है परन्तु शक्यता नहीं है और एक भव्य वह है जिसमे मुक्त होने की शवयता भी है। जो भव्य जीव अनादि-काल से अभी तक कभी सम्यग्दृष्टि नही हुए है उनमे भन्यत्व योग्यता रूप से ही रहा करता है तथा जिनको एक वार भी सम्यग्दर्शन प्राप्त होगया उनमे शक्यता रूप से भव्यत्व रहा करता है। यही प्रक्रिया सम्यग्दर्शन प्राप्ति या मिथ्यादर्शन के विनाश में समझ लेना चाहिये। अर्थात् जिन भव्य जीवो को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति या मिथ्यादर्शन के विनाश के अनुकूल करणलब्धि प्राप्त हो गयी हो उनमें भव्यत्व शक्यता रूप से रहता है और जिनको अनादिकाल से अभी तक कभी भी करण-लिंघ प्राप्त न हुई उनमें योग्यता रूप से ही भव्यत्व रहा करता है।

मन्यत्व और अभन्यत्व का शुद्धि शक्ति और अशुद्धि शक्ति के रूप मे विवेचन

स्वामी समन्तभद्र ने अपनी आप्तमीमासा मे वन्ध और मीस के कारणो पर प्रकाश डालते हुए लिखा है— कामादिप्रभविश्वतः कर्मबन्धानुरूपत । तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध्यशृद्धित ॥ ६६ ॥

अर्थ—ससारी जीवो मे काम-क्रोध-मोहादि विविध प्रकार के विकारों का जो उद्भव हुआ करता है उसमे उनके द्वारा पूर्व में बद्धकर्म कारण होते है और उन कर्मों के बन्ध में इस कर्मबन्ध से पूर्व उद्भूत जीवों के काम-क्रोध-मोहादि विकार कारण होते हैं। वे ससारी जीव शुद्धि शक्ति और अशुद्धि शक्ति के भेद से दो प्रकार के है।

इसका भाव निम्न प्रकार है

- (१) ससारी जीवो के कर्मवन्ध और कामादि विकारों की उत्पत्ति में पायी जाने वाली कार्यकारणभाव की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है।
- (२) ससारी जीवो मे जो कामादि भाव उत्पन्न होते है वे सब उनकी अपनी चैतन्य शक्ति मे उत्पन्न होने वाले विभाव (विकारी) परिणमन है। अर्थात् प्रत्येक जीव मे अनादिकाल से पायी जाने वाली स्वत सिद्ध वैभाविक शक्ति के आधार पर उनकी चैतन्य शक्ति का कर्म के सहयोग से काम-क्रोधादि रूप परिणमन सतत हो रहा है।

यहा प्रश्न उठता है कि जब प्रत्येक जीव की चैतन्यशक्ति का कर्म के सहयोग से काम-क्रोधादिरूप परिणमन अनादिकाल से सतत होता आ रहा है तो फिर उन समस्त जीवो मे कोई जीव मुक्ति प्राप्त करलें और कोई जीव हमेशा ससारी बने रहे—इस भेद का कारण क्या है ?

इस प्रश्न का समाधान स्वामी समन्तभद्र ने प्रकृत पद्य के चतुर्थ चरण "जीवास्ते शुद्ध्यशुद्धित" द्वारा दे दिया है ।

जिसका आशय यह है कि प्रत्येक जीव में जो अनादिकालीन स्वत सिद्ध वैभाविक शक्ति विद्यमान है उसके आधार पर प्रत्येक जीव की चैतन्यशक्ति का वद्धकर्मों के सहयोग से यद्यपि काम-क्रोघादि विकाररूप परिणमन अनादिकाल से होता आ रहा है, फिर भी उस वैभाविक-शक्ति के साय-साथ किन्ही जीवों में तो भन्यता नाम की गुद्धि शक्ति और किन्ही जीवो मे अभन्यता नाम की अणुद्धि शॅक्ति भी अनादिकाल से स्वत सिद्ध रूप मे विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ससारी जीव अनादिकाल से कर्म के सहारे पर अपनी उक्त वैभाविक शक्ति के आधार पर यद्यपि अशुद्ध हो रहा है (काम-क्रोधादिरूप परिणमन कर रहा है) परन्त इस तरह से अशुद्ध होते हुए इन समस्त ससारी जीवों में से किन्ही संसारी जीवों में ऐसी स्वत सिद्ध अनादि-कालीन योग्यता पायी जाती है जो योग्यता भविष्य मे अनुकूल निमित्त प्राप्त होने पर उनके शुद्ध हो जाने का सकेत देती है और चूकि यह योग्यता उक्त प्रकार से अणुद्ध हुए समस्त ससारी जीवो मे नही पायी जाती है तो जिन ससारी जीवो मे यह योग्यता नहीं पायी जाती है उनके विषय मे यह निष्कर्ष अनायास ही निकल आता है कि वे कभी श्रुद्ध होने वाले नहीं हैं।

इस प्रकार वैभाविक शिवति एप उपादानशिक्त और कर्मरूप निमित्त के वल पर चित् शिवत के विभाव परिणमन-स्वरूप काम-क्रोधादि स्वरूप अशुद्धि को प्राप्त समस्त ससारी जीवों में से कोई जीव तो उक्त प्रकार की शुद्धि शिवत के धारक भव्य होते हैं और कोई जीव उक्त शुद्धिशिक्त के अभाव में अभव्य होते हैं। इनमें से कर्मवन्धन की समानता रहने पर भी जो अशुद्ध जीव शुद्ध होने की योग्यता रखने वाले भव्य हैं वे कभी भी अनुकूल निमित्तों का सहयोग प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर

लेते हैं और जो अशुद्ध जीव शुद्ध होने की योग्यता के अभाव के कारण अभव्य है वे कभी भी, चाहे निमित्तो का सहयोग उन्हे मिल भी जावे, मुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।

प्रकृत पद्य के चतुर्थचरण का व्याख्यान अष्टशती और अष्टसहस्रो में निम्न प्रकार किया गया है।

ननु यदि कर्मवन्धानुरूपत ससार स्यान्न तर्हि केषाचिनमुक्तिरितरेपां ससारञ्च, कर्मवन्धनिमित्ताविशेषादितिचेन्न,
तेषा शुद्ध्यशुद्धित प्रतिमुक्तीतरसभवादात्मनाम् । न हि जीवा
शश्वदशुद्धित एव व्यवस्थिता स्याद्वादिना याज्ञिकानामिव,
कामादि स्वभावत्व निराकरणात्। तत्स्वभावत्वे कदाचिदौदासीन्योपलम्भ विरोध्यत्। नापि शुद्धित एवावस्थिता कापिलनामिव,
प्रकृति ससर्गेऽपि तत्र कामाद्युपलम्भे पुरुषकल्पनाचैयथ्यत्,
तदुपभोगस्यापि तत्रैव सभवात् । न ह्यन्य कामयतेऽन्य
काममनुभवतीति युक्तम्। नापि सर्वे सभवद्विशुद्धय एव जीवा.
प्रमाणत प्रत्येतु शक्या ससारशून्यत्वप्रसगात्। किं तर्हि ?
शुद्ध्यशुद्धिम्या व्यवतिष्ठन्ते "जीवास्ते शुद्ध्यशुद्धित" इति
वचनात्। तत शुद्धिभाजायात्मना प्रतिमुक्तिरशुद्धिभाजां
ससार।"

अर्थ — यहा यह समस्या पैदा होती है कि "यदि कर्मवन्ध के अनुरूप ही जीवो के ससार का निर्माण होता है तो समस्त ससारी जीवो में से किन्ही जीवो को मुक्ति प्राप्त हो और उनसे भिन्न अन्य जीव ससारी बने रहे यह बात नहीं बनती है क्योंकि कर्मवन्ध तो मुक्ति प्राप्त करने योग्य और ससारी बने रहने योग्य दोनों ही प्रकार के ससारी जीवो में समान रूप से ही हुआ करता है।" इस समस्या का निराकरण इस प्रकार है कि सम्पूर्ण जीव शुद्धिशक्ति वाले और अशुद्धिशक्ति वाले इस

तरह दो भेदों में विभक्त है। अत जो ससारी जीव श्रुद्धशक्ति वाले है उनको तो मुक्ति प्राप्त होने की सम्भावना है और जो अणुद्धि शक्ति वाले ससारी जीव हैं वे हमेशा समारी ही वने रहते हैं। इसका आधार यह है कि स्याद्वादी जैनियो ने सम्पूर्ण ससारी जीवो को मीमासको की तरह हमेशा अशुद्ध रहने वाले नही स्वीकार किया है इसका कारण यह है कि उन्होने समस्त ससारी जीवो मे पायी जाने वाली कामादि रूप अणूद्धि को जीव का स्वत.सिद्ध भाव मानने का निषेध किया है। इसका भी कारण यह है कि उनमे कभी-कभी जो कामादिक से विरक्ति भाव देखा जाता है वह कामादिको जीव का स्वत सिद्ध भाव मानने के विरुद्ध है। इसी प्रकार जैनियो ने सम्पूर्ण जीवो को साख्य की तरह हमेशा शुद्ध रहने वाले भी नही स्वीकार किया है क्यों कि जो जीव हमेशा शुद्ध रहने वाला होगा उसमे प्रकृति का ससर्ग होने पर भी कामादि की उपलब्धि होना असम्भव होगा। यदि कामादि की उपलब्धि प्रकृति में ही मानी जाय तो फिर पूरुप (जीव) को मानना ही व्यर्थ हो जायगा। इसका कारण यह है कि तब प्रकृति में कामादि की उपलब्धि की तरह कामादि के फल का उपभोग भी स्वीकार करना अनिवार्य हो जायगा। इसका भी कारण यह है कि अन्य (प्रकृति) मे तो भोगाभिलाषा उत्पन्न हो और अन्य (पुरुष) भोग का उपभोक्ता हो-ऐसा मानना युक्ति सगत नहीं है। मीमासक और साख्य मतवादियों को मान्य उक्त दोनो विकल्पों के अलावा तीसरा यह विकल्प भी जैनियों को प्रमाण रूप से मान्य नहीं है कि सम्पूर्ण ससारी जीव भविष्य मे कभी भी मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले अर्यात् शुद्धि शक्ति के घारक भव्य ही होते है। क्योंकि इस विकल्प को स्वीकार करने से ससार की

शून्यता का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। तो फिर इन तीनो विकल्पों को छोड कर कौनसा विकल्प जैनियों का मान्य है ? इस प्रक्न का समाधान यह है कि स्वामी समन्तभद्र के "जोवास्ते शुद्ध्यशुद्धित" इस वचन के अनुसार जैनियों ने जीवों को शुद्धि शक्ति वाले और अशुद्धि शक्ति वाले इस तरह दो भेदरूप स्वीकार किया है। इस तरह शुद्धिशक्ति वाले जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है और अशुद्धि शक्ति वालों का ससार बना रहता है।

शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति के प्रतिनियम का आधार

ऊपर जो अष्टशती और अष्टसहस्री का उद्धरण दिया गया है उसमे यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त ससारी जीव समान रूप से अशुद्ध है अर्थात् समस्त ससारी जीवो की चैतन्य-शक्ति का वैभाविक शक्ति के आधार पर कर्मों के सहयोग से समान रूप से काम-क्रोधादिरूप रूपविकारी परिणमन हो रहा है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि उन समस्त ससारी जीवो मे से बहुतो मे तो स्वभावत शुद्धि शक्ति (शुद्ध होने की योग्यता) विद्यमान है और उनसे अतिरिक्त शेष जीवों में स्वभावत ही अशुद्धिशिक्त (शुद्ध होने की योग्यता का अभाव या विपरीत योग्यता का सद्भाव) विद्यमान है। अब यहा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बहुत से ससारी जीवों में तो शुद्धिशक्ति विद्यमान है और शेप संसारी जीवों में अशुद्धिशक्ति विद्यमान है-इस प्रतिनियम का आधार क्या है इस प्रश्न का समाधान स्वामी समन्तभद्र ने ही आप्तमीमासा में कारिका हह के आगे कारिका १०० मे शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति का स्पष्टीकरण करते हुए किया है। कारिका १०० निम्न प्रकार है—

शुद्धशुद्धी पुन शक्ती ते पावधापावय शक्तिवत्। साद्यनादी तयो व्यंक्ती स्वभावोऽतर्क गोवरः ॥१००॥ अर्थ—ससारो जीवो मे यथा सम्भव विद्यमान उपर्युक्त शुद्धि और अशुद्धि नाम की दोनो शक्तियो को मूग अथवा उडद मे यथा सम्भव विद्यमान पाक्य और अपाक्य—इन दोनो शक्तियो के समान समझना चाहिये। इन दोनो शुद्धि और अशुद्धि नाम की शक्तियों मे से शुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) तो सादि है तथा अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) अनादि है और यह सव व्यवस्था स्वभावभूत होने से तर्क का विपय नहीं है।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मूग अथवा उडद के किसी-किसी दाने मे तो स्वभावत पाक्य शक्ति और किसी-किसी दाने में स्वभावत अपाक्य शक्ति पायो जाती है उसी प्रकार समस्त ससारी जीवों में से किसी-किसी ससारी जीव में तो स्वभावत शुद्धि शक्ति का सन्द्राव और किसी-किसी ससारी जीव मे स्वभावत अगुद्धि शक्ति का सद्भाव जानना चाहिये तथा जिस प्रकार मूग अथवा उडद के जिस दाने मे स्वभावत पाक्य शक्ति पायी जाती है उस दाने मे अपाक्य शक्ति नही पायी जाती है और मूग अथवा उडद के जिस दाने मे स्वभावत अपाक्य शक्ति पायी जाती है उस दाने मे पाक्य शक्ति नही पायी जाती है उसी प्रकार जिस ससारी जीव मे स्वभावत शृद्धि शक्ति विद्यमान है उसमे अशुद्धि शक्ति का और जिस संसारी जीव मे स्वभावतः अशुद्धि शक्ति विद्यमान है उसमे शुद्धिशक्ति का अभाव जानना चाहिये। इतना ही नही, जिस प्रकार नियत मूग अथवा उडद के दाने मे स्वभावत विद्यमान पाक्य शक्ति की व्यक्ति (पकी हुई अवस्था मे पहुँच जाना) सादि है व नियत मूग अथवा उडद के दाने में स्वभावत

विद्यमान अपाक्य शक्ति की व्यक्ति (अपक्व अवस्था मे ही बना रहना) अनादि है उसी प्रकार नियत ससारी जीव मे स्वभावतः विद्यमान शुद्धिशक्ति की व्यक्ति (शुद्ध अवस्था मे पहुँच जाना) सादि जानना चाहिये व नियत ससारी जीव मे स्वभावत विद्यमान अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति (अशुद्ध दशा मे ही बना रहना) अनादि जानना चाहिये।

भावार्थ — उपर्युक्त पाक्य शक्ति और अपाक्य शक्ति तथा शुद्धि शक्ति और अशुद्धि शक्ति इन सबका अपने-अपने स्थान में सद्भाव तो स्वभावत होने से अनादि है व अपाक्य शक्ति तथा अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) भी अनादि है लेकिन पाक्य शक्ति और शुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) सादि है।

इस सब प्रतिनियत व्यवस्था को वस्तु स्वभाव का खेल ही समझना चाहिये इसमे तर्क का सहारा लेना व्यर्थ है—यह बात स्वामी समन्तभद्र के "स्वाभावोऽतर्कगोचर" वाक्य से स्पष्ट हो जाती है। अष्टशती और अष्टसहस्री मै इस वाक्य का जो अर्थ किया है वह निम्न प्रकार है।

"कुत शक्ति प्रति नियम इति चेत् तथा स्वभावत्वादिति बूम । निह भावस्वभावा पर्यनुयोक्तव्या, तेषा मतर्कगोचर-त्वात्।"

अर्थ — अमुक जीव मे तो शुद्धिशक्ति है और अमुक जीव मे अशुद्धिशक्ति है — इत्यादि रूप से जो दोनो शक्तियो को प्रतिनियतता का प्रतिपादन किया गया है इसमे उन शक्तियो की प्रतिनियतता का कारण वया है यह प्रवन यदि उपस्थित किया जाय तो ग्रन्थकार कहते है कि उस-उस वस्तु का स्वभाव शुक्ष्यशुद्धी पुनः शक्ती ते पावधापावय शक्तिवत्। साद्यनादी तयो व्यंक्ती स्वभावोऽतर्क गोचर ॥१००॥

अर्थ ससारो जीवो मे यथा सम्भव विद्यमान उपर्युक्त गुद्धि और अशुद्धि नाम की दोनो शक्तियों को मूग अथवा उडद मे यथा सम्भव विद्यमान पाक्य और अपाक्य इन दोनो शक्तियों के समान समझना चाहिये। इन दोनो शुद्धि और अशुद्धि नाम की शक्तियों में से शुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) तो सादि है तथा अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) अनादि है और यह सब व्यवस्था स्वभावभूत होने से तर्क का विषय नहीं है।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मूग अथवा उडद के किसी-किसी दाने में तो स्वभावत पाक्य शक्ति और किसी-किसी दाने में स्वभावत. अपाक्य शक्ति पायी जाती है उसी प्रकार समस्त ससारी जीवो मे से किसी-किसी ससारी जीव मे तो स्वभावत शृद्धि शक्ति का सन्द्राव और किसी-किसी ससारी जीव मे स्वभावत अगुद्धि शक्ति का सद्भाव जानना चाहिये तथा जिस प्रकार मूग अथवा उडद के जिस दाने में स्वभावत पाक्य शक्ति पायी जाती है उस दाने में अपाक्य शक्ति नही पायी जाती है और मूग अथवा उडद के जिस दाने मे स्वभावत अपाक्य शक्ति पायी जाती है उस दाने मे पाक्य शक्ति नही पायी जाती है उसी प्रकार जिस ससारी जीव मे स्वभावत शृद्धि शक्ति विद्यमान है उसमे अगुद्धि शक्ति का और जिस संसारी जीव मे स्वभावतः अणुद्धि शक्ति विद्यमान है उसमे शुद्धिशक्ति का अभाव जानना चाहिये। इतना ही नही, जिस प्रकार नियत मूग अथवा उडद के दाने में स्वभावत विद्यमान पाक्य शक्ति की व्यक्ति (पकी हुई अवस्था मे पहुँच जाना) सादि है व नियत मूग अथवा उडद के दाने में स्वभावत

विद्यमान अपाक्य जित्त की व्यक्ति (अपक्व अवस्था मे हो बना रहना) अनादि है उसी प्रकार नियत ससारी जीव मे स्वभावतः विद्यमान शुद्धिजित्त की व्यक्ति (शुद्ध अवस्था मे पहुँच जाना) सादि जानना चाहिये व नियत ससारी जीव मे स्वभावत विद्यमान अशुद्ध जित्त की व्यक्ति (अशुद्ध दशा मे ही बना रहना) अनादि जानना चाहिये।

भावार्थ—उपर्युक्त पावय गक्ति और अपावय शक्ति तथा शुद्धि गक्ति और अशुद्धि गक्ति इन सवका अपने-अपने स्थान मे सद्भाव तो स्वभावत होने से अनादि है व अपाक्य शक्ति तथा अशुद्धि गक्ति की व्यक्ति (विकास) भी अनादि है लेकिन पाक्य गक्ति और शुद्धि गक्ति की व्यक्ति (विकास) सादि है।

इस सब प्रतिनियत व्यवस्था को वस्तु स्वभाव का खेल ही समझना चाहिये इसमे तर्क का सहारा लेना व्यर्थ है—यह बात स्वामी समन्तभद्र के "स्वाभावोऽतर्कगोचर" वाक्य से स्पष्ट हो जाती है। अष्टशती और अष्टसहस्री मे इस वाक्य का जो अर्थ किया है वह निम्न प्रकार है।

"कुत शक्ति प्रति नियम इति चेत् तथा स्वभावत्वादिति वूम । निह भावस्वभावा पर्यनुयोक्तव्या, तेषा मतर्कगोचर-त्वात्।"

अर्थ — अमुक जीव मे तो गुद्धिशक्ति है और अमुक जीव मे अगुद्धिगक्ति है — इत्यादि रूप से जो दोनो शक्तियो को प्रतिनियतता का प्रतिपादन किया गया है इसमे उन शक्तियो की प्रतिनियनता का कारण वया है यह प्रश्न यदि उपस्थित किया जाय तो ग्रन्थकार कहते हैं कि उस-उम वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है और स्वभाव कभी तर्क का विषय नही होता है इसलिये इसमे तर्क-वितर्क नही करना चाहिये।

अणुद्धिशक्ति की व्यक्ति अनादि है और णुद्धिशक्ति की सादि है—इसका स्पष्टीकरण प्रकृत पद्य की अष्टसहस्री टीका की टिप्पणी मे निम्न प्रकार पाया जाता है।

"अणुद्धत्वमनादित एव मन्तव्य सादित्वे मते सित तत पूर्वं भुद्धे सभवापते । भुद्धिस्तु न जीवाना पूर्वत , पूर्वत भुद्धि स्वीकारे पुनर्वन्धासभवापते । न च बन्धो नास्तीति, प्रत्यक्षतो वन्धकृते शरीरादि पारतत्र्यस्यानुभावात् । इति बन्धस्याणुद्ध दशाया मेव सभवादनादिरणुद्धि । भुद्धिस्तु प्रयोग-जन्यत्वात्सादि । कनकपाषाणगत सुवर्णस्याणुद्धिरनादिस्त-च्छुद्धिस्तु सादिरिति दृष्टान्तोऽत्रभावनीय ।"

(अष्टसहस्री पृष्ठ २७४ टिप्पणी-४)

अर्थ — अणुद्धशक्ति की व्यक्तिरूप अणुद्धि का सद्भाव अनादिकाल से ही मानना चाहिये क्योंकि यदि उसे सादि माना जाता है तो उससे पूर्व वहां हमें शुद्धि का सद्भाव स्वीकार करना होगा, लेकिन अणुद्धिशक्ति की व्यक्ति के पूर्व शुद्धि का सद्भाव जीवो में नहीं माना जा सकता है क्योंकि अणुद्धि शक्ति की व्यक्तिरूप अणुद्धि के पूर्व जीवों में शुद्धि के स्वीकार करने पर फिर बन्ध का होना असम्भव हो जायगा और ऐसा है नहीं, कि उनमें बन्ध का सर्वथा अभाव ही मान लिया जाय, कारण कि बन्ध के फलस्वरूप शरीरादि की परतत्रता का जीव में प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इस प्रकार बन्ध की उत्पत्ति अणुद्ध दक्षा में ही सम्भव होने से अणुद्धि शक्ति की व्यक्ति रूप अणुद्धि अनादि ही सिद्ध होती है और चूकि शुद्धि शक्ति की व्यक्तिरूप शुद्धि प्रयोग (प्रयत्न) जन्य है अत यह सादि ही सिद्ध होती है। यहा पर इस दृष्टान्त का समन्वय कर लेना चाहिये—िक स्वर्ण पाषाण मे रहने वाले स्वर्ण की अशुद्धि तो अनादि हैं और शुद्धि सादि है।

ऊपर मैंने समम्त ससारी जीवो को भव्य और अभव्य इन दो वर्गों में विभक्त करके भव्यत्व और अभव्यत्व को क्रमश शुद्धि शक्ति और अशुद्धिशक्ति का नाम देकर शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति के विषय में आप्तमीमासा की कारिका ६६ और १०० तथा इनकी टीका अष्टशती और अष्टसहस्री के आधार पर विस्तार से विवेचन किया है। अब प्रकरण के लिये उपयोगी होने के कारण प० फूलचन्द्रजी की विचारधारा को लेकर इस सम्बन्ध में थोडा और विचार किया जाता है।

प० पूलचन्द्र जी ने आप्तमीमासा कारिका १०० का अर्थ करते हुए जो व्याख्यान किया है वह निम्न प्रकार है—

"यहा पर जो ये दो प्रकार की शक्तिया कही गयी है उन द्वारा प्रकारान्तर से उपादानशक्ति का ही प्रतिपादन कर दिया गया है। जीवों मे ये दो प्रकार की शक्तिया होती है। उनमें से अशुद्धि नामक शक्ति की व्यक्ति तो अनादिकाल से प्रति समय होती आ रही है जिसके आश्रय से नाना प्रकार के पुद्गल कर्मों का बन्ध होकर कामादि रूप भाव ससार की सृष्टि होती है। जो अभव्य जीव है उनके इस शक्ति की व्यक्ति अनादि-अनन्त है और जो भव्यजीव हैं उनके इस शक्ति की व्यक्ति अनादि होकर भी सान्त है।"

(जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६८-६९)

यद्यपि प० जी के इस व्याख्यान का मुक्ते यहा पर विरोध नहीं करना है परन्तु इतना निश्चित है कि उनके इस व्याख्यान से कारिका का स्वारस्य समाप्त हो जाता है। प० जी के ही निम्नलिखित कथन से यह बात ठीक तरह से पाठकों की समझ में आ जायगी। वे लिखते हैं—

"इस विषय को स्पष्ट करने के लिये आचार्य महाराज (स्वामी समन्तभद्र) ने पाक्यशक्ति और अपाक्यशक्ति को उदाहरण के रूप मे उपस्थित किया है। आगय यह है कि जिस प्रकार वही उडद अग्नि सयोग को निमित्त कर पकता है जो पाक्य शक्ति से युक्त होता है। जिसमे अपाक्य शक्ति पायी जाती है वह अग्नि सयोग को निमित्त कर त्रिकाल मे नहीं पक सकता ऐसी वस्तु मर्यादा है उसी प्रकार प्रकृत मे जानना चाहिये। यहा पर पाक्यशक्ति युक्त उडद और अपाक्य शक्ति युक्त उडद ऐसा भेद किया गया है जो सब जीवो पर पूर्ण तरह से लागू नहीं होता, क्योंकि भव्यजीवो में शुद्धिशक्ति और अशुद्धि शक्ति का सद्भाव समान रूप से उपलब्ध होता है सो प्रकृत में हण्टान्त को एक देश रूप से ग्राह्म मान कर मुख्यार्थ को फलित कर लेना चाहिये। हण्टान्त में हर्ण्टान्त के सब गुण उपलब्ध होते ही है, ऐसा है भी नहीं। वह तो मुख्यार्थ की सूचना मात्र करता है।"

(जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६६-७०)

मालूम पडता है कि कारिका मे विद्यमान शुद्धिशक्ति का ऊपर लिखे प्रकार अर्थ करने पर जब पं० जी को यह भान हुआ कि उसका मेल दृष्टान्त रूप से उपस्थित पृथक्-पृथक् उद्द मे विद्यमान पाक्यशक्ति और अपाक्यशक्ति के साथ पूरा-

पूरा नही बैठता है तो उन्हें स्पष्ट करना पड़ा कि "हष्टान्त में हर्ष्टान्त के सब गुण उपलब्ध होते ही है ऐसा है भी नहीं, वह तो मुख्यार्थ को सूचना मात्र करता है" लेकिन स्वामी समन्तभद्र जैसे तार्किक महापुरुष यहा पर ऐसा हष्टान्त उपस्थित करेंगे जिसका हष्टान्त के साथ पूरा मेल आवश्यक होने पर भी नहीं बैठता हो—ऐसी कल्पना करना अनुचित ही माना जायगा। अत कारिका में विद्यमान शुद्धि शक्ति का अर्थ भव्यत्व और अशुद्धि शब्द का अर्थ अभव्यत्व करना ही सर्वथा उचित है। इस अर्थ के साथ पाक्य शक्ति और अपाक्य शक्ति का हष्टान्त भी सर्वथा सगत हो जाता है तथा फिर प० जी को हष्टान्त का हर्ष्टान्त के साथ समन्वय करने के लिये उक्त खीचातानी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

श्रीमद्भट्टाकलकदेव और स्वामी विद्यानन्दी ने कारिका का व्याख्यान करते हुए शुद्धिञक्ति का अर्थ भव्यत्व और अशुद्धि शक्ति का अर्थ अभव्यत्व ही किया है। यथा—

"शुद्धिस्तावज्जीवाना भव्यत्व केषाचित्सम्यग्दर्शनादि-योगान्तिश्चियते । अश्रद्धिरभव्यत्व तद्वैपरीत्यात् प्रवर्तनादव-गम्यते छद्मस्थै, प्रत्यक्षतश्चातीन्द्रियार्थदिशिभि । इति भव्येतर स्वभावौ शुद्ध्यशुद्धी जीवाना तेषा सामर्थ्या सामर्थ्ये शक्त्शक्ती इति यावत् । ते माषादिपाक्यापरशक्तिवत् सभाव्येते सुनिश्चि-तासभवद्वाधकप्रमाणत्वात् ।"

अर्थ—यहा पर शुद्धि शब्द का अर्थ भन्यत्व है जो किन्हीं के सम्यग्दर्शन आदि के आधार पर निश्चित होता है । इसी तरह अशुद्धि शब्द का अर्थ यहा पर अभन्यत्व है जो भन्यत्व से विपरीत प्रवर्तन के आधार पर तो छद्म स्थो द्वारा जाना जाता

है तथा अतीद्रिय पदार्थों का दर्शन करने वालो के द्वारा प्रत्यक्ष से जाना जाता है । इस तरह जीवो के भव्यत्व और अभव्यत्व स्वभाव ही क्रमश शुद्धि और अशुद्धि है। इन्हें जीवो की सामर्थ्य और असामर्थ्य अथवा शक्ति और अशक्ति भी कह सकते हैं। इन्हें उडद आदि में पायी जाने वाली पाक्य और अपाक्य शक्तियों की तरह समझना चाहिये। चूकि इनकी अस्तित्व सिद्धि में वाधक प्रमाणों का अभाव है अत इनका सद्भाव पृथक्-पृथक् जीवों में सुनिश्चित समझना चाहिये।

भट्टाकलकदेव ने इस व्याख्यान के साथ प० फूलचन्दजी का भी कोई विरोध नहीं है अत वे लिखते हैं—

"यहा पर जीवो के सम्यग्दर्शनादिरूप परिणाम का नाम शुद्धि शिवत है और मिथ्यादर्शनादिरूप परिणाम का नाम अशुद्धि शिवत है। इस अभिप्राय को घ्यान में रखकर यह व्याख्यान किया है। वैसे शुद्धिशिवत का अर्थ भव्यत्व और अशुद्धिशिवत का अर्थ अभव्यत्व करके भी व्याख्यान किया जा सकता है। भट्ट अकलकदेव ने अष्टशती में और आचार्य विद्यानन्दी ने अष्टसहस्री में सर्वप्रथम इसी अर्थ को घ्यान में रखकर व्याख्यान किया है। इसी अर्थ को घ्यान में रखकर वाचार्य अमृतचन्द्र ने पचास्तिकाय गाथा १२० की टीका में यह वचन लिखा है—"ससारिणो द्विप्रकारा, भव्या अभव्याश्च। ते शुद्धस्वरूपोपलम्भशक्तिसद्भावासद्भावाम्या पाच्यापच्य मुद्गव-दिभिघीयन्त इति।" (जैनतत्त्वमीमासा टिप्पणी पृष्ठ ६९)

प० पूलचन्द्रजी ने आचार्य अमृतचन्द्र का जो उक्त उद्धरण दिया है उसका अर्थ यह है कि ससारी जीव दो प्रकार के हैं—भव्य और अभव्य । जिन जीवो मे अपने स्वरूप की उपलब्धि की योग्यता पायी जाती है वे भव्य और जिन जीवो मे वह योग्यता नही पायी जाती है वे अभव्य कहे गये हैं। जीवो के ये दोनो प्रकार ऐसे जानना चाहिये जैसे पकने योग्य मूग और नही पकने योग्य मूग इस तरह मूगो के दो प्रकार पाये जाते है।

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्र द्वारा विये गये पाक्य और अपाक्य शक्तियों के हण्टान्त से, श्रीमद्भट्टाकलकदेव और स्वामी विद्यानन्दी द्वारा किये गये उल्लिखित व्याख्यान से, पचास्तिकाय गाथा १२० की टीका मे विद्यमान आचार्य अमृत-चन्द्र के उल्लिखित वचन से और श्री प० फूलचन्द्र को भी उनके उल्लिखित वक्तव्य के आधार पर मान्य होने से यही मानना उचित है कि आप्तमीमासा कारिका ६६ व १०० मे पठित शुद्धि और अशुद्धि शब्दों से स्वामी समन्तभद्र को उडद अथवा मूग के पृथक्-पृथक् दानों मे पायी जाने वाली पाक्यशक्ति और अपाक्य शक्तियों की तरह ही भिन्न-भिन्न जीवों में विद्यमान क्रमश भव्यत्व शक्ति और अभव्यत्वशक्ति हो अर्थ स्वीकार है।

आप्तमीमासा कारिका १०० का व्याख्यान करते हुए श्रीमद्भट्टाकलकदेव ने अष्टशती मे और आचार्य विद्यानन्दी ने अष्टसहस्री मे शुद्धि और अशुद्धि शब्दो का निम्नलिखित व्याख्यान भी किया है—

"यदि वा जीवानामभिसन्धिनानात्व शुद्ध्यशुद्धी । स्विनिमित्तवशात् सम्यग्दर्शनादिपरिणामात्मकोऽभि सन्धिः शुद्धि । मिथ्यपदर्शनादि परिणामात्मकोऽशुद्धिर्दोषावरणहानी-तरलक्षणत्वात्तेषा शुद्ध्यशुद्धिशक्तयोरितिभेद माचार्य प्राह । ततोऽन्यत्रापि भव्याभव्याभ्या भव्येष्वेव साद्यनादिप्रकृतशक्तयो-वर्यक्ती सम्यग्दर्शनाद्युत्पत्ते पूर्वमशुद्ध्यभिव्यवतेर्मिथ्यादर्शनादि सतितिरूपाया पुन शक्त्यभिव्यक्ते सादित्वात् ।"

(अष्टसहस्री पृष्ठ - ७४-२७५)

अर्थ-अथवा जीवो मे विद्यमान अभिप्रायो की भिन्नता शुद्धि और अशुद्धि कहलाती है। जैसे अपने-अपने निमित्त से जीव के सम्यग्दर्शनादि परिणाम स्वरूप को शुद्धि व मिथ्यादर्शनादि परिणाम स्वरूप अभिप्राय को अशुद्धि समझना चाहिये । क्योकि जीवो की शुद्धिशक्ति तो दोषो (काम-क्रोधादि भाव कर्मो) तथा आवरणो (ज्ञानावरणादि पौद्गलिक द्रव्यकर्मी) की हानि (विनाश) स्वरूप है और उनकी (जीवो की) अशुद्धिशक्ति उक्त दोषो तथा आवरणो के सद्भाव-रूप है। दोनो शक्तियों में पाये जाने वाले इस भेद (अन्तर) को आचार्य समन्तभद्र ने "साद्यनादी तयोर्व्यक्ती" इस कारिकाश द्वारा कहा है। अत भव्य तथा अभव्य दोनो मे से केवल भव्यो मे प्रकृत शुद्धि और अशुद्धि शक्तियो की व्यक्ति क्रमश सादि और अनादि समझना चाहिये। क्योंकि भव्यों में सम्य-ग्दर्शनादि को उत्पत्ति से पूर्व मिथ्यादर्शनादि की अनादिकाल से चली आ रही परम्परा स्वरूप अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति मे कथचित् अनादियना पाया 'जाता है तथा सम्यग्दर्शनादि की अभिव्यक्ति मे सादिपना पाया जाता है।

आप्तमीमासा को कारिका १०० के व्याख्यान के गर्भ में अष्टशती और अष्टसहस्री में जो उक्त व्याख्यान पाया जाता है, मालूम पडता है, कि प० फूलचन्द्र जी ने इसके आधार पर ही शुद्धि और अशुद्धि शक्दों का अर्थ अपने अभिप्रायानुसार किया है। लेकिन वास्तव में कारिका का वही मुख्यार्थ (अभिवेयार्थ) समझना चाहिये जिसका प्रतिपादन अष्टशती और अष्टसहस्री में सर्वप्रयम किया गया है। पश्चात् किया गया अर्थ सचित अर्थ ही समझना चाहिये।

कथन का सार यह है कि सम्पूर्ण जीवो मे पुद्गलद्रव्य के सयोग से विभावरूप परिणमन करने की योग्यता स्वरूप स्वत सिद्ध अनादि-निधन विभाव शक्ति विद्यमान है। इस विभाव शक्ति के वल पर प्रत्येक जीव अनादिकाल से पृद्गल-द्रव्य के सयोग से विभावरूप परिणमन करता आया है व इसी आधार पर प्रत्येक जीवो को 'ससारी' सज्ञा प्राप्त हुई है। ये ही ससारी जीव अपनी-अपनी भव्यत्व या अभव्यत्व शक्तियो के आघार पर दो भागो मे विभक्त हो गये है तथा इनमे से जो अभन्य जीव है वे सभी अनादिकाल से तो ससारी है ही, लेकिन अनन्तकाल तक ससारी ही वने रहने वाले है। भव्यजीवो मे से अभी तक बहुत से भव्यजीव तो साधनो की अनुकूलता पाकर अपना ससार नष्ट कर चुके हैं तथा बहुत से भव्यजीव साधनो की अनुकूलता प्राप्त करते हुए अपना ससार नष्ट करते जा रहे है। इस तरह भव्य जीवो द्वारा अपना-अपना ससार नष्ट करने को यह प्रक्रिया अनादिकाल से चलती आयी है और अनन्तकाल तक चलती जायगी, कभी इसका अन्त होने वाला नही है।

जीवो का बद्धस्पृष्ट और अबद्धस्पृष्ट रूप में विवेचन

जिन जीवो ने अपना ससार नष्ट कर दिया है उन्हें मुक्त सज्ञा जैनागम प्रदान की गयी है इस तरह अभी तक जितने जीव मुक्त हो चुके है उन सबको आकाश, धर्म, अधर्म और काल की तरह पूर्वोक्त प्रकार अबद्धस्पृष्ट जीवद्रव्य समझना चाहिये क्योंकि वे भी आकाश, धर्म, अधर्म और काल द्रव्यों की तरह दूसरी वस्तुओं के साथ स्पृष्ट होकर तो रह रहे है फिर भी मुक्त दशा को प्राप्त हो जाने के कारण वे अब कभी किसी वस्तु के साथ मिल कर एक पिण्ड का रूप धारण करने वाले नहीं है जैसा कि ससारी जीव पुद्गलद्रव्य के साथ मिल कर एक पिण्ड का रूप घारण किये हुए हैं और यही कारण है कि जिन जीवों ने साधनों की अनुकूलता प्राप्त न होने से अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं की है उन भव्यजीवों और सभी अभव्य जीवों को पुद्गल-द्रव्य के साथ मिल कर एक पिण्डरूप स्थिति में विद्यमान रहने के कारण बद्ध और आकागादि सभी द्रव्यों के साथ स्पष्टरूप स्थिति में रहने के कारण स्पृष्ट—इस तरह बद्धस्पृष्ट जीवद्रव्य मैंने कहना उचित समझा है।

पुद्गलों का भी वद्धस्पृष्ट अवद्धस्पृष्ट रूप में विवेचन

पूर्व मे वतला दिया गया है कि जीवो मे बद्धता का कारण उनमे स्वत सिद्ध रूप से विद्यमान वैभाविकी शक्ति है और यह भी वतला दिया गया है कि यह शक्ति जिस प्रकार जीवो मे है उसी प्रकार पुर्वेगलों में भी है। इस तरह जिस प्रकार जीवो को पुर्वेगलद्रव्य के साथ मिल कर एक पिण्डरूप स्थिति में रहने के कारण बद्ध माना गया है उसी प्रकार पुर्वेगलद्रव्यों को भी जीवों के साथ अथवा अपने से भिन्न पुर्वेगलद्रव्यों के साथ मिलकर एक पिण्डरूप स्थिति में रहने के कारण बद्ध माना गया है। इस तरह जिस प्रकार जीव बद्ध-स्पृष्ट और अबद्धस्पृष्ट दो भागों में विभक्त है उसी प्रकार पुर्वेगलों को भी बद्धस्पृष्ट और अबद्धस्पृष्ट दो भागों में विभक्त समझ लेना चाहिये।

जीवों और पुद्गलों में बद्धस्पृष्टता और अबद्धस्पृष्टता के आधार पर विशेषता

जीवो और पुद्गलो मे बद्धस्पृष्टता और अबद्धस्पृष्टता के आधार पर इस प्रकार की विशेषता समझ लेनी चाहिये कि

सभो जीव अनादिकाल से पुद्गलों के साथ बद्धिस्थित को प्राप्त होकर ही रहते आये हैं लेकिन उनमें से जिन जीवों ने पुरुषार्थ द्वारा अपनी उस बद्धिस्थित को समाप्त कर अबद्धिस्थित को प्राप्त कर लिया है वे अब कभी बद्धिस्थित को प्राप्त नहीं होंगे। पुद्गलद्वयों में यह विशेषता है कि कोई पुद्गल तो अनादिकाल से जीवो अथवा पुद्गलों के साथ बद्धिस्थित को प्राप्त हो रहे हैं और यदि उनकी वह बद्ध समाप्त भी हुई है तो पुनः बद्धिस्थित को प्राप्त हो गये है या हो सकते हैं। इसी प्रकार कोई पुद्गल अनादिकाल से अबद्धिश्थित को प्राप्त होकर भी रह रहे है परन्तु वे आगे चल कर यथायोग्य जीव अथवा पुद्गलों के साथ बद्ध-स्थित को भी प्राप्त हुए हैं और आगे भी बद्धस्थित को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार जीवो आर पुद्गलों में परस्पर जो विशेपतायें सम्भव है वे नीचे प्रकार है।

- (१) सभी अनन्तानन्त जीव अनादिकाल से यथायोग्य पुद्गलों के साथ वद्ध होकर ही रहते आये है जबिक समस्त पुद्गलों में से वहुत से पुद्गल तो अनादिकाल से जीवो अथवा दूसरे पुद्गलों के साथ वद्ध होकर रहते आये हैं और बहुत से अबद्ध होकर भी रहते आये हैं।
- (२) अनादिकाल से उक्त प्रकार से बद्धता प्राप्त सभी जीवों में से बहुत से जीवों ने आगे चलकर अपनी बद्धस्थिति को समाप्त कर दिया है और बहुत से जीव अपनी उस बद्धस्थिति को समाप्त करते जा रहे हैं। इस तरह जीवों द्वारा अपनी बद्धस्थिति को समाप्त करने की इस प्रक्रिया का आगे चलकर कभी अन्त होने वाला नहीं है, लेकिन जिन जीवों ने अपनी बद्धस्थिति को समाप्त कर दिया है अथवा जो जीव अपनी बद्धस्थिति को समाप्त करते जा रहे हैं वे सब आगे चलकर

कभी पुन वढ़िस्थिति को न तो प्राप्त हुए है और न प्राप्त होवेंगे।
पुद्गलद्रव्यों में वढ़िस्थिति की प्रक्रिया में जीवों की वढ़िस्थिति
की प्रक्रिया से यह विशेषता है कि जो पुद्गल अनादिकाल से
अवद्धस्थिति को प्राप्त रहे है उन्होंने अपनी उस अवद्धस्थिति को
समाप्त कर वढ़िस्थिति को भी प्राप्त किया है व प्राप्त कर सकते
है। इसी प्रकार जो पुद्गल अनादिकाल से वढ़िस्थिति को प्राप्त
रहे हैं उन्होंने भी अपनी उस वढ़िस्थिति को समाप्त कर
अवद्धस्थिति को प्राप्त किया है व आगे प्राप्त कर सकते है। इस
तरह सभी पुद्गल अपनी अवद्धस्थिति को समाप्त कर अवद्धहिथिति को प्राप्त होते रहते हैं।

- (३) एक जीव कभी दूसरे जीव के साथ वद्ध नहीं होता केवल पुद्गल के साथ ही वद्ध होता है जब कि पुद्गल जीव और पुद्गल दोनों के साथ यथायोग्य वद्धता को प्राप्त करता रहता है।
- (४) अनादिकाल से वहस्थिति को प्राप्त समस्त जीवों में से बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें अपनी वहस्थिति को समाप्त करने की योग्यता तो पायी जाती है परन्तु वे कभी अपनी उस वहस्थिति को समाप्त नहीं करेंगे, परन्तु बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिनमें अपनी वहस्थिति को समाप्त करने की योग्यता ही नहीं है। सभी पुद्गलों में अपनी वहस्थिति को समाप्त कर अबहस्थिति प्राप्त करने की और अबहस्थिति को समाप्त कर वहस्थिति प्राप्त करने की योग्यता विद्यमान है।
- (५) पुद्गलद्रव्यो का यह स्वभाव भी है कि जो पुद्गल अपनी वर्तमान स्थिति मे जीवो अथवा अन्य पुद्गलो के

साथ बद्ध होने की योग्यता नहीं रखते हैं वे आगे चल कर उस योग्यता को भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुरूप से परिणत पुद्गल अपनी वर्तमान स्थिति में यद्यपि एक दूसरे रूप परिणत नहीं हो सकते हैं परन्तु आगे चलकर उस योग्यता का सम्पादन कर वे परस्पर एक दूसरे रूप भी परिणत हो जाया करते हैं। यहीं कारण है कि जैन दर्शन में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप से परिणत होने वाले स्वतन्त्र स्वतन्त्र पुद्गल नहीं स्वीकार किये गये हैं। इसी प्रकार कोई भी पुद्गल कभी कर्मवर्गणा की और कभी नौकर्मवर्गणा की योग्यता सम्पादन कर जीव का निमित्त पाकर कर्मरूप और नोकर्मरूप परिणत हो जाया करते हैं।

पुद्गलद्रव्यो का जितना वस्तु विज्ञान की दृष्टि से विवेचन किया जा सकता है वह तत्त्वार्थ सूत्र के पचम अध्याय मे निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर किया गया है।

"स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त पुद्गला ॥ २३॥, शव्दवन्ध-सौक्ष्मय स्थौल्यसस्थानभेदतमञ्ज्ञायातपोद्यतवन्तञ्च ॥ २४॥, अणव स्कन्धाश्च ॥ २४॥, भेदसघातेम्य उत्पद्यन्ते ॥ २६॥, भेदादरणु ॥ २७॥, भेदसघाताम्याचाक्षुष ॥ २८॥, स्निग्धरू-क्षत्वाद्वन्ध ॥ ३२॥, न जघन्यगुणानाम् ॥ ३३॥, गुणसाम्ये सहशानाम् ॥ ३४॥, द्वचिधादिगुणाना तु ॥३४॥ वन्धेऽधिकौ , पारिणाम कौ च ॥ ३६॥"

अर्थ--पुर्गल रूप, रस, गन्ध और वर्ण वाले होते है। शब्द, वन्ध, सीक्ष्म्य, स्थौल्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत ये उनकी पर्याये हैं। वे पुर्गल अरगु और स्कन्ध के भेद से दो प्रकार के होते है। इन दोनो प्रकार के पुद्गलो का

निर्माण क्रमण भेट और गहात ने होता है (अर्थात पृद्गत रक्तियों की राज्यन क्रिया अगुरूप पुद्कल के निर्माण में कारण है और अगु रूर, पृद्गलों को सञ्चोत (यात्रुटन) रकन्य नप पुद्गलों के निर्माण में फारण हैं। लेकिन यहाँ उनना विशेष समञना चाहिये कि बढे पुरुषत स्वत्यों से छण्डन क्रिया (भेद) के आघार पर छोटे सक्यो का और छोटे रजन्यों से सङ्गठन क्रिया (राज्ञात) के आधार पर बंधे राज्यों का भी निर्माण होता है।) अगुओं की उत्रनि भेद से होती है सवात में नही होती। चाधुव स्कन्यों की उत्पत्ति भेद और नवात दोनों के आघार पर होती है। बन्ध (सङ्घात) का कारण पृद्गलो मे वित्रमान स्निग्वता और म्धता नाम के गुण है। लेकिन स्निग्वता और एक्षना के जवन्य अग बन्च के कारण नहीं होते हैं और स्निग्धता अथवा रुक्ता के ममान अश वाले पुद्गल यदि सहग अर्थान् स्निग्ध-स्निग्ध अयवा मध-मध भी हो तो भी बन्ध नही होना है। उन तरह स्निग्ध-स्निग्ध अयवा रुझ-रुध या स्निग्ध रुझ पुद्गलो का यदि बन्ध हो रहा हो तो वहां एक स्निग्ध मे दूसरे स्निग्ध के, एक मक्ष से दूसरे रुक्ष के तथा स्निग्च ने रुझ के अथवा रुझ से निनम्ब के दो गुण अधिक होना अधिक आवश्यक है। इस तरह बन्ध के अवसर पर जिसके दो गुण अधिक होंगे उस रूप दूसरा पुद्गल परिणत हो जाया करता है। यहाँ इतना विशेष अवश्य समजना चाहिये कि बन्ध होने पर दोनो किसी एक रूपन होकर तीसरो अवस्था को हो प्राप्त हो जाते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण वैज्ञानिक दृष्टि की अधिकाधिक अपेक्षा रखता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वन्ध और उसके विवेचन-

पुद्गल स्कन्धो अथवा पुद्गलाराषुओ के निर्माण की वस्तु-विज्ञान की दृष्टि से उपर्युक्त प्रक्रिया है। अध्यातम विज्ञान

की दृष्टि मे होने वाली बन्ध प्रक्रिया इससे भिन्न है कारण कि बहा पुद्गल पुद्गल के साथ बद्ध न होकर आत्मा पुद्गल के साथ अथवा पुद्गल आत्मा के साथ बद्ध होता है। इसी तरह अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बद्ध आत्मा और पुद्गल के पृथक्करण (भेद) की प्रक्रिया भी बद्ध पुद्गलों के पृथक्करण (भेद) की प्रक्रिया से भिन्न जानना चाहिये। गोम्मटसार कर्मकाण्ड आदि ग्रन्थों में इसका ही विवेचन किया गया है तथा बद्ध होने व पृथक् होने पर जो आत्मा और पुद्गल की अवस्थाये (परि-णतियाँ) बनतों है उनका विवेचन गोम्मटसार जीवकाण्ड आदि ग्रन्थों में किया गया है।

अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से होने वाले बन्ध में आत्मा कार्मणवर्गणा रूप और नोकर्मवर्गणा रूप पुद्गलो से अथवा कार्माणगंवणा रूप और नोकर्मवर्गणा रूप पुद्गलो का अर्थ है होते हैं—यह नियम है। कार्माणवर्गणारूप पुद्गलों का अर्थ है ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणत होने की योग्यता रखने वाले पुद्गल और नोकर्म वर्गणारूप पुद्गलों का अर्थ है ज्ञारीरादि नोकर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखने वाले पुद्गल। यह भी नियम है कि कार्माणवर्गणारूप और नोकर्मवर्गणारूप पुद्गलों का क्रमश कर्मरूप और नोकर्मरूप परिणमन आत्मा के प्रतिनियत परिणमन का निमित्त मिलने पर ही होता है और जब कार्माणवर्गणारूप पुद्गल कर्मरूप तथा नोकर्मवर्गणारूप पुद्गल नोकर्म परिणत हो जाते हैं तो यथाकाल होने वाले उनके प्रतिनियत परिणमन आत्मा के प्रतिनियत परिणमन आत्मा के प्रतिनियत परिणमन के निमित्त होते है। जैसा कि समयसार गाथा ६ में कहा गया है—

"जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणमति । पुग्गल कम्मणि।मत्त तहेव जीवो वि परिणसइ ॥" अर्थात् जीव के परिणामो का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म रूप परिणत होते है और पुद्गल कर्मों का निमित्त पाकर जीव भी अपनी योग्यतानुसार तदनुकूल परिणत हुआ करता है।

यद्यपि ऊपर मै यह वतला चुका हूँ कि कार्माण वर्गणा ही कर्म रूप परिणत होती है और नोकर्म वर्गणा ही नोकर्मरूप परिणत होती है परन्तु यहाँ मै इतनी वात और वतला देना चाहता हूँ कि कार्माणवर्गणा मे स्थित पुद्गल कालान्तर मे नोकर्मवर्गणा का अथवा और दूसरे प्रकार का रूप भी घारण कर लिया करते हैं व नोकर्मवर्गणा मे स्थित पूद्गल भी काला-न्तर मे कर्माणवर्गणा का अथवा और दूसरे प्रकार का रूप घारण कर लिया करते हैं, इसी प्रकार और दूसरे प्रकार के पूर्गल भी कालान्तर मे कार्माणवर्गणा का या नौकर्मवर्गणा का रूप घारण कर लिया करते हैं। इतना हो नही, एक प्रकार को कार्माणवर्गणा के पुद्गल कालान्तर मे दूसरी कार्माणवर्गणा का रूप घारणा कर लिया करते हैं और एक प्रकार की नोकर्म-वर्गणा के पुद्गल भी कालान्तर मे दूसरी नोकर्मवर्गणा का रूप धारण कर लिया करते हैं । इस प्रसङ्ग मे प० फूलचन्द्रजी ने जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ १६६ पर निम्नलिखित किया है -

"कर्मवन्ध होने के पहले सब कार्माणवर्गणाये एक प्रकार की होती है या सब कर्मों की अलग-अलग वर्गणायें होती हैं ? साथ ही यह भी देखना है कि कार्माणवर्गणाये ही कर्मरूप क्यो परिणत होती हैं अन्य वर्गणाये निमित्तों के द्वारा कर्मरूप परिणत क्यो नहीं हो जाती ? यद्यपि ये प्रश्न थोड़े जिटल तो प्रतीत होते हैं परन्तु शास्त्रीय व्यवस्थाओ पर ध्यान

देने से इनका समाधान हो जाता है। शास्त्रों में वतलाया गया है कि योग के निमित्त से प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध होता है। अब थोडा इस कथन पर विचार कीजिये कि क्या योग सामान्य से कार्माणवर्गणाओं के ग्रहण में निमित्त होकर ज्ञाना-वरणादिरूप से उनके विभाग में निमित्त होता है या ज्ञानावरणा-दिरूप से जो कार्माणवर्गणाये पहले से अवस्थित हैं उनके ग्रहण में निमित्त होता है? इनमें से पहली वात तो मान्य नहीं हो सकती है क्योंकि कार्माणवर्गणाओं में ज्ञानावरणादिरूप स्वभाव पैदा करने में योग की निमित्तता नहीं है। जो जिस रूप में है उनका उसी रूप में ग्रहण हो—इसमें योग निमित्त होता है।"

इस कथन से प० फूलचन्द्रजी ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञानावरणादि आठो कर्मों की कार्माणवर्गणाये अलग-अलग है और योग के निमित्त से आठो प्रकार की वर्गणायें अपने-अपने ज्ञानावरणादि नियतरूप रूप से आत्मा के साथ सम्बन्ध कर लेती हैं। इसकी पुष्टि मे उन्होंने वीरसेन आचार्य का वर्गणाखड़ बन्धन अनुयोग द्वार चूलिका वाला कथन भी वहाँ पर उद्धृत किया है।

प० फूराचन्द्रजी ने जो उक्त कथन किया है उसमे उनका अभिप्राय निमित्तभूत योग को ज्ञानावरणादि कर्मों की कार्माण वर्गणाओं का जीव के साथ वधने में अकिचित्कर वतलाना है। परन्तु इस प्रकार वे अपने इस अभिप्राय की पृष्टि नहीं कर सके है। इसका स्पष्टोकरण निम्न प्रकार है—

मैं, जैसा कि ऊपर बतला दिया है, मानता हूँ कि ज्ञाना-वरण कर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखने वाली कार्माण-वर्गणा ही योग के निमित्त से आत्मा के साथ सम्बन्ध करके ज्ञानावरण कर्मरूप परिणत होती है व दर्शनावरण कर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखने वाली कार्माणवर्गणा ही योग के निमित्ता से आत्मा के साथ सम्बन्ध करके दर्शनावरण कर्म रूप परिणत होती है इसलिए विवाद इस वात मे नहीं है, परन्तु इससे ज्ञानावरणादि कर्मों की कार्माणवर्गणाओ का जीव के साथ वधने मे योग अकिचित्कर कैसे सिद्ध हो सकता है ? जविक प्रत्येक कार्माणवर्गणा योग के सद्भाव मे ही आत्मा के साथ वन्य को प्राप्त होती है व योग के अभाव मे कभी वन्य को प्राप्त नही होती है। यह एक आश्चर्य की वात है कि एक ओर तो उपर्यु क्त कथन मे स्वय प० फूलचन्द्रजी योग को कार्माणवर्ग-णाओं का आत्मा के साथ वधने में निमित्तरूपसे कारण स्वीकार करते है और दूसरो ओर उस वन्ध मे योग को अकिचित्कर भी मानते है। इस विषय पर आगे विस्तृत रूप से विचार किया जायगा । यहाँ पर प० जी के उपयुक्त कथन को उद्वृत करने मे मेरा मूख्य अभिप्राय इतना ही है कि उनकी उक्त विचारघारा के आगे इतन। और जोडना है कि एक जाति की वर्गणा के पुद्-गल वहाँ से पृथक् होकर दूसरी जाति की वर्गणा मे भी मिल जाते हैं तथा इस तरह पहली जाति की वर्गणा के रूप मे छोड-कर उस दूसरी जाति की वर्गणा के रूप को धारण कर लेते है।

बद्ध स्पृष्टता और अवद्ध स्पृष्टता का उपसंहार

ऊपर किये गये कयन का सार यह है कि आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और सभी काल द्रव्य ये सव अनादि काल से अबद्ध स्पृष्ट स्थिति को घारण किये हुए' हैं और आगे भी सतत इसी अबद्ध स्पृष्ट स्थिति में हो रहने वाले हैं। जीव नाम के सभी द्रव्य अनादिकाल से यद्यपि वद्धस्पृष्ट स्थिति को धारण करते आये है परन्तु आगे चलकर उनमे से बहुत से जीव पुरु-पार्थ द्वारा अपनी बद्ध स्थिति को समाप्त कर अबद्ध स्थिति को प्राप्त कर चुके है तथा बहुत से जीवो मे अपनी बद्ध स्थिति को समाप्त कर अवद्ध स्थिति को प्राप्त करने की यह प्रक्रिया अभी भी चालू है और अनन्त काल तक वरावर चालू रहेगी। जीवो मे बहुत से जीव ऐसे भो हैं, जिनमे अपनी अनादि कालीन बद्ध-स्थित को समाप्त करने को योग्यता रहते हुये भी वे कभी अवद्ध स्थिति को प्राप्त नही होगे तथा जिन जीवो मे अपनी अनादि कालीन बद्धस्थिति को समाप्त करने की योग्यता ही नही है वे भी हमेशा वद्धस्थिति मे रहेगे। सभी पुद्गल द्रव्यो मे व्यवस्था यह हैं कि अबद्धस्यिति को प्राप्त पुद्गल कालान्तर मे बद्धस्थिति को प्राप्त हो जाता है और बद्धस्थिति प्राप्त पुद्गल काला-न्तर मे अवद्धस्थिति को भी प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव जो एक वार अपनी बद्धस्थिति को समाप्त कर अबद्धस्थिति को प्राप्त हो जाता है पुन कभी बद्धस्थिति को प्राप्त नही होता ।

इस प्रकार यह वात निश्चित हो जाती है कि विश्व में जितने पदार्थ है वे सब बद्धस्पृष्ट और अबद्धस्पृष्ट इस तरह दो वर्गों में विभक्त है। इन पदार्थों में यथासम्भव पायी जाने वाली बद्धता और स्पृष्टता दोनो ही पृथक्-पृथक् दो आदि पदार्थों की सयोग विशेष रूप अवस्थाये है। स्पृष्टता तो सब पदार्थों में एक दूसरे पदार्थों के साथ यथायोग्य रूप में सदा बनी रहती है परन्तु बद्धता केवल जीव और पुद्गल नाम के पदार्थों में ही सम्भव हुआ करती है। जीवों की बद्धता केवल पुद्गल द्रव्यों के साथ सम्भव है परन्तु पुद्गल द्रव्यों की बद्धता यथायोग्य जीवों तथा पुद्गलों दोनों के साथ सम्भव है।

द्रव्यों को अर्थपर्यायें और व्यंजनपर्यायें

सभी द्रव्य परिणमन स्वभाव वाले हैं—यह वात पूर्व में वतलायी जा चुको है यहा पर मैं यह वतलाना चाहता हूँ कि द्रव्यों के परिणमन अर्थपर्यायों और व्यजनपर्यायों के रूप में हुआ करते हैं। द्रव्यों की स्वभाव पर्यायों या गुणपर्यायों को आगम में अर्थपर्याय नाम दिया गया है और उनकी द्रव्यपर्यायों को व्यजनपर्याय नाम दिया गया है। यथा—

''गुरापर्यायाणामिह के चिन्नामान्तर चदन्ति बुधाः । अर्थो गुरा इति वा स्यादेकार्यादर्यपर्यया इति च ॥ ६२ ॥ अपि चोद्दिष्टाना मिह देशारोद्दे व्य पर्ययाणां हि । व्यजन पर्याया इति के चिन्नामान्तर चदन्ति चुधा ॥ ६३ ॥ (पचाध्यायो अध्याय १)

अर्थ—विद्वानो ने गुणपर्यायों का ही अपरनाम अथपयाय कहा है और द्रव्यपर्यायों का ही अपरनाम व्यजनपर्याय कहा है। क्यों कि अर्थ तथा गुण एक से अर्थ के वोधक शब्द हैं तथा देशाशों पर (द्रव्य के अशों) को ही द्रव्यपर्याय कहते है।

इस कथन से यह भलीभाति सिद्ध हो जाता है कि स्वभावपर्यायें, गुगपर्यायें और अर्थपर्यायें एक हैं और द्रव्यपयिं व व्यजनपर्याये एक हैं।

अधेपर्यायो का विवेचन

पूर्व कथनांनुसार स्वभावपर्यायें या गुणपर्याये दो प्रकार की होती हैं—एक स्वप्रत्यय और दूसरी स्वपरप्रत्यय। इस तरह स्वभाव अथवा गुणपर्यायाओं से अभिन्न होने के कारण अर्थपर्यायों के भी स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय ऐसे दो भेद जानना चाहिये। पूर्व कथनानुसार यह भी जानना चाहिये कि अगुरुलघु गुण के शक्तयशो (अविभागि प्रतिच्छेदो) मे षड्गुण हानि वृद्धिरूप स्वभाव या गुणपर्याये ही स्वप्रत्यय अर्थपर्याये है तथा इन्हे छोड कर जितनो स्वभाव या गुणपर्याये है वे सब स्वपरप्रत्यय अर्थपर्याये है। जैसे आकाश उन सब पदार्थों को अवगाहित कर रहा है जो विश्व में विद्यमान है लेकिन आकाश का पदार्यों को अवगाहित करने का स्वभाव असीमित है अर्थात् विश्व में जितने पदार्थ विद्यमान है उनसे भो अनन्तगूरो पटार्थ यदि विद्यमान होते तो उन्हें भी आकाश अपने अन्दर अवगाहित कर सकता है। इससे जाना जाता है कि आकाश का पदार्थी को अवगाहित करने रूप परिणमन पदार्थाधीन होने से स्वपरप्रत्यय है। यही वात धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य और जीवद्रव्य के स्वभाव के विषय मे भी जान लेना चाहिये । मै पूर्व मे बतला चुका हूँ कि प० फूलचन्द्रजी केवलज्ञान के विषय में स्वय यह वात स्वीकार करते है कि केवलज्ञान में विश्व के समस्त विद्यमान पदार्थों से अनन्तगृरो पदार्थों को जानने की योग्यता रहते हुए भी केवल उन्हीं पदार्थों को जानता है जो पदार्थ विद्यमान है। इस तरह अविद्यमान पदार्थ को न जानने का कारण केवलज्ञान मे उस जाति की योग्यता का अभाव नही है किन्तु पदार्थों का असद्भाव ही उसमे कारण है। आगम भी यही बतलाता है।

उपर्युक्त कथन के अनुसार यह निष्कर्प निकल आता है कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन करने का स्वभाव तो असीमित ही होता है परन्तु वे परिणमन यदि परसापेक्ष हो तो उनमें से उसका वही परिणमन होगा जिसके अनुकूल पर की सहायता प्राप्त रहेगी। जैसे कुम्हार का घटनिर्माण का स्वभाव असीमित है लेकिन वह निर्माण उसी घट का करता है जिसके अनुकूल उसे उपादान सामग्री तथा अन्य सहायक सामग्री प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार मिट्टी की योग्यताये तो असीमित हैं परन्तु उससे वही कार्य निष्पन्न होना है जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री की समग्रता उसे प्राप्त हो जाती है।

पूर्व मे स्वप्तत्यय परिणमन को स्वसापेक्ष परिनरपेक्ष अथवा केवल परिनरपेक्ष परिणमन भी कहा गया है इसी प्रकार स्वपरप्रत्यय परिणमन को स्वपरसापेक्ष अथवा केवल परसापेक्ष परिणमन भी कहा गया है वैसा यहा भी समझना चाहिये तथा 'स्व' का अर्थ उपादान और 'पर' का अर्थ निमित्त पूर्व मे जो कहा गया है वही वात यहा भी समझ लेना चाहिये।

व्यंजनपर्यायो का विवेचन

उपर्युक्त प्रकार अर्थपर्यायो का विवेचन करने के अनन्तर अव यहा व्यजनपर्यायो का विवेचन किया जा रहा है।

यह वात भी पूर्व मे स्पष्ट हो चुकी है कि विश्व के समस्त पदार्थ वद्धस्पृष्ट और अबद्धस्पृष्ट दो भागों मे विभक्त है अर्थात् विश्व के बहुत से पदार्थों मे पर-पदार्थ के साथ बद्धता और स्पृष्टता दोनो वातें पायी जाती है और बहुत से पदार्थों में केवल स्पृष्टता ही पायी जाती है बद्धता नही पायी जाती । आकाश, धर्म, अधर्म ये तीनो द्रव्य और समस्त कालद्रव्य तथा समस्त जीवों में से केवल मुक्त जीव एव समस्त पुद्गल द्रव्यों में केवल अर्गुष्ट्प स्थिति को प्राप्त पुद्गलद्रव्य ये सब अबद्धस्पृष्ट पदार्थ हैं क्योंकि ये सब पदार्थ एक दूसरे पदार्थ के साथ बद्ध न

होकर केवल स्पृष्ट होकर हो रह रहे है। इन्हे छोड कर सम्पूर्ण ससारी जीव और सम्पूर्ण स्कन्धरूप पुद्गल ये सव वद्धस्पृष्ट पदार्थ हैं। क्योंकि ससारी जीव तो कर्म व नोकर्मरूप पुद्गलों के साथ तथा पुद्गल जीवो या दूसरे पुद्गलों के साथ वद्धता को भी प्राप्त हो रहे है और स्पृष्ट भी हो रहे है।

इस प्रकार आकाश, धर्म, अधर्म, समस्त काल, मुक्तजीव और अगुरूपता को प्राप्त पुद्गल इन सब पदार्थों की परस्पर एक दूसरे पदार्थ के साथ विद्यमान स्पृष्टता रूप सयोग के आधार पर जो पर्याये वनती रहती है वे सब स्पृष्टद्रव्य पर्याये है और पुद्गल के साथ बद्धजीवो तथा जीव व अन्य पुद्गलों के साथ बद्ध पुद्गलद्रव्यों की जितनी स्पृष्टतारूप सयोग के आधार पर द्रव्यपर्याये होती हैं वे सब तो स्पृष्ट द्रव्यपर्याये है तथा जितनी बद्धतारूप सयोग के आधार पर द्रव्यपर्याये होती है वे सब बद्धद्रव्यपर्याये है। ये स्पृष्टरूप और बद्धरूप दोनों ही प्रकार की सभी पर्याये व्यजनपर्याये कहलाती है और ये सभी स्वपरप्रत्यय ही हुआ करती हैं। क्योंकि ये पर्याये पर (निमित्ता) का योग पाकर स्व (उपादान) में उत्पन्न हुआ करती है। अर्थात् जिस पदार्थ में वह पर्याय उत्पन्न होती है वह उसमे उपादान कारण होता है और जिन पदार्थों के योग से वह पर्याय उत्पन्न होती है वे उसमे निमित्तकारण होते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह वात निर्णीत हो जाती है कि स्वभाव, गुण या अर्थरूपपर्याये तो स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दोनो प्रकार की होती है लेकिन स्पृष्ट और बद्ध दोनो ही प्रकार की द्रव्य या व्यजनरूप पर्याये केवल स्वपरप्रत्यय ही हुआ करती है स्वप्रत्यय नहीं होती। द्रव्य या व्यजनपर्यायो

के स्वप्रत्यय न होने का कारण यह है कि प्रत्येक द्रव्य, के जितने अश (प्रदेश) नियत है उनमे कभी घटा वढी नही होती है। इसका आशय यह है कि पुद्गल के दो अग्रु मिल कर द्वचग्रुक नाम का एक मिला हुआ द्रव्य भले ही वन जावे परन्तु उम मिली हुई अवस्था में अगु सर्वदा एक प्रदेश वाला ही रहेगा जैसा कि अपनी पृथक् अवस्था मे वह एक प्रदेश वाला रहता है। इसी प्रकार द्वचगुक भी हमेशा दो प्रदेश वाला ही रहेगा। अर्थात् अरणु कभी दो आदि प्रदेशो वाला नही होता हमेशा एक प्रदेश वाला हो रहा करता है । इसी प्रकार द्वचएाक कभी एक प्रदेश वाला या तीन आदि प्रदेशो वाला नही होता हमेशा दो प्रदेश वाला ही रहा करता है। यहा इस कथन का यह आशय नहीं लेना चाहिये कि द्वचराज़ कभी विषटित नहीं होता अथवा मिलकर त्र्यसुक आदि नही बनता, किन्तु यही आशय लेना चाहिये कि जब तक दो अगु परस्पर वन्य को प्राप्त हैं तभी तक वह द्वचणुक है विघटित होने पर द्वचणुक सज्ञा भी समाप्त हो जायगी। इसी प्रकार द्वचरापुक से त्र्यरापुक बन जाने पर भी द्वचराक सज्ञा समाप्त हो जायगी। यही व्यवस्था आकाशादि द्रव्यों के विषय में भी जानना चाहिये। अर्थात् जन-संस्कृति में आकाशद्रव्य को नियत परिमाण मे अनन्त प्रदेशो, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और प्रत्येक जीव द्रव्य की नियत परिमाण मे असख्यात प्रदेशी और प्रत्येक कालद्रव्य को नियत परिमाण मे एक प्रदेशी जो स्वीकार किया गया है तो इनके प्रदेशों में कभी घटा वढ़ी होने वाली नही है। जीवो मे जो शरीर के आधार पर सकोच अथवा विस्तार उनके आकार का होता है तो वहा पर भी प्रदेशों की घटा वढी नहीं होती है।

इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशों की घटा वढी के आधार पर कोई द्रव्यपर्याय नहीं बनती है उनमें तो केवल परद्रव्य के साथ होने वाली स्पृष्टता अथवा बद्धता के आधार पर ही यथायोग्य द्रव्यपर्याये बनती है और चूकि उनकी वे पर्याये परद्रव्य के स्पृष्टता अथवा बद्धतारूप सयोग के आधार पर ही बनती है अत वे सभी द्रव्यपर्याये स्वपरप्रत्यय ही है स्वप्रत्यय नहीं।

बद्धजीवद्रव्यों की यथायोग्य पुद्गल द्रव्य के साथ विद्यमान बद्धतारूप सयोग का सर्वथा विच्छेद होने पर जो अबद्धगर्याये होती है इसी प्रकार बद्धपुद्गल द्रव्यो की भी यथायोग्य जीवद्रव्यो अथवा अन्य पुद्गलद्रव्यो के साथ विद्यमान बद्धतारूप सयोग का विच्छेद होने पर जो अबद्धपर्याये होती है उन सब पर्यायो को भी स्पृष्टद्रव्यपर्यायो के अन्तर्गत समझना चाहिये। क्योंकि बद्धतारूप सयोग का विच्छेद हो जाने पर भी स्पृष्टतारूप सयोग तो वहा पर बना ही रहता है। इस प्रकार इन सब द्रव्यपर्यायों को स्वपरप्रत्यय पर्याये मानने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। बद्धजीवों और पुद्गलों की बद्धपर्याय का विच्छेद होने पर जो पर्याये होती हैं उन्हें यदि अबद्धपर्याय हो कहा जाय तो वह पर्याय भी स्वपरप्रत्यय हो है क्योंकि उस पर्याय में परद्रव्य के साथ पूर्व में विद्यमान बद्धतारूप सयोग का विच्छेद निमित्तकारण होता है।

जीव का पुद्गल के साथ वद्धतारूप संयोग वास्तविक है

जीव का पुद्गलद्रव्य के साथ जो वद्धतारूप सयोग होता है वह वास्तविक है परन्तु प० फूलचन्द्रजी उसे अवास्तविक (उपचरित) मानते है जैसा कि उनके निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होता है।

"जीव को ससार और मुक्त अवस्था है ओर वह वास्त-विक है इसमे सन्देह नहो । पर इस आवार से कर्म और आत्मा के मश्लेप रूप सम्बन्ध को वास्तविक मानना उचित नहीं है। जीव का ससार उसकी पर्याय में है और मुक्ति भी उसी की पर्याय मे ही है। ये वास्तविक हैं और कर्म तथा आत्मा का सक्लेप-सम्बन्ध उपचरित है। स्वय सक्लेप-सम्बन्ध यह शब्द ही जीव और कर्म के पृथक्-पृथक् होने का ख्यापन करता है । इसीलिए यथार्थ अर्थ का ख्यापन करते हुये शास्त्रकारो ने यह वचन कहा है कि जिस समय आत्मा शुभ भावरूप से परिणत होता है उस समय वह स्वय शुभ है, जित समय अशुभ भाव रूप से परिणत होता है उस समय वह स्वय अश्भ है और जिस समय शुद्ध भावरूप से परिणत होता है उस समय वह स्वय शुद्ध है। यह कथन एक ही द्रव्य के आश्रय से किया गया है दो द्रव्यो के आश्रय से नहीं, इसलिए परमार्थभूत है और कर्मों के कारण जीव शुभ या अशुभ होता है और कर्मों का अभाव होने पर वह शुद्ध होता है यह कथन उपचरित होने से अपरमार्थभूत है, क्योंकि जब दोनो द्रव्य स्वतन्त्र है और एक द्रव्य के गुण धर्म का दूसरे द्रव्य मे सक्रमण होता नहीं, तव एक द्रव्य मे दूसरे द्रव्य का कारणरूप गुण और दूसरे द्रव्य मे उसका कर्मरूप गुण कसे रह सकता है ? अर्थात् नही रह सकता।"

(जनतत्वमीमासा पृष्ठ १८-१६ विषय प्रवेश प्रकरण)

प० फूलचन्द्रजी का जो यह कथन मैने उद्धृत किया है यदि उस पर घ्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि उन्होंने उसमे जैनतत्त्वमीमासा पुस्तक की पूरी भूमिका बतलादी है। लेकिन इसमे तथ्याश होते हुए भो मुक्ते मजबूर होकर यह कहना पडता है कि वस्तु तत्त्व का सही निर्णय करने के लिए यह कथन उपयोगी साधन नही है, क्यों कि इसमे अधूरापन विद्यमान है। यही कारण है कि जैनतत्त्वमीमासा में इसी के आधार पर एकागी दृष्टिकोण का प्रतिपादन होने के कारण वह स्वय मीमासा का विषय बन गई है।

मेरे इस कथन का तात्पर्य यह है कि प० फूलचन्द्रजी ने अपने उल्लिखित कथन मे जो यह कहा है कि जीव की ससार और मुक्ति दो तो अवस्थाये वास्तिवक हैं तथा कर्म और आत्मा का सक्लेषरूप सम्बन्ध उपचरित है—इसमे उपचरित शब्द से दो अर्थों का ग्रहण हो सकता है एक तो यह कि कर्म और आत्मा कभी सिश्लष्ट ही नहीं होते इसलिए इन दोनों में सक्लेष-सबन्ध का सद्भाव कल्पित है और दूसरा यह कि कर्म और आत्मा य दोनों सिश्लष्ट तो होते हैं लेकिन यह सक्लेष दो आदि पदार्थों में होने के कारण इसमें एकाश्रयता का अभाव रहता है इसलिए उपचरित शब्द से पुकारा जाता है।

इन दोनो अर्थों मे से प० जी को यदि पहला अर्थ अभीष्ट है तो इसमे निम्नलिखित आपत्तिया उपस्थित होती है—

(१) पहली आपिता यह है कि कर्म और आत्मा के सक्लेषरूप सम्बन्ध को किल्पत मानने से आगम का विरोध है क्योंकि आगम में कर्म और आत्मा के सक्लेषरूप सम्बन्ध को ऐसा उपचरित नहीं माना गया है कि वह असन्द्रावात्मक होकर बिल्कुल किल्पत हो। इस वात को मैं आचार्य अमृतचन्द्र की समयसार टीका के "न जातुरागादि निमित्ताभावम्" इत्यादि कलशपद्य के आधार पर पहले ही बतला चुका हूँ। इस कलश

पद्य मे यह वात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है कि आत्मा में जत्पन्न होने वाले रागादि की उत्पत्ति कर्मरूप से परिणत पुद्-गल का आत्मा के साथ होने वाला सञ्लेपरूपसम्बन्ध ही निमित्त है। इस तरह कहा जा सकता है कि कर्म और आत्मा का संश्लेपरूप सम्बन्ध वास्तिविक (सद्भावात्मक) ही है अत उसे कल्पित (अभावात्मक) नही माना जा मकता है। स्वय आचार्य कुन्दकुन्द ने भी समयसार सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार में सञ्लेप सम्बन्ध को सद्भावात्मक ही स्वीकार किया है। यथा—

''चेदा दु पयिष्यर्ठ उप्पन्नइ विणस्सि । पयदीवि चेययर्ठ उप्पन्नि विणस्सि ।।३३२॥ एव वधोदु दुण्हिप अण्णोण्णप्पच्चया हवे । अञ्पणो पयदीए य ससारो तेण जायदे ।।३५५॥

अर्थ—चेतियता (आत्मा) प्रकृति (पुद्गलकर्म) का निमित्त पाकर उत्पन्न विनष्ट होता है और प्रकृति भी आत्मा का निमित्त पाकर उत्पन्न और विनष्ट होती है। इस तरह आत्मा और प्रकृति दोनो ही एक-दूसरे के साथ वन्ध (सञ्लेषणरूप सम्बन्ध) को प्राप्त हो रहे है तथा इस वन्ध से ही आत्मा और प्रकृति का ससार निमित होता है।

इसी तरह के और भी वहुत से प्रमाण आगम ग्रन्थों में मिलते हैं जिनसे उक्त वन्ध की सद्भावात्मकता ही सिद्ध होती है। इस तरह आगम का विरोध होने से प्रकृत में उपचरित शब्द से कर्म और आत्मा के सश्लेषका सम्वन्य को अभावात्मक स्वीकार करके उसका कल्पित सद्भाव मानना उचित नहीं है।

(२) दूसरी आपिता यह है कि कर्म और आत्मा के संश्लेपह्न सम्बन्ध को अभावात्मक स्वीकार करके उसका

कित्पत सद्भाव मानने से उसके निमित्त से होने वाली जीव की ससार अवस्था को तथा पुद्गल की कर्मरूप अवस्था को कित्पत (अभावात्मक) ही मानना होगा जब कि प० फूलचन्द जी जीव की ससार अवस्था को वास्त्रविक (सद्भावात्मक) स्वी-कार कर चुके है। ससार अवस्था विभावरूप है स्वभावरूप नहीं है—यह बात निर्ववाद है।

(३) तीसरी आपत्ति यह है कि यदि कर्म और आत्मा क़ा सक्लेषरूप सम्बन्ध सद्भावात्मक न होकर कल्पित (अभावा-त्मक) है तो इसी के समान दो आदि पुद्गल-परमागुओ के परस्पर सञ्लेषरूप सम्बन्ध को भी कल्पित (अभावात्मक) मानने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा । ऐसी हालत मे विश्व के घटादि पदार्थों की प्रत्यक्ष सिद्ध स्कन्धरूपता को भी कल्पित रूप देना होगा, तब एक ओर तो घटादि वस्तुओ द्वारा जला-हरणादि क्रियाओ का सम्पन्न होना असम्भव हो जाने से प्राणियों के जीवनयापन की समस्याये जटिल हो जावेगी तथा दूसरी ओर घात-प्रतिघात की स्थिति समाप्त हो जाने से निदयो में बाढ का आना, कही पर आग का लग जाना, बस व रेल-गाडी आदि का गिर जाना आदि प्राणियो की सभी विपत्तियो के कारणो का एक साथ लोप हो जायगा जविक ये सव बाते प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए द्वचगुकादि स्कन्ध जिस प्रकार वास्तविक हैं उसी प्रकार कर्म तथा नोकर्म का आत्मा के साथ सञ्लेषरूप सम्बन्ध भी वास्तविक (सद्भावात्मक) ही मानना उचित है कल्पित (अभावात्मक) नही।

इस सव स्थिति को घ्यान मे रखते हुए उपचरित शब्द का प्रकृत मे किल्पत (अभावात्मक) अर्थ करना सङ्गत नही है।

अत्र यदि उपचरित शब्द का दूसरा अर्थ यह ग्वीकार किया जाय कि कमं और आत्मा ये दोनो परस्पर सञ्जिष्ट तो है फिर भो यह सब्लेय चूँ कि दो आदि पदार्थी मे हो होता है अत एकाश्रयना का अभाव रहने में इसे उपचरित माना गया है तो ऐसी उपचरितता को मानने मे कोई विरोध नहीं है क्योंकि यह तो सभी मानते हैं कि बद्धता आत्मा का नवत सिद्ध स्वभाव नहीं है किन्तू कर्म और आत्मा का जो एकमेक पनेन्य मेल हो रहा है उसी का नाम बद्धता है अत उसमे एकाश्रयता कैसे आ सकती है ? फिर भी वह पूर्वोक्त आगम प्रमाणों के आधार पर आत्मा की ममारहप उस विकारी अवस्था निर्मित्त मिद्ध होती है जिसे प० फूलचन्द्रजी ने वास्तविक स्वी-कार किया है। आगम के अलावा प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और तर्क भी यह बतलाते है कि उपादान की स्वपरप्रत्यय कार्य परिणति में निमित्त कारणभूत वस्तुओं का योगदान लेना आवश्यक होता है और ऐसा योगदान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपादान से होने वाली कार्योत्पत्ति के लिए लिया भी जाता है। प० फूलचन्द्रजी भी इससे परिचित है। इतना ही नही, वे स्वय उपादान की कार्य परिणति में निमित्तभूत वस्तुओ का योगदान न लेते हो-यह वात नहीं है। वे अपनी जीवन आवय्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन में प्रवृत्त होते हैं, वख पहिनते हैं, रुपया-पैसा लेते-देते हैं और कहीं जाने के लिए वाहनो का भी उपयोग करते है। इस तरह उनके सामने भी कार्य सिद्धि में निमितों की सार्थकता स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

यंदि प० पूलचन्द्रजी यह कहते हैं कि कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तो को उपस्थिति का निपेध वे नहीं करते हें

केवल यह वतलाते हैं कि कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्त स्वयमेव मिल जाते है उन्हे जुटाना नही पडता है और तव उपादान भी अपने स्वकाल के अनुसार अपने आप (निमित्तो के सहयोग के बिना) कार्यरूप परिणत हो जाया करता है, तो इस विषय में मेरा कहना यह है कि निमित्तों को जुटाने न जुटाने की वात अलग है स्थान-स्थान उस पर तो आगे विचार किया जायगा, यहा पर सिर्फ इस वात पर विचार करना है कि उपादान निमित्त के सहयोग के विना स्वपरप्रत्यय कार्यरूप परिणत हो सकता है क्या ? इस प्रश्न के समाधान के प्रसग में हमारे सामने उन घडो का दृष्टान्त उपस्थित हो जाता है जिनकी उत्पत्ति के लिए उपादानभूत मिट्टी का सद्भाव रहते हुए भी कुम्भकार के तदनुकूल व्यापार के अभाव मे वह मिट्टी अपना परिणमन घडो के रूप में करने मे असमर्थ रहा करती है तथा कुम्भकार की कुशलता और अकुशलता का तारतम्य उन घडो की सुन्दरता और असुन्दरता मे तारतम्य पैदा करता रहता है। इस तरह कार्यों और कारणो मे उपादानोपादेय-भाव की तरह यह प्रत्यक्ष सिद्ध निमित्ता नैमित्तिक भाव की स्थिति रहते हुए भी जनसाधारण के लिए अनुपयोगी केवल ज्ञान की छाप लगाकर "जव जो होना होता है सो होता है" इत्यादि निमित्तों की अवहेलना करने वाला एकान्त रूप वचन का प्रयोग उचित नही है। केवलज्ञान द्वारा ि समस्त पर्यायो की त्र कालिक अनुस्यूतता एव मे क्षणिक उपादान आदि की व्यवस्था किस आगे प्रकाश डालूँगा, यहा पर तो प्र चढाया जा रहा है।

लोक में देखा जाता है कि यो इत्य वरम्बर इब स्पृष्टनारण संयोग की प्राप्त रहते हैं। तो इस बीतों में से एक के गनियान होने पर उसते। साथ दूसरा भी पनिमान ही जाता है। जैसे एकन के साथ कुछ हुए रेपनाश के उच्चे पुँउन के चत्रने पर चत्र पाने हैं। नो कहा बद्धतामण सर्वोग को प्रव्यों में निजमान हो। यहा एक प्राय की क्रिया का अनद दूसरे द्वरा पर पटना अगम्भव नहीं है। यह बाग दूसरी है कि बद अवस रपुष्ट यन्तुओं में जो भी फिला होगी वह उनकी अपनी अपनी प्रयम् प्रवत् ती होगी, यत नहीं होगा कि दोनों। मिल पर एए किया करने लगेंग । इस प्रकार पर्णाप यह ठीए है कि "एक द्रव्य के मुलवर्ग का इसने द्रव्य में सक्षमण नहीं होता" इस मिद्रान्त के अवसार आरमा और पर्म ता बद्धतारप नयोग होने पर भी आत्मा की समारमप परितान आत्मा में होगी और गर्म की अपनी उदयमप परिणति कर्म में होकी, परन्त् जिस प्रकार ऐजन की गति रेलगाडी के उन्हों की मनिक्रिया में महायय राप में कारण होती है। उसी प्रतार वर्म की उदयहप परिणति आत्मा की समार तप परिणति में महायद तप ने कारण होती है।

इस प्रकार आत्मा को समार रूप परिएति कर्मनिमित्तक होने पर भी चूकि आत्मा की निजी परिणित है इसिनिये पिंद इस आधार पर उसे वास्तविक माना जाय और वढ़ता चूकि कर्म और आत्मा दो द्रव्यगत है इसिनिये उसे अवास्तविक (उपचित्त) माना जाय तो इसमें किसी को कोई आपित नहीं हो गवती है। परन्तु इस तरह से जीव की ससार अवस्था को वास्तविक (सद्भावात्मक) और बद्धना को अवास्तविक (अभावात्मक) माना जाय तो यह मान्यता अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष एव युक्ति के विरुद्ध पडती है।

यहा पर एक बात और ध्यान मे देने योग्य है कि आत्मा के ससार को वास्तविक और कर्म के साथ उसकी बद्धता को उपचरित मानने मे प० जी का लक्ष्य यह है कि वे आत्मा के ससार का कर्मबद्धता के साथ निमित्तनैमित्तिक भावरूप कार्यकारणभाव को कार्यकारी मानने के लिये तैयार नही है वे केवल उपादानोपादेय भावरूप कार्यकारणभाव के आधार पर ही आत्मा की ससार दशा और मुक्ति दशा की सस्थापना कर लेना चाहते है। यही सवव है कि उन्होने अपने उक्त कथन में आगम के आधार पर यह लिखां है कि "जिस समय आत्मा शुभ भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय शुभ है और जिस समय आत्मा अशुभ भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय अशुभ है तथा जिस समय आत्मा श्द्भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय शुद्ध है।" प० जी के इस कथन के विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ''जिस समय आत्मा शुभ भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय गुभ है ' इत्यादि कथन को तो सभी लोग सत्य मानते हैं परन्तु इस कथन मे सिर्फ इतनी वात वतलायी गयी है कि ''आत्मा की शुभ भावरूप परिणति मे आत्मा शुभ होता है, अशुभ भावरूप परिणति मे अशुभ होता है और शुद्धभावरूप परिणति में शुद्ध होता है" अव प्रश्न यह है कि ये परिणतिया आत्मा की किन कारणों से होती है ? तो इसके समाधान के लिये हमे आवश्यकतानुसार उपादान और निमित्त दोनो प्रकार के कारणो का प्रतिपादन करना जरूरी हो जायगा। इसलिये आगम के आधार पर किये गये ''जिस समय आत्मा

भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय ग्भ है" उत्यादि कथन का यह निष्कर्ष निकालना अयुक्त है कि "कार्य उपादान के वल पर ही उत्पन्न हो जाता है और निमित्त वहा अकिचित्कर ही बना रहता है" अथवा यह निष्कर्ष निकालना अयुक्त है कि ''कार्योत्पत्ति मे उपादान ही मुख्य हेतु है निमित्त तो गीणस्य से ही हेतु होता है" इतना अवय्य है कि कार्यरूप परिणति उपादान[े] की ही होती है निमित्त की नहीं, वह तो वहा पर उपादान की कार्यसप परिणति नहायक मात्र होता है अत इस दृष्टि से यदि उपादान को मृत्य और निमित्त को गीण माना जाता है तो फिर इसमें कोई विरोध की वात नहीं है । परन्तु कार्योत्पत्ति मे जहा तक उपादान और निमित्त के बलाबल का प्रश्न है तो यही कहा जायगा कि वस्तु मे कार्य की उपादान-शक्ति के अभाव मे जहा निमित्त कुछ नही कर सकता है वहा निमित्तों के अभाव में भी उपादान शक्ति मुसुप्त ही रहा करती है। उस तरह अपने अपने ढग की शक्ति के घारक होने से उपादान और निमित्त दोनो ही शक्तिशाली है अर्थात् कार्या-त्पत्ति मे दोनो ही एक दूसरे का मुख ताकने वाले है । इतना होने पर भी यह बात अवव्य है कि जहा उपादानपरक कथन की विवक्षा होती है वहा उपादान को मृज्यता मिल जाती है और जहा निगित्तपरक कथन की विवक्षा होती है वहा निमित्त को मुख्यता मिल जाती है तथा एक की मुख्यता होने पर दूसरा अपने आप गीण हो जाता है।

जिस प्रकार प० पूलचन्द्र जी ने जीव और कर्म के सक्लेप रूप सम्बन्ध को अपरमार्थभूत, अवास्तविक और उपचरित वतलाया है उसी प्रकार उन्होने दो आदि वस्तुओं में पाये जाने वाले आभाराध्यभाव आदि सम्बन्धों को भी

अपरमार्थभूत, अवास्तविक और उपचरित बतलाने का प्रयत्न किया है। वे लिखते हैं—

"प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है। इसमे उसके गुण और पर्याय भी इसी प्रकार स्वतन्त्र है—यह कथन आ ही जाता है। इसलिये विवक्षित किसी एक द्रव्य का या, उसके गुणो और पर्यायो का अन्य द्रव्य या उसके गुणो और पर्यायों के साथ किसो प्रकार भी सम्वन्ध नही है। यह परमार्थ सत्य है। इसलिये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो सयोग-सम्बन्ध या आधाराधेयभाव आदि किल्पत किया जाता है उसे अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये कटोरी मे रखा हुआ घा लीजिये। हम पूछते है कि उस घी का परमार्थभूत आधार क्या है ? कटोरी या घी ? आप कहोगे कि घी के समान कटोरों भी है तो हम पूछते हैं कि कटोरी को ओधा करने पर वह फिर गिर क्यो जाता है ?" जो जिसका वास्तविक आधार होता है उसका वह कभी त्याग नही करता "इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कटोरी भी घी का वास्तविक आधार है तो उसे (घी को) कटोरी को कभी भी नही छोडना चाहिये। परन्तु कटोरी को ओधा करने पर वह कटोरी को छोड ही देता है। इससे मालूम पडता है कि कटोरी घी का बास्तविक आघार नही है। उसका वास्तविक आधार तो घी है नयोकि वह उसे नभी नही छोडता। वह चाहे कटोरी मे रहे चाहे भूमि पर रहे या चाहे हवा मे विलीन हो जावे। वह रहेगा घी ही। यहा हष्टान्त घी रूप पर्याय को द्रव्य मान कर दिया गया है, इसलिये घी रूप पर्याय बदल जाने पर वह बदल जाता है यह कथन प्रकृत मे लागू नही होता। यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार किल्पत किये गये जितने भी सम्बन्ध है उन सब के विषय में इसी टिप्टिकोण से विचार कर लेना

चाहिये। स्पष्ट है कि माने गये सम्बन्धो मे एकमात्र तादात्म्य सम्बन्ध ही परमार्थभूत है। इसके सिवा निमित्तादि की दृष्टि से अन्य जितने भो सम्बन्ध किल्पत किये गय है उन्हे उपचरित अतएव अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये। वहुत से मनीपी यह मानकर कि इससे व्यवहार का लोप हो जायगा ऐसे कल्पित सम्बन्धो को परमार्थभूत मानने की चेण्टा करते हैं। परन्त् यही उनकी सवसे वडी भूल है, क्यों कि इस भूल के सुघारने से यदि उनके व्यवहार का लोप होकर परमार्थ की प्राप्ति होती है तो अच्छा ही है ऐसे व्यवहार का लोप भला किसे अभोष्ट नही होगा। इस ससारी जीव को स्वय निश्चय रूप वनने के लिये अपने अनादिकाल से चले आ रहे इस अज्ञानमूलक व्यवहार का ही तो लोप करना है। उसे और करना ही क्या है? वास्तव मे देखा जाय तो यही इसका परम (सम्यक्) पुरुपार्थ है, इसलिये व्यवहार का लोप हो जायगा इस भ्रान्तिवश परमार्थ से दूर रह कर व्यवहार को ही परमार्थभूत समझने की चेष्टा करना उचित नही है।"

> (जैनतत्वमीमासा पृष्ठ १७-१८ विषय प्रवेश प्रकरण) आगे इस पर विचार किया जाता है

जैन-सस्कृति की मान्यता यह है कि वही वस्तु द्रव्य सज्ञा को प्राप्त होती है जिसकी अपनी स्वत सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप सत्ता एव प्रदेश सत्ता हो, इसलिये यद्यपि प० फूलचन्द्र जी के इस कथन से मैं सहमत हू कि "प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है और इस प्रकार उसके गुण और पर्याय भी स्वतन्त्र है" परन्तु इससे उनका (प० फूलचन्द्र जी का) यह निष्कर्ष निकालना कि "इसलिये विवक्षित किसी एक द्रव्य का या उसके गुणो और पर्यायो का अन्य द्रव्य या उसके गुणो और पर्यायो के साथ किसी प्रकार का भो सम्बन्ध नही है" सही नही है, क्यों कि प्रत्येक द्रव्य और गुणो तथा पर्यायों को स्वतन्त्रता के साथ दो आदि वस्तुओं में पाये जाने वाले सयोग, आधाराधेयभाव, निमित्तनैमित्तिक भाव आदि सम्बन्धों का कुछ भी विरोध नहों है।

प्राय देखने मे आता है कि लोक व्यवहार मे प्रवृत जन जिस प्रकार दो आदि वस्तुओ एव उनके गुणो और पर्यायो को पृथक्-पृथक् अनुभव मे लाते हैं उसी प्रकार वे उनमे यथासम्भव विद्यमान सयोग, आधाराधेयभाव तथा निमित्तनैमित्तिक भाव आदि सम्बन्धो को भी सतत अनुभव मे लाते रहते है इसलिये जिस प्रकार लोक व्यवहार में प्रवृत्त जनो के पहले प्रकार के अनुभव के आधार पर दो आदि वस्तुओ एव उनके गुणो और पर्यायो का पृथक्पना वास्तविक है उसी प्रकार उनके दूसरे प्रकार के अनुभव के आधार पर उन दो आदि वस्तुओं मे यथा सम्भव विद्यमान सयोग, आधाराधेयभाव तथा निमित्त-नैमित्तक सम्वन्ध आदि को भी वास्तविक ही समझना चाहिये'। यह वात दूसरी है कि तादातम्य सम्बन्ध मे एकाश्रयता होने से वह जहा निश्चयनय का विषय है वहा सयोगादि सम्बन्धो मे अनेकाश्रयता होने से वह व्यवहारनय का विषय है । व्यवहारनय का विषय कल्पित अर्थात् सर्वथा अभावात्मक है निश्चयनय का विषय ही सद् भावात्मक है ऐसा नही है। केवल दोनो मे इतना अन्तर है कि तादातम्य सम्बन्ध निश्चयनय का विषय है इसलिये वह निश्चय रूप मे वास्तविक है और सयोगादि सम्बन्ध व्यवहारनय के विषय है इसलिये वे व्यवहार रूप मे वास्तविक है । जो लोग व्यवहारनय के विषय को कल्पित अर्थात् सर्वथा अभावात्मक मानते है वे भ्रम मे है तथा जो लोग व्यवहारनय के विषय को निश्चयनय का विषय मानते

है वे भो भ्रम में है अर्थात् व्यवहार विषुढ़ है। जो लोग व्यवहार मय के विषय को सर्वया अभावात्मक अर्थान् कल्पिन न मान-कर व्यवहार रूप में मत्य मानते हैं वे मन्यग्जानी हैं। क्योंकि व्यवहार का अर्थ वस्नु का भेदाश्रित अयग पराश्रित स्थित ही होती है सर्वथा अभावात्मक स्थित व्यवहार शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है जसे गधे के सीग सर्वया अभावात्मक होने से च्यवहार रूप नहीं हैं अतएव ही वे व्यवहारनय के विषय नहीं है लेकिन जीन का समार स्वाभाविक न होकर वैभाविक है अर्थात् कर्मोदय जन्य होने से पराश्रित अर्थात् व्यवहार रूप है अतएव वह व्यवहारनय का विषय है। ऐसा तो नहीं है कि जीव की समार रूप परिणति होनी हो नहीं है। स्वय प० फूल-चन्द्र जो ने भो जीव की ममार अवस्था को वास्तविक स्वी-कार किया है लेकिन इसका यदि वे यह अर्थ लेना चाहते हैं कि वह सर्वथा निश्चयनय का विषय है तो वे भ्रम में हैं नयोकि जहा जीच की तदात्मक परिणति होने के कारण वह निद्धय नय का विषय है वही कर्मोदयजन्य होने से वह व्यवहारनय का भी विषय है। जैन-सम्कृति की अनेकान्तात्मक तता व्यव-स्या को घ्यान मे रखकर हो प० फूलचन्द्रजी को प्रकृत विषय पर विचार करना चाहिये क्योंकि तव कोई विरोध पैदा ही नही होगा।

जैन-सस्कृति मे आकाश द्रव्य को आघार तथा विश्व की अन्य मभी वस्तुओं को आयेय स्वीकार किया गया है। आकाश शब्द का पारिभाषिक और व्युत्पत्तिपरक अर्थ आघारता गभित है इसलिये कहना चाहिये कि जैन-संस्कृति में जहा एक ओर आकाश द्रव्य को और उससे भिन्न अन्य सभी द्रव्यों को अपनी-अपनी स्वत सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप सन्ता एव प्रदेश सत्ता को अपेक्षा पृथक्-पृथक् स्वीकार किया गया है वहा दूसरी ओर आकाश तथा अन्य सभी वस्तुओ मे विद्यमान आधाराधेयभाव की वास्तिवकता को भी स्वीकार किया गया है। अब यदि दो आदि वस्नुओ मे यथासम्भव विद्यमान सयोग आधाराधेयभाव एव निमित्ता नैमित्तिक आदि सम्वन्धो को को वास्तिवक न मानकर केवल कल्पना का ही विषय मान लिया जाता है तो इस तरह आकाश द्रव्य के साथ विद्यमान विश्व की अन्य सभी वस्तुओ के आधाराधेयभाव रूप सम्बन्ध को भी केवल कल्पनामात्र का विषय मानने का प्रसग उपस्थित हो जायगा। ऐसी दशा मे आकाश द्रव्य की निर्थकता सिद्ध हो जाने से वह भी कल्पना मात्र का विपय रह जायगा। इतना ही नहीं, आकाश की तरह निर्थक वन जाने की यह समस्या धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और समस्त काल द्रव्यो के विपय मे भी खडी हो जायगी।

उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आकाश शब्द का पारिभाषिक और व्युत्पित्तापरक अर्थ अपनी-अपनी प्रदेशसत्ता के अनुसार अवगाह्यमान विश्व के सभी द्रव्यो को अपने अन्दर समा लेना है उसी प्रकार धर्म शब्द का पारिभापिक और व्युत्पित्तापरक अर्थ स्थिति प्राप्त जीव और पुद्ग्गल द्रव्यो को अपने-अपने कारणो के आधार पर होने वाली उनकी गित परिणित में अवलम्बन होना, अधर्म शब्द का पारिभापिक और व्युत्पित्तपरक अर्थ गित प्राप्त जीव और पुद्गल द्रव्यो को अपने-अपने कारणो के आधार पर होने वाली उनकी अवस्थित में अवलम्बन होना तथा काल शब्द का पारिभाषिक और व्युत्पित्तपरक अर्थ विश्व के सभी पदार्थों में स्वभावत एव कार्य कारणभाव के आधार पर झीव्य तथा उत्पाद और व्यय

को स्थायीपनेरूप (सार्वकालिक) एव समय, आवलो, घडो, घण्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष आदि के रूप मे अस्थायीपनेरूप वृत्तिता मे अवलम्बन होना है। इसलिये जिस प्रकार आकाश और विश्व के अन्य सभी पदार्थों से आघारावेय-भाव का सद्भाव स्वीकार किया गया है उसी प्रकार धर्म द्रव्य का स्थिति प्राप्त जीव और पुद्गत द्रव्यो की गति परिणति के के साथ, अधर्म द्रव्य का गति प्राप्त जीव और पद्गल द्रव्यो की अवस्थिति रूप परिणति के साथ तथा कालद्रव्य का विश्व के समस्त पदार्थों की स्थायापने और अस्थायीपने रूप वृत्तिता के साथ अवलम्बन रूप से निमित्ता नै।मित्तिक भाव का भी सद्भाव स्वी-कार किया गया है। इस तरह दो आदि वस्तुओ मे यथासम्भव विद्यमान, सयोग, आधाराधेयभाव एव निमित्ता नैमित्तिकभाव रूप सम्बन्धो को वास्तविक न मानकर केवल कल्पनामात्र का विषय मान लेने से जैसे आकाश द्रव्य की निर्यकता का प्रसग मैं ऊपर बतला चुका हूँ वैसे ही धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य और सम्पूर्ण काल द्रव्यो की निरर्थकता का भी प्रसग उपस्थित हो जायगा और तब आकाश द्रव्य की तरह धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा सम्पूर्ण काल द्रव्य ये सभी द्रव्य भी केवल कल्पना मात्र के ही विषय रह जावेगे।

इसी प्रकार आत्मा के स्वभाव ज्ञान और विश्व के अन्य सभी पदार्थों मे पाये जाने वाले ज्ञेयज्ञायक भाव अथवा प्रमाण-प्रमेयभाव रूप सम्बन्धों की भी सयोग, आधाराघेयभाव एव निमित्ता नैमित्तिकभाव आदि सम्बन्धों की तरह द्वचाश्रितता की वजह से अवास्तविकता सिद्ध हो जाने पर एक तरफ तो प० फूलचन्द्रजी का यह लिखना है कि "जैन धर्म मे तत्त्वश्ररूपण का मुख्य आधार केवल ज्ञान है" (जैननत्वमीमासा पृष्ठ २६०

केवल ज्ञान स्वभाव मीमासा प्रकरण) निरर्थक हो जायगा तथा दूसरी तरफ जैन-सस्कृति मे स्वीकृत सम्पूर्ण तत्त्वव्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायगी। यह सब कुछ न हो, इसके लिए यदि आत्मा के ज्ञान और अन्य सभी पदार्थों मे विद्यमान ज्ञेय-ज्ञायक भाव तथा प्रमाणप्रमेयभाव आदि सम्वन्धो को पं० फूल-चन्द्रजी वास्तविक मान लेते है तो फिर दो आदि वस्नुओं मे यथा सम्भव पाये जाने वाले सयोग, आधाराधेयभाव निमित्त नैभित्तिक भाव आदि सम्बन्धो की वास्तविकता को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है ? यह वात तो है कि तादा-तम्य सम्वन्ध की निष्पत्ति एक वस्तु के आश्रय से होती है और अन्य सयोगादि सम्बन्धो को निष्पत्ति दो आदि वस्तुओ के आश्रय से हुआ करती है लेकिन इतने मात्र भेद के कारण एक को सद्भूत व वास्तविक और दूसरे को असद्भूत व अवास्तविक कह देना युक्ति सगत नही है दोनो ही ढग से सद्भूत है और वास्तविक है। है एक की सद्भूतता और वात अवर्य वास्तविकता मे एकाश्रयता रहने से निश्चयनय का विषय है ओर दूसरे की सद्भूतता और वास्तविकता मे अनेकाश्रयता रहने से व्यवहारनय का विषय है। कथन मात्र या कल्पना मात्र दोनों में से कोई नहीं है।

शब्द और अर्थ मे वाच्यवाचक भाव रूप सम्बन्ध पाया जाता है लेकिन दोनो का यह सम्बन्ध यदि अवास्तविक है तो शब्दो द्वारा प्रतिपादन न हो सकने के कारण न कोई वक्ता रह जायगा और न कोई श्रोता रह जायगा इसी प्रकार न कोई लेखक रह जायगा न कोई पाठक रह जायगा। पाठक स्वय विचार करे। प० फूलचन्द्र जो के जिस कथन का उद्धरण मैंने ऊपर दिया है उसमे उन्होंने वतलाया है कि "एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो सयोग सम्बन्ध या आधाराधेय भाव कल्पित किया जाता है उसे अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये" साथ ही इसकी पृष्टि के लिये वहा पर उन्होंने कटोरी मे रक्खे हुए घी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि घी का आधार घी ही है कटोरी उसका वास्तविक आधार नहीं है और इसमे उन्होंने वही पर यह तर्क उपस्थित किया है कि यदि कटोरी घी का वास्तविक आधार है तो कटोरी को ओधा करने पर वह फिर गिर क्यो जाता है ?

प० फूलचन्द्र जी के इस कथन के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि लोक व्यवहार में प्रवृत्ताजन दो आदि वस्तुओं में आधारा- ध्येय भाव की वास्तिविकता (सद्भावात्मकता) को समझकर ही आवश्यकता पड़ने पर कटोरी में घी रखने की चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, कटोरी में घी रखते समय घी के परिमाण के अनुरूप कटोरी के छोटे-वड़े रूप पर भी उनका ध्यान दौड जाता है तथा इसके साथ ही उस समय वे घी को विकृति से वचाने के लिये कटोरी की प्रकृति व उसकी स्वच्छता आदि पर भी लक्ष्य रख लिया करते हैं। लेकिन इतना सव कुछ करते हुए भी उनके ध्यान में यह बात रहा करतो है कि घी को कटोरी में रख देने पर भी घो हमेशा घी ही बना रहता है वह कदापि कटोरी नहों वन जाता है और कटोरी हमेशा कटोरी हमेशा कटोरी कि ची उत्तरी है वह कभी घी नहीं वन, जाती है क्योंक घी और कटोरी दोनो वस्तुयें अपने स्वरूप और प्रदेशों की भिन्नता के कारण पृथक्-पृथक् हो हैं।

इस प्रकार घो ओर कटोरी के पृथक्-पृथक् अस्तित्व का ज्ञान रखते हुए भी लोक-ज्यवहार मे प्रवृत्ताजनो की घी को कटोरी मे बुद्धिपूर्वक रखने की प्रवृत्ता, घी के परिमाण के अनु-रूप कटोरी मे छोटे-बड़े रूप पर उनका बरावर लक्ष्य बना रहना और घी को विकृति से बचाने के लिए कटोरी की प्रकृति एव स्वच्छता की ओर उनका घ्यान जाना इत्यादि वातो से यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि दो आदि वस्तुओ मे दिख ने वाले सयोग, आधाराधेयभाव और निमित्ता नैमित्तिक भाव आदि विविध प्रकार के जो भी सम्बन्ध जब और जहाँ सम्भव हो, वे सब सबध वास्तविक (सद्भूत) ही माने जाने योग्य है किल्पत (असद्भूत) नहीं, तथा ऐसा मान लेने पर भी उन दो आदि वस्तुओ की एव उनके गुणो और पर्यायो की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है।

दो आदि वस्तुओं की स्वरूपसत्ता और प्रदेशसत्ता को पृथक्-पृथक् मानते हुए भी उनमे यथायोग्य पाये जाने वाले सथोग, आवारघंयभाव और निमित्ता नैमित्तिकभाव आदि सम्बन्धों को वास्तविक (सद्भूत) मानने वाले व्यवहार में प्रवृत्त जन प० फूलचन्द्र जी की हिंद्र में भले ही अज्ञानी रहें, लेकिन लोक में उन्हें अज्ञानी न मानकर तब तक ज्ञानी ही माना जाता है जब तक उनकी समझ और प्रवृत्ति में लोक विरुद्धता और तत्त्व विरुद्धता नहीं पायी जाती है।

तात्पर्य यह है कि अध्यात्म तथा लोक दोनो मे ज्ञानी और अज्ञानी कहलाने की समान स्वरूप मर्यादाये हैं। जैसे अपने प्रतिनियत स्वरूप और प्रदेशों की अपेक्षा पृथक-पृथक् विद्यमान कटोरी और घी में आधाराधेयभाव रूप सम्बन्ध की वास्तिविकता (सद्भूतता) को समझता हुआ कोई व्यक्ति यदि घी को कटोरी मे रखता है तो उस व्यक्ति की इस चेष्टा को लोक मे मिथ्या नही माना जाता है। परन्तु वही या अन्य व्यक्ति 'कटोरी तो घी का वास्तिविक आधार नहीं है किल्पत आधार है उसका वास्तिविक आधार तो घी ही है" ऐसा समझकर कटोरी और घो के आधाराधेय सम्बन्ध की उपेक्षा करके यदि छोटी कटोरी मे अधिक घी रखने की चेष्टा करने लगे या घी से भरी हुई कटोरी को ओघा करदे तो ऐसे व्यक्ति को—भले ही वह अपने को आध्याित्मक मान रहा हो—लोक मे पागल या मूर्झ ही मान जायगा। इतना ही नहीं, उक्त प्रकार की चेष्टा करता हुआ वह व्यक्ति घी को कटोरी से बाहर भूमि पर गिरता हुआ देखकर स्वय भी अपनी समझ और चेष्टा पर हँसे विना नहीं रहेगा। इसी प्रकार जिस कटोरी में घी रखने से वह विकृत हो सकता है उसमे यदि कोई व्यक्ति घी रखने की चेष्टा करें तो उसे भी लोग अज्ञानी ही कहेंगे।

इस प्रकरण में दूसरा उदाहरण यह दिया जा सकता है कि टोपी शिर पर ही रक्खो जाती है और जूता पर में पहिना जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति टोगी ओर शिर तथा जूता और पैर में विद्यमान सम्बन्ध को कल्पनामात्र का विषय मानकर जूता को शिर पर रख ले और टोपी को पैर में पहिन ले तो ऐसे व्यक्ति को लोक में निर्विवादरूप से पागल ही कहा जायगा, क्योंकि लोक में टोपी से शिर की ही और टोपी से ही शिर की तथा जूता से पैर की ही और जूता से ही पैर की शोभा एव सुरक्षा का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इतना ही नही, दाये पैर के जूता का सम्बन्ध दाये पैर से और बाये पैर के जूता का सबध वाये पैर से जुड़ा हुआ होने पर भी यदि कोई व्यक्ति वाये पैर के ज्ता को दाये पैर में और दायें पेर के जूता को बाये पैर में कदाचित् पहिन लेता है तो ऐसा करने पर एक तो उस व्यक्ति को अपने दोनो पैरो में अटपटापन मालूम होगा, दूसरे दोनो ही जूते उस-उस पैर में काटने लगेगे और तीसरे देखने वाले लोग उसे मूर्ख या पागल कहने लगेगे।

यह भी बात है कि प्रत्येक प्राणी के जीवन मे दो आदि वस्तुओं के सहारे से निष्पन्न सयोग, आधाराध्यभाव और निमित्त नीमित्तिकभाव आदि सम्बन्धों की आवश्यकता सदा ही बनी रहतो है क्योंकि उनकी सभी जीवन प्रवृत्तियाँ उक्त सम्बन्धों के आधार पर ही चला करती हैं। इसलिये इस विषय मे यदि उदाहरणों का ताँता बाँधा जाय तो उसका कही अन्त नहीं होगा, फिर भी कुछ उदाहरणों द्वारा मै यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उक्त सम्बन्ध अज्ञानों जीवों को कल्पनामात्र न होकर वास्तविक ही है।

जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के सरक्षण एव क्षुधा जन्य कृष्ट के निवारण के लिए बुद्धिपूर्वक भोजन मे प्रवृत्ति करता है, भोजन थाजी आदि आधारभूत वस्तु मे रखकर ही किया जाता है, थाली आदि की स्वच्छता पर भी भोजन करने वाले व्यक्ति का ध्यान रहा करता है, विवेकीजन भोजन की शुद्धि-अशुद्धि का विचार कर ही भोजन किया करते है और इस तरह वे अशुद्धि पैदा करने वाले निमित्तो से भोजन का वचाव करना तथा शुद्धि पैदा करने वाले निमित्तो को जुटाना आदि प्रवृत्तियो को अपने परम कर्तव्यो मे समाविष्ट कर लिया करते है। रसोई वनाने वाला व्यक्ति भोजन की प्रक्रिया मे आटे को परात मे अदिपर्वक रखकर ही गउँदना है टाल तथा चावल

आदि को बुद्धिपूर्वक ही पानी मे धोकर पकाने की दृष्टि से आवश्यक पानी से भरी हुई वटलोई मे रखकर आग जलते चूल्हे पर चढाता है, भोजन को स्वादिष्ट वनाने की दृष्टि से वह उसमे नमक आदि का आवश्यकतानुसार उपयोग करने का भी वुद्धिपूर्वक घ्यान रखता है, शीत अदि से वचाव के लिए कपडे वृद्धिपूर्वक ही पहिने जाते है, रोग दूर करने के लिये औषिधयो का निर्माण व सेवन वृद्धिपूर्वकृ ही किया जाता है, कही पर जल्दी पहुँचने की दृष्टि से यथायोग्य रेलगाडो, मोटर, हवाई जहाज आदि का वृद्धिपूर्वक ही उपयोग किया जाता है, अजीविका सचालन के लिए एक व्यक्ति व्यापार करता है, दूसर। नौकरी करता है, तीसरा कृषि करता है और चौथा विविध प्रकार की कलाओं में से किसी कला को अपनाता है। ये भिन्न-भिन्न तरीके वुद्धिपूर्वक ही लोक मे अपनाये जाते हैं तथा साधनो की अनुकूलता या प्रतिकूलता होने पर प्राणियो को उसमे क्रमश सफलता या असफलता भी प्राप्त होती है और इस तरह वे यथायोग्य सफलता मिलने पर सुखी तथा असफलता पर दुखी होते देखे जाते है। इसी तरह कुन्दकुन्द आदि आचार्यों ने लोकहित भावना की दृष्टि से ही समयसार आदि ग्रन्थो की वृद्धिपूर्वक रचना की है और इसी तरह प० फूलचन्द्रजी ने भी जैनतत्त्वमीमासा अपनी दृष्टि से लोगो को जैन-सस्कृति का सही ज्ञान कराने के लिए वृद्धिपूर्वक हा लिखी है।

इन उदाहरणों से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि दो आदि वस्तुओं में पाये जाने वाले सयोगादि सभी सम्बन्ध किल्पत न होकर वास्तविक ही है। विचार कर देखा जाय तो यही स्थिति अध्यात्म में भी मिलेगी।

समयसार गाथा १४ की टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र ने

एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ के हश्यमान स्पर्श आदि सयोगों को भूलार्थ ही प्रतिपादित किया है। यथा—

यथा खलु विसनीपत्रस्य सिललिनमग्नस्य सिललस्पृष्टत्व-पर्यायेणानुभूयमानताया सिललस्पृष्टत्व भूतार्थमिप एकान्तत सिललास्पृश्य विसनीपत्रस्यभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् ।

इसमे यह वात झलकती है कि जल मे विद्यमान कमल-पत्र का जल के साथ दृश्यमान स्पर्श यद्यपि कमलपत्र का स्वत -सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव नहीं है फिर भी जल में डूवा हुआ तो वह है ही। अत उसका वह जल में डूवा हुआ रहना भूतार्थ ही है।

आगे भी वे इस प्रकार लिखते हैं कि "यथा चापा सप्ताचि प्रत्ययौष्ठय समाहितत्त्व पर्यायेणानुभूयमानताया सयुक्त-त्व भूतार्थमिप एकान्तत शोतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम-भूतार्थम्।"

इसमें भी यह बात झलकती है कि अग्नि के साथ सयोग को प्राप्त जल को उण्णता यद्यपि जल का स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव नहीं है उसका स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव तो शोतता ही है फिर भी अग्नि के साथ उसका सयोग तो है ही। अत वह भी भूतार्थ ही है।

आचार्य अमृतचन्द्र ने उक्त दोनो उदाहरण उस प्रकरण मे दिये हैं जहा आत्मा के स्वत सिद्ध प्रतिनियत चैतन्यस्वभाव का वर्णन किया है । अर्थात् वे यह कहना चाहते है कि यद्यपि आत्मा अनादिकाल से पुद्गल कर्म और नोकर्म के साथ स्पृष्ट एव वद्ध होकर चला आ रहा है यह नही समझना चाहिये कि वह उनके साथ स्पृष्ट एव वद्ध नहीं है, परन्तु इतना अवश्य है कि वह स्पृष्टता एव वद्धता उसका (आत्मा का) स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव नहीं है उसका स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव तो चैतन्य भाव ही है।

इस प्रकार उक्त ह्प्टान्तो, समयसार टीका के कथन। तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणो व ग्रन्थो के विवेचनो से यही सिद्ध होना है कि एक वस्तू के साथ दृश्यमान सयोग, आधाराधेयभाव तथा निमित्तनैमित्तिकभाव आदि सम्बन्ध स्वतः सिद्ध प्रतिनियत रूप मे भूतार्थ न होते हुए भी सद्भावात्मक रूप मे भूतार्थ ही है कल्पना मात्र नहीं है। केवल इतना अवश्य है कि वे स्वाश्रित न होकर पराश्रित ही है। एक बात और है कि लोक व्यवहार मे प्रवृत्त जनो का समस्त लोक व्यवहार पराश्रित होने के कारण यदि केवल किंपत मान लिया जाय उसमे कुछ भी सद्रूपता न मानी जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि अपनी-अपनी रुचि, आवव्यक्ता और परिस्थितिवश लोक व्यवहार मे प्रवृत्त रहने वाले प्रथम गूणस्थान से पष्ठ गुणस्थान तक के जीवो की उन प्रवृत्तियो को असद्भूत ही मानना होगा, ऐसी हालत मे लोक मे मिथ्यादृष्टि और सम्यग्द्रष्टि का, विरत, अविरत और देशविरत का, मुर्ख और विद्वान का, विक्षिप्त और अविक्षिप्त का, धर्मात्मा और अधर्मात्मा का तथा पृण्यात्मा और पापात्मा का जीवो मे पाया जाने वाला भेद समाप्त ही हो जायगा। इसी तरह प्रथम गुणस्थान से द्वादश गुणस्थान तक के ससारी जीवो के ज्ञान-दर्शन स्वभाव का जो उपयोगाकार परिणमन होता है उसमे उन्हे यथायोग्य पौद्गलिक हृदय, मरितष्क, तथा स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्णरूप इन्द्रियो व बाह्य प्रकाशादिक की जो अपेक्षा रहा करती है एव त्रयोदश गुणस्थान मे जीवो की योगप्रवृत्ति में जो मन, वचन और काय की अपेक्षा रहा करतो

है व चतुर्दश गुणस्थान मे जहा आत्म स्वभाव की पूर्णता के साथ योग प्रवृत्ति का पूर्णत अभाव भी हो चुका है—अघाती कर्मों और नोकर्मों का बद्धतारूप सयोग जो जीव को ससारी बनाये हुए है इन सब को या तो कथचित् मानना होगा अथवा इनके आधार पर सयोग, आधाराधेयभाव व निमित्तनैमित्तिकभाव आदि नयाश्रित सम्बन्धो को भी कथचित् सद्भूत ही मानना होगा। इनमे से कौनसी मान्यता सत्य है इसका निर्णय पाठक स्वय कर सकते हैं इस विषय मे अब अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

ऊपर उद्घृत प० फूलचन्द्र जी के कथन मे जो यह लिखा है कि "जो जिसका वास्तिविक आधार होता है वह उसका कभी भी त्याग नहीं करता। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कटोरी घी का वास्तिविक आधार है तो उमें कटोरी को कभी नहीं छोडना चाहिये परन्तु कटोरी को ओधा करने पर वह कटोरी को छोड ही देता है। इससे मालूम पडता है कि कटोरी घी का वास्तिविक आधार नहीं है उसका वास्तिविक आधार तो घी ही है क्योंकि वह उसे कभी नहीं छोडता।"

प० जी के इस कथन पर मैं यह कहना चाहता हू कि चूिक कटोरी घी का वास्तिवक आधार है इसिलये ही कटोरी को ओधा करने पर घी उसे छोड देता है। लेकिन प० जी के मतानुसार यदि कटोरी घी का वास्तिवक आधार नहीं है तो कटोरी को सीधा रखने पर भी उसमें से घी गिर क्यों नहीं जाता है ? अथवा कटोरी को ओधा करने पर वह घी गिर क्यों जाता है ? जविक कटोरी को सीधा रखने पर वह नहीं गिरता है। प० फूलचन्द्र जी के पास इस प्रश्न का कोई युक्ति सगत समाधान नहीं है क्योंकि वे कटोरी और घी में विद्यमान

आधाराधेयभाव को किल्पत ही मानते हैं। आगम के अनुसार तो उसका समाधान यह है कि चूकि कटोरी घी का वास्तविक आधार है इसलिये उसे जब तक कटोरी का सहारा मिल रहा है तब तक वह नहीं गिरता और जब उसे कटोरी का सहारा नहीं मिधता तब वह गिर जाता है।

घी का घी के साथ जो आघाराधेयभाव है वह भी वास्तिवक है और घी का कटोरी के साथ जो आघाराधेयभाव है वह भी वास्तिवक है तो इन दोनो प्रकार के आघाराघेयभावों में फिर अन्तर ही क्या रह जाता है ?—यदि कोई ऐसा प्रश्न करें तो इसका समाघान यह है कि आघाराघेयभाव तो दोनों ही वास्तिवक है परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि घी का घी के साथ जो आघाराघेयभाव है वह स्वाधित अर्थात् तादात्म्य को लिये हुए है और वह स्थायी है जब कि घी का कटोरी के साथ जो आघाराघेयभाव है वह पराश्रित अर्थात् पदार्थद्वयसयोगजन्य है और वह स्थायी भी नहीं है अर्थात् नष्ट होने वाला है। इस तरह यह निर्णीत हो जाता है कि जिस प्रकार घी का घी के साथ तादात्म्य सम्वन्ध के आघार पर निर्मित आघाराघेयभाव वास्तिवक है उसी प्रकार घी का कटोरी के साथ सयोग सम्वन्ध के आघार पर निर्मित आघाराघेयभाव वास्तिवक है उसी प्रकार घी का कटोरी के साथ सयोग सम्वन्ध के आघार पर निर्मित आघाराघेयभाव वास्तिवक है उसी प्रकार घी का कटोरी के साथ सयोग सम्वन्ध के आघार पर निर्मित आघाराघेयभाव भी वास्तिवक ही है गये के सीग की तरह किएत नहीं है।

दूसरी वात यह है कि प० फूलचन्द्र जी की "जो जिसका वास्तिविक आधार है वह उसका कभी त्याग नहीं करता" यह सिद्धान्त यदि मान्य है तो फिर आकाश द्रव्य भी अपने से भिन्न अन्य सभी वस्तुओं का वास्तिविक आधार सिद्ध हो जाता है क्योंकि विश्व की कोई भी वस्तु कभी आकाश को नहीं छोडती है। लेकिन इस तरह प० जी द्वारा आकाश को विश्व की सभी वस्तुओ का वास्तिवक आधार मान लिये जाने पर उनकी यह मान्यता ही समाप्त हो जायगी कि "एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो सयोग सम्वन्घ या आधाराधेयभाव किल्पत किया जाता है उसे अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये।"

यहा यह बात अवज्य ध्यान मे रखनी चाहिये कि प० फूलचन्द्र जी अपरमार्थभूत का अर्थ कि लिपत ही करते है। लेकिन यदि वे अपरमार्थभूत का अर्थ पराश्रितरूप कर लेते है तब कोई विरोध नहीं रह जाता है। इतना अवश्य है कि इस तरह पराश्रित सयोगादि सम्बन्धों की वास्तविकता सिद्ध हो जाती है जो उन्हें अभीष्ट नहीं है।

प० पूलचन्द्र जी दो आदि वस्तुओ के आश्रय से सत्ता प्राप्त सयोग, आधाराधेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव आदि सम्बन्धों को केवल कल्पना का विषय मान कर एक वस्तु के आश्रय से सत्ता प्राप्त तादात्म्य सम्बन्ध को ही वास्तविक मानने का आग्रह करते है जैसा कि उन्होंने लिखा है—"माने गये सम्बन्धों में एक मात्र तादात्म्य सम्बन्ध ही परमार्श्वभूत है इसके सिवा निमित्तादि की दृष्टि से अन्य जितने भी सम्बन्ध कल्पित किये गये है उन्हे उपचरित अतएव अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये।"

प० जी इस कथन द्वारा घी का घी के साथ तादातम्य सम्बन्ध स्वीकार करके "घी का आघार घी ही है" ऐसा मान रहे हैं, परन्तु इसमे विचारणीय बात यह है कि जब घी स्वय एक अखण्ड वस्तु है तो उसमे तादातम्य सम्बन्ध भी कैसे बन सकता है वियोकि कोई भी सम्बन्ध, फिर भले ही वह तादातम्य ही क्यो न हो, भेद के आधार पर ही बनता है। दो आदि वस्तुओ मे जिन सम्बन्धो को स्वीकार किया गया है

आधाराधेयभाव को कल्पित ही मार्ने तो उसका समाधान यह है कि चूर्षे अधारा है इसलिये उसे जब तक कर है तब तक वह नहीं गिरता और ज

घी का घी के साथ जो व वास्तिविक है और घी का कटोरी वे है वह भी वास्तिविक है तो इन दोन मे फिर अन्तर ही क्या रह जाता है करे तो इसका समाधान यह है कि ही वास्तिविक हैं परन्तु दोनों मे अ साथ जो आधाराधेयभाव है वह स्व लिये हुए है और वह स्थायी है जं जो आधाराधेयभाव है वह पराश्चिं है और वह स्थायी भी नहीं है अश् तरह यह निर्णात हो जाता है कि साथ तादात्म्य सम्बन्ध के आधार, वास्तिविक है उसी प्रकार घी का व़ के आधार पर निमित आधाराधेय गधे के सीग की तरह किल्पत नहीं

दूसरी वात यह है कि प० पू वास्तविक आधार है वह उसका व सिद्धान्त यदि मान्य है तो फिर आ अन्य सभी वस्तुओ का वास्तविक क्योंकि विश्व की कोई भी वस्तु कृ है। लेकिन इस तरह प० जी द्वारा Similar and a series of the se

一方の一方で

THE STATE OF THE S

अभेद दृष्टि रहा करती है तब तक वहाँ तादात्म्य सम्बन्ध की स्थापना भी अयुक्त है। तात्पर्य यह है कि तादात्म्य सम्बन्ध अभिन्न एक वस्तु में हमें भेद का दर्शन कराने वाला है। यहीं कारण है कि तादात्म्य का अर्थ आगम में भेदाभेद ही स्वीकार किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकल आता है कि तादात्म्य और सयोगादि सम्बन्ध भेद परक ही सिद्ध होते है और जब तादात्म्य सम्बन्ध सयोगादि सम्बन्धों की तरह भेदपरक ही सिद्ध होता है तब तादात्म्य सम्बन्ध ही वास्तिवक है सयोगादि सम्बन्ध वास्तिवक नहीं है किल्पत हो है—ऐसा मानना अयुक्त ही है। इतना अवश्य है जहाँ तादात्म्य सम्बन्ध अखण्ड एक वस्तु में स्वरूप और स्वरूपवान का तथा प्रदेश का प्रदेशवान का भेद करने पर निष्पन्न होता है वहाँ सयोगादि सम्बन्ध स्व-भावतः प्रथम्भूत दो आदि वस्तुओं में निष्पन्न होते है अर्थात् तादात्म्य जहाँ अभेद में भेद का दर्शन कराता है वहाँ सयोगादि साम्बन्ध स्व-भावतः प्रथम्भूत दो आदि वस्तुओं में निष्पन्न होते है अर्थात् तादात्म्य जहाँ अभेद में भेद का दर्शन कराता है वहाँ सयोगादि स्वादात्म्य जहाँ अभेद में भेद का दर्शन कराता है वहाँ सयोगादि स्वादात्म्य जहाँ अभेद में भेद का दर्शन कराता है वहाँ सयोगादि सेद में अभेद के दर्शन कराते है।

यद्यपि समयसार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थो मे एक तादात्म्य सम्बन्धको छोडकर शेष दो आदि वस्तुओ के आश्रय से निष्पन्न सयोगादि सम्बन्धो का निषेध किया है परन्तु जहाँ जिन आध्यात्मिक ग्रन्थो मे उक्त सयोगादि सम्बन्धो का निषेध किया है वहा उन्ही आध्यात्मिक ग्रन्थो मे उन सयोगादि सम्बन्धो की सत्ता भी स्वीकार की गई है उन्हे किल्पत नही माना गया है जैसा कि प० फूलचन्द्र जी मानना चाहते है। इसलिए विचारणीय बात केवल इतनी ही है कि आध्यात्मिक ग्रन्थो मे क्यो तो सयोगादि सम्बन्धो का निषेध किया है और क्यो उन्हे स्वीकार किया है शौर इस पर विचार करने से यह बात समझ मे आ जाती है कि समयसार आदि आध्यात्मिक वहा तो भेद के दर्शन स्पष्ट होते है, परन्तु एक ही वस्तु में जो तादातम्य सम्बन्ध जैनागम में स्वीकार किया गया है उसका आधार भी उस वस्तु में स्वरूप और स्वरूपवान तथा प्रदेश और प्रदेशवान के भेद की स्वीकृति ही है।

इस कथन से यह निष्कर्ष निकला कि घी का तादातम्य घी के साथ न होकर उसके स्वरूप अथवा प्रदेशों के साथ ही है। "क्व भवानास्ते ? स्वात्मिन" इत्यादि स्थानो पर भी स्वारमा का अर्थ उसका अपना स्वरूप अथवा उसके अपने प्रदेश ही ग्रहण किये गये हैं। इस तरह "आए कहा रह रहे हैं ?" इस प्रक्त का भेदपरक यही समाधान उपयुक्त माना गया है कि ''हम अपने स्वरूप अथवा प्रदेशों में ही रह रहे हैं" अभेदपरक यह समाधान उपयुक्त नही है कि ''हम हमो मे रह रहे हैं।" क्यों कि अभिन्न एक वस्तु मे आघार और आधेय इन दो अवस्थाओ की स्थिति बिना मेदस्थिति को स्वीकार किये नहीं बनती है । इसका कारण यह है कि जो आधार है वह आधेय नहीं है और जो आघेय है वह आधार नहीं है। तथा यह वात निश्चित है कि उक्त तादातम्य सम्बन्ध मे भी आधाराघेयभाव का बोघ होता है। इसलिये प० फूलचन्द्रजी का यह कथन कि ''घी का वास्तविक आधार घी ही है'' इसी रूप मे सगत होता है कि घी का वास्तविक आघार उसका स्वरूप अथवा उसके प्रदेश ही हैं।

इस तरह यह वात अत्यन्त स्पष्ट हो जातो है कि एक वस्तु मे भी जब स्वरूप और स्वरूपवान का अथवा प्रदेश और प्रदेशवान का भेद विवक्षित होता है तभी वहाँ पर तादात्म्य सम्वन्घ की स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त जब तक उसमे है। इसलिए प० फूलचन्द्रजी ने केवल तादातम्य सम्वन्ध को ही वास्तविक बतलाते हुए शेष दो आदि वस्तुओ के आश्रय से निष्पन्न सयोगादि सम्बन्धो को जो अवास्तविक बतलाया है वह असत्य ही है।

वात वास्तव मे यह है कि आत्मा नाम की अनादि-निधन, स्वत सिद्ध प्रतिनियत चैतन्य स्वभाव वाली वस्तु का अनादिकाल से पुद्गल नाम की अन्य अचेतन्य स्वभाव वाली वस्तु के परिणमन ज्ञानावरणादि कर्मों और शरीरादि नोकर्मों के साथ बद्ध (मिला हुआ) एकत्व चला आ रहा है लेकिन आत्मा ओर कर्म तथा नोकर्म का यह मिला हुआ एकत्व सद्भूत होते हुए भी आत्मा का स्वत सिद्ध निजी एकत्व नही है। अब यह वात है कि अज्ञानीजनो को इस मिले हुए एकत्व मे मिलावट के दर्शन न होकर अखण्ड एकत्व के ही दर्शन हो रहे हैं । अर्थात् अनादिनिधन स्वत सिद्ध प्रतिनियत उक्त स्वभाव वाले अखण्ड आत्मा के दर्शन उन अज्ञानी जीवो को उस मिले हुए एकत्व से पृथक् रूप मे नहीं हो रहे है अत समय-सार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों में उन अज्ञानी जीवों के सबोध-नार्थ यह प्रयास किया गया है कि भो । ससारी प्राणियो । तुम्हे अपनी इस कर्म और नोकर्म रूप पुद्गलो के साथ विद्यमान मिलावट मे ही जो अनादिकाल से निजी एकत्व का दर्शन हो रहा है अर्थात् उसे तुम जो अपना स्वरूप समझ बैठे हो, वह तुम्हारा भ्रम है उसे तुम अपना निजी स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वरूप नही समझो, तुम्हारी यह स्थिति तो कर्म तथा नोकर्मरूप पुद्गल द्रव्य के सयोग से बन रही है, इसे अपनी स्वतन्त्र स्वरूप स्थिति समझना मिथ्या है, तुम्हारा अपना स्वत सिद्ध

ग्रन्थों में एक तादातम्य सम्बन्ध के अलावा सयोगादि सम्बन्धों का जो निषेध किया है उसका कारण यह है कि कोई भी वस्तु उसी हालत में स्वतन्त्र रूप से वरत् मानी जा सकती है जबिक उसका स्वत सिद्ध अनादिनिधन प्रतिनियत अस्तित्व हो, उस-लिए जव हम दूसरी वस्तुओं में मयुक्त अथवा अमयुक्त किसी भी वस्तु वे निजी अम्तित्व की सिद्धि करना चाहते हैं तो यह सिद्धि एक तादातम्य सम्बन्ध के आधार पर ही हो सकती है सयोगादि सम्बन्धों के आधार पर नहीं, क्योंकि मयोगादि सम्बन्ध अपने आप मे वास्तविक होते हुए भी किसी भी वस्तु के निजी वस्तुत्व की सिद्धि में महायक नहीं होते है और इसका भी कारण यह है कि सयोगादि सम्बन्ध पहले से हो स्वतन्त्ररूप से सिद्ध वस्तुओं में ही हुआ करने है। समयसार आदि आव्या-त्मिक गन्थों में सयोगादि सम्बन्धों का निषेध इसी दृष्टि से किया गया है, ऐसा नही समझना चाहिये कि सयोगादि सम्बन्ध सर्वया कल्पित ही हैं। क्योंकि समयम।र ग्रय के रचयिता आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार के सर्वविशृद्ध ज्ञानाधिकार मे "चेया द पयडीयत्य" इत्यादि गायाओ द्वारा स्वय ही आत्मा और प्रकृति (पुद्गल) दोनो का समारोत्पत्ति का कारणभूत वन्य स्वीकार किया है। दो आदि पुद्गल परमारगुओ का स्कन्बरूप परिणमन यदि उनका एक क्षेत्रावगाह रूप सर्योग नही है तो फिर क्या है ? इसी प्रकार दूध और जल का तथा सोना और चाँदी का एक क्षेत्रवगाहरूप सयोग प्रत्यक्ष ही देखने मे बाता है। इस प्रकार जिस तरह एक ही वस्तू मे स्वरूप और स्वरूपवान का तथा प्रदेश और प्रदेशवान का भेद करके तादा-त्म्य सम्बन्ध की सत्ता सिद्ध होती है उसी तरह दो आदि स्व-तन्त्र वस्तुओं में भी सयोगादि सम्बन्धों की सत्ता सिद्ध होती

अहमेदं एदमह अहमेदसेव होमि मम एद।
अण्ण ज परदव्व सचित्ताचित्त मिस्स वा।।२५।।
आसि मम पुव्वमेद अहमेद चावि पुव्वकालिहा।
होहिदि पुणोवि मज्भ अहमेद चावि होस्सामि।।२६।।
एव तु असभूदं आदिवयण्पं करेदि समूढो।
भूदत्य जाणन्तो ण करेदि दु त असमूढ़ो।।२७।।
अण्णणमोहिदमदो मज्झिमिण भणिद पुगल दव्व।
बद्धमबद्ध च तहा जीवो बहुभाव सजुत्तो।,२८।।
सवण्हुणाणिदिहो जीवो उवभोगलक्खणोणिच्च।
कह सो पुगलदव्वी भूदो ज भणिस मज्झिमिण।।२६।।
जिद सो पुगलदव्वी भूदो जीवत्तामागद इदर।
तो सक्का बुत्तु जे मज्भिमिण पुगल दव्व।।३०।।

इन गाथाओं का भाव यह है कि जो जीव अपने से भिन्न जितना भी सिचत्त, अचित्त और सिचताचित्ता (मिश्र) पदार्थ समूह है उसके साथ 'मैं यह हूँ', 'यह मैं हूँ', 'ये मेरा है', 'मैं इसका हूँ' इस प्रकार वर्तमान रूप और इसी प्रकार भूत तथा भविष्यद्रूप असत्य विकल्प करता रहता है वह अज्ञानी है और जो अपनी तथा पर की वास्तविक (स्वतन्त्र) स्वरूप स्थित को समझ लेता है वह ज्ञानी है। जब तक जीव की बुद्धि मोहकर्म से आच्छादित रहती है तब तक ही वह बद्ध तथा अबद्ध पुद्गल द्रव्य मे अहभाव और ममभाव किया करता है। चूँकि सर्वज्ञ के ज्ञान मे जीव नित्य उपयोग स्वरूप ही प्रतिभासित हुआ है अत वह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है? यदि जीव पुद्गल द्रव्यरूप हो जाता व पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य रूप हो जाता तो कहा जा सकता था कि पुद्गल द्रव्य मेरा है।

प्रतिनियत ज्ञायकत्वरूप स्वभाव इससे पृथक् हो है। इस प्रकार आत्मा और पीट्गलिक कर्म तथा नोकर्म की मिलावट से वने हुए एकत्व मे भी अपने पृथक् एकत्व का ज्ञान अज्ञानीजनो को करा देना ही समयसार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थो का उद्देश्य है क्योंकि जब तक अज्ञानीजन इस मिलावट को मिलावट नहीं समझकर अखण्ड एकरूपता ही इसमें समझते रहेगे तब तक वे अपने कत्याण मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। समयसार की निम्नलिखित गाथाये इसी अभिप्राय को प्रगट करती हैं।

सुदपरिचिदागुभूदा सन्वस्स विकामभोगवन्धकहा।
एयत्तरसुवलम्भो णवरि रा सलभो विहत्तरस ॥४॥
त एयत्तविभत्त दाएह अप्पराो सविहवेण।
जदि दाएजज पमाण चुविकज्ज छल रा चित्तन्व ॥४॥

इन गाथाओं का भाव यह है कि ससारी प्राणी अपने इस कर्म-नोकर्म की मिलावट से वने एकत्व में अनादिकाल से रम रहे हैं इसलिये आचार्य कहते हैं कि आत्मा के स्वतन्त्र एकत्व का उन्हें भान करा देना हो इस ग्रन्थ-निर्माण में मेरा उद्देश्य है। इसके आगे अज्ञानी का लक्षण समयसार में निम्न प्रकार वतलाया है—

कम्मो णोक्रम्मिह्य य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्मा । जा एसा खलु चुद्धी अप्पडिबुद्धी हबदि ताव ॥२२॥

अर्थ — जव तक जीव कर्म और नोकर्म मे अपना और अपने मे कर्म और नोकर्म का रूप देखता रहता है तब तक वह अज्ञानी है।

इसके आगे समयसार मे हो ज्ञानी और अज्ञानी का भेद निम्न वतलाया गया है— अहमेदं एदमह अहमेदस्सेव होमि मम एद।
अण्ण ज परदन्व सचित्ताचित्त मिस्स वा।।२४।।
आसि मम पुन्वमेद अहमेद चावि पुन्वकालिह्य।
होहिदि पुणोवि मज्भ अहमेद चावि होस्सामि।।२६।।
एव तु असभूदं आदवियण्प करेदि समूहो।
भूदत्थ जाणन्तो ण करेदि दु त असमूढो।।२७।।
अण्णणमोहिदमदो मज्झमिरण भणिद पुग्गल दन्व।
बद्धमबद्ध च तहा जीवो बहुभाव सजुत्तो।,२८।।
सवण्हुणाणािदहो जीवो उवभोगलक्षणोिणच्च।
कह सो पुग्गलदन्वी भूदो जीवत्तामागद इदर।
तो सक्का बुत्तु जे मज्भिमिरा पुग्गल दन्व।।३०।।

इन गाथाओं का भाव यह है कि जो जीव अपने से भिन्न जितना भी सचित्त, अचित्त और सिन्ताचित्ता (मिश्र) पदार्थ समूह है उसके साथ 'मै यह हूँ', 'यह मैं हूँ', 'ये मेरा है', 'मैं इसका हूँ' इस प्रकार वर्तमान रूप और इसी प्रकार भूत तथा भविष्यद्रूप असत्य विकल्प करता रहता है वह अज्ञानी है और जो अपनो तथा पर की वास्तविक (स्वतन्त्र) स्वरूप स्थित को समझ लेता है वह ज्ञानी है। जब तक जीव की बुद्धि मोहकर्म से आच्छादित रहती है तव तक ही वह बद्ध तथा अबद्ध पुद्गल द्रव्य मे अहभाव और ममभाव किया करता है। चूँ कि सर्वज्ञ के ज्ञान मे जीव नित्य उपयोग स्वरूप ही प्रतिभासित हुआ है अत वह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है? यदि जीव पुद्गल द्रव्यरूप हो जाता व पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य रूप हो जाता तो कहा जा सकता था कि पुद्गल द्रव्य मेरा है।

इस विवेचन से यह वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि समयसार आदि ग्रन्थों में जितना भी विवेचन मिलता है उसमें यही दृष्टि रही है कि जो प्राणी अपने से पृथक् अथवा अपृथक् रूप में विद्यमान परपदार्थों में अहकार अथवा ममकार करता रहता है वह ससार में ही भ्रमण करता रहता है उसके ससार का कभी विच्छेद होने वाला नहीं है और जो प्राणी उन पर-पदार्थों में अपने अहकार और ममकार को समाप्त कर वेता है। वह ससार परिश्रमण का उच्छेद करके मृक्ति प्राप्त कर वेता है।

इस प्रकार अखण्ड एक वस्तु मे स्वरूप और स्वरूपवान तथा प्रदेश और प्रदेशवान का भेद दिखलाकर जो तादात्म्य सम्बन्ध की स्थापना की जाती है वह तथा उसके आधार पर माने जाने वाले आधाराधेयभाव व उपादानोपादेयभाव आदि सम्बन्ध जिस प्रकार सद्भूतता को लिये हुए हैं उसी प्रकार दो आदि स्वतन्त्र वस्तुओं मे पाये जाने वाले आधाराधेयभाव व निमित्तनैमित्तिकभाव आदि सम्बन्ध भी सद्भूतता को लिये हुए ही है। इनमे केवल इतना ही अन्तर स्वतन्त्र अपने अस्तित्व (सद्भूतता) के निर्माण मे जो पदार्थ परस्पराश्रित है उनका तो तादात्म्य सम्बन्ध होता है और स्वतन्त्ररूप से अस्तित्व (सद्भूतता) को प्राप्त पदार्थों का सयोग सम्बन्ध हुआ करता है। इस तरह सयोग सम्बन्ध को कथन मात्र, असत्य या असद्भूत नहीं समझना चाहिये।

प० फूलचन्द्र जी के पूर्वोद् शत व थन मे और भी जो यह लिखा है कि "बहुत से मनीपी यह मानकर कि इससे व्यवहार का लोप हो जायगा, ऐसे किल्पत सम्बन्धों को परमार्थभूत मानने की चेष्टा करते हैं, परन्तु यही उनकी सबसे बढ़ों भूल है क्योंकि इस भूल के सुघरने से यदि उनको व्यवहार का लोप होकर परमार्थ की प्राप्ति होती है तो अच्छा ही है। ऐसा व्यवहार का लोप भला किसे इष्ट नहीं होगा। इस ससारी जीव को स्वय निञ्चय स्वरूप वनने के लिये अपने में अनादिकाल से चले आ रहे इस अज्ञानमूलक व्यवहार का ही तो लोप करना है उसे और करना ही क्या है वास्तव में देखा जाय तो यही उसका परम (सम्यक्) पुरुपार्थ है इसलिये व्यवहार का लोप हो जायगा इस भ्रान्तिवज्ञ परमार्थ से दूर रह कर व्यवहार को ही परमार्थ समझने की चेष्टा करना अनुचित है।"

प० फूलचन्द्र जी के इस कथन पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूर्व विवेचन के अनुसार सयोगादि सम्बन्धों के विपय में सद्भूतता और असद्भूतता को लेकर मेरी प० जी के साथ यद्यपि मतिभन्नता पायी जाती है तो भी प० जी के उक्त कथन की कई बातों में मेरा उनके साथ मतैक्य है। इसलिये मतभेद और मतैक्य की स्थिति को उपयोगी समझकर मैं यहां स्पष्ट कर रहा हूँ।

(१) प० जी की तरह मैं भी यह मानता हूँ कि जो लोग परमार्थ से दूर रहकर व्यवहार को हो परमार्थ समझने की चेण्टा करते है वे अज्ञानी हैं। परन्तु इस विषय मे मेरा प० जी के साथ मतंक्य का कारण यह नहीं है कि एक सद्भूत और दूसरा असद्भूत (कथनमात्र, असत्य या काल्पनिक) है विल्क मतंक्य का कारण यह है कि प० जी ने अपने कथन मे परमार्थ से निश्चय का अर्थ ग्रहण किया है और यह निविवाद है कि व्यवहार अपने आप मे सद्भूत होते हुए भी कभी निश्चयरूप नहीं होता है।

- (२) पं० जी की इस वात को भी मैं मानता हू कि ससारी जीव को स्वय निश्चय स्वरूप वनने के लिये अनादिकाल से चले आ रहे अपने अज्ञानमूलक व्यवहार का ही लोप करना है। परन्तु इस विषय मे मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसके लिये (संसारी प्राणी के लिये) पराश्रित अशुभ प्रवृत्तिरूप व्यवहार तो सर्वथा हैय है, लेकिन पराश्रित ग्रुम प्रवृत्तिरूप व्यवहार हेय होते हुए भी किसी एक सीमा तक उन ससारी जीवों के लिये भी उपादेय हैं जो स्वय (आप) निश्चयस्वरूप वनने की चेष्टा करने लगते हैं। अर्थात् धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों का अपने जीवन में समन्वय करते हुए अन्त में केवल धर्म पुरुषार्थी अर्थात् मोक्ष पुरुपार्थी वन नाते हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यवहार ऐसा भी होता है जो त्याच्य तो है लेकिन उसे छोड़ने के लिये जीव को पुरुषार्थ नही करना पडता है वह अनुकूल परिस्थितियो का निर्माण होने पर स्वत छूट जाता है तथा एक व्यवहार ऐसा भी होता है जो न तो त्याज्य है और न कभी छूटता ही है। इन सब प्रकार के व्यवहारों के विषय में मैं आगे विवेचन करूंगा।
- (३) प० जी की उस कात से भी मैं सहमत हूँ कि जिन्हें व्यवहार के लोप का भय बना हुआ है वे अज्ञानों हैं परन्तु इस विषय में भी मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि विवक्षित व्यवहार का लोप करके निश्चयरूप बनना तो उत्तम है लेकिन व्यवहारिश्रित बने रह कर अपने को परमार्थवादी (निश्चयस्वरूप) समझने वाले जो लोग व्यवहाररूप प्रवृत्ति करते हुए भी अपनी परमार्थवादिता (निश्चयरूपता) को प्रगट करने के लिये पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति और पापमय अग्रुभ प्रवृत्ति के मध्य पाये जाने वाले अन्तर को सर्वथा समाप्त कर देना

चाहते हैं तथा व्यवहार धर्म को भी अधर्म की तरह सर्वेथा ससार का कारण बतलाकर उसके महत्व को समाप्त कर देना चाहते है उनकी इस तरह की मान्यता से विवेकीजनो का भयभीत होना उचित हो है। क्योंकि जनसाधारण "हेये स्वय सती बुद्धिर्यत्नेना-प्यसती शुभे" इस नीति वाक्य के अनुसार स्वभाव से ही पाप प्रवृत्तिरूपं व्यवहार मे सर्वदा रुचि रख रहा है। इसलिये उसकी दृष्टि मे पाप प्रवृत्तिरूप व्यवहार मे और पुण्य प्रवृत्तिरूप व्यवहार मे तथा कषाय का क्षयोपशम हो जाने पर उत्पन्न कथचित् निवृत्ति-रूपव्यवहार जिसे व्यवहारधर्म नाम से आगम मे पुकारा गया है-मे यदि अन्तर समाप्त हो जाता है तो लोक मे व्यवहारधर्माचरण के साथ-साथ शुभ प्रवृत्तिरूप पुण्याचरण की समाप्ति होकर केवल अशुभ प्रवृत्तिरूप पापाचरण का ही बोलवाला हो जायगा। वयोकि जनसाधारण का इन सबसे युगपत् छुटकारा पाकर सर्वथा निवृत्यात्मक निश्चयधर्म मे पहुँच जाना सम्भव नही है। अर्थात् आगम की व्यवस्था यह है कि पापप्रवृत्तिरूप व्यवहार के यथायोग्य त्याग के साथ पृण्यप्रवृत्तिरूप व्यवहार को अपनाना उत्तम है और आगे अशक्ति, आवश्यकता और वर्तव्यवश पाप और पुण्य प्रवृत्तिरूप व्यवहार को अपनाते हुए भी यथाशक्ति कथचित् निवृत्तिरूप व्यवहारधर्म को स्वीकार करना उत्तम है, कारण कि इस क्रम से ही अन्त मे सर्वथा निवृत्तिरूप निश्चयधर्म पर पहुँचा जा सकता है।

उपर्युक्त सभी वातो पर विस्तृत प्रकाश डालने की आवश्यकता है अत निश्चय और व्यवहार की स्थिति क्या है ?, किस प्रकार का व्यवहार सर्वथा हेय है ?, किस प्रकार का व्यवहार सर्वथा हेय है ?, किस प्रकार का व्यवहार हेय होकर भी कहाँ तक उपादेय है ?, किस प्रकार का व्यवहार यथास्थान अपने आप छूट जाता है उसे छोडने का

प्रयत्न नहीं करना पहता है ? और किस प्रकार का व्यवहार न तो कभी छूटता है और न उसे छोड़ने की आवश्यकता ही है ? इन प्रश्नो पर यहाँ विचार किया जाता है। इनमे से मैं सर्व-प्रथम निश्चय और व्यवहार के रूपो का दिग्दर्शन करा रहा हूँ—

निश्चय और व्यवहार के रूप

आगम मे वस्तु को द्रव्य, गुण और पर्यायात्मक स्वीकार किया गया है जैसा कि पश्चास्तिकाय के ज्ञेयाधिकार की गाया १ मे पाया जाता है—

अत्थो खलु दन्वमओ दन्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि । तेहि पुणो पन्नाया पन्नयमूढा हि परसमया ॥१॥

अर्थ-वस्तु द्रव्यरूप है, द्रव्य गुण स्वरूप होता है और द्रव्य तथा गुण दोनो की पर्याये होती हैं। जितने परसमय हैं वे सब पर्याय में विमूढ हो रहे हैं अर्थात् पर्याय को हो सब कुछ मान रहे हैं।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु यद्यपि अखण्ड एक रूपता को प्राप्त हो रही है फिर भी उसमे आवश्यकतानुसार द्रव्य, गुण और पर्यायरूप से विभाजन भी विद्यमान है। इस प्रकार वस्तु की अखण्ड एक रूपता का नाम निश्चय है और द्रव्य, गुण तथा पर्याय के रूप में भेद स्थिति का नाम व्यवहार है।

वस्तु के स्वत सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप की अखडता निश्चय कोटि में आती है और उस स्वरूप की खण्डात्मक भेद स्थिति व्यवहार कोटि में आती है। इसो आधार पर समयसार में क्षात्मा के अखण्ड ज्ञायकत्वरूप स्वभाव को निश्चय कोटि में और उसकी दर्शन, ज्ञान और चारित्रात्मक भेद स्थिति को व्यवहार कोटि में समाविष्ट किया गया है। यथा—

ण वि होदि अप्पमतो ण पमतो जाणओ दु जो भावो । एव भणति सुद्ध रगाओ जो सो उ सो चेव ॥६॥ ववहारेसुवदिस्सद्द णाणिस्स चरित्त दसणं णाणं। प वि णारा रा चरितंण दसणं जारागो सुद्धो ॥७॥

अर्थ—आत्मा स्वरूप की दृष्टि (निश्चय दृष्टि) से प्रमत्ताता और अप्रमत्ताता से रिहत ज्ञायकस्वरूप है और उसका यह जायक रूप स्वतः सिद्ध होने से स्वतन्त्र, अनादिनिधन और अखण्ड है। इस ज्ञायक रूप मे यद्यपि व्यवहारदृष्टि से (भेद-दृष्टि से) दर्शन, ज्ञान और चारित्र की स्थिति को भी मान्य किया गया है परन्तु निश्चयदृष्टि से (अभेददृष्टि से) न दर्शन की स्थिति है, न ज्ञान की स्थिति है ओर न चारित्र की स्थिति है केवल सुद्ध (स्वतन्त्र, अनादिनियन और अखण्ड) ज्ञायक रूप ही स्थिति है।

प्रथम और हितीय दोनो गाथाओं मे पठित 'मुद्ध' शब्द को आत्मा के स्वरूप ज्ञायकत्व मे विद्यमान अखण्ड एकत्व, अनादिनिधनत्व और आत्मिनिभेरता के रूप मे निश्चयार्थ का चोधक जानना चाहिये। इस प्रकार प्रथम गाथा और द्वितीय गाथा का उत्तरार्ध दोनो आत्म स्वरूप की निश्चय स्थित के प्रतिपादक है तथा दूसरी गाथा का पूर्वाद्धं उसकी व्यवहार स्थित का प्रतिपादक है।

यस्तु मे उसके स्वत सिद्ध स्वरूप सामान्य की अपेक्षा विद्यमान त्रेकालिक ध्रुवता का नाम निश्चय है और उसमे १८४ प्रवर्तमान स्वप्रत्यय व स्वपरप्रत्यय परिणमनो की अपेक्षा विद्यमान उत्पाद तथा व्यय का नाम व्यवहार है।

जैनदर्शन में वस्तु को जैसा उत्पाद,व्यय और घ्रीव्यात्मक माना गया है वैसा ही सामान्य विशेपात्मक भी माना गया है। इस तरह वस्तु की या वस्तु स्वरूप की सामान्यरूपता का नाम निश्चय है और उनकी विशेपरूपता का नाम व्यवहार है।

इसी तरह वस्तु की उसके अपने प्रदेशों के साथ विद्यमान अखण्डात्मकता का नाम निश्चय है और नाना प्रदेशों के रूप में विद्यमान खण्डात्मकता का नाम व्यवहार है।

इस तरह प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध मे निश्चय और व्यव-हार के अनेक विकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जैसे—

द्रव्य और गुण मे विद्यमान अभेदरूपता का नाम निष्चय है और भेदरूपता का नाम व्यवहार है। द्रव्य और पर्याय के विकल्पो मे द्रव्यरूपता निश्चय है और पर्यायरूपता व्यवहार है। गुण और पर्याय के विकल्पो में गुणरूपता निश्चय है और पर्यायरूपता व्यवहार है। सहवतित्व और क्रमवित्व, अन्वय और व्यतिरेक तथा योगपद्य और क्रम के विकल्प युगलों में पूर्व-पूर्व का विकल्प निञ्चयरूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहार रूप है। निर्विकल्पकता और सिवकल्पकता, शक्ति-रूपता और व्यक्तिरूपता प्रया लव्धिरूपता और उपयोगरूपता के विकल्पयुगलो में पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चयरूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहाररूप है। वास्तविकता और कल्पितरूपता, अनुपचरितता और उपचरितता, भावरूपता और अभावरूपता तथा स्वभावरूपता और विभावरूपता के विकल्प युगलो मे पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चय रूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहाररूप है। भावरूपता और द्रव्य-रूपता तथा अन्तरङ्गरूपता और वहिरङ्गरूपता के विकल्पयुगलो मे पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चयरूप है और उत्तर-उत्तर का

विकल्प व्यवहाररूप है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के विकल्पो मे भावरूपता निश्चय का और नाम, स्थापना तथा द्रव्यरूपता व्यवहार का विकल्प है। स्वतन्त्रता और परतन्त्रता, स्वाश्रयता और पराश्रयता तथा अवद्धता और बद्धता विकल्प युगलो मे पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चय रूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहाररूप है। इसी तरह ससार और मुक्ति के विकल्पो मे ससार व्यवहार का और मुक्ति निश्चय का विकल्प है। कार्य और कारण, साध्य और साधन तथा उद्देश्य और विघेय के विकल्पयुगलो मे पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चयरूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहार रूप है । इसी तरह उपादेयता और नैमित्तिकता के विकल्पो मे उपादेयता निश्चय का और नैमित्तिकता व्यवहार का विकल्प है। उपादान और निमित्त के विकल्पो मे उपादानता निक्चय का और निमित्तता व्यवहार का विकल्प है। स्वप्रत्ययता और स्वपरप्रत्ययता के विकल्पो मे स्वप्रत्ययता निञ्चय का और स्वपरप्रत्ययता व्यवहार का विकल्प है । स्वपरप्रत्यय परिणमन मे स्वप्रत्ययता निश्चय का और परप्रत्ययता व्यवहार का विकल्प है। यहाँ इतना विशेप समझना चाहिये कि कार्य या तो स्वप्रत्यय होता है या स्वपरप्रत्यय होता है कोई भी कार्य केवल परप्रत्यय नही होता है। साक्षाद्रूपता और परम्परारूपता के विकल्पो मे पहला निञ्चय का और दूसरा व्यवहार का विकल्प है। भूत, भविष्यत् और वर्तमान के विकल्पो मे वर्तमानता निश्चय का और भूतता तथा भविष्यत्ता व्यवहार का विकल्प है। सामान्य और विशेष, सग्रह और व्यवहार, सक्षेप और विस्तार तथा ओघ और आदेश के विकल्पों में पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चय का और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहार का है। द्रव्यानुयोग को दृष्टि से विधिरूपता निश्चय का और निषेधरूपता व्यवहार का तथा करणानुयोग को दृष्टि से निषेधरूपता निश्चय का और विधिरूपता व्यवहार का विकल्प है। द्रव्यानुयोग और करणानुयोग दोनो मे से द्रव्यानुयोग का विषय निश्चयरूप और करणानुयोग का विषय व्यवहाररूप है। इसी तरह करणानुयोग चरणानुयोग दोनो मे करणानुयोग का विषय निश्चयरूप और चरणानुयोग का विषय व्यवहाररूप है और इसी तरह चरणानु-योग और प्रथमानुयोग दोनो मे चरणानुयोग का विषय निश्चय रूप व प्रथमानुयोग का विषय व्यवहाररूप है। व्यष्टिप्रधान आध्यात्मिक दृष्टि से प्रवृत्ति व्यवहार का और निवृत्ति निश्चय का विकल्प है यथा समष्टि प्रधान लौकिक दृष्टि से प्रवृत्ति निश्चय का और निवृत्ति व्यवहार का विकल्प है। द्रव्यानुयोग की दृष्टि मे सत् और असत्, तत् और अतन्, नित्य अनित्य, एक और अनेक, अभिन्न और भिन्न तथा अवक्तव्य और वक्तव्य के विकल्पों में पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चय का और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहार का है। करणानुयोग की दृष्टि में कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के आधार पर होने वाली आत्मा की अवस्था व्यवहार हप है और कर्म से अनपेक्ष आत्मा की स्वत् सिद्ध अवस्था निश्चय रूप है। इसी तरह कर्म के उदय के आधार पर होने वाली आत्मा की औदियक रूपता विभावरूप व्यवहाररूपता है, कर्म के क्षयोपशम के आधार पर होने वाली आत्मा की क्षायोपशमिकरूपता विभाव और स्वभाव के मिश्रणरूप व्यवहाररूपता है तथा कम के उपशम या क्षय के आधार पर होने वाली आत्मा की औपशमिक रूपता और क्षायिकरूपता स्वभावरूप निश्चयरूपता है। चरणान्योग की दृष्टि मे आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र की स्थिति मोहकर्म के उदय से प्रभावित होने के आधार पर मिथ्यादर्शन,

मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्ररूप पुरुषार्थ के रूप मे व्यवहार रूप है और मोह कर्म के उपशय, क्षय या क्षयोपशम के आधार पर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप पुरुपार्थ के रूप मे निश्चय रूप है। इसी तरह दर्शनमोह और अनन्तानुबन्धी रूप चारित्र मोह के उपशम, क्षय या क्षयोपम के आधार पर जीव मे तत्त्वार्थं श्रद्धान का होना व्यवहार सम्यग्दर्शनरूप व्यवहार है और आत्मा कल्याण के प्रति उसका उन्मुख हो जाना निश्चय सम्यादर्शन रूप निश्चय है तथा व्यवहार और निश्चय रूप सम्यन्दर्शन के साथ ही जीव के आत्म ज्ञान मे सम्यक्पन का आ जाना व्यवहार सम्यग्ज्ञान रूप व्यवहार है और आत्मज्ञान मे सम्यक्षन का आ जाना निश्चय सम्यग्ज्ञानरूप निश्चय है। इसी तरह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान हो जाने के पश्चात् शेष चारित्र मोह के यथासभव क्षयोपशम के आधार पर पचम गुणस्थान से दशम गुणस्थान तक अरगुवत, महावत, समिति, गुप्ति, घ्यान आदि रूप जीव का पुरुषार्थ व्यवहार चारित्ररूप व्यवहार है और चारित्र मोह का सर्वथा उपराम अथवा क्षय हो जाने पर जीव का बात्मलीनता रूप पुरुपार्थ निश्चय चारित्र रूप निश्चय है।

इस विस्तृत विवेचन से वस्तु में पाये जाने वाले निश्चयं और व्यवहार के विविध रूपों का सरलता से बोध हो जाता है और यह बात भी समझ में आ जाती है कि भिन्न-भिन्न स्थलों में अथवा प्रकरणों में निश्चयं और व्यवहार के भिन्न-भिन्न रूप हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी समझ में आ जाता है कि जहा जिस प्रकार का निश्चयं या व्यवहार का विकल्प वस्तु में विवक्षित किया जाय वहा उस से ठीक विपरीत ही व्यवहार या निश्चयं का विकल्प वस्तु में निर्धारित करना नाहिंगे। अर्थात् जहां निष्नियं या विकास विश्वीति शिया जाय वहां उसमें ही विषयीत व्यवहार का विज्ञान निर्माणित करना नाहिंग और जहां व्यवहार का विज्ञान विश्वित हिया। जाय बहां उसमें ही विषयीत निष्णियं पा विश्वत निर्माणित करना नाहिए। इसमें यह नात्र में समझ तिया नाहिंग कि निष्नियं और व्यवहार के विकल्पों में से जहां की विविध्त होना है बहा बह नो मुख्य हो जाता है और को अविश्वित होना है बहा गोण हो जाना है।

यन्तु में जिसान सद प्रशान के निश्चमहाय विश्वसं का मूल आमार अभेद सा स्वाधमहात है और सब प्रशाद के व्यवहारण किएलों का मूल आमार भेद सा पराव्यका है। इसका अभिप्राय यह भा है कि वस्तु का जो नम अभेय सा स्वाध्यका के आभार पर निश्चमहार है वहीं एवं भेद और पराक्ष्यका के आभार पर व्यवहार राम भी है। जैने वार्य जहां उपादान की परिणान होने के आधार पर उपादेयहण है कि जाधार पर नैमिजियान से व्यवहारण भी है। इसी प्रशाद मिट्टी हाम (अग्रा) पटलप परिणान होने के आधार पर नैमिजियान से व्यवहारण भी है। इसी प्रशाद मिट्टी हाम (अग्रा) पटलप परिणान होने के आधार पर जहां स्वहरण गायें की उपादान हो ज ने के कारण कारणता के दान में निश्चमहाय है वहीं वह मिट्टी नानापुद्गल परमास्त्रकों का पिंड होने के आधार पर व्यवहारण भी है।

निश्चन और यवतार के ये सब रूप वस्तु के धर्म हैं और सभी वास्तिवक अर्थात् यरनु में विद्यमान रहते हैं। इनमें में कोई भी किलात, मिला या पथन मात्र नहीं है। इतना अवस्य है कि जो निश्चय धम है वे ता अभेद या स्वाध्यितता के आधार पर है और जो व्यवहार धर्म हैं वे भेद या पराध्यितता के आधार पर है। इनका ज्ञान जीव को अपने स्वभावभूत ज्ञान द्वारा होता है और इनका प्रतिपादन जीव शब्दो द्वारा किया करता है। इस तरह जीव का वह ज्ञान निश्चयरूप है जिसके द्वारा वस्तु के निश्चय धर्म का ज्ञान होता है और जीव का वह ज्ञान व्यवहारूप है जिसके द्वारा वस्तु के व्यवहार धर्म का ज्ञान होता है तथा जीव द्वारा वोला गया वह शब्द निश्चयरूप है जिसके द्वारा वस्तु के निश्चय धर्म का प्रतिपादन होता है और जीव द्वारा वोला गया वह शब्द व्यवहारूप है जिसके द्वारा वस्तु के व्यवहार धर्म का प्रतिपादन होता है। यहा यह भी समझ लेना चाहिये कि बोलना या ज्ञान करना स्वय व्यवहार-रूप है और बोलने अथवा ज्ञान करने रूप क्रिया न करते हुए अपने स्वरूप मे ही स्थिर रहना निश्चयरूप है।

वस्तु के उक्त निश्चय व व्यवहार एप धर्मों को आगम में ज्ञान तथा शब्द के विषयभूत नाम स्थापना, द्रव्य और भाव एप निक्षेपों में अन्तर्भूत किया गया है तथा उन धर्मों के ज्ञापक ज्ञान को व उनके प्रतिपादक शब्द को नयों में अन्तर्भूत किया गया है। इसी प्रकार इन ज्ञान एप और शब्द रूप नयों के समूह को श्रुत प्रमाण नाम से पुकारा गया है।

यद्यपि आगम मे प्रमाण के मितज्ञान, श्रुतज्ञान, अविधज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान के रूप मे पाच भेद
स्वीकार किये गये हैं, परन्तु नय व्यवस्था केवल श्रुतज्ञानरूप
प्रमाण मे ही स्वोकार की गयी है। इसका कारण यह है कि
मितज्ञान, अविध्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान द्वारा उक्त
धर्मों से विशिष्ट वस्तु का अखण्डरूप से ज्ञान होता है अत इन
चारो ज्ञानो मे नयपरिकल्पना सम्भव नही है तथा श्रुतज्ञान मे
नयपरिकल्पना इसलिये सम्भव है कि श्रुतज्ञान उक्त धर्मों का

पृथक्-पृथक् ज्ञान करता हुआ ही वस्तु का ज्ञान करता है इसलिये वह नयरूप होकर ही प्रमाण रूप है। यही व्यवस्था शब्दरूप श्रुत प्रमाण में भी समझना चाहिये। प्रकृत में उपयोगी न होने से नय तथा प्रमाण की उक्त व्यवस्था पर यहा पर विशेष प्रकाश डालना मैंने आवश्यक नहीं समझा है।

इस प्रकार वस्तु में और वस्तु के प्रतिपादक शब्दरूप तथा उसके ज्ञापक ज्ञानरूप श्रुत प्रमाण में निश्चय और व्यवहार के रूपों को सही रूप में समझ कर इनका यथास्थान समुचित उपयोग करने से ही वस्तु तत्त्व को समझा जा सकता है। वैसे तो समयसार की गाथा १४४ के अनुसार उपर्युक्त निश्चय और व्यवहार के विकल्पों से रहित स्वाश्रित, अनादि-निधन और अखण्ड स्वत सिद्ध स्वरूप के साथ तन्मयता को प्राप्त आत्मा की विकल्पातीत स्थिति को ही समयसार के रूप में वस्तु तत्त्व समझना चाहिये।

इस प्रकार वस्तु का व्यवहार धर्म भी जब निश्चय धर्म के समान वास्तविक (सद्भूत) सिद्ध हो जाता है तो इससे यह निर्णीत हो जाता है कि प० फूलचन्द्रजी ने व्यवहार के अर्थ को केवल कल्पित, मिथ्या या कथन मात्र के रूप मे उपचरित मान कर जीव के साथ कर्म और नोकर्म के बद्धतारूप सयोग को जो उपचरित अर्थात् कल्पित, मिथ्या का कथन मात्र मान लिया है वह असगत ही है। कारण कि जीव के साथ कर्म और नोकर्म का बद्धतारूप सयोग पराश्रितता के रूप मे उपचरित होने पर भी सद्भूत ही है। इतना अवश्य है कि वह पराश्रित होने के कारण स्वाश्रित तादात्म्य के समान निश्चयरूप न होकर व्यवहाररूप ही है। अर्थात् प्रकृत मे उपचार का अर्थ पराश्रितता ही है कल्पित, मिथ्या या कथनमात्र रूपता उपचार का अर्थ नहीं है।

आगे व्यवहार की हेयता और उपादेयता आदि वातो पर विचार किया जाता है । यह विचार उपर्युक्त प्रकार के निश्चय और व्यवहार धर्मों से विशिष्ट वस्तु के सम्बन्ध मे आगम द्वारा अपनायी गयी द्रव्यानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग की व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा है।

द्रव्यानुयोग की व्यवस्था

द्रव्यानुयोग का सम्बन्ध वस्तु के द्रव्याश और पर्यायाश के रूप में निश्चय और व्यवहार धर्मों से है । अर्थात् पूर्व में वतलाया जा चुका है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उसके स्वत सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप सामान्य की अपेक्षा द्रव्याश के रूप में विद्यमान त्रैकालिक ध्रुवता का नाम निश्चय है और उसमें सतत प्रवर्तमान स्वप्रत्यय व स्वपरप्रत्य पर्यायाशों के रूप में विद्यमान उत्पाद और व्यय का नाम व्यवहार है।

इसका फलितार्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु सर्वदा अपने स्वत सिद्ध स्वरूप को सुरक्षित रखकर अनादिकाल से स्वप्रत्ययता और स्वपरप्रत्ययना के आधार पर स्वकीय एकक्षणवर्ती और अनेकक्षणवर्ती पर्यायों के परिवर्तन के रूप में अनादिकाल से उत्पाद तथा व्यय का रूप धारण करतो आ रही है और उत्पाद तथा व्यय की यह प्रक्रिया प्रत्येक वस्तु में अनन्तकाल तक चलती ही जायगी। प्रत्येक वस्तु के स्वप्रत्यय उत्पाद और व्यय का रूप पूर्व में स्वभावभूत अगुरु लघुगुण के अविभागी श्वत्यशों में षड्गुण हानिवृद्धि के रूप में वतलाया जा चुका है तथा स्वपरप्रत्यय उत्पाद और व्यय का रूप भी पूर्व में इस

प्रकार वतलाया गया है कि आकाश इच्य के स्वत सिद्ध प्रतिनियत अवगाहक स्वभाव मे उसके साथ सस्पृष्ट हो रहो विश्व की अन्य समस्त अवगाह्यमान वस्तुओ के अपने-अपने प्रतिनियत कारणो के आधार पर होने वाले परिणमनो के अनुसार विविध प्रकार के स्वपरप्रत्यय परिणमन (उत्पाद और व्यय) हो रहे है तथा धर्म, अधर्म और काल द्रव्यो के अपने-अपने स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव मे भी आकाश के समान ही अन्य यथायोग्य वस्तुओ के अपने-अपने प्रतिनियत कारणो के आधार पर होने वाले परिणमनो के अनुसार विविध प्रकार के स्वपरप्रत्यय परिणमन (उत्पाद और व्यय) हा रहे हैं। इसी प्रकार की उत्पाद और व्यय की प्रक्रिया जीवो और पुद्गलो के अपने-अपने स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव मे भी अन्य वस्तुओं के अपने-अपने प्रतिनियत कारणों के आघार पर होने वाले परिणमनो के अनुसार विविध प्रकार के स्वपरप्रत्यय परिणमनो के रूप मे चालू है । अर्थात् छन्नस्थ जीवो को पर-पदार्थों का ज्ञान करते समय कभी तो घटसापेक्ष घटजान होता होता है और कभी पटसापेक्ष पटज्ञान तथा जीवन्मुक्त और सर्वथामुक्त सर्वज्ञता प्राप्त जीवो को भी समस्त पदार्थ साक्षात्कार रूप बोघ समस्त पदार्थसापेक्ष ही हुआ करता है। इसी प्रकार आम्रादि पुद्गल स्कन्धों मे और अगुरूप पुद्गलद्रव्यो मे भी रूपान्तर, रसान्तर, गन्धान्तर और स्पर्शन्तिर रूप तथा पूरण-गलन स्वभाव के अनुसार उनमे अर्गु से स्कन्धरूप व स्कन्ध से अर्गुरूप परिणमन (उत्पाद और व्यय) स्वपरप्रत्ययरूप मे ही होते रहते है।

इस प्रकार अणुद्ध (परस्परवद्ध) और शुद्ध (पृथक्-पृथक् रूप मे विद्यमान) वस्तुओं में सतत प्रवर्तमान स्वभावभूत स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय परिणमन (उत्पाद और व्यय) भेदाशित अथवा पराशित होने के कारण व्यवहार कोटि में तो समाविष्ट होते हैं फिर भी वे काल्पनिक, मिथ्या या कथन मात्र नहीं हे किन्तु सद्भूत ही हैं। प्रत्येक शुद्ध (पृथक्-पृथक् रूप में विद्यमान) और अशुद्ध (परस्परवद्ध) वस्तु के ऐसे सभी व्यवहाररूप परिणमन (उत्पाद और व्यय) न तो हेय हैं और न ये नष्ट ही होते हैं। अर्थात् प्रत्येक वरतु में अनादिकाल से होते आ रहे हैं और अनन्तकाल तक होते जावेगे। वयोकि ये नष्ट हो जावे तो वस्तु का ही लोप हो जायगा।

इस सम्बन्ध में एक तर्क यह भी है कि अणुद्ध अर्थात् पीट्गलिक कर्म तथा नोकर्म के साथ वद्धछद्यस्थ संसारी जीवो के रवभावभूत ज्ञान और दर्शन मे विकास की अल्पता और परावलम्बनता पायी जाने पर भी उनमें से जो जीव जव एकादश या द्वादश गुणस्थान मे पहुँच कर ज्ञाता-दृष्टामात्र वने रहने की धमता प्राप्त कर लेते हैं तब उनमें नवीन कर्मों के स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध न होने का जो विधान आगम मे है उसका आशय यही है कि देखने और जानने रूप परिणमन अल्पविकास और परावलम्बन की दशा में भी जीव के स्वभाव-भून परिणमन होने के कारण उसके लिये उक्त बन्धों के कारण नहीं होते हैं । इस तरह केवल मन, वचन और कायरूप नोकर्म तया मिथ्यात्व, अविरति और कपाय से यथासम्भव आवह प्रयम गुगस्यान से दशम गुगस्यान तक के जीवी का योगात्मक प्रवर्तन और उपयोग की कलुपता—ये ही यथायोग्य कर्मी के प्रकृति चन्ध, और प्रदेशवन्ध तथा स्थितिवन्य और अनुभागवन्ध के कारण होते हैं व एकादक द्वादन और त्रयोदन गुणस्थानों मे जीयो का केवल योगात्मक प्रवर्तन ही मान प्रकृतिबन्ध और

प्रदेशवन्य का कारण होता है। इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि स्वभावभूत व्यवहार न तो कभी छूटता ही है और न उसके छोडने की आवश्यकता हो है।

करणानुयोग की व्यवस्था

करणानुयोग का सम्वन्ध पुद्गल के साथ बद्धजीव के यथायोग्य परिणमनो के निमित्त से होने वाली पुद्गल की कर्म रूप और नोकर्मरूप अवस्थाओं से तथा जीव के साथ बद्धपुद्गल की कर्म और नोकर्मरूप अवस्थाओं के निमित्त से होने वालों जीव की रागादिरूप अवस्थाओं से हैं। जीव और पुद्गल की अन्य अवस्थाओं से करणानुयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है और न आकाश, धर्म, अधर्म तथा कालद्रव्यों से ही इसका कोई सम्बन्ध है। चूिक पुद्गलद्रव्य अचेतन होने के कारण अपनी उक्त बद्धदशा और उससे होने वाली कर्म तथा नोकर्मरूप अवस्थाओं का वेदन नहीं कर सकता है अतः उसकी वह बद्धदशा का चिन्ता का विषय नहीं है, परन्तु जीव चेतन होने के कारण अपनी उक्त बद्धदशा और उससे होने वाली रागादिर रूप अवस्थाओं का सतत वेदन किया करता है तथा इस वेदन के आधार पर वह कदाचित् सुखी और कदाचित् दुखी भी होता रहता है अत उसकी उक्त बद्धदशा चिन्ता का विपय है।

जीव की पीद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मों और शरीरादि नोकर्मों के साथ विद्यमान बढ़ता का नाम ससार है और उससे जीव का छुटकारा पा जाना मोक्ष है। इनमें से ससार निश्चय और व्यवहार के विकल्पों में से व्यवहार कोटि में समाविष्ट होता है क्योंकि इसमें विद्यमान जीव अपने अस्तित्व को कर्मों तथा नोकर्मों से पृथक् रूप में (अवद्यरूप में) नहीं रख पा रहा

है। इसके विपरीत मोक्ष निश्चय और व्यवहार के विकल्पो मे से निश्चय की कोटि मे समाविष्ट होता है क्योकि इसमे विद्य-मान जीव अपने अस्तित्व को कर्मी तथा नोकर्मी से सर्वथा पृथक् कर लेता है। इस तरह ससाररूप व्यवहार और मोक्षरूप निश्चय इन दोनो मे से ससाररूप व्यवहार सर्वथा हेय है और मोक्षरूप निश्चय सर्वथा उपादेय है । जितना भी द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोगरूप जैनागम है वह सव ससाररूप व्यवहार की हेयता और मोक्षरूप निश्चय की उपादेयता के आधार पर ही निर्मित किया गया है। अर्थात् ससार क्या है ? उसके कारण क्या है ? और उसकी हेयता क्यों है ? इसी तरह मोक्ष क्या है ? उसके कारण क्या है ? और उसकी उपादेयता क्यो है ? इत्यादि आत्म सम्बन्धी बातो को घ्यान मे रखकर ही द्रव्यानुयोग आदि उक्त प्रकार के आगम की रचना की गयी है । इतना ही नही, यहा तक समझना चाहिये कि आगम वही है जिसका सम्बन्ध ससार की हेयता और मोक्ष की उपादेयता से है। इसके विपरीत अर्थात प्राणियो की अनर्थकारी प्रवृत्ति को पुष्ट करने वाला जितना भी आगम है वह सब आगम न होकर आगमाभास ही है।

यहा पर यह ध्यान रखना है कि जीव का उक्त बद्धतारूप ससार जिसे व्यवहार कोटि में समाविष्ट किया गया है—व्यवहार के रूप में उपचरित होकर भी कल्पित नहीं है जेंसा कि प० फूलचन्द्र जी मानते हैं किन्तु सद्भूत ही है। केवल पराश्रित है इसलिए उपचरित है। यही कारण है कि जिस प्रकार ऐजन के चलने पर उसके साथ सद्भूत सयोग को प्राप्त रेलगाडी के डब्बे उस एंजन के साथ ही चल पडते है और उसमे बैठे हुए व्यक्ति नहीं चलते हुए भी यथास्थान पहुँच जाते है उसी प्रकार कर्म-नोकर्म

के साथ सद्भुत बद्धताम्य सयोग को प्राप्त जीव भी अपने विविध प्रकार के परिणान किया घरते हैं। उसी नरह शरीर के माय गद्भुतबद्धता मयोग को प्राप्त जीव गरीर में होने वाली विकृति के आधार पर मुख व दु य का सबेदन किया कन्ते है। यहा तक कि शीलपानु में रुण्डी बायु अयबा रुण्डे जन का धरीर के साव सम्पर्क होने पर जीव की दुःस का सबदन इमलिये हुआ गरता है कि जीव का शरीर के माथ और शरीर का उक्त यागु मा जल के साथ विश्वमान यथामीम्य यदता या स्पृष्टता रूप सयोग बारनविक (सद्भूत) है। ऐसे ही ब्रीप्स छतु में दण्डी वागु सा दण्डे जल का मरीर के साथ समार्व होने पर जीव को जो गुग का मयेदन हुआ करता है यह इसलिये हुआ करता है कि जीव का घरीर के साथ और घरीर का उक्त बागु या जल के माध विश्वमान यथायोग्य बद्धता या स्ट्रण्डतास्य मयोग वान्तविक (मद्भूत) है। इसी तरह पौर्गिक स्पर्धन, रमनः, नानिका, नेत्र और कणं इन पाच इन्द्रियो तथा पौद्गलिक हदय और मन्तिका के साथ विद्यमान जीव का बद्धतारूप मयोग च्री वास्तविक (मय्भूत) है इसनिये ही जीव इन इन्द्रियादिक के महयोग में जैयभून पदार्थों का ज्ञान किया करता है। और तो वया ? अपना पृथक् अस्तित्व रखने वाले चन्मा और कर्णया दोनों क्रमश नेय और कर्ण के साथ वास्तविक (सद्भूत) प्रत्यासिक को प्राप्त होकर ही जीव के पदार्थज्ञान मे विदोपता पदा कर दिया करते है। बद्धतारूप सयोग की वास्तविकता के गवव ही वचन (मृख) के सहयोग से जीव का बोलने रूप व्यापार देखा जाता है जिसके निमित्त से पौद्गतिक-भाषावर्गणा शब्दरूप परिणन हुआ करती है और गले की बनावट के अनुसार आवाज में सुरीलापन अथवा न कंशपन भी उक्त बद्धतारप नयोग की वास्तविकता के सबब ही देखने मे

आते हैं। हृदय के साथ विद्यमान वद्धतारूप सयोग की वास्त-विकता के संवव ही जीव की राग, द्वेप, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अनुचित्त तथा दया, धृति, सतोष, . सहृदयता, मृद्ता, सरलता आदि उचित परिणतिया बुद्धिपूर्वक हुआ करतो हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क के साथ विद्यमान वद्धता-रूप सयोग की वास्तविकता के सबब ही जीव का ज्ञान स्वभाव स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुत का रूप घारण किया करता है। बद्धतारूप सयोग की वास्तविकता के सबब ही ज्ञानावरण कर्मजीव के ज्ञान को आवृत किये हुए है। इतना अवन्य है कि ज्ञानावरण कर्म का सभी छदास्थ जीवो मे उदय-रूप से सद्भाव न होकर सततक्षयोपगमरूप से ही सद्भाव रहता है फिर भी क्षयोपशम की तरतमता के आधार पर ही उन जीवो मे ज्ञान के विकास की तरतमता पायी जाती है। इसी प्रकार छदास्थों के ज्ञान में जो इन्द्रियादिक को तरतमरूप सहायता अपेक्षित रहा करती है वह चीर्यान्तराय कर्म के तरतमरूप क्षयीपशम का ही परिणाम है। ज्ञान जैसी व्यवस्था दर्शनावरणकर्म के क्षयोपशम की तरतमता के आधार पर जीव के दर्शन गुण की समझ लेना चाहिये और ऐसी ही व्यवस्था वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तया शेष अन्तराय कर्मी की यथायोग्य उदयादि अवस्थाओं के आधार पर जीव की विविध परिणतियो की प्रादुर्भू ति के सम्बन्ध मे भी समझ लेना चाहिये।

वास्तव मे आगम की यह स्पष्ट घोषणा है कि कर्म और नोकर्म के साथ विद्यमान बद्धतारूप सयोग की वास्तविकता के सबब ही जीव, देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच तथा एकेन्द्रिय, द्योन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, सज्ञी, असज्ञी, वादर,

को वे जो किल्पत, असत्य या कथनमात्र मानते है वह अयुक्त और आगम विरुद्ध ही है। जीव की ससारावस्था और पुद्गल की कम व नोकर्मरूप अवस्था की वे जो निमित्त को अपेक्षा के विना हो अपने आप उत्पत्ति स्वीकार करते है इसका खण्डन विस्तार से किया ही जा चुका है तथा आगे भी किया जायगा। इतना अवश्य है कि वह बद्धता जीव और पुद्गल दो द्रव्यों के आश्रित होने से व्यवहार कोटि मे ही समाविष्ट होती है निश्चय कोटि मे नही।

जीव की कर्म तथा नोकर्म के साथ और पुद्गल कर्म व नोकर्म की जीव के साथ होने वाली उक्त बद्धता परस्पर की निमित्तता के आधार पर अनादि काल से चलो आ रहो है और जैसा कि पूर्व मे बतलाया जा चुका है कि इसी का नाम ससार है तथा इसकी समाप्ति अर्थात् जीव तथा कर्म व नोकर्म का सर्वथा पृथक्-पृथक् हो जाने का नाम मुक्ति है। इस तरह जीव की यह सब ससाररूप अवस्था हेय है फिर भी इसमे इतनी विशेपता समझ लेनी चाहिये कि जीव तया नोकर्मों की चद्धता जीव तथा अघातो कर्मों की बद्धता के समाप्त हो जाने पर अपने आप समाप्त हो जातो है इसे समाप्त करने के लिए जोव को पुरुषार्थ नहीं करना पडता है। लेकिन जीव तथा अघाती कर्मों को बद्धता को समाज करने के लिए जीव व्युपरत-क्रियानिवर्तिध्यान रूप पुरुषार्थ का सहारा लेता है।

जीव की मोह कर्म के उदय मे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या चारित्ररूप औदियक परिणात हुआ करती है व यथायोग्य मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में क्षायोपशिमक सम्यक् चारित्ररूप, उपशम मे

औपगमिक सम्यग्दर्शन और औपगमिक सम्यक् चारित्ररूप तथा क्षय मे क्षायिक सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यक् चारित्ररूप परिणतियाँ हुआ करती हैं। यहाँ इतना और जानना चाहिये कि यद्यपि ज्ञान का विकास ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से यथा-सम्भव मे अनादि काल से सभी जीवो मे पाया जाता है परन्तू इसमे दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यापन और उसके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से सम्यक्पन हुआ करता है। सामान्यरूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यान्तराय कर्मी के क्षयोपशम से क्रमश क्षायोपशमिक ज्ञान, क्षायोपशमिक दर्शन और क्षायोपशमिक वीर्य रूप जीव की परिणतियाँ हुआ करती हैं तथा इनके क्षय मे क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक वीर्य रूप परिणतियाँ जीव की हुआ करती है। जीव की ऐसी ही परिणतियाँ अन्तराय कर्म के भेद दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय कर्मी के क्षयो-पशम से व क्षय से भी हुआ करती हैं और इनके अतिरिक्त आयू, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों के उदय मे औदियक रूप व क्षय मे क्षायिकरूप परिणतिया भी जीव की हुआ करती हैं। विशेष रूप से अवधिज्ञानावरण, मन पर्ययज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्मों के उदय में औदियक अज्ञान रूप तथा अवधिदर्शनावरण और केवल दर्शनावरण कर्मी के उदय मे औदयिक अदर्शन रूप परिणतिया भी जीव की हुआ करती हैं।

जीव की ये सभी औदियक, क्षायोपशिमक, औपशिमक क्षायिक परिणितियाँ चूँ कि उस-उस कर्म के यथायोग्य उदय, क्षयोपशम, उपशम अथवा क्षय की अपेक्षा, रखती है अत समान रूप से व्यवहार कोटि मे समाविष्ट होती है। लेकिन इनमें से औदियक परिणितियाँ ससार की कारण या जीव के

ससार रूप होने के कारण सर्वथा हैय है, औपशमिक और क्षायोपशमिक परिणितयाँ यथासम्भव मोक्ष की कारण होने से यद्यपि उपादेय है, परन्त् ये परिणितयाँ छूट जाती हैं। इस तरह केवल क्षायिक परिणितया ही ऐसी परिणितयाँ है जो उपादेय भी है और एक बार होने के पश्चात् फिर कभी छूटती भी नहीं है।

चरणानुयोग की व्यवस्था

चरणानुयोग का सम्बन्ध जीव के दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप पुरुपार्थ से है। जीव का यह पुरुषार्थ मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर ही हुआ करता है। इसका म्पष्टीकरण निम्न प्रकार है।

जीव अनादिकाल से तो मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होता हुआ अपना पुरुषार्थ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप ही करता आ रहा है और इस पुरुषार्थ के आधार पर वह अनादिकाल से हो सतत ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—इन आठ कर्मों से बद्ध होता आ रहा है जिसका परिणाम जीव को ससार भ्रमण के रूप मे प्राप्त हो रहा है।

जीव का उक्त आठ कर्मों के साथ जो बन्घ होता है वह प्रकृतिवन्ध, प्रदेशवन्ध, स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध के रूप मे चार प्रकार का है। इनमें से प्रकृतिवन्ध और प्रदेशवन्ध तो नोकर्मवर्गणा के भेद मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणा के निमित्त (सहयोग) से होने वाली जीव के प्रदेशों की हलन-चलनरूप क्रिया—जिसे आगम में योग नाम से पुकारा गया है—के निमित्त (सहयोग) से होते हैं बीर चकि इस प्रकार के योग का सद्भाव जीव मे प्रथम गुणस्थान ने लेकर त्रयोदश गुणस्थान तक रहा करता है अत इन गुणस्थाना मे विद्यमान जीव सतत ययायोग्य पाप कर्मी या पुण्य कर्मी ने प्रभावित योगो की अणुभन्पता या णुभरूपता की तरतमता के आधार पर उक्त वर्म प्रकृतियों में से यथासम्भव कर्म प्रकृतियों के प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध किया करता है। उन दोनो प्रकार के बन्धों के अतिरिक्त वहीं जीव उक्त कर्म प्रवृतियों के जो स्यितवन्य और अनुभागवन्य किया करता है वे स्थितवन्य और अनुभागवन्य मोहनीय कर्म के यथायोग्य उदय के आधार पर जीव के स्वभावभूत दर्शन, ज्ञान और चरित्र को मिध्या-दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप परिणतियों के सहयोग से ही होते हैं। इस प्रकार मोहनीय कर्म के तरतमहप प्रभाव के आधार पर यथासम्भव जिस-जिस गुणस्थान मे जिस-जिस मप मे जीव का पुरुपार्थ निथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या-चारित्ररूप हुआ करता है उसके अनुमार वह जीव उक्त प्रकार प्रकृति और प्रदेशमप से बद्धज्ञानावरणादि कर्मों के स्थितिबन्ध और अनुभागवन्य विया करता है । चिक मोहनीय कर्म का उदय जीव मे यथार स्भव रूप मे दशम गुणस्थान तक ही रहा करता है अत कमों के उक्त स्थितिबन्य और अनुभागवन्ध भी जीव मे यथासम्भव रप मे दशम गुणस्थान तक ही हुआ करते है। इन सब बातो का विवेचन कर्म ग्रन्थों में विस्तार के साथ किया गया है।

जिस प्रकार मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर जीव के स्वभावभूत दर्शन, ज्ञान और चारित्र की मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप परिणति हुआ करती है उसी प्रकार उसके (मोहनीय कर्म के) उपशम, क्षय और क्षयोपनम के आधार पर जीव के स्वभावभूत उक्त दर्शन, ज्ञान बीर चारित्र की सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्ररूप भी परिणित हुआ करती है। लेकिन यहा इतना घ्यान रखना चाहिये कि मोहनीय कर्म का उदय जिस प्रकार कर्मों के स्थितवन्ध और अनुभागवन्ध में कारण होता है उस प्रकार मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में रहने वाला उसके (मोहनीय कर्म के) अश का उदय तो उक्त कर्मों के स्थितवन्ध और अनुभाग-बन्ध में कारण होता है परन्तु मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय या मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में रहने वाला उसके (मोहनीय कर्म के) अश का अनुदय (वर्तमान काल में उदय आने योग्य अशो का उदयाभावी क्षय तथा आगामी काल में उदय आने योग्य अशो का सदवस्थारूप उपशम) उक्त स्थिति-वन्ध और अनुभागवन्ध का कारण नहीं होता है।

इस विषय का विशेष विवरण इस प्रकार है कि जीव में स्वभावरूप से दो प्रकार की शक्तिया अनादिकाल से विद्यमान रही है और अनन्तकाल तक विद्यमान रहेगी। उनमें एक तो भाववती शक्ति है और दूसरी क्रियावती शक्ति है।

उक्त दोनो प्रकार की शक्तियों में से भाववती शक्ति के रूप तीन हैं एक दर्शन, दूसरा ज्ञान और तोसरा वीर्य तथा इन तीनों में से दर्शनशक्ति को दर्शनावरण कर्म अनादिकाल से आवृत किये हुए है, ज्ञानशक्ति को ज्ञानावरण कर्म अनादिकाल से आवृत किये हुए है और वीर्यशक्ति को वीर्यान्तराय कर्म अनादिकाल से आवृत किये हुए है । इतना अवश्य है कि उक्त दर्शनावरण, ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मों का जोव मे

अनादिकाल से ही समान क्षयोपशम रहता आया है इसलिये जोव में इन शक्तियों का यथायोग्यरूप में अनादिकाल से ही समान विकास रहता आया है। विकास को प्राप्त इन तीनो शक्तियों में से ज्ञानशक्ति का जितना विकसित उपयुक्ताकाररूप अनादिकाल से जीव में रहता आया है उसे दर्शन मोहनीय कर्म का उदय अनादिकाल से ही विकृत वनाये हुए चला आ रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि विकास को प्राप्त उपयुक्ता-काररूप वह ज्ञानशक्ति मिथ्य।दर्शन व मिथ्याज्ञान का रूप घारण किये हुए अनादिकाल में हो रहती आयी है।

भाववती शक्ति की तरह जीव की क्रियावती शक्ति भी अनादिकाल से यथासम्भव पौद्गलिक मन, वचन और काय की अघीनता में क्रियाशील रहती आयी है और उमकी (क्रियावती शक्ति की) वह क्रिया भी अनादिकाल से चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर मिथ्याचारित्र का रूप धारण किये हुए रहती आयी है।

तात्पर्य यह है कि जीव को यथायोग्य विकास को प्राप्त उपयुक्तकार ज्ञानरूप भाववती शक्ति तो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर अनादिकाल से मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान का रूप धारण किये हुए है और उसकी (जीव की) यथासम्भव मन, वचन तथा काय की अधीनता में क्रियाशील होती हुई क्रियावती शक्ति भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर अनादिकाल से मिथ्याचारित्र का रूप धारण किये हुए हैं।

जैन सिद्धान्त मे इससे आगे की व्यवस्था यह है कि जिस जीव मै दर्शन मोहनीय कर्म का उपगम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता है उस जीव की विकास को प्राप्त वह उपयुक्ताकार ज्ञानरूप भाववती शक्ति तो सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानरूप परिणत हो जाती है तथा साथ ही मन, वचन और काय की अधीनता मे क्रियाशील होती हुई वह क्रियावती-शक्ति भी—जैसा-जैसा चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का यथा-योग्य रूप मे अभाव होता जाता है—वैसी-वैसी निवृत्यश के रूप मे सम्यक् चारित्र रूप परिणत होती जातो है।

इससे यह निर्णीत होता है कि जीव की विकास को प्राप्त उपयुक्ताकार ज्ञानरूप भाववती शक्ति का तो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानरूप व उसी दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम में सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूप परिणमन होता है तथा जीव की मन, वचन और काय की अधीनता में क्रियाशील होती हुई क्रियावतीशक्ति का चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में मिथ्याचारित्ररूप और उसी चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम में निवृत्यश के रूप में सम्यक् चारित्ररूप परिणमन होता है।

यद्यपि जीव की क्रियावती शक्ति की क्रियाशीलता स्वभावत ऊर्ध्वगमन के रूप में होना चाहिये परन्तु जीव जव तक ससारी बना हुआ है तब तक उसकी वह क्रियावतीशक्ति यथासम्भव मन, वचन और काय की अधीनता में ही क्रियाशील हो रही है।

जीव की क्रियावती शक्ति मन, वचन और काय की अधीनता में जो क्रियाशील हो रही है उसका नाम आगम में 'योग' कहा गया है। अर्थात् आगम में यह स्पष्ट वतलाया गया है कि मन, वचन और काय के सहयोग से आत्मप्रदेशों में जो

हलन-चलन क्रिया होती है उसका नाम योग है। यह दो प्रकार का होता है—एक शुभरूप और दूसरा अशुभरूप । योग की शुभता का कारण पापकर्मों का मन्दोदय और पुण्यकर्मों का तीव्रोदय तथा यथायोग्य कर्मों का उपशम, क्षय और क्षयोपशम है व योग की अशुभता का कारण पापकर्मों का तीव्रोदय और पुण्यकर्मों का मन्दोदय तथा यथायोग्य कर्मों का मन्द क्षयोपशम है।

जीव की क्रियावती शक्ति का मन, वचन और काय के आघार पर जो उपर्युक्त प्रकार के योग के रूप मे परिणमन होता है वह योग ही वास्तव मे कर्मबन्ध का कारण होता है लेकिन इसमे इतनी विशेषता है कि वह योग जब तक मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित (अनुरजित) रहता है तब तक तो जीव के साथ कर्मों का बन्ध प्रकृति, प्रदेश, स्थित और अनुभाग के रूप मे चार प्रकार का होता है और जब योग मे मोहनीय कर्म का अनुरजन समाप्त हो जाता है तब स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध समाप्त हो जाते हैं तथा सामान्य योग के आधार पर केवल प्रकृतिवन्ध और प्रदेशबन्ध ही हुआ करते हैं। इसी प्रकार जब योग का ही सर्वथा अभाव हो जाता है तव कर्मबन्ध का सर्वथा अभाव हो जाता है ।

इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि जीव की विकास को प्राप्त उपयुक्ताकार ज्ञानरूप भाववती शक्ति की दशनमोह-कर्माधीनता के साथ योगरूप परिणत क्रियावती शक्ति को चारित्रमोहकर्माधीनता का जब तक सम्बन्ध रहता है तब तक तथा उनके क्रमश होने वाले अभाव मे कर्मवन्ध का रूप भिन्न-भिन्न प्रकार का ही होता है जिसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है।

सर्वप्रथम तो दर्शनमोहनीय कर्म के भेद मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति के अपने-अपने समय मे होने वाले उदय मे ही कर्मबन्घ का रूप पृथक्-पृथक् होता है। वर्थात् मिथ्यात्व कर्म के उदय के साथ नियम से अनन्तानुबन्धी कषायं का उदय रहता है लेकिन सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति के अपने-अपने उदय के साथ अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय का नियम से अभाव रहता है इससे एक बात तो यह सिद्ध होती है कि जीव की ज्ञान शक्ति का प्रभाव उसकी क्रिया शक्ति पर पडता है और दूसरी यह वात सिद्ध होती है कि मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति की ज्ञान को विकृत करने की शक्ति में हीनाधिक रूप से तरतमता पायी जाती है । इस तरह मिथ्यात्व कर्म के उदय के साथ जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय रहता है उस समय के बन्ध मे व सम्यग्मिथ्यात्व अथवा सम्यक् प्रकृति का उदय रहते हुए जो अनन्तानुबन्धी क्रोघ, मान, माया और लोभ के उदय का अभाव रहता है उस समय के बन्ध मे अन्तर हो जाता है । इसी तरह मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक प्रकृति के उदय का अभाव रहते हुए जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ के उदय का सद्भाव रहता है उस समय के बन्ध मे भी अन्तर हो जाता है और इसी तरह दर्शन मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति-ये तीन तथा चारित्रमोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धों कषाय के भेद क्रोध,मान,माया और लोभ रूप चार इस-तरह सात प्रकृतियो के उपज्ञम, क्षय अथवा क्षयोपज्ञम के साथ अप्रत्यानावरणादि कषाय प्रकृतियों के उदय में जो बन्ध होता है उसमें भी अन्तर हो जाता है तथा आगे भी जैसा-जैसा अप्रत्याख्यावरण व

उसके आगे प्रत्याख्यानवरण कषायो का अनुदय होता जाता है वैसा-वैसा वन्य मे भी अन्तर होता जाता है और अन्त मे जब सज्वलन की अनुभाग शक्ति मे कभी होते-होते अप्रत्याख्याना-वरणादि सभी कपायो व नवनोकषायो का सर्वथा अभाव हो जाता है तो स्थितिवन्य और अनुभागवन्य दोनो ही समाप्त हो जाते है केवल योगस्थिति के आघार पर प्रकृति वन्य और प्रदेश वन्य ही हुआ करते हैं।

ऊपर के कथन से यह भी सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण मोह कर्म के उदय में जीव की क्रियावती शक्ति की जैसी क्रियाशीलता अर्थात् योग स्थिति रहती है वैसी दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाने पर नहीं रहती है। इसो तरह आगे जैसी-जैसी चारित्र मोहनीय कर्म की शक्ति भी क्षीण होती जाती है वैसा-वैसा योगिस्थित में भी परिवर्तन होता जाता है। इप तरह योगिस्थिति में परिवर्तन होते जाने से किस गुणम्थान में किन-किन कर्मों का और उन कर्मों की किन-किन प्रकृतियों का बन्ध होता है—इसका भी नियमन हो जाता है। कर्म ग्रन्थों में इस विषय का भी विस्तार से विवेचन पाया जाता है।

इस प्रकार एक ओर तो दर्शनमोहनीय कर्म के आधार पर जीव का ज्ञान अनादि काल से विकृत होकर मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान रूप परिणत हो रहा है तथा दूसरी ओर दर्शन-मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के अधार पर जीव की क्रियावती शक्ति का योगात्मक परिणमन भी मिथ्याचारित्र रूप परिणत हो रहा है। लेकिन जिस जीव मे दर्शन मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति नाम की तीन व चारित्र मोहनीय कर्म की अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इन सात प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता है उस जीव को सर्व प्रथम तत्त्वार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यग्दर्शन और आगम ज्ञानरूप व्यवहार सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि साय-माथ-साथ होती है और इसके पश्चात् आत्मतत्त्व के प्रति अपनत्त्व रूप निश्चय सम्यग्दर्शन व आत्मज्ञान रूप निश्चय सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि भी उस जीव को साथ-साथ होती है। यहां यह वात स्पष्ट करने की है कि जीव मे आगमज्ञान और आत्मज्ञान तो सम्यग्दर्शन होने से पूर्व ही रहा करते है अन्यथा उसे सम्यादर्शन की उपलब्धि होना असभव हो जायगा। अतः जीव को सम्यग्दर्शन के साथ मे ही जो सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि होना आगम मे वतलाया गया है उसका आश्य यह है कि सम्यग्दर्शन होने पर ही जीव का आगमज्ञान व आत्मज्ञान सम्यक्पन का रूप धारण करता है इसके पूर्व नही।

जीव को जव उक्त प्रकार के सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तव अनन्तानुबन्धी कषाय का अभाव हो जाने से उसके साथ ही उस जीव की वृक्ति और प्रवृक्ति में हिसादि पाँचो पापो की सकत्परूपता समाप्त हो जाने पर अन्याय, अत्याचार, उच्छु, ज्ञ्चलता, स्वार्थपरता और आसक्ति आदि दोपो का रूप समाप्त होकर न्याय, सदाचार, समता, परोपकार और अनासक्ति आदि सद्गुणों के रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस तरह तव उसकी प्रवृक्तियों में जो हिसादि पापो की पुट दिखाई देती हैं उसका कारण उसकी जीवन सम्बन्धी अजिक पर आधारित आवश्यकता ही हुआ करता है। अर्थात् वह जीव यद्यपि हिंसादि पापों से द्युटकारा नहीं पा पाता है फिर भी उसकी वे हिंसादि पाप प्रवृत्तियाँ इसदतन (सकल्प पूर्वक) न होकर मजबूरीवश ही हुआ करती हैं। जैनागम में हिंसादि पाँचो पापों को जो सकल्पी और आरम्भी—ऐसे दो-दो भेरो में विभक्त किया गया है वह इसी अभिप्राय से किया गया है।

इस तरह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अशक्तिवश हिंसादि आरम्भी पापों को करता हुआ भी वह जीव पुण्य कर्मों के उदयानुसार देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दानरूप पुण्याचरण के भी कार्य किया करता है जिनके वल पर वह आगे चल कर क्रमश अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपायों का अनुदय (उदयाभाव अर्थात् इनके वर्तमान में उदय आने योग्य निषेकों का उदया भाषों क्षय और आगामी काल में उदय आने योग्य निपेकों का सदवस्थारूप उपशम) करता हुआ व इसके भी आगे सज्वलन कपाय के तीव्र अनुभाग को उत्तरोत्तर कृश करता हुआ अन्त में उक्त अप्रत्याख्यानावरणादि सभी कषायों और नव नोकपाओं का उपशम अथवा क्षय करने में समर्थ हो जाता है।

इसमे समझने की बात यह है कि प्रत्येक जीव की अनादि काल से ज्ञान रूप से विकसित उपयुक्ताकार रूप भाववती शक्ति का जो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान रूप परिणमन हो रहा है तथा योगस्थित को प्राप्त क्रियावती शक्ति का जो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर मिथ्याचारित्र रूप परिणमन हो रहा है यही उसके (जीवके) लिए ससार का कारण वन रहा है। लेकिन जिस जीव म थाक्रम से उक्त दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म का उदय समाप्त हो जाता है अर्थात् ययाक्रम से दर्शन मोह्नीय और चारित्र मोहनीय कर्मों का उपलम, क्षय अथवा क्षयोपलम हो जाता है उम जीव को जान रूप भाववती लक्ति का उपल्याकाररूप परिणमन तो दर्शन मोहनीय कर्म का उपलम, क्षय अथवा क्षयोपलम होने पर सम्प्रदर्शन और सम्बद्धानकृप होने नगता है व योगस्थित को प्राप्त क्रियावती लक्ति का नियृत्यल के रूप मे परिणमन चारित्र मोहनीय वर्म के उपलम, क्षय अथवा क्षयोपलम के आधार पर सम्यक् चारित्र-भ्य होन नगता है जो उम जीव के निये मोक्ष का कारण होता है। उनका (सम्बद्धांन, सम्बद्धान और सम्यक् चारित्र का) विवास प्रम निम्न प्रकार है।

अनादिकाल से मोहनीय कमं के उदय के अधीन होकर मिट्यादर्शन, मिट्याक्षान और मिट्याचारित्रस्प ससार मार्ग में प्रवृत्त जीव मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होने के लिये प्रयमतः गृहस्य के उन्न आवश्यक गृहण, देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप जीर अन रूप पृत्याचरण यो करता हुआ दर्शन मोहनीय कमं की मित्याद, सम्यग्मिध्याद्य और सम्यग् प्रकृति रूप नीन तथा चारित मोहनीय वर्म की अनन्तानुबन्धी खोध, मान, माया और लोभ रूप नार—उन सात प्रकृतियों का क्षयोपणमलिख, विश्वित्तिवृद्धि, देणनालिख, प्रायोग्यलिख और करणलिख— एन पांच निव्ययों के आधार पर यथायोग्य प्रकार उपणम, क्षय अवदा ध्योपणम करके पूर्वोक्त प्रकार ध्यवहार और निश्चय रूप में सम्यन्द्रित्र और नम्यन्त्रानी बन कर पहिंग नो हिमादि पानो डाणे की सबल्प रूपता को समाप्त कर उन पांच वो सम्यन्त्रानी की सल्ला होता है ज परचान पूर्वोक्त

देवपूजा आदि पुण्याचरणरूप कार्यो के वल पर ही अप्रत्या-स्यानावरणादि कषायो की उदयस्थित को समाप्त करने के साधन उपलब्ध करके उन कषायो का क्रमश अनुदय (उदयाभाव) करता हुआ उक्त आरम्भी पापो का धीरे-धीरे त्याग कर वह यथायोग्यरूप मे अगुव्रत, महाव्रत आदि व्यवहारचारित्र की ओर बढने लगता है साथ ही उसमे पुण्याचरण की विशदता भी आती जाती है और इस तरह आरम्भी पापो के त्याग मे वृद्धि करता हुआ वह जीव समस्त वाह्य प्रवृत्तियो से छुटकारा पाकर धर्म ध्यान मे स्थित होकर सज्वलन कषाय की तीव्र अनुभाग शक्ति को कृश करके क्रमश अध करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामो को घारण करता हुआ अन्त मे उक्त सम्पूर्ण कषायो का व नव नोकषायो का उपशम या क्षय करके औपशमिक या क्षायिक रूप मे यथाख्यात चारित्र का धारक निश्चय सम्यक् चारित्री हो जाता है।

इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सकल्पी पापो का त्याग हो जाने के पश्चात् जीव द्वारा आरम्भी पापो के त्याग की प्रक्रिया को अपना लिया जाना ही यथायोग्य अगुव्रत, महाव्रत आदि व्यवहार आदि सम्यक्चारित्र का रूप है और चिक आरम्भी पापो के त्याग की इस प्रक्रिया के आघार पर ही जीव समस्त आरम्भी पापो का त्याग हो जाने पर अन्त मे आत्मलीनता रूप निश्चय चारित्र की प्राप्ति करने मे समर्थ होता है अन्यथा नही, अतएव इसे आगम मे निश्चय सम्यक् चारित्र का कारण वतलाया गया है । इस तरह जो व्यक्ति उक्त अगुव्रत, महाव्रत आदि रूप व्यवहार सम्यक् चारित्र को पुण्याचरण का रूप देकर ससार का कारण मानते हुए उसमे मोक्षमार्गता का निषेध करते हैं व इस तरह मोक्षमार्ग मे उसकी महत्ता को कम कर देना चाहते हैं वे भ्रम मे है क्यों कि उपर्युक्त संकल्पी पापों को समाप्त करने के पश्चात् पूर्वोक्त उग से समस्त आरम्भी पापों की समाप्ति करने रूप पुरुपार्थ का नाम ही व्यवहारचारित्र सिद्ध होता है। इससे दूसरी यह वात सिद्ध होती है कि जो व्यक्ति उपर्युक्त प्रकार के व्यवहार सम्यक् चारित्र को अपनाने के विना ही निश्चय सम्यक् चारित्र को प्राप्त करने के स्वप्न देखते है वे भी भ्रमरूपी पिशाच से अभ्भित्त हो रहे हैं कारण कि मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक सकल्पी पापों का त्याग हो जाने अर्थात् जीव के इस तरह सम्यग्हिण्ट और सम्यग्ज्ञानी वन जाने के अनन्तर जब तक उसमे (जीव मे) मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक ही आरम्भी पापों के त्याग रूप व्यवहार सम्यक् चारित्र पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक उसको (जीव को) पूर्वोक्त आत्मलीनतारूप निश्चय सम्यक् चारित्र की प्राप्ति असम्भव है।

माना कि मिण्याद्दिण्ट जीव भी मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक आरम्भी पापो का त्यागी होकर बाह्य (द्रव्य) रूप मे निर्दोप अगुव्रतो और महाव्रती वन जाता है क्यों कि अभव्य जो नवमग्र वेयक तक पहुँचता है उसका कारण उक्त प्रकार निर्दोष महाव्रतो का पालन करना ही है। परन्तु वहाँ यह बात घ्यान मे रखने को है कि मिथ्यादृष्टि जीव जो अगुव्रतो या महाव्रतो का उक्त प्रकार निर्दोष पालन करता है यह सब वह मोहनीय कर्म के मन्दोदय और पुण्यकर्मों के तीब्रोदय के आधार पर सासारिक अभ्युदय की प्राप्ति के लिये ही करता है अत सांकिल्पक नापो का त्याग न होने के कारण

उसका वह आरम्भी पापो का त्याग व्यवहार सम्यक् चारित्र नहीं कहला सकता है फिर भी यदि कोई व्यक्ति या दल इसे व्यवहारचारित्र कहने का आग्रह करता है तो यह पुण्याचरण के रूप मे व्यवहारचारित्र हो सकता है और उसमे भी इतनी विशेपता होगी कि वह यदि अभव्य मिथ्यादृष्टि का पुण्याचरण है तो उसे कथनमात्र व्यवहारचारित्र माना जायगा, क्योंकि वास्तव मे तो वह पूर्वोक्त प्रकार पुण्याचरण ही होगा। इसी प्रकार यदि वह भन्यमिण्यादृष्टि का व्यवहारचारित्र है तो पुण्याचरण के रूप मे सम्यग्दर्शन की कारणता के आधार पर उसे उपचरित व्यवहारचारित्र भी कहा जा सकेगा और यदि वह सम्यग्द्दि के सकल्पी पापी के त्यागपूर्वक अन्नत्यात्याना-वरणादि कपायो के अनुदय आदि के आधार पर निष्पन्न हुआ है तो उसे तव निश्चय सम्यक् चारित्र की कारणता के आधार पर वास्तविक (सद्भूत) व्यवहार सम्यक् चारित्र कहा जायगा। उसे उस हालत में कथनमात्र, निरर्थक, मिथ्या या कित्पत व्यवहार चारित्र कदापि नही कहा जा सवेगा। इससे यह वात भी फलित होती है कि जो व्रताचरण भले ही वह अणुव्रत या महाव्रत रूप ही क्यो न हो-यदि मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक निर्दीपता लिये हुए न हो तो वह ढोग या , पाखण्ड के रूप में पापाचरण रूप मिथ्याचारित्र ही माना जायगा ।

यह विवेचन इस वात को भी अच्छी तरह स्पष्ट कर देता है कि जो व्यक्ति व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहार सम्यक् चारित्र मे मोक्षमार्गता का निषेघ करने पर तुने हुए हैं वे एकान्तपक्षी मिर्थ्याद्दर्ष्टि ही हैं। इसी तरह जो व्यक्ति व्यवहार चारित्र को शरीर की क्रिया मानते हैं वे अज्ञानी और विपरीत मिथ्याद्दाष्टि हैं क्यों कि ऊपर कहा जा चुका है कि जीव की भाववती और क्रियावती नाम की दो शक्तिया है, इनमें से क्रियावती शक्ति की मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक सकल्पी पापो का त्याग हो जाने पर आरम्भी पापो के त्याग रूप जो परिणित होती है उसका नाम ही व्यवहार सम्यक् चारित्र है शरीर की क्रिया का नाम व्यवहार-सम्यक् चारित्र नहीं है। इसी तरह जिन व्यक्तियों का यह मत है कि जीव के निमित्त से होने वाली शरीर की क्रिया का नाम व्यवहार सम्यक् चारित्र है उन्हें भी अज्ञानियों को श्रेणी में ही गिंभत किया जायगा।

इस प्रकार पूर्वोक्त यह बात अच्छी तरह निर्णीत हो जाती है कि जीव की भाववती शक्ति पर अनादिकाल से ज्ञानावरण, दर्शनावरणं और वीर्यान्तर कर्मों का प्रभाव पड रहा है लेकिन साथ मे यह बात भी है कि प्रत्येक जीव मे अनादिकाल से ही इन तीनो कर्मों का समान क्षयोपशम रहता आया है अत वह भाववती शक्ति किन्ही अशो मे अनादिकाल से ही समान रूप से ज्ञान, दर्शन और वीर्यरूप मे विकसित रहती आयी है। इतनी बात अवश्य है कि प्रत्येक जीव की विकास को प्राप्त उपयुक्ताकाररूप ज्ञानशक्ति को दर्शनमोहनीय-कर्म का उदय अनादिकाल से ही प्रभावित कर रहा है अत. प्रत्येक जीव अनादिकाल से ही मिध्यादृष्टि और मिध्याज्ञानी बन रहा है। इसी तरह जीव की क्रियावती शक्ति भी अनादिकाल से यथायोग्य मन, वचन और काय के अधीन होकर योग-रूप परिणत होती आयी है और इस तरह योगरूप परिणत उस

क्रियावती शक्ति पर चारित्र मोहनीयकर्म का उदय अनादिकाल से अपना प्रभाव जमा रहा है अत प्रत्येक जीव की वह मानि-सिक, वाचनिक और कायिक योगरूप किया अनादिकाल से मिथ्याचारित्र रूप परिणत होती आयी है। जिन जीवो मे दर्शनमोहनीय कर्म की पूर्वोक्त तीन और चारित्रमोहनीय कर्म के एक भेद अनन्तानुबन्धी की पूर्वोक्त चार-इस तरह सात कर्म प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के रूप में अभाव हो जाता है उन जीवों में एक ओर तो विकास को प्राप्त उक्त ज्ञानशक्ति इन्द्रियो और मस्तिष्क की सहायता से अपना पदार्थ-ज्ञानरूप व्यापार करती हुई भी दर्शनमोहनीयकर्म का उक्त प्रकार अभाव हो जाने से निर्विकारता को प्राप्त हो जाती है अर्थात् अपनी मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानरूपता को समाप्त कर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपता को प्राप्त हो जाती है और दूसरी ओर मन, वचन और काय की सहायता से अपना व्यापार करती हुई अर्थात् योगरूपता को प्राप्त उक्त क्रियावती शक्ति भी अनन्तानुबन्धी कर्म का उक्त प्रकार अभाव हो जाने से अपने मिथ्याचारित्ररूप व्यापार मे परिवर्तन ला देती है अर्थात् उस हालत मे मिथ्याचारित्र की सकल्परूपता समाप्त होकर केवल आरम्भरूपता ही रह जाती है। इसी प्रकार उन जीवो मे आगे जैसा-जैसा चारित्र मोहनीयकर्म के दूसरे भेद अप्रत्याख्याना-वरणादि कषायो के उदय का यथायोग्य प्रकार से अभाव होता जाता है वैसा-वैसा आरम्भी पापो के त्यागरूप व्यवहार सम्यक्-चारित्र का रूप उस योगरूप क्रियावती शक्ति मे आता जाता है जिसके वल पर उक्त ज्ञानशक्ति के विकास में भी वृद्धि होतो जाती है तथा अन्त में जब दशम गुणस्थान के अन्त समय मे चारित्रमोहनीयकर्म का सर्वथा उपशम या क्षयरूप से अभाव हो

जाता है तब आरम्भी पापो के सर्वथा त्यागरूप व्यवहार सम्यक् चारित्र की पूर्णता उस योगरूप क्रियावती शक्ति मे आ जाती है जिसके बल पर जीव आत्मलीनतारूप निश्चय सम्यक् चारित्र को प्राप्त कर लेता है और यदि उक्त प्रकार जीवो मे सम्पूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है तो वे जीव द्वादश गुणस्थान के अन्त समय मे सम्पूर्ण ज्ञानावरण, सम्पूर्ण दर्शनावरण और सम्पूर्ण अन्तराय कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने पर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तवीर्य के घनी हो जाते हैं। उनमे तब केवल योगरूपता का प्राप्त क्रियावती शक्ति ही कर्मवन्ध का कारण रह जाती है जो कि केवल सातावेदनीय कर्म का मात्र प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध ही उन जीवो के साथ कराती है और आगे चल कर जब क्रियावती शक्ति की योगरूपता समाप्त हो जाती है तो वन्ध का सर्वथा अभाव हो जाता है तथा बद्धकर्मों का भी यथासमय अभाव हो जाने पर नोकर्मवद्धता से भी वे जीव छुटकारा पा लेते है।

मैने यहाँ पर जीव की भाववती और क्रियावती दोनो शक्तियों के कार्यों, का विश्लेषण किया है जिससे जात होता है कि वास्तव में ये दोनों शक्तियाँ ही अपने-अपने ढग से कर्मों और नोकर्मों की यथायोग्य अधीनता में दर्शनमोहनीयकर्म और चारित्रमोहनीयकर्म के यथायोग्य सहयोग से विकृत होकर जीव को ससारी बनाये हुए हैं। इन दोनो शक्तियों के कार्यों का यह विश्लेपण जीव की ससार और मोक्ष की प्रक्रिया पर अच्छा प्रकाश डालता है तथा विद्वानों और जनसाधारण में जो व्यवहार और निश्चय के रूपों को लेकर परस्पर विवाद की अत्यन्त कटुस्थित उत्पन्न होगयी है उसकी समाित में भी यह र न्त सहायक हो सकता है। मेरा विद्वानों से निवेदन हैं कि वे इस पर तर्क और आगम के आधार पर विचार करने का प्रयत्न करे। वर्तमान में विद्वानों का व्यान आगम के रहस्यों का पता लगाने की ओर नहीं है यह वडे दुख की वात है।

इस प्रकरण में मेरा प्रयत्न जीव की कर्मों और नोकर्मी के साथ वद्धता तथा दो आदि वस्तुओं के सयोग सामान्य, निमित्त नैमित्तिक भाव और आधाराधेयभाव आदि की वास्त-विकता (सद्भूतता) को वतलाने, व्यवहार और उपचार के अर्थों को स्पष्ट करने एव व्यवहार की हेयता व उपादेयता तथा उसके छूटने न छूटने के उपायो पर प्रकाश डालने का रहा है। आशा है कि विद्वानों का घ्यान इस ओर अवश्य जायग

करता हुआ दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर मिथ्यात्व (मिथ्यादर्शन) और अज्ञान (मिथ्याज्ञान) के रूप मे परिणमन कर रहा है।

इसी प्रकार जीव की स्वभावभूत किया शक्ति की जो मन, वचन और काय की अधीनता में योगात्मक स्थित अनादि काल से बनी हुई है उसका भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के प्रभाव से अविरत (मिथ्या चारित्र) रूप परिणमन हो रहा है। इस प्रकार जीव की ज्ञानोपयोगरूपता को प्राप्त भाववती शक्ति और योगरूपता को प्राप्त कियावती शक्ति दोनो हो जब यथायोग्य मिथ्यात्व (मिथ्यादर्शन), अज्ञान (मिथ्याज्ञान) और अविरति (मिथ्या चारित्र) रूप परिणमन अनादिकाल से करतो आ रहा है तो उनके इन परिणमनो के आधार पर जीव के साथ पौद्गलिक कार्माणवर्गणाये बद्ध होकर मिथ्यात्व, सज्ञान और अविरति रूप परिणमन अनादि काल से सतत करती आ रही हैं। समयसार कर्नृ कर्माधिकार की ६७, ६८ और ६६ सख्याक गाथाओं में जोव की स्वभावभूत भाववती तथा क्रियावती शक्तियो व कर्माणवर्गणाओं के इन्ही परिणमनो का प्रतिपादन किया गया है।

यद्यपि जीव की भाववती और क्रियावती शक्तियो व कार्माणवर्गणो का यथायोग्य उपर्युक्त मिध्यात्व, अज्ञान और अविरितिष्ठ्य परिणमन एक-दूसरे के सहयोग से अनादिकाल से होता आ रहा है परन्तु जीव की ज्ञानोपयोगष्ठ्य भाववती शक्ति का मिध्यात्व और अज्ञान रूप तथा योगात्मक क्रियावती शक्ति का अविरित रूप परिणमन न हो तो इसके लिए जीव को आगम मे यह उपदेश दिया गया है कि वह ऐसे साधन जुटाने अत्यन्त सहायक हो सकता है। मेरा विद्वानों से निवेदन है कि वे इस पर तकें और आगम के आधार पर विचार करने का प्रयत्न करे। वर्तमान में विद्वानों का घ्यान आगम के रहस्यों का पता लगाने की ओर नहीं है यह वडे दूख की बात है।

इस प्रकरण में मेरा प्रयत्न जीव की कर्मी और नोकर्मी के साथ वद्धता तथा दो आदि वस्तुओं के सयोग सामान्य, निमित्त नैमित्तिक भाव और आधाराधेयभाव आदि की वास्त-विकता (सद्भूतता) को वतलाने, व्यवहार और उपचार के अर्थों को स्पष्ट करने एव व्यवहार की हेयता व उपादेयता तथा उसके छूटने न छूटने के उपायो पर प्रकाश डालने का रहा है। आशा है कि विद्वानो का घ्यान इस ओर अवश्य जायगा।

जीव की वास्तविकता (सद्भूतता को प्राप्त) कर्मबद्धता और नोकर्मबद्धता में से नोकर्मबद्धता की समाप्ति—जैसा कि मैं पूर्व में बतला चुका हूँ—कर्मबद्धता के समाप्त हो जाने पर अपने आप हो जाती है क्योंकि नोकर्मबद्धता का अस्तित्व कर्मबद्धता की सत्ता पर ही निर्भर है। कर्मबद्धता की समाप्ति जीव तदनु-कूल पुरुषार्थ द्वारा कर सकता है—इस बात को ऊपर बतला दिया गया है।

इस सव विवेचन का सक्षेप में सार यह है कि जीव अनादिकाल से विविध प्रकार के पौद्गलिक कर्मों के साथ बढ़ हो रहा है उनमें से ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपश्यम के आधार पर उसकी स्वभावभूत भाववती शक्ति का ज्ञान के रूप में यथा-सम्भव विकास हो रहा है वह विकसित ज्ञान हो इन्द्रियादिक के सहयोग से अपना परिणमन पदार्थ ज्ञानरूप से उपयोगात्मक करता हुआ दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर मिथ्यात्व (मिथ्यादर्शन) और अज्ञान (मिथ्याज्ञान) के रूप मे परिणमन कर रहा है।

दसी प्रकार जीव की स्वभावभूत क्रिया शक्ति की जो मन, वचन और काय की अधीनता में योगात्मक स्थित अनादि काल से बनी हुई है उसका भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के प्रभाव से अविरत (मिध्या चारित्र) रूप परिणमन हो रहा है। इस प्रकार जीव की ज्ञानोपयोगरूपता को प्राप्त भाववती शक्ति और योगरूपता को प्राप्त क्रियावती शक्ति दोनो हो जब यथायोग्य मिध्यात्व (मिध्यादर्शन), अज्ञान (मिध्याज्ञान) और अविरति (मिध्या चारित्र) रूप परिणमन अनादिकाल से करतो आ रहा है तो उनके इन परिणमनो के आघार पर जीव के साथ पौद्गलिक कार्माणवर्गणाये बद्ध होकर मिध्यात्व, सज्ञान और अविरति रूप परिणमन अनादि काल से सतत करती आ रही है। समयसार कर्नु कर्माधिकार की ८७, ८८ और ८६ सख्याक गाथाओं में जोव की स्वभावभूत भाववती तथा क्रियावती शक्तियों व कर्माणवर्गणाओं के इन्ही परिणमनो का प्रतिपादन किया गया है।

यद्यपि जीव की भाववती और क्रियावती शक्तियो व कार्माणवर्गणों का यथायोग्य उपर्युक्त मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरतिरूप परिणमन एक-दूसरे के सहयोग से अनादिकाल से होता आ रहा है परन्तु जीव की ज्ञानोपयोगरूप भाववती शक्ति का मिथ्यात्व और अज्ञान रूप तथा योगात्मक य ेशक्ति का अविरति रूप परिणमन न हो तो क्या योग्या है का प्रयत्न करे जिन माधनों के आधार पर उसकी भाववती क्रियावती शक्तियों का आगे चलकर उक्त मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप परिणमन होना रुक जाता है। जीव के इस प्रयत्न का नाम सम्यक् पुरुषार्थ है।

तात्पर्यं यह है कि जीव का पुरुपार्थ दो तरह का होता है। उनमे से एक पूरुपार्थ तो वह है जिसके आधार पर उसकी ज्ञानोपयोग रूप भादवती शक्ति का मिथ्यात्व और यज्ञानरूप परिणमन होता है व योगात्मक क्रियावती शक्ति का अविरित रप परिणमन होता है तथा दूसरा पृष्टमार्थ वह है जिसके आधार पर उसकी ज्ञानोपयोगहप भाववती शक्ति का सम्यग-दर्शन और सम्यग्ज्ञानस्प परिणमन होता है और योगात्मक क्रियावती शक्ति का निवृत्यश के रूप मे सम्यक् चारित्ररूप परिणमन होता है। इन दोनो प्रकार के पुरुषार्थों में से पहला पुरुपार्य तो मोहनीय कर्म के तीब्रोदय, अन्तराय कर्मों के मन्द क्षयोपशम और पुण्य कर्मों के मन्दोदय के आधार पर अणुभ रूप होता है व दूसरा पुरुषार्थ मोहनीय कर्म के मन्दोदय और पण्य कर्मों के तीव्रीदय तथा जानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मो के यथायोग्य सातिशय क्षयोपशम के आधार पर श्रुभरूप होता है। पहले पुरुपार्य की पापाचरण कहा जाता है और दूसरे पुरुपार्थ को पुण्याचरण कहा जाता है जो देव पूजा, गुरु-पास्ति, स्वाघ्याय, सयम, तप और दान आदि रूप होता है। इस पुण्याचरण को अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव अपनाता है तो उसे कथन के रूप मे व्यवहार धर्म कह सकते है क्योंकि इसके वल पर अभन्य मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि क्रमश क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्यलिय को प्राप्त कर लेता है और मरण के पश्चात् नवम गैवेयक तक भी पहुँच जाता है परन्तु वह

निश्चय धर्म का कदापि कारण नही होता है। यदि भव्य मिथ्यादृष्टि जीव इस पुण्याचरण को अपनाता है तो वह इसके बल पर क्षयोपराम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करणलब्धि के प्राप्त कर सम्यग्दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह इस पुण्याचरण को सम्यग्दर्शन की कारणता के आधार पर उपचरित व्यवहार धर्म भी कह सकते हैं। यद्यपि सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर जीव अनन्तानुबन्घी कषाय का उपशम या क्षय हो जाने के कारण सङ्कल्पी पापो का त्यागी हो जाता है परन्तु अशक्तिवश आरम्भी पापो का किचिन्मात्र भी त्याग करने में वह असमर्थ रहता है अत उसे अविरत सम्यग्द्दि कहा जाता है,। लेकिन यदि यही जीव अप्रत्याख्यानावरणादि कषायो के अनुदय के आधार पर यथायोग्य आरम्भी पापो का भी त्याग कर देता है तो वह वास्तविक (सद्भूत) व्यवहार धर्मात्मा हो जाता है। वास्तविक व्यवहार धर्म के रूप मे यह प्रक्रिया दशम गुणस्थान तक चला करती है क्यों कि कषाय का उदय यथासम्भव रूप मे दशम गुणस्थान तक रहने के कारण वह जीव पूर्णरूप से आरम्भी पापो का त्यागी नही हो पाता है और चूिक दशम गुणस्थान के अन्त समय मे कषाय का पूर्णतया या उपशम या क्षय हो जाता है अत वह एक ओर तो व्यवहार धर्म की पूर्णता प्राप्त कर लेता है व दूसरी ओर इसी व्यवहारधर्म के आधार पर एकादश व द्वादश गुणस्थान मे वह क्रमश. औपशमिक व क्षायिक रूप मे यथाख्यान चारित्र को प्राप्त होकर आत्मलीनता रूप निश्चय सम्यक् चारित्र का घारक बन जाता है।

इस तरह चरणानुयोग की दृष्टि से विचार किया जाय तो अशुभ पुरुषार्थ अर्थात् पापाचरण व्यवहार सर्वथा हेय है, शुभ हप पुरुपार्थ अर्थात् पुण्याचरण रूप व्यवहार तव तक उपादेय है जव तक जीव समस्त आरम्भी पापो से निवृत्तिरूप व्यवहार धर्म की पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता है और जव वह जीव यथा-ख्यान चारित्ररूप निश्चय धर्म को प्राप्त कर लेता है तो व्यव-हार धर्म को उपयोगिता समाप्त हो जाती है।

यहाँ इतना विशेप समझ लेना चाहिये कि वाह्य में व्यवहार घर्म की उपयोगिता पष्ठ गुणस्थान तक ही दृष्टि में आती है लेकिन अन्तरगवृत्ति के आधार पर जीव में व्यवहार घर्म की पूर्णता दशम गुणस्थान के अन्त समय में जब सूक्ष्म लोभ का भी अभाव हो जाता है तभी हुआ करती है।

यह जो विवेचन यहाँ किया गया है इससे स्पष्ट हो जाता है कि प० फूलचन्द्रजी को व्यवहार को या व्यवहार धर्म को सर्वथा हेय बतलाने से पूर्व इन सब बातो पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिये था जबिक वे आगम के अच्छे विद्वान हैं। जैननत्त्वमीमासा मे एकागी वर्णन करके उन्होंने अपनी आगमज्ञता को तो बट्टा लगाया ही है साथ ही अपना और दूसरों का बडा भारों अहित किया है। अब भी उन्हें इम पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

अव यहाँ पर आगे जैनतत मोमामा मे वर्णित अन्य वातो पर विचार किया जाता है—

(१) पं॰ पूलचन्द्र जी का मत है कि कार्योत्पत्ति मे निमित्त सार्यंक न हो कर निरर्थंक ही है। उन्होंने अपने इरा मत की पृष्टि के लिए जैनतत्त्वमीमासा के विषय प्रवेश प्रकरण मे पृष्ठ १६ पर तत्त्वार्थ सूत्र का निम्नलिखित सूत्र उद्घृत किया है— मोहक्षयाज्ज्ञान दर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम् । ॥१०-१॥

अर्थ — मोहनीय कर्म के क्षय से तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान होता है।

इसके अनन्तर ही वही पर प० जी ने उक्त सूत्र के अर्थ के विषय मे अपना मन्तव्य निम्न प्रकार प्रगट किया है—

"वहाँ पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु क्या है? इसका निर्देश करते हुए यह बतलाया गया है कि वह मोहनीय कर्म के क्षय के बाद ज्ञानावरणादि तीन कर्मो के क्षय से होता है । यहाँ पर क्षय का अर्थ प्रघ्वसाभाव है अत्यन्ताभाव नही, क्योंकि किसी भी द्रव्य का पर्यायरूप से ही नाश होता है द्रव्य रूप से नही । अब विचार कीजिये कि ज्ञानावरणादि रूप जो कर्म पर्याय है उसके नाश से उसकी अकर्मरूप उत्तर पर्याय प्रगट होगी कि जीव की केवल ज्ञानपर्याय प्रगट होगी? एक वात और है वह यह कि जिस समय केवलज्ञानपर्याय प्रगट होती है उस समय तो ज्ञानावरणादि कर्मी का अभाव ही है और अभाव को कार्योत्पत्ति मे कारण माना नही जा सकता है। यदि अभाव को कार्योत्पत्ति मे कारण माना जाय तो खरविषाण या आकाश कुसुम को भी कार्योत्पत्ति मे कारण मानना पडेगा। यदि कहो कि यहाँ पर अभाव से सर्वथा अभाव नही लिया गया है किन्तु भावान्तर स्वभाव अभाव लिया गया है तो हम पूछते है कि वह भावान्तर स्वभाव अभाव क्या वस्तु है ? उसका नाम निर्देश होना चाहिये । यदि कहो कि यहाँ पर भावान्तर स्व-भाव अभाव से ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्म रूप उत्तर पर्याय

ली गयी है तो हम पूछते हैं कि आप यह किस आधार पर कहते है ? उक्त सूत्र से तो यह अर्थ फिलत नहीं होता। अत इसे निमित्त कथन परक वचन न मानकर हेतु परक वचन मानना चाहिये। स्पष्ट है कि यहाँ पर जीव की केवलज्ञानपर्याय प्रगट होने का जो मुख्य हेतु उपादान कारण है उसे तो गोण कर दिया गया है और जो मितज्ञान आदि पर्यायों का उपचरित हेतु या उसके अभाव को हेतु को बनाकर उसकी मुख्यता से यह कथन किया गया है। यहाँ दिखलाना तो यह है कि जब केवल ज्ञान अपने उपादान के लक्ष्य से प्रगट होता है तब ज्ञानावरणादि कमें रूप उपचरित हेतु का सर्वथा अभाव रहता है। परन्तु इसे (अभाव को) हेनु बनाकर यो कहा गया है कि ज्ञानावरणादि कमीं का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रगट होता है। यह व्याख्यान की शैलो है जिसके शास्त्रों में पद-पद पर दर्शन होते हैं।"

यह तत्त्वार्थ सूत्र के उल्लिखित सूत्र वाक्य का प॰ फूलचन्द्र जी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है । इसमे पिडत जी का "इसे निमित्त कथन परक वचन न मानकर हेतु परक वचन मानना चाहिये" यहाँ से लेकर "परन्तु इसे (अभाव को) हेतु बनाकर यो कहा गया है कि ज्ञानावरणादि कमीं का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रगट होता है" यहाँ तक के कथन से क्या अभिप्राय है जो प्रकृत के लिए उपयोगी हो यह मेरो समझ मे नहीं आया है । मुभे तो उनका यह कथन विसगत ही जान पडता है तथा इसमे उन्होने जो यह लिखा है कि "निमित्त कथन परक वचन मानकर हेतु परक वचन मानना चाहिये" इस विषय मे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमे निर्दिष्ट "निमित्त कथन परक वचन परक वचन" और "हेतु परक वचन" इन दोनो वाक्याशो से

उनके उक्त मत की पृष्टि के लिए उपयोगी अलग-अलग कौन-कीन सा अभिप्राय सिंद्ध होता है यह भी मेरी समझ मे नही आ रहा है क्यों कि हेतु शब्द भी सामान्य रूप से कारणता का ही वोच कराता है। परन्तु इसी मे अन्तिम निष्कर्ष के रूप मे जेन्होने जो यह लिखा है कि "यहाँ पर दिखलाना यह है कि जब केवल ज्ञान अपने उपादान लक्ष्य से प्रगट होता है तव ज्ञानावरणादि उपचरित हेतू का सर्वया अभाव रहता है परन्तु इसे (अभाव को) हेतु वनाकर यो कहा गया है कि ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होने से केवल-ज्ञान प्रगट होता है" इस लेख से वे यह बतलाता चाहते हैं कि केवलज्ञान सिर्फ अपने उपादान के वल पर ही प्रगट होता है उसके प्रगट होने मे निमित्तों के सहयाग की आवश्यकता नहीं रहा करती है। यही कारण है कि "ज्ञानावरणादि कर्मी के क्षय से केवलज्ञान प्रगट होता है" इसे उन्होने शास्त्रकारो द्वारा अपनायी गयी व्याख्यान की शैली मात्र कहा है। अर्थात् प० फूलचन्द्र जी के मत से इस वात मे कुछ भी तथ्याश नहीं है कि ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्रगट होता है केवल यह कथन की शैली मात्र है।

पण्डित जी के उक्त कथन के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति में उपादान कारण के अलावा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय रूप निमित्त कारण भी होता है। यह बात में इस आधार पर कह रहा हूँ कि केवल ज्ञान अपने आप में जीव की स्वपरप्रत्यय पर्याय है इसलिए वह जीव के स्वभावभूत ज्ञायकभाव की पूर्ण विकास रूप परिणति होने के कारण अपने उपादान में प्रगट होकर भी तब तक प्रगट नहीं होता है जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों का सर्वथा क्षय नही हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि आगम में पदार्थों की पर्यायों के स्व-प्रत्यय और स्वपरप्रत्यय ऐसे दो भेद वतलाये गये हैं तया इन दोनों में अन्तर भी सिर्फ इस वात का वतलाया गया है कि जहाँ स्वप्रत्यय पर्याय परिनरपेक्ष होकर ही अपने उपादान में प्रगट हो जाती है वहाँ स्वपरप्रत्यय पर्याय यद्यपि प्रगट तो अपने उपा-दान में ही होती है फिर भी उसकी प्रगटता में पररूप निमित्त की सहायता अपेक्षित रहा करती है।

मुफ्ते विश्वास है कि प० फूलचद्र जी भी केवलज्ञान को जीव की स्वपरप्रत्यय पर्याय मानने में मेरे साथ होंगे और फिर भले ही वे इसे जीव की स्वपरप्रत्यय पर्याय न मानें लेकिन आगम में तो वस्तु स्वभाव के शक्त्यशों में (अविभागी प्रतिच्छेदों में) होने वाली पड्गुणहानि वृद्धि रूप पर्यायों को ही सिर्फ स्वप्रत्यय पर्याये स्वीकार किया गया है अत इनके अतिरिक्त वस्तु में पायी जाने वाली सभी पर्यायों का अन्तर्भाव स्वपर प्रत्यय पर्यायों में ही होता है क्योंकि स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय के अलावा पर्यायों के अन्य किसी प्रकार के भेदों का कथन आगम में नहीं पाया जाता है। अत. यह बात निश्चित समझना चाहिये कि जीव की केवल ज्ञान पर्याय का समावेश उसकी स्वपरप्रत्यय पर्यायों में ही होता है और इसलिए यह बात भी निश्चित हो जाती है कि केवल ज्ञान अपने उपादान में प्रगट होकर भी तब तक प्रगट नहीं होता है जब तक ज्ञानावरणादि उक्त तीन कर्मों का सर्वथा क्षय नहीं हो जाता है। इस तरह मैं हढ़ता के साथ यह कह सकता हूँ कि "ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्रगट होता है" कथन के तथ्याश को सिर्फ शास्त्रकारो द्वारा अपनायी गई व्या-ख्यान की शैली मात्र कह कर टाला नहीं जा सकता है।

मेरे इस विवेचन से प० फूलचन्द्र जी का यह कथन कि "यहाँ पर जीव की केवल ज्ञान पर्याय प्रगट होने का जो मुख्य हेतू उपादान कारण है उसे तो गौण कर दिया गया है और जो जीव की मतिज्ञान आदि पर्यायों का उपचरित हेतू था उसके अभाव को हेत्र बनाकर उसकी मुख्यता से यह कथन किया गया है" सुतराम् खण्डित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञाना-वरणादि कर्मों को मतिज्ञान आदि पर्यायो का उपचरित हेतू मानकर व उसके अभाव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति मे हेत वनाकर उसकी मुख्यता से कथन करने का यहाँ पर प्रयोजन क्या है ? और पण्डित का ऐसा लिखना क्या सगत है ? यह वात मैं पिण्डत से पूछना चाहता हूँ। हालाकि उन्होने जैनतत्त्व-मीमासा के पृष्ठ २१ पर यह सकेत किया है कि "सुगमता से इष्टार्थ का ज्ञान कराने के लिए ही यहाँ पर सूत्रकार ने उल्ल-खित ढग से कथन करना उचित समझा है" फिर भी सूत्रकार के कथन मे इस प्रकार की असगत द्रावडी प्राणायाम की कल्पना करके प० फूलचन्द्र जी द्वारा सन्तोष कर लिए ताने पर भी मैं कहूँगा कि सूत्रकार ने उल्लिखित सूत्र वाक्य में ज्ञानावरणादि कर्मो के क्षय और केवलज्ञान मे निमित्त नैमि-तिक भाव नहीं बतलाकर सिर्फ सुगमता के साथ इष्टार्थ का ज्ञान कराने के लिए ज्ञानावरणादि कर्मी का क्षय केवलज्ञान की प्रगटता के अवसर पर मौजूद रहने के कारण इन दोनो मे कार्य-कारणभाव का आरोप मात्र करके कथन भर कर दिया है—

इसका नियामक क्या है ? यद्यपि प० फूलचन्द्र जी ने अपने उक्त पक्ष की पुष्टि के लिये उक्त मन्तव्य मे कुछ तर्क उपस्थित किये है लेकिन उनसे उनके पक्ष की पुष्टि नहीं होती है । प० जी के वे तर्क निम्न प्रकार हैं—

- (१) ज्ञानावरणादि रूप कर्म पर्याय के नाश से उसकी अकर्म रूप उत्तर पर्याय ही प्रगट होती है जीव की केवल ज्ञान पर्याय उससे प्रगट नहीं हो सकती है।
- (२) ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय प्रध्वसाभाव रूप ही है और अभाव को कार्योत्पत्ति मे कारण मानने से खर विषाण या आकाश कुमुम का भी कार्योत्पत्ति मे कारण मानना होगा।
- (३) यदि खर विषाण या आकाश कुसुम की कार्योत्पत्ति मे प्रसक्त कारणता को समाप्त करने के लिए अभाव को भावा-न्तर स्वभाव मान कर ज्ञानावरणादि कर्मों की अकम रूप उत्तर पर्याय को ही जीव की केवल ज्ञान पर्याय की उत्पत्ति मे कारण माना जाय तो यह भी एक निराधार कल्पना है क्योंकि उक्त सूत्र से यह अर्थ फलित नहीं होता है कि ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्म रूप उत्तर पर्याय से जीव की केवल ज्ञान पर्याय प्रगट होता है।

यद्यपि मुक्ते पण्डित जी के प्रथम तर्क के इस कथन मे सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है कि ज्ञानावरणादि रूप कर्म पर्याय के नाश से उसकी अकर्म रूप उत्तर पर्याय प्रगट होतो है, परन्तु इसके साथ ही मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि ज्ञानावरणादि कमों की इस अकर्म रूप उत्तर पर्याय की प्रगटता जीव केवल ज्ञान पर्याय के प्रगट होने में उपादान कारण न होकर निमित्त (सहायक) कारण होती है क्योंकि ज्ञाना-वरणादि कर्म पर्याय का क्षय उसकी अकर्म रूप उत्तर पर्याय की उत्पत्ति के अलावा और कोई वस्तु नहीं है। इस आधार से पण्डित जी के इस कथन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है कि "अभाव को कार्योत्पत्ति में निमित्ता मानने से अभावात्मक खरविपाण या आकाश कुसुम को भी कार्योत्पत्ति में निमित्तता प्रसत्त हो जायगी," क्यों कि मेरे उक्त कथन से केवल ज्ञान की उत्पत्ति में ज्ञानावरणादि कर्मों की कर्मपर्याय के नाश से प्रगट होने वाली उनकी अकर्मरूप सत्तात्मक उत्तर पर्याय ही निमित्त (सहायक) सिद्ध होती है। यहाँ पर यह वात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्मरूप उत्तर-पर्याय जीव के साथ बद्धता रूप स्थिति की समाप्ति होकर पृथक् स्थिति का निर्माण हो जाना ही है क्यों कि ज्ञानावरणादि कर्म कर्मरूप तभी तक रहते हैं और तब तक नियम से रहते हैं जब तक वे जीव के साथ बधे रहते हैं इसलिये जब उनका जीव के साथ विद्यमान वन्ध का विच्छेद होता है तो वे अपनी कर्मरूपता को नियम से छोड देते हैं।

पण्डित जी का यह तर्क कि "अभाव को कार्योत्पत्ति में निमित्त मानने से अभावात्मक खरविपाण या आकाश कुसुम को भी कार्योत्पत्ति में निमित्त मानना पड़ेगा" गलत है कारण कि जैनदर्शन में प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव—इन चारो प्रकार के अभावों को समान रूप से भावान्तर स्वभाव ही माना गया है। अर्थात जैन-दर्शन की मान्यता में ऐसा एक भो अभाव नहीं है जिसमें भावान्तर स्वभाव रूपता न पायी जाती हो। जिन खरविषाण और आकाश-कुमुम रूप अभावों का उन्तें पण्डित जो ने अपने मन्तव्य में इस प्रसग में किया है उनमें से खरविषाण रूप अभाव खर की विषाणरहित स्थित तथा साकाश कुमुम रूप अभाव भी आकाश की कुसुम रहित स्थित के अलावा और क्या हो सकते हैं ? इस तरह इन कथन से यह निष्कर्प सहज हो निकल आता है कि केवल भावात्मक पदार्थों को कार्योत्पत्ति में कारण मानने पर भी उक्त आपित्त का निराकरण नहीं हो नकता है, क्योंकि भावात्मक पदार्थों को कार्योत्पत्ति में कारण मानने पर भी यदि यह प्रवन पण्डित जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय कि "इस तरह से भावान्तर स्वभाव रूप खरविपाण और आकाश-कुमुम को भी कार्य के प्रति कारणता की प्रसक्ति हो जायगी" तो फिर उनके पास क्या समाधान है ?

दूसरी वात यह है कि अभाव मे भी जो कारणता का निपेव किया जाता है वह निपेव अभाव के अमत्तात्मक होने के सवव नहीं किया जाता है किन्तु वहा पर भी उक्त निपेव भाव पदार्थ की तरह कार्य के साथ अन्वय-व्यतिरेक घटित न होने के आघार पर ही किया जाता है। अर्थात् वस्तु चाहे भावात्मक हो या चाहे अभावात्मक हो वह तब तक कार्य के प्रति कारण नहीं मानी जा सकती है जब तक कार्य के साथ उसका अन्वय-व्यतिरेक घटित नहीं होता है और यदि कार्य के साथ भावात्मक वस्तु के समान अभावात्मक वस्तु का भी अन्वय-व्यतिरेक घटित हो जाय, जैसा कि जीव की केवलज्ञान पर्याय और ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय के मध्य घटित होता है, तो इस हालत मे उसे (अभाव को) भी जैनदर्शन की मान्यता के अनुसार कार्य के प्रति कारण मानना अयुक्त नहीं है।

मैं पण्डित फूलचन्द्र जी से यह पूछना चाहूँगा कि वे क्या अन्वय-व्यितरेक के अभाव मे भी केवल भावात्मकता के आधार पर किसी भी भावात्मक वस्तु को किसी भी कार्य के प्रति कारण मानने के लिये तैयार हैं ? यदि ऐसा है तो फिर घट

की उत्पत्ति के प्रति कुम्भकार की तरह तन्तुवाय को तथा पट की उत्पत्ति में तन्तुवाय की तरह कुम्भकार को भी कारण मानने का उनके मत से प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। इसलिए यदि वे घट की उत्पत्ति तन्तुवाय के अभाव में और पट की उत्पत्ति कुम्भकार के अभाव में देखी जाने के कारण घट की उत्पत्ति में तन्तुवाय की और पट की उत्पत्ति में कुम्भकार की कारणता का निषेध करने के लिए अन्वय-व्यतिरेक के इस सिद्धान्त को मान्यता देते हैं कि वही भावात्मक पदार्थ उस कार्य के प्रति कारण होता है जिसका जिसके साथ अन्वय—व्यतिरेक पाया जाता है तो फिर इसी प्रकार अभावात्मक पदार्थों का भी विविध्यत कार्य के साथ कार्यकारणभाव निश्चित करने के लिये अन्वय-व्यतिरेक के उक्त सिद्धान्त को मानने में भी उन्हें क्या आपत्ति रह जाती है ?

इस प्रकार भावात्मक पदार्थों के समान अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ही अभावात्मक पदार्थों की कार्य के प्रति कारणता स्वीकृत हो जाने पर उसकी (अन्वय-व्यतिरेक की) अविद्यमानता के सवव ही खरविषाण और आकाशकुसुम को कार्य के प्रति कारण मानने का प्रसग उपस्थित नहीं हो सकता है। आगम भी इस बात का विरोधी नहीं है कि जिस जीव में जब तक ज्ञानावरणादि उक्त कर्मों का क्षय नहीं हो जाता है तव तक उसमें केवलज्ञान प्रगट नहीं होता है और जिस जोव में जब ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय हो जाता है तो उसी समय उसमें केवलज्ञान प्रगट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय का केवलज्ञान की प्रगटता के साथ जब अन्वय-व्यतिरेक विद्यमान है तो केवल ज्ञानरूप कार्य के प्रति ज्ञानावरणादि कमों के क्षय को कारण स्वोकार करना अयुक्त नहीं है। फिर भी ज्ञानावरणादि कर्मी का क्षय उनकी अकर्महप पर्याय के अलावा और कुछ नहीं है, उमलिये उसे जीव की केवलजान पर्याय से अत्यन्त पृथक् स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय माना गया है। यही कारण है कि ज्ञानावरणादि कमों के क्षय तथा जीव के केवलज्ञान की प्रकटता में विद्यमान कार्यकारणभाव की जपादानोपादेय भावन्य गार्यकारणभाव न मान कर निमित्त-नेमित्तिकभावरूप कार्यकारणभाव ही माना गया है और इस प्रकार यह नयों के निष्चय और व्यवहार रूप विकल्पों में से यद्यपि व्यवहार मप विकत्प की कोटि में ही समाविष्ट होता है फिर भी व्यवहार मप विकल्प की कोटि में आ जाने से वह अवाम्तविक (अमत्य या कित्पत) हो जाता हो—सो वात भी नहीं है नयों कि न्यवहार भी अपने दग से वास्तविक होता है-यह बात में पूर्व में मिद्ध कर चुका हैं। दूसरे यह बात भी है कि जानावरणादि कर्मों का क्षय जब उनकी अकर्मरूप भावात्मक उत्तरपर्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो फिर उसे अवास्तविकता का रूप कैसे दिया जा सकता है ?

एक बात और है कि निमित्त में यदि काई अवास्तिवकता पायी जाती है तो वह यही है कि वह स्वय (आप) कार्यरूप परिणत नहीं होता है। अर्थात् कार्य में जिस प्रकार उपादान की स्थिति उसके निष्पन्न हो जाने पर भी बनी रहतो है उस प्रकार उसमे निमित्त की स्थिति नहीं रहा करती है क्योंकि निमित्त तो तभी तक अपेक्षित रहा करता है जब तक कार्य निष्पन्न नहीं होता है यानि कार्यरूप ही बना रहता है। लेकिन वह जब अपनी कार्यरूपता को समाप्त कर निष्पन्न रूपता को प्राप्त कर लेता है तब उसके लिये निमित्त की अपेक्षा समाप्त हो जाती है। जेसे कुम्भकार घटरूप कार्य मे तभी तक उपयोगी है जब तक घंट निष्पन्न नही होता है। और जब घट निष्पन्न हो जाता है तो फिर वहाँ पर कूम्भकार को उपयोगिता समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार घट के निप्पन्न हो जाने पर कुम्भकार की उपयोगिता नही रह जाती है उस प्रकार उसकी उपादानभूत मिट्टी की भी उपयोगिता समाप्त हो जाती है—सो बात नहीं है कारण कि कुम्भकार के अभाव मे तो घट अपनी सत्ता बनाये रखता है परन्तु घट के निष्पन्न हो जाने पर भी मिट्टी की स्थिति मे यदि घट के प्रतिकूल कोई विकृति पैदा होती है तो उस समय घट भी अपनी स्थिति को सम्हालने मे असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार निमित्त और उपादान मे अन्तर पाया जाने पर भी कोई व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता है कि घट कुम्भकार के अभाव मे भी बन कर तैयार हो सकता है। इसलिये यह निष्कर्ष निकला कि निमित्त कार्य मे तब तक उपयोगी है जब तक कार्य निष्पन्न नहीं हो जाना है यानि कार्य के निष्पन्न हो जाने पर निमित्त की उपयोगिता समाप्त हो जाती है । लेकिन उपादान को उपयोगिता चूकि कार्य निष्पन्न होने से पूर्व और पश्चात् सतत बनी रहती है अत उपादान सर्वदा उपयोगी ही रहा करता है।

तीसरे तर्क मे प० फूलचन्द्र जो का कहना यह है कि "सूत्र मे विद्यमान 'क्षय' शब्द से ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्मरूप उत्तर पर्याय को ग्रहण करने की बात सूत्र से फलित नही होती है इसलिये 'क्षय' शब्द से ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्मरूप उत्तरपर्याय का ग्रहण करना सूत्रकार के आशय के विरुद्ध है।"

इसके विषय में मेरा कहना है कि जब जैन दर्शन में प्रत्येक अभाव को भावान्तर स्वभाव ही माना गया है तो प्रकृत में ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयरूप प्रव्वसाभाव को उनकी अकर्मरूप उत्तरपर्याय के रूप में ग्रहण करना सूत्रकार के आशय के कदापि विरुद्ध नहीं हो सकता है।

दूसरी वात यह है कि उस-उस जाति की कार्माणवर्गणा अर्थात् ज्ञानावरणादि कार्यरूप परिणत होने की योग्यताविशिष्ट पुद्गल अनुकूल निमित्तो की सहायता से जीव के साथ अपना विशिष्ट सक्लेष स्थापित कर लेते हैं। इस सक्लेष को आगम मे प्रकृतिवन्घ नाम से पुकारा गया है और यह प्रकृतिवन्घ ही कार्माण वर्गणारूप पुद्गलो की ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणति है। इस तरह ज्ञानावरणावि कर्मों के जीव के साथ विद्यमान उक्त सक्लेष सम्बन्ध की समाप्ति हो जाना, उक्त कर्मो का जीव से सर्वथा प्रथक् हो जाना, व ज्ञानावरणादि कर्मों का जीव से सर्वथा प्रथक् हो जाना, व ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय या उनकी अकर्मरूप उत्तरपर्याय आदि कोई भी अर्थ सूत्र मे पठित 'क्षय' शब्द से ग्रहण किया जाय—तो यह सूत्रकार के आशय के विरुद्ध नही है।

तात्पर्य यह है कि आगम मे विणित उक्त प्रकार की कार्माणवर्गणा मे अनुदूल निमित्तों के सहयोग से जीव के साथ संयुक्त होकर उसी क्षण ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत हो जाया करती हैं तथा इन ज्ञानावरणादि कर्मों का आगे चलकर जब जीव से सम्बन्ध विच्छेद होता है तो वे कर्म उस समय अपनी ज्ञानावरणादि कर्मरूप किसी व्यक्त कर अकर्मरूप किसी दूसरी स्थिति को प्राप्त हो जाया करते है। अब विचारना चाहिये कि सूत्र में पठित 'क्षय' शब्द का इसके अलावा—िक

ज्ञानाचरणादि कर्मरूप स्थिति को प्राप्त पुद्गल उस स्थिति को वदल कर अकर्मरूप अन्य किसी भी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं—दूसरा कौनसा अर्थ ग्रहण किया जा सकता है ? कारण कि द्रव्य का द्रव्यरूप से तो कभी नाश होता नहीं है केवल पर्याय रूप से ही नाश होता है-यह बात प० जी ने भी अपने मन्तव्य मे कही है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि पहले जो कार्माण-वर्गणारूप पुद्गल था वह जीव का सयोग पाकर अपने उस रूप को छोडकर कर्मरूप परिणत हुआ और पश्चात् जीव से पृथक् हो जाने पर अपनी उस कर्मरूप अवस्था को भी समाप्त कर दूसरी कोई भी अकर्मरूप अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी पुद्गलरूपता को उसने पूर्वा पर किसी भी अवस्था मे नही छोडा। इस तरह जैनदर्शन मे प्रत्येक द्रव्य के उत्पाद और विनाश को अवस्थाओं के परिवर्तन के रूप में ही स्वीकार किया गया है व द्रव्य स्वय त्रिकालवर्ती ध्रुवता को लिये हुए बना ही रहता है। इस प्रकार सूत्र मे पठित 'क्षय' शब्द से ऊपर लिखे प्रकार कोई भी अर्थ स्वीकार किया जाना सूत्रकार के आशय के विरुद्ध नही है।

अन्त मे मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि प० जी ने अपने मन्तव्य मे जो यह लिखा है "यहाँ पर क्षय का अर्थ प्रव्वसाभाव है अत्यन्ताभाव नहीं" इसमे तो मैं सहमत हूँ, परन्तु इसके समर्थन मे दिये गये उनके इस तर्क को—िक "क्योंकि किसी भी द्रव्य का पर्याय रूप से ही नाश होता है द्रव्यरूप से नहीं" मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कोई भी अत्यन्ताभाव नहीं हो सकता है जिसका प्रादुर्भाव किसी द्रव्य के नाश से होना सम्भव हो। तात्पर्य यह है कि एकद्रव्य मे दूसरे द्रव्य के गुणपर्यायों के अभाव रूप विविध प्रकार के

त्रैकालिक मत्ता रातने वाले अभावों को ही अत्यन्ताभाव की कोटि में रक्षा गया है और यदि द्रव्य का नाम मम्भव ही हाता तो भी वह प्रघ्यमाभाव में हो गिभत होता अत्यन्ताभाव में नहीं।

(२) प० फूलचन्द्रजो ने जैनतत्त्वमीमांसा के विषय प्रवेश प्रभरण में हो पृष्ठ ११-१६ पर जो यह कथन किया है कि "यह तो स्पष्ट बात है कि प्रत्येक द्रव्य परिणमनस्त्रभाव है, इसलिये यह अपने इस परिणमनस्यभाव के कारण ही परिणमन करता है अन्य कोई परिणमन करावे तब वह परिणमन करे अन्यथा न करे ऐसा नहीं है।"

प० जी के इस कयन से में इस आघार पर सहमत हैं कि सम्पूणं द्रव्यों में होने वाले उनके अपने-अपने स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय मभी प्रकार के परिणमनों में जो स्व की अपेक्षा पायी जाती है वह हमें इस वात का सकते देती है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनम्बमाय के कारण ही परिणमन करता है। अर्थात् किमों भी द्रव्य में ऐसा एक भी परिणमन सम्भव नहीं है जो स्व की अपेक्षा के बिना केवल पर के आधार पर ही हों जाता हो। स्वपरप्रत्यय परिणमन में जो पर की अपेक्षा पायी जाती है वह स्व की अपेक्षा के साथ ही पायी जाती है। तात्पर्य यह है कि सपूर्णं द्रव्यों में प्रतिक्षण पड्गुण हानि वृद्धिस्प एक परिणमन तो ऐसा सतत् होता रहता है जो पर की अपेक्षा रहित केवल द्रव्य के अपने परिणमन स्वभाव के आधार पर ही हुआ करता है परन्तु दूसरे परिणमन सपूर्णं द्रव्यों में एक क्षणवर्ती अयवा अनेक क्षणवर्ती ऐसे भी हुआ करते हैं जिनमें यद्यिप पर की अपेक्षा रहा करती है, परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि

ऐसा परिणमन स्व की अपेक्षा रिहत केवल पर की अपेक्षा-मात्र से हो हो जाता हो, क्यों कि ऐसे परिणमनों में पर की अपेक्षा के साथ-साथ स्व की अपेक्षा तो रहा ही करती है। आगम में भी द्रव्यों के उक्त स्वप्रत्यय और स्वपर प्रत्यय ऐसे दो भेद ही परिणमन के बतलाये गये हैं। इनके अलावा परिणमन के स्व की अपेक्षा रिहत केवल पर प्रत्यय रूप भेद की स्वीकृति आगम में उपलब्ध नहीं होती है प्रत्युत ऐसा कथन वहाँ अवश्य पाया जाता है जिससे इस बात की ही पृष्टि होती है कि प्रत्येक द्रव्य में स्व की अपेक्षा रिहत केवल पर की अपेक्षा से कोई भी परिणमन नहीं होता है। इसमें मैं समयसार को निम्नलिखित गाथाश को प्रमाण के रूप में उपस्थित करता हूँ—

ते सयमपरिणमत कह तु परिणामयदि पाणी ।।गा० १२५ का उत्तरार्घ।।

यह गाथाश पुद्गल के कमरूप परिणमन के सिलसिले में लिखा गया है। इसमें यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि जिस पुद्गल द्रव्य में कर्मरूप परिणत होने की योग्यता (उपा-दान शक्ति) नहीं है यानि जो पुद्गल द्रव्य कार्माणवर्गाणारूप नहीं है उसे जीव कर्मरूप परिणत करने में कदापि समर्थ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार का कथन जीव की क्रोधादिरूप विभाव परिणति के सम्बन्ध में भी वहीं पर (समयसार में) निम्नलिखित रूप में पाया जाता है—

तं सयगपरिषमत कह परिणामएदि कोहत्तं।।।गा० १२८-उत्तरार्ध।।

अर्थात् जिस जीव मे क्रोधादिविभाव रूप परिणमन करने की निजी योग्यता नहीं हैं उमें उस रूप परिणमन कराने की सामर्थ्य पुद्गल के परिणमन क्रोध (द्रव्य क्रोध) में नहीं हैं।

आचार्य अमृतचन्द्र ने भी "स्थितेत्यविष्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्ति" पद्याश द्वारा पुद्गल की स्वभावभूत परिणाम शक्ति का और "स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति" पद्याश द्वारा जीव की स्वभावभूत परिणाम शक्ति का वही पर उल्लिखित गायाशो के व्याख्यान के अवसर पर समर्थन किया है। स्वामी समन्तभद्र ने भी स्वयभूत्तोत्र मे प्रत्येक वस्तु मे स्वभावभूत परिणमन शक्ति का सद्भाव स्वीकार किया है। यथा—

अलघ्यशक्तिर्भवितव्य तेय हेतुद्वयाविष्कृत कार्यलिगा । अनीश्वरो जन्तुरहिकयार्ताः सहत्य कार्येष्विति साघ्ववादोः ॥३३॥

अथ—हेतुद्वय अर्थात् अन्तरग (अनित्य उपादान) और विहरग (निमित्त) दोनो कारणो के आधार पर निष्पन्न होने वाला कार्य जिसका अनुमापक होता है—ऐसो भवितव्यता अर्थात् वस्तु की स्वभावभूत योग्यता (नित्य उपादान शक्ति) अलघ्य शक्ति है अर्थात् वस्तु मे कार्योत्पत्ति सम्बन्धी स्वभावभूत योग्यता के अभाव मे कार्योत्पत्ति सम्भव नही है अत कार्योत्पत्ति मे असमर्थ होता हुआ भी ससारी ,प्राणी व्यर्थ ही कार्य-कर्त्तव्य के अहकार से पीडित हो रहा है—हे भगवन् आपने यह ठीक ही कहा है।

इन उद्घरणो से यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि प्रत्येक वस्तु मे स्वप्रत्यय अथवा स्वपरप्रत्यय कोई भी परिणमन (कार्योत्पत्ति) उसको अपनी स्वभाव भूतयोग्यता के अभाव मे नही होता है अर्थात् कार्य जिस प्रकार स्वप्रत्यय और स्वपप्ररत्यय होते है उस प्रकारपर प्रत्यय नही होते है।

इस प्रकार उपर्युक्त आगम प्रमाणो के आधार पर प० फूलचन्द्र जी के जैनतत्त्वमीमासा के 'विषय प्रवेश' प्रकरण मे पृष्ठ १५-१६ पर निर्दिष्ट उपर्युक्त कथन से सहमत होते हुए भी अर्थात् प्रत्येक वस्तु मे स्वभावभूत कार्योत्पत्ति की योग्यता का अभाव रहने पर अन्य द्वारा कार्योत्पत्ति की असम्भवदा को स्वीकार करते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा एकात नियम नही है कि प्रत्येक वस्तु के सभी परिणमन पर की अपेक्षा रहित उस उस वस्तु मे पायी जाने वाली केवल स्वभाव-भूत योग्यता के आधार पर ही निष्पन्न हो जाया करते है क्योकि यह नियम सिफ पर (निमित्त) की अपेक्षा रहित केवल वस्तू की स्वकीय परिणमन स्वभावरूप उपादान शक्ति के आघार पर होने वाले षड्गुण हानिवृद्धि रूप स्वप्रत्यय परि-णमनो मे ही लागू होता है इसके अतिरिक्त निमित्तो की सहा-यता पूर्वक उक्त उपादान शक्ति के आधार पर होने वाले जितने स्वपर प्रत्यय परिणमन प्रत्येक वस्तु मे उत्पन्न होते है उनमे उक्त नियम उक्त प्रकार रूप मे लागू नही होता है। यही कारण है कि समयसार मे ही पुद्गल के कर्मरूप परिणमन मे जीव की क्रोधादिभावरूप वैभाविक परिणति को तथा जीव की क्रोधादिभावरूप वैभाविक परिणति मे पुद्गल की कर्मरूप परिणति को निमित्त रूप से हेतु स्वीकार किया गया है। यथा-

जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुग्गला परिणमति । पुग्गलकम्मणिमित्ता तहेव जीवो वि परिणमइ ॥ ६६॥ इस गा ना यह अर्थ है कि जीव के परिणामो के सह-योग से पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं और पुद्गल कर्म के सहयोग से जीव क्रोधादि रूप परिणत होता है।

और तो क्या जीव के ज्ञान और दर्शन गुणो का विविध रूप उपयोगाकार परिणमन ज्ञेय और दृश्य पदार्थों के परिणमन के अनुसार तथा आकाश के अवगाहक स्वभाव का प्रतिक्षण होने वाला परिणमन अवगाह्ममान पदार्थों के परिणमन के अनुसार ही हुआ करता है तथा इसी प्रकार की व्यवस्था धर्माद द्रव्यों में भी जान लेना चाहिये।

इस प्रकार आगम ग्रन्थों में कार्यकारणभाव को लेकर जैसे उपादानोपादेयभाव के समर्थक प्रमाण पाये जाते हैं उसी प्रकार निमित्त नैमित्तिक भाव के भी समर्थक प्रमाण पाये जाते हैं अत उपादानोपादेय भाव रूप कार्यकारण भाव ही वास्तिक है निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारण भाव वास्तिविक नहीं है केवल उपचरित अर्थात् किल्पत या कथन मात्र है—ऐसा प० फूलचन्द्र जो का मत मिथ्या ही है। क्योंकि उपर्युक्त विवेचन से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के कोई भी परिणमन उस उस द्रव्य के उस उस परिणमन के अनुक्ल उपादान शक्ति के अभाव में केवल निमित्तों के आधार पर नहीं होते हैं उसी प्रकार अनुकूल उपादान शक्ति का सद्भाव रहने पर भी प्रत्येक द्रव्य के परस्पर विरोधों और अविरोधी सभी प्रकार के स्वपरप्रत्यय परिणमन भी अनुकूल निमित्त सामग्री के समागम के अभाव में नहीं हुआ करते हैं।

इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य के स्वपर प्रत्यय परिणमन उस-उस द्रव्य की परिणमन स्वभावभूत उपादान शक्ति के साथ निमित्त सामग्री के समागम पूर्वक ही हुआ करते हैं। इतना ही नही, परिणमन के अनुकूल उपादान शक्ति विशिष्ट द्रव्य को जब और जहा जैसा निमित्त सामग्री का समागम प्राप्त होता है वैसा ही परिणमन उस द्रव्य का हुआ करता है। जैसे खानि मे पड़ी हुई मिट्टी मे यदि घडा आदि के निर्माण के अनुकूल पिंड का रूप घारण करने की स्वभावतः योग्यता विद्य-मान है तो उसकी जानकारी होने पर कुम्भकार उस मिट्टी को खानि से अनुकूल निमित्तों के सहयोग से घर लाकर अनुकूल निमित्तो के सहयोग से ही उसे पिंड रूप मे परिवर्तित करता है और तव वह कुम्भकार अपनी इच्छा से अथवा दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा से उस पिंडरूप परिणत मिट्टी से स्व और पर की आवश्यकतानुसार घडा, सकोरा आदि विविध प्रकार की वस्तुयें उसमे पायी जाने वाली स्वभावभूत उपादान शक्ति के आधार पर अनुकूल साधनो के सहयोग से बनाता चला जाता है। अर्थात् कुम्भकार तो घडा, सकोरा आदि के निर्माण के अनुरूप स्वकीय व्यापार करता जाता है और उसके सहारे से घडा, सकोरा आदि वस्तुये अपने रूप में मिट्टी में पायी जाने वाली योग्यता के अनुसार बनती चली जाती है।

वास्तव मे यह वात अनुभवसिद्ध भी है कि निमित्तो की अनुकूलता के अनुसार अपनी अपनी उपादान शक्ति के बल पर प्रत्येक द्रव्य का एक क्षणवर्ती अथवा अनेक क्षणवर्ती स्वपर-प्रत्यय परिणमन सतत हुआ करता है। इतना ही नहीं, जैसा-जैसा परिवर्तन जब-जब निमित्त सामग्री में होता जाता है तव-तव वैसा ही परिवर्तन द्रव्यों के स्वपर-प्रत्यय परिणमन में भी उनकी उपादान शक्ति के बल पर होता जाता है।

में प॰ पूजनन्द्र जा प उक्त विषय मन्वन्या कवन का मोमामा फरते हुए पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी बस्तु में जो किसी भी प्रकार का परिणमनक्ष्य कार्य उत्पन्न होता है यह उस वस्तु में पायी जाने यानी उस कार्य के अनुक्रल उपादान प्रक्ति के आधार पर ही उत्पन्न होता है। यह बात नहीं है कि कोई अन्य वस्तु जिसे निमित्त नाम से पुकारा जाता है— किसी अन्य वस्तु में ऐसा भी परिणमनक्ष्य कार्य उत्पन्न कर सकती है जिसके उत्पन्न होने की योग्यता (नित्य उपादान शक्ति) उस अन्य वस्तु मे विद्यमान नही है, फिर भी यह बात निश्चित है कि उक्त परिणमनरूप कार्य यदि स्वपरप्रत्यय स्वभाव वाला है तो वह कभी भी अनुकूल निमित्तो के सहारे के ब्रिना उत्पन्न नही हो सकता है । जैसे घटरूप परिणमन की योग्यता (नित्य उपादान शक्ति) मिट्टी मे विद्यमान है तो कुम्भकार के द्वारा उस मिट्टी से घट का निर्माण किया जाता हुआ देखा जाता है, लेकिन जब उस मिट्टी मे घटरूप परिणमन करने की योग्यता विद्यमान नही है तो तन्तुवाय के द्वारा उस मिट्टी से पट का निर्माण किया जाता हुआ कभी नही देखा जाता है। इतना अवश्य है कि घट मिट्टी की स्वपरप्रत्यय पर्याय होने के कारण जब तक क्रम्भकार दण्ड, चक्र आदि आव-श्यक साधन सामग्री के सहयोग से मिट्टी के घटरू परिणमन के अनुकूल अपना पुरुषार्थ (न्यापार) नही करता है तब तक उस मिट्टी से घट का निर्माण होना असभव ही बना रहता है। इसी प्रकार मनुष्य मे पढने की योग्यता विद्यमान है तो दीपक के प्रकाश मे वह पढता है, लेकिन किसी मनुष्य मे यदि पढने की योग्यता ही विद्यमान नही है तो दीपक का प्रकाश रहते हए भी वह मनुष्य हमेशा पढने मे असमर्थ ही रहा करता हैं। इतना अवश्य है कि पढना उस मनुष्य की स्वपरप्रत्यय पर्याय होने के कारण जब तक पढ़ने के अनुकूल प्रकाश का सहयोग पढने की योग्यता रखने वाले उस मनुष्य को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह मनुष्य पढने में असमर्थ ही रहेगा। यही कारण है कि प० जगन्मोहन लाल जी को भी अपने उल्लिखित लेख मे मनुष्य के पढने रूप कार्य मे दीपक की निमित्तता का समर्थन करना पडा है। लेकिन उन्हे मालूम होना चाहिये कि उन्हें इस समर्थन के उनको मान्य निवित्त की अभिनित्तरमा का मान्य ही जाना है।

यहाँ यह अन्य समझ निमा चाहिय कि मिट्टी में घट निर्माण होने के प्रति मुस्मिनार के निमित्त होने पर भी यदि पुर्मिश्वर के मन में पद्रिमिना के अनुश्वर पुरुषा के करने की प्रेरणा देना देने पानी इच्छा जावन नहीं होनी है या घटनिर्माण के अनुश्न अन्य कीई काण्यक निमित्त सामग्री बहाँ उनिहात नहीं पहनी है अभया घटनिर्माण के प्रतिकृत यानक सामग्री उपियत पहनी है को ऐसी हातन में उस समय पटनिर्माण की योग्यता पिजिछ मिट्टी से पट का निर्माण कर्याप नहीं होगा। इसी प्रकार पड़ने की सीम्पना विधिष्ट मनुष्य के पटन नाये के प्रति दीपक के प्रकार के पिना होने पर भी यदि मनुष्य की प्रवाद सामग्री उपत्रका नहीं है अस्या पठन क्ष स्थापार के प्रतिकृत वागक सामग्री यही उपस्थित है तो ऐसी हानत में सनुष्य का पठन रूप प्यापार नहीं होगा।

तालायं गह है कि उपादान पारण और पिनी एक या अनेण निमित्त गारणों के मद्भाव में भी यदि एक या अनेक अन्य महणोगी निमित्तों का अभाव रहता है अथवा उपादान कारणता विशिष्ट वस्तु को सम्पूर्ण निमित्त सामगी की अनुकृत्वता प्राप्त रहने पर भी यदि कोई बायक सामग्री का सबोग प्राप्त हो जाता है तो उस हानत में भी कारणों की समग्रता विद्यमान न रहने के नारण अथवा सपूर्ण साधन सामग्री के सद्भाव के साथ-साथ वाधक सामग्री का भी सद्भाव रहने के बारण कार्योत्पत्ति का होना असंभव ही रहेगा । अर्थात् यह वात अनुभव सिद्ध है कि कार्य के प्रति उपादान और उसके सहयोगी सपूर्ण निमित्त मिलकर जब परस्पर अनुकूलता को प्राप्त हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार की वाधक सामग्री की उपस्थिति वहाँ नही रहती है तभी कार्य की निष्पत्ति देखी जाती है अन्यथा नहीं।

इस तरह यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कार्योत्पत्ति में उपादान कारण व निमित्त कारणों का सद्भाव और वाधक कारणों का अभाव टें सभी कार्यकारी हैं कोई भी अकिंचित्कर नहीं। इतना अवश्य है कि यद्यपि कार्य इन सबके सहयोग से ही होता है पर कार्य सब अपना-अपना ही करते हैं ऐसा नहीं है एक दूसरा एक दूसरे के कार्य को करने लगता हो। अर्थात् उपा-दान का कार्य कार्यरूप परिणत होना है अत वह कार्यरूप परि-णत होता है और निमित्त के सद्भाव तथा बाधक सामग्री के अभाव का कार्य उपादान की कार्यपरिणति में सहयोग देना ही है अत. वे सहयोगी वन कर ही कृतार्थ हो जाते है।

प० जगन्मोहनलाल जी ने अपने प्राक्कथन मे आगे चल कर पृष्ठ १३ पर "कार्योत्पत्ति मे निमित्तो का स्थान है इसका निषेध नहीं" इस वाक्य द्वारा कार्य के प्रति उपादान की तरह निमित्तो की उपयोगिता का भी समर्थन किया है, इसलिये निमित्त कारणों के विषय मे उनका यह लिखना कि "यह सब कथन उपचरित ही मानना चाहिये" अयुक्त ही समझ मे आता है कारण कि मेरे ऊपर लिखे कथन के अनुसार कार्योत्पत्ति में निमित्तों की स्थिति उपचरित अर्थात् असत्य या कित्पत न होकर बास्तिवक ही सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति मे निमित्तों की कार्यों- त्पत्ति के प्रति यदि किसी प्रकार उपवरितता स्वीकार की जाती है तो वह उपवरितता इसी रूप में स्वीकार की जा सकती है कि जिस तरह उपादान कारण कार्यरूप परिणत होता है उस तरह निमित्त कारण उस कार्यरूप परिणत नहीं होता है केवल उपा-दान की कार्य परिणति से सहयोगी-मात्र होता है। लेकिन इसमें यह तो सिद्ध नहीं होता कि निमित्त वहाँ सर्वथा अकिचित्कर ही वना रहता है। इस विषय को पूर्व में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है।

प० जगन्मोहनलाल जी ने अपने कथन का जो यह निष्कर्प निकाला है कि "चूँकि दीपक मनुष्य को बलात् (जवर-दस्ती) पढाता नहो, इसलिए वह मनुष्य के पढने में निमित्त माना गया है।" सो उनका यह निष्कर्प निकालना भी अयुक्त है क्योकि आगम मे निमित्तो का एक भेद प्रेरक भी माना गया है और निमित्तो की प्रेरकता अनुभव गम्य भी है। जैसे कुम्भ-कार घटोत्पत्ति मे प्रेरक निमित्त ही तो है कारण कि जब तक कुम्भकार अपना व्यापार घटोत्पत्ति के अनुकूल नही करता है तव तक घटोत्पत्ति का होना असम्भव ही रहता है। इसी तरह ऐन्जन के चलने पर उससे सयुक्त रेलगाडी के डिव्वे भो चल पडते हैं तो ऐन्जन भी उन डिव्बो के चलने मे प्रेरक निमित्त हो जाता है और इसी तरह ड्राईवर भी ऐन्जन के चलने मे प्रेरक निमित्ता होता है। मालूम पडता है पण्डित जगन्मोहन लाल जी व प० फूलचन्द्रजी आदि प्रेरकता का अर्थ कार्य रूप परिणत होना मान लेना चाहते हैं अथवा अन्य वस्तु मे कार्यो-त्पत्ति की निजी योग्यता न रहते हुए भी अन्य वस्तु द्वारा उस कार्य की उत्पत्ति करा देना मान लेना चाहते हैं, लेकिन यह उन लोगो की भ्रान्ति ही है क्यों कि कार्योत्पत्ति की निजी योग्यता के अभाव में किसी वस्तु को अन्य कोई वस्तु कार्यरूप परिणत नहीं करा सकती है। यह बात पूर्व में बतलायी जा चुकी है तथा कार्यरूप परिणति होना तो उपादान का ही कार्य है और उपादान की उस कार्यरूप परिणति मे प्रेरणारूप सहा-यता देना प्रेरक निमित्त का कार्य है। यही कारण है कि लोक मे और आगम मे जहाँ उपादान का कार्य चलना, वनना, पढना आदि के रूप मे माना गया है वहाँ उसकी सहायता के रूप मे ही निमित्त का कार्यः चलाना, बनाना, पढाना आदि माना किया गया है। अव यदि चलाना, वनाना, पढाना आदि रूप क्रिया प्रेरणारूप है तो वह प्रेरक निमित्त का कार्य है और यदि उदासीनता रूप है तो वह उदासीन निमित्त का कार्य है लेकिन दोनो ही निमित्त कार्यरूप परिणति के प्रति उपादान में सक्षमता आने के लिए सहायक होते है। निमित्त को जो बलाधायक कहा जाता है वह इसी रूप मे कहा जाता है। अर्थात् निमित्त कार्यरूप परि-णत तो नही होता, फिर भी उपादान मे कार्य रूप परिणत होने की योग्यता रहते हुए भी वह जो कार्य रूप परिणत नहीं हो पा रहा है वह उसकी अक्षमता है उस अक्षमता का विनाश तदनु-कूल निमित्तो की सहायता से ही होता है। आचार्य विद्यानन्दी के द्वारा अष्टसहस्रो मे लिखित "तद सामर्थ्य म खन्ड यदिकचि-त्कर कि महकारी कारण स्यात्" वचन का यही अभिप्राय है जिसका अर्थ यह है कि सहकारी कारण (निमित्त कारण) उपादान कारण की कार्योत्पत्ति की योग्यता रहते हुए भी कार्योत्पत्ति न हो सकने रूप अक्षमता का यदि खण्डन नही करता है तो वह सहकारी कारण (निमित्तकारण) कहा जा सकता है क्या ?

मेरे इस स्पष्टीकरण से यह भली-भाँति सिद्ध ही जाता है कि मनुष्य के पठन रूप व्यापार के प्रति दीपक की निमित्त-कारणता इसलिए नही समझना चाहिए कि वह मनुष्य मे पढने की योग्यता न रहते हुए भी मनुष्य को पढाता है अथवा पढने मे उसे मजबूर करता है और अथवा अपना गुण-धर्म उसमे प्रविष्ट करा देता है प्रत्युत मनुष्य मे पढने को योग्यता हो और उसकी इच्छा पढने की हो तथा अन्य सहायक सामग्री भी विद्यमान हो व वाघक कारणो का अभाव हो तो वह दीपक के सहारे पर पढ सकता है और यदि दीपक का सहारा उसको प्राप्त न हो तो वह नही पढ सकता है। इसी प्रकार दीपक स्वय पढने रूप व्यापार करने लग जाता है—सो यह भी बात नही है। तात्पर्य यह है कि न तो दोपक स्वय पढता है और न वह पढने की योग्यता रहित मनुष्य को पढने मे सहायक ही होता है। इसी तरह पढ़ने की योग्यता विशिष्ट मनुष्य पढ़ता तो स्वय (आप) ही है परन्तु दीपक के अभाव मे जो वह पढ़ने मे असमर्य हो रहा था सो दीपक का सहारा प्राप्त होते ही वह पढने लगता है। इस तरह मनुष्य ही पढता है इसलिए तो वह पठन कार्य के प्रति उपादान कारण है और दीपक की सहायता से वह पढता है इसलिए दीपक उसमे निमित्ता या सहायक कारण है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निमित्त कारण स्वय कार्य-रूप परिणत न होते हुए भी अकिचित्कर नहीं है किन्तु उपा-, दान कारण की कार्यरूप परिणति मे सहायक होने के आघार पर कार्यकारी ही है।

(४) प० फूलचन्द्रजी और प० जगनमोहनलालजो दोनो ही विद्वान् उपादान के नित्य और अनित्य (क्षणिक) ऐसे दो भेद

स्वीकार करते है तथा अनित्य (क्षणिक) उपादान को समर्थ उपादान की सज्ञा देकर वे यह कहते है कि कार्य की उत्पत्ति समर्थ उपादान से ही होती है। दोनो ही विद्वान नित्य उपादान-भूत वस्तु की कार्य से अव्यवहित पूर्व पर्याय विशिष्टता को समर्थ उपादान का लक्षण कहते हैं। इसके समर्थन मे मैं यहा पर पण्डित फूलचन्द्र जी का निम्नलिखित कथन उद्युत कर रहा हूँ।

"स्वभाव और समर्थ उपादान में फरक है। स्वभाव सार्वकालिक होता है इसी का दूसरा नाम नित्य उपादान है और समर्थ उपादान जिस कार्य का वह उपादान होता है उस कार्य के एक समय पूर्व होता है। कार्य समर्थ उपादान के अनुसार होता है, मात्र स्वभाव या नित्य उपादान उसमें अनुस्यूत रहता है इतना अवश्य है। समर्थ उपादान प्रत्येक समय का अन्य-अन्य होता है इसलिये इसे क्षणिक उपादान भी कहते है।" (जैनतत्त्वमीमाँसा के "निमित्त कारण की स्वीकृति" प्रकरण पृष्ठ ४१ की टिप्पणी)।

अपनी इस मान्यता के आघार पर ही दोनो विद्वानो का कहना है कि उपादानभूत वस्तु जब समर्थ उपादान की स्थिति मे पहुच जाती है तब कार्य नियम से हो जाया करता है। निमित्तो का अभाव अथवा निमित्तो के सन्द्राव के साथ ही वाघक-सामग्री का सद्भाव जैसी कोई परिस्थित उस समर्थ उपादान के नियत कार्यरूप परिणत होने मे वाघक नहो होती है प्रत्युत जो कार्यरूप परिणति विवक्षित समय मे होतीं है उसकी उसे साधक हो समझना चाहिये। इसका समर्थन पण्डित जगनमोहन लाल जी के निम्नलिखित कथन से होता है।

"जव समर्थ उपादान और लोक मे निमित्त रहते हुए भी कार्य की लोक में कही जाने वाली वाघक सामग्री आ जाती है तव विवक्षित द्रव्य उसके कारण क्या अपने परिणमन स्वभाव को छोड देता है व्यदि कहो कि द्रव्य का परिणमन तो तव भी होता रहता है। यह तो उसका स्वभाव है उमे वह कैसे छोड सकता है ? तो हम पूछते हैं कि जिसे आप वाषक सामग्री कहते हो वह किस कार्य की वाधक मानकर कहते हो ? आप कहोगे कि जो कार्य हम उसमे उत्पन्न करना चाहते थे वह कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम ऐसा कहते है, तो विचार कीजिये कि वह सामग्री विविक्षत द्रव्य के आगे होने वाले कार्य की वाधक ठहरो या आपके सकल्प की [?] विचार करने पर विदित होता है कि वस्तुत विवक्षित द्रव्य के कार्य की बाघक तो वह त्रिकाल मे नही है। हा आगे उस द्रव्य का जैसा परिणमन चाहते थे वैसा नही हुआ, इसलिये आप उसे कार्य की वाधक कहते हो। सो भाई । यही तो अम है। इसी अम को दूर करना है। वस्त्त उस समय द्रव्य का परिणमन ही आपके सकल्पानुसार न होकर अपने उपादान के अनुसार होने वाला था, इसलिये जिसे आप अपने मन से वाघक सामग्री कहते हो वह उस समय उस प्रकार के परिणमन में निमित्त हो गयी। अत इन तर्कों के समाधान स्वरूप यही समझना चाहिये कि प्रत्येक समय मे कार्य तो अपने उपादान के अनुसार ही होता है और उस समय जो बाह्य सामग्रा उपस्थित होती है वही उसमे निमित्त हो जाती है। निमित्त स्वय अन्य द्रव्य के किसी कार्य को करता हो ऐसा नही है।" (जैनतत्त्वमीमासा का प्राक्-कथन पृष्ठ १२)। इस प्रकार दोनो हो विद्वान इन तथा इसी प्रकार के

और भी दूसरे कथनो द्वारा यही सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक समय मे कार्य तो अपने समर्थ उपादान के अनुसार ही हुआ करता है और इस तरह दोनो ही विद्वान निमित्तो की कार्य के प्रति वास्तिवक स्थिति न मानते हुए उन्हे केवल उपचरित स्थिति मे पटक देना चाहते हैं। अर्थात् वे कहते है कि उपादान से होने वाली कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्त नाम से पुकारी जाने वाली सामग्री चूकि वहा नियम से विद्यमान रहा करती है इसलिये लोक मे मात्र ऐसा बोला जाता है कि अमुक कार्य के प्रति अमुक निमित्त होता है, लेकिन वास्तिवकता यहो है कि कार्य अपने क्षणिक या समर्थ उपादान के बल पर ही नियम से उत्पन्न हो जाया करता है।

उक्त उभय विद्वानों की इस उल्लिखित मान्यता की मीमासा के प्रसग में मैं यह सकेत कर देना चाहता हूँ कि कार्योत्पत्ति में नित्य उपादान अर्थात् वस्तु की कार्ये रूप परिणित में कारणभूत स्वभावगत योग्यता तथा क्षणिक उपादान अर्थात् वस्तु की कार्य रूप परिणित से अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय विशिष्टता की नियामकता के विषय में कोई विवाद नहीं है। यानि विवक्षित वस्तु में उसी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है जिसकी स्वभावगत योग्यता उस वस्तु में हो तथा वह कार्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब वह वस्तु उस कार्य की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय में पहुँच गयी हो। विवाद केवल इस बात का है कि जहा उक्त उभय विद्वान यह मानते है कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान के अनुसार ही होता है उसमें निमित्त की कुछ भी अपेक्षा नहीं रहा करती है वहा मेरा कहना यह है कि स्वप्रत्यय कार्य तो निमित्त की अपेक्षा रहित केवल अपने उपादान के अनुसार हो होता है लिकन स्वपरप्रत्यय कार्य

होता तो अपने उपादान के अनुसार ही है फिर भी निमित्तो के सहयोग पूर्वक ही हुआ करता है और उसमे यकायक जो विलक्षण परिवर्तन होता हुआ देखा जाता है वह परिवर्तन उपादान के अनुसार होकर भी परिवर्तित निमित्तो के आधार पर ही हुआ करता है। जैसे जीव मे क्रोघ कषाय और मान-कषाय दोनो रूप से परिणमन करने की योग्यता (उपादानशक्ति) विद्यमान है तो वह जीव तभी और तब तक क्रोधी बनता है जब और जब तक उसमे क्रोध कर्म का उदय उसके क्रोधी वनने मे सक्षम रहता है लेकिन उसमे जब क्रोघ कर्म के उदय की कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है और मान कर्म के उदय की कार्य क्षमता अस्तित्व मे आ जाती है तो तव उसकी क्रोघरूप परिणति समाप्त होकर मान रूप परिणति होने लग जाती है। इसमे दूसरा उदाहरण भन्य और अभन्य जीवो का है। अर्थात् अभव्य जीव कभी मुक्त नही होता है क्योंकि उसमे मुक्त होने की स्वभावगत योग्यता (उपादानशक्ति) ही नही है और भन्यजीव इसलिये मुक्त हो सकता है कि उसमे मुक्त हाने की स्वभावगत योग्यता (उपादानशक्ति) विद्यमान है। परन्त् भव्यजीव मुक्त होता है तो उसके पूर्व उसकी अशुद्ध पर्याय ही राह करती है इसलिये उसका अग्रुड पर्याय से शुद्ध पर्याय मे पहुँचने का परद्रव्य सम्बन्ध विच्छेद के अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है ? इस पर उक्त उभय विद्वानो को ध्यान देना चाहिये। मेरे इस कथन से यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि भव्यजीव में मुक्त होने की स्वभावगत योग्यता (उपादानशक्ति) रहते हुए भी तभी मुक्त होता है जब उसके पक्ष मे सम्पूर्ण निमित्त सामग्री रहा करती है। इतना हो नहीं, उसके पक्ष मे अनुकूल निमित्त मामग्री के रहते हुए भा यदि

कदाचित् बाधक सामग्री उपस्थित हो तो तब उक्त भव्यजीव का मुक्त होना तब तक असम्भव रहेगा जब तक वह बाधक सामग्री नही हट जायगी। इसके लिये निम्नलिखित दृष्टान्त पर ध्यान देना चाहिये।

सूर्यकान्तमणि को यदि सूर्य के सन्मुख रख दिया जावे और उस पर से सूर्य की किरणों को यथायोग्य वस्तु पर फेंका जावे तो उस वस्तु में अग्नि प्रज्वलित हो जाया करती है लेकिन सूर्यकान्त मणि के हटा देने पर जिस प्रकार उक्त वस्तु में उपादानशक्ति रहते हुए भी अग्नि के प्रज्वलित होने की सम्भावना जाती रहती है उसी प्रकार सूर्यकान्तमणि के सद्भाव में भी यदि बाधक कारण स्वरूप चन्द्रकान्तमणि की उपस्थिति वहा पर हो जावे तो भी उस वस्तु में अग्नि का प्रज्वलित होना असम्भव हो जाता है।

इस प्रकार यह बात निश्चित हो जाती है कि यद्यपि उपादानभूत वस्तु ही अपनी योग्यता (उपादानशक्ति) के अनुसार कार्यरूप परिणत हुआ करती है परन्तु यदि उसकी वह कार्यरूप परिणति स्वपरप्रत्यय हो, तो उसका होना अनुकूल निमित्तों के सहयोग और बाधक कारणों के वियोग पर ही निर्भर रहा करता है। यही कारण है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति विवक्षित कार्य की उत्पत्ति के लिये उपादानोपादेय भावरूप कार्यकारणभाव के साथ-साथ निमित्तनंमित्तिक भावरूप कार्यकारणभाव पर भी दृष्टि रखता हुआ उपादान के साथ कार्य के अनुकूल निमित्त सामग्री को जुटाने का भी प्रयत्न किया करता है। यह प्रक्रिया लौकिक और पारमाधिक दोनो तरह के कार्यों की उत्पत्ति के विषय मे अनुभव और इन्द्रिय-प्रत्यक्षगम्य, अनुमान सिद्ध और आगम समिथित है और इस प्रकार इस प्रक्रिया के अनुसार प्रयत्न करने पर भी यदि कदाचित् कार्य निष्पत्ति नहीं होती है तो उसका कारण या तो वस्तु में उपादानशक्ति का अभाव होगा या फिर कार्योत्पत्ति के अनुक्रल निमित्त सामग्री का सर्वथा अभाव या उसकी पूर्णता का अभाव उसका कारण होगा अथवा ये सब कारण विद्यमान रहते हुए भी यदि कार्य निष्पन्न नहीं होगा तो उसका कारण फिर वाधक सामग्री का सद्भाव होगा।

हमे आश्चर्य होता है कि प० फूलचन्द्रजी और जगन्मोहनलाल जी तथा उनके समपक्षीजन कार्यकारणभाव की इस प्रक्रिया को अपनाते हुए भी इसे मानने से कतराते है।

ऊपर मैं कह आया हू कि कार्योत्पत्ति मे नित्य उपादान अर्थात् वस्तु की कार्यरूप परिणित मे कारणभूत स्वभावगत योग्यता तथा क्षणिक उपादान अर्थात् वस्तु की कार्यरूप परिणित से अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय विशिष्टता की नियामकता के विषय मे कोई विवाद नहीं है, परन्तु इतनी वात अवश्य है कि नित्य उपादानभूत वस्तु जो कार्य से अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय रूप क्षणिक उपादानता को प्राप्त होती है वह स्वपरप्रत्यय कार्य मे निमित्त सामग्री की सहायता से ही पहुँचती है अपने आप नहीं। इसका समर्थन प्रमेयकमलमार्तण्ड के निम्नलिखित कथन से होता है—

"यच्चोच्यते-शक्तिनित्या अनित्याचेत्यादि, तत्र किमय द्रव्यशक्तौ पर्यायशक्तौ वा प्रश्न स्यात् भावाना द्रव्यपर्याय शक्त्यात्मकत्वात् । तत्र द्रव्यशक्तिनित्यैव, अनादिनिधन-स्वभावत्वाद् द्रव्यस्य । पर्यायशक्तिस्त्वनित्यैव, सादिसपर्यवसान- त्वात्पर्यायाणाम् । न च शक्तेनित्यत्वे सहकारिकारणानपेक्षयै-वार्थस्य कार्यकाित्वानुषग , द्रव्यशक्ते केवलाया कार्यकारि-त्वानम्युपगमात् । पर्यायशक्ति समन्विता हि द्रव्यशक्ति कार्य-कारिणी, विशिष्टपर्याय परिणतस्यैव द्रव्यस्य कार्यकारित्व प्रतीते । तत्परिणतिश्चास्य सहकारिकारणापेक्षयैव—इति पर्यायशक्तेस्तदैवभावान्न सर्वदा कार्योत्पत्ति प्रसग सहकारि-कारणापेक्षावैयर्थ्य वा ।" (प्रमेयकमलमार्तण्ड २-१ पृष्ठ १८७)

अर्थ-यह जो कहा जाता है कि शक्ति नित्य है या अनित्य है-इत्यादि । सो यह प्रश्न क्या द्रव्यशक्ति के विपय मे है अथवा पर्यायशक्ति के विषय मे है क्यों कि पदार्थ द्रव्य और पर्याय उभयशक्ति सम्पन्न होते हैं। उन दोनो शक्तियो मे से द्रव्यशक्ति नित्य ही है क्योंकि द्रव्य अनादि निधन स्वभाव वाला होता है। पर्यायशक्ति तो अनित्य ही है क्यों कि पर्याय सादि-सान्त होती है । यह कहा जाय कि जब शक्ति नित्य है तो सहकारी कारण की अपेक्षा किये विना ही कार्यकारित्व की प्रसक्ति हो जायगी—सो ऐसा नहीं है क्यों कि केवल द्रव्यशक्ति का कार्यकारित्व नहो स्त्रीकार किया गया है, किन्तू पर्यायशक्ति से समन्वित द्रव्य ही कार्य करने मे समर्थ हुआ करती है। इसका कारण यह है कि विशिष्ट पर्याय से परिणत द्रव्य में ही कायकारित्व की प्रतीति होती है और द्रव्य की उस विशिष्ट-पर्यायरूप परिणति सहकारी कारण की अपेक्षा से ही हआ करती है अत पर्यायशक्ति तभी उत्पन्न होती है जब सहकारी कारण का समागम द्रव्य को प्राप्त होता है इस तरह न तो सर्वदा कार्योत्पत्ति की प्रसक्ति होती है और न कार्योत्पत्ति मे सहकारण की अपेक्षा ही व्यर्थ होती है।

इसमे स्पष्ट बतला दिया गया है कि वस्तु मे अनित्य

उपादान शक्ति का प्रादुर्मात्र महकारीकारण के महयोग से होता है और इसी आधार पर यह भी वतला दिया गया है कि कार्यो-त्पत्ति मे सहकारीकारण अकिचित्कर नहीं होता है।

जिस तरह कार्योत्पत्ति मे नित्य उपादान और क्षणिक उपादान की नियामकता में कोई विवाद नहीं है उसी तरह अनित्य उपादान को समर्थ उपादान मानन में भी कोई विवाद नहीं है, परन्तु इसमें भी यह घ्यान रखना है कि समयं उपादान से किसी एक नियत कार्य की ही उत्पत्त होती है-ऐसा नही है, किन्तु उसी कार्य की उत्पत्ति होती है जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री का सहयोग उस समयं उपादान को प्राप्त रहता है। तात्पर्य यह है कि कार्य का ममर्थ उपादान उसकी अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय कहलाती है और वह पर्याय प्रमेय कमल-मातंण्ड के उपर्यु क्त कथन के अनुसार सहकारिकारण सापेक्ष उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जो कार्य है वह भी प्रमेय कमल-मार्तण्ड के उसी कथन के अनुसार उसके अव्यवहित उत्तर क्षण मे उत्पन्न होने वाली पर्याय का समर्थ उपादान हो जाता है अत. वह भी सहकारी कारण सापेक्ष ही उत्पन्न होता है-ऐसा जानना चाहिए। इस तरह वस्तु की पूर्व और उत्तर सभी पर्यायें पूर्व पर्याय की कार्य होते हुए भी उत्तर पर्याय की जव कारण सिंह हो जाती हैं तो उनकी सहकारिकारण सापेक्षता निर्विवाद सिद्ध हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की त्रिकालवर्ती सभी पर्यायें सहकारिकारण सापेक्ष होकर ही उत्पन्न होती हैं अत यह सिद्धान्त फलित होता है कि कार्याव्यवहित पूर्वपर्याय में कार्यरूप परिणत होने योग्य नाना योग्यतायें विद्यमान हैं लेकिन उसी कार्यरूप पर्याय की उत्पत्ति उत्तर क्षण मे होती है

जिसके अनुकूल निमिन्न सामग्री का सहयोग उस पूर्वपर्याय को प्राप्त होता है तथा इसके साथ हो यदि वाधक कारण की उप-स्थित वहाँ हो जाती है तो वह पर्याय भी उत्पन्न न होकर वहीं पर्याय उत्पन्न होती है जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री का सद्भाव और वाधक कारण का अभाव वहाँ उपस्थित रहता है अत इसमे वस्तु क परिणमन के रुकने की सम्भावना ही नहीं है।

प० फूलचन्द्र जी और प० जगन्मोहनलाल जी का कहना है कि समर्थ उपादान से एक नियत कार्य की उत्पत्ति होती है। इसके लिए जेननत्त्रमोमासा में स्वामो कार्तिकेय की निम्न- लिखित गाथा को प्रमाण रूप से उद्युत किया गया है-

पुन्वपरिणामजुत्तं कारणभावेण वट्टदे दन्व । उत्तरपरिग्णामजुदं त चिय कज्ज हवे णियमा ॥२३०॥

इसका अर्थ प० फूलचन्द्र जी ने यह किया है कि अन-न्तर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारणरूप से प्रवर्तित होता है और अनन्तर उत्तर परिणाम से युक्त द्रव्य वही द्रव्य नियम से कार्य होता है।

यद्यपि इस अर्थ मे कोई विवाद नहीं है, परन्तु इसका अभिप्राय प॰ फूलचन्द्र जी यह लेते हैं कि वस्तु जिस समय कार्याव्यवहितपूर्व पर्याय मे पहुँच जातों है तब उसमे एक नियत कार्य के उत्पन्न होने की योग्यता आ जाती है तब वही कार्य नियम से उत्पन्न होना है। इस तरह उसके लिए न तो निमित्त सामग्री की अपेक्षा रहतीं है और न वहाँ पर बाधक कारण ही

कोई रहता है। इस सम्बन्ध मे उन्होने जेनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ ४६-५० पर लिखा है —

" इस प्रकार इतने विवेचन से यह स्पट हो जाता है कि जो अनन्तर पूर्वपर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी उपादान सज्ञा है और जो अनन्तर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी कार्य सज्ञा है। उपादान-उपादेय का यह व्यवहार अनादिकाल से इसी प्रकार चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा।"

आगे वे लिखते हैं ---

"इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हम पहले एक उदाहरण घट कार्य का दे आये हैं। उससे स्पष्ट है कि खान से प्राप्त हुई मिट्टी से यदि घट वनेगा तो उसे क्रम से उन पर्यायों में से जाना होगा जिनका निर्देश हम पूर्व में कर आये हैं। कितना ही चतुर निमित्त कारण रूप से उपस्थित कुम्हार क्यों न हो वह खान की मिट्टी से घट पर्याय तक की निष्पत्ति का जो क्रम है उसमे परिवतन नहीं कर सकता। खान से लाई गई मिट्टी जैसे- जैसे एक-एक पर्याय रूप से निष्पन्त होतो जाती है तदनुकूल, कुम्हार के हस्त-पादादि का भी परिवर्तन होता जाता है। अन्त में मिट्टी से घट पर्याय की निष्पत्ति इसी क्रम से होती है और जब मिट्टी में से घट पर्याय की निष्पत्ति हो जाती है तो कुम्हार का योग-उपयोग रूप क्रिया व्यापार भी रुक जाता है। उपादान-उपादेय सम्बन्ध के साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की यह व्यवस्था है जो अनादिकाल से इसी क्रम से एक साथ चली आ रही है और अनन्त काल तक इसी क्रम से चलती रहेगी।"

इस कथन से प० जी वस्तु की अनादि से अनन्तकाल तक की त्रैकालिक पर्यायो की उत्पत्ति को एक नियत स्थिति मे पटक कर निमित्त की अकिंचित्करता को सिद्ध करना चाहते हैं। यानि वे यह सिद्ध करना चाहते है कि प्रत्येक वस्तु मणि-माला के समान नियत स्थिति को प्राप्त अपने त्रैकालिक पर्यायों में से क्रमश एक-एक पर्याय की भविष्यद्र पता से वर्तमानरूपता और वर्तमानरूपता से भूत रूपता के रूप में अनादि काल से अपने आप गुजरती हुई चली आई है और अनन्तकाल तक इसी तरह गुजरती हुई चलो जायगी। निमित्त इसमें जब किसी प्रकार का उलट-फेर नहीं कर सकता है तो फिर निमित्त की उपयोगिता इसमें क्या रह जाती है द इस सम्बन्ध में वे केवलज्ञान का भी सहारा लेते हैं और समर्थन में स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा की गाथाओं को प्रमाण रूप से उपस्थित करते है जो निम्न प्रकार है

ज जस्स जिम्म देसे जेण विहारोण जिम्म कालिम ।
णाद जिरोण णियद जम्म वा अहव मररा वा ॥३२१॥
त तस्स तिम्म देसे तेण विहारोण तिम्म कालिम्म ।
को सक्कइ चालेदु इ दो वा अह जिणिदो वा ॥३२२॥

अर्थ—जिस जीव के जिस जन्म अथवा मरण को जिस देश मे जिस वान मे जिस कारण से होते हुए जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप मे जाना है उस जाव के उस जन्म अथवा मरण के उस देश मे उस काल मे उस कारण से होने को इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कीन टाल सकता है ? आगे इस पर विचार किया जाता है।

माना कि केवलज्ञान द्वारा पदार्थों को जानने की यही प्रक्रिया है, परन्तु विचारणीय बात यह है कि अल्पज्ञता को प्राप्त ससारी जीवो के लौकिक व पारमार्थिक सभी कार्य क्या इस प्रक्रिया को एकान्त रूप से अपनाने से सम्पन्न हो सकते हैं ? या उन्हे उक्त कार्यों की सम्पन्नता के लिए कार्य-कारणभाव का सहारा लेने की अनिवार्य आवश्यकता है ?

सर्वाधिक महत्त्व की बात यह है कि प० फूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके सपक्षी सभी जन कार्य सम्पन्नता के लिए पुरुषार्थ करने का न केवल उपदेश देते हैं प्रत्युत स्वय भी इसके लिए पुरुपार्थ करते हैं, तो उनका ऐसा करना क्या स्ववचन बाधित नहीं है ?

वास्तविकता यह है कि केवलज्ञान मे तो त्रिकालवर्ती पर्यायो के पिण्डरूप वस्तु युगपत् प्रति समय समान रूप से प्रति-भासित होती रहतो है अत उसमे कायकारणभाव का प्रसग हो उपस्थित नहीं होता है क्यों कि उसमें वस्तु की प्रत्येक पर्याय अपने-अपने नियत समय के साथ स्थित रहती हुई ही प्रतीत होती है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि केवलज्ञान की अपेक्षा जिस प्रकार निमित्त नैमित्तिकभावरूप कार्यकारणभाव अपेक्षा नही हो सकती है उसी प्रकार उपादानोपादेयभावरूप कार्यकारणभाव की अपेक्षा भी नहीं होती है। एक बात और है कि जिस प्रकार आँखो द्वारा मणिमाला को देखते हुए भी उसको विविध रूप मे विभाजित करना आँखो का कार्य नहीं है मस्तिष्क का कार्य है। अर्थात् जीव आँखो को सहायता से होने वाले मित ज्ञान से मणिमाला के सभी गुरियों को देखता है, उनके रूप-रग को तथा उनके छोटे-बडे परिमाण और आकारो को भी देखता है परन्तु गुरियो की सख्या कितनी है, कौन गुरिया का क्या रूप है और कौन गुरिया कितना वडा या छोटा है तथा किसका क्या आकार है ? इत्यादि बातो को वह मस्तिष्क के सहारे पर होने वाले श्रुतज्ञान से ही जानता है यही कारण है कि जव तक बालक का श्रुतज्ञान अल्प विकसित रहा करता है तब तक वह देखते हुए भो यह नहीं जान पाता है कि मणिमाला मे कितने गुरिया हैं, क्या उनका रूप है, कौन गुरिया कितना छोटा या बडा है और किसका कैसा आकार है ? इसी प्रकार केवल-ज्ञानी जीव वस्तू की त्रैकालिक पर्यायो को जान रहा है परन्तू वह पर्यायो को भूतता, वर्तमानता व भविष्यत्ता का विश्लेपण करके नहीं जानता है वह तो सभी पर्यायों से विशिष्ट वस्तु का प्रतिभासन मात्र करता है। यही कारण है कि उसके ज्ञान को विकल्यात्मक रूप नही प्राप्त होता है और यही कारण है कि पाँची प्रकार के ज्ञानों में मित, अविध, मन पर्यय और केवल ज्ञानो मे विकल्पात्मक रूप न होने से नय व्यवस्था सम्भव नही है केवल श्रुत ज्ञान में ही विकल्पात्मक रूप होने से नय व्यव-स्था सम्भव है। यही स्थिति कार्यकारणभाव के जानने मे भी समझना चाहिए। अर्थात् कार्यकारणभाव विकल्पात्मक श्रुत-ज्ञान का ही विषय होता है मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय-ज्ञान और केवलज्ञान का विषय नही होता है क्योंकि कौन कारण है और कीन कार्य है-यह विकल्प श्रुतज्ञान मे ही सभव है अन्य ज्ञानो मे नही। इसलिए कार्य कारणभाव के विकल्प जब श्रुतज्ञानी जीव में ही सम्भव है तो केवल ज्ञान के आधार पर श्रुतज्ञान की स्थिति का माप करना असगत है।

इस तरह कार्यकारणभाव को जव श्रुतज्ञान मे ही स्थान प्राप्त है और श्रुतज्ञान अल्पता तथा पराधीनता के लिए हुए है तो स्वपरप्रत्यय कार्योत्यित्त मे उपादानोपादेय भाव और निमित्त नैमित्तिकभाव दोनो को स्थान प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि जब तक श्रुतज्ञान पूर्ण निविकल्पात्मक स्थिति को नहीं प्राप्त होता है तब तक कार्यकारणभाव में यथासम्भव उपा-दानोपादेयभाव और निमित्त नैमित्तिकभाव दोनो के विकल्प जीव के होते ही रहते है और कार्य सम्पन्नता के लिए वह उपादान और निमित्ता दोनो का अपने-अपने ढ ग से सहारा लिया करता है। कार्योत्पत्ति मे हमारा अनुभव और प्रवर्तन इसी ढग से चल रहा है। प० फूलचन्द्रजी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके सपक्षीजन भले ही इस बात की रट लगाते रहे कि निमित्त अकिंचित्कर है, फिर भी उनका अनुभव और उनका कार्यो-त्पत्ति मे प्रवर्तन उपादानोपादेयभाव और निमित्त नैमित्तिक भाव दोनो को लेकर ही चल रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि "ज जस्स जिम्म देसे"—आदि गाथाओं का उपयोग कार्य-सिद्धि के लिए किंचिन्मात्र नहीं है केवल वस्तू स्थिति को सम-झने के लिए ही उनका उपयोग हो सकता है जिससे न तो आगम का विरोध है और न कार्योत्पत्ति मे उपादानोपादेय-भाव के साथ-साथ निमित्ता नैमित्तिकभाव को स्थान देने वाले हम लोगो का ही विरोध है । इतना अवस्य है कि यदि कोई कार्योत्पत्ति मे उपादानोपादेयभाव की उपेक्षा करके केवल निमित्त नैमित्तिकभाव को ही महत्व देता है तो उसका विरोध आगम भी करता है और कार्योत्पत्ति मे उपादानोपादेय भाव के साथ-साथ निमित्ता नैमित्तिकभाव को स्थान देने वाले हम लोग भी करते हैं क्योंकि केवल परप्रत्यय कार्य का निषेध आगम भी करता है और हम लोग भी करते हैं। प० फूलचन्द्र जी आदि के साथ आगम का ओर हम लोगो का जो विरोध है वह कार्य की केवल परप्रत्ययता को लेकर नहीं है और न केवल स्वप्रत्ययता को लेकर है क्यों कि प० फूलचन्द्र जी आदि भी

और हम लोग भी परप्रत्यय कार्य का निषेध और स्वप्रत्यय कार्य का समर्थन करते है वेवल मतभेद इस वात मे कि प० फूलचन्द्र जी आदि स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय सभी कार्यो को जहाँ निमित्त को अकिश्वित्कर मानकर केवल प्रत्यय ही मानते हे वहाँ हम लोग स्वप्रत्यय कार्यों से पृथक् ही स्वपरप्रत्यय कार्यों को स्वोकार करते है जेसा कि आगम से भी समर्थन होता है। अर्थात् आचार्य कुन्दकुन्द ने नियमसार की गाथा ' १४ मे पर्यायो (कार्यो) के दो भेद स्पष्ट स्वीकार किये है-एक स्वपरसापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। यहाँ निरपेक्ष का अर्थ परिनरपेक्ष या केवल स्वसापेक्ष ही लिया गया है। इस तरह स्वपरसापेक्ष का ही अर्थ स्वपरप्रत्यय और निरपेक्ष परनिर-पेक्ष या केवल स्वसापेक्ष का ही अर्थ स्वप्रत्यय होता है। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय ५ सूत्र ७ की टीका मे आचार्य पूज्यपाद ने भी कहा है कि उत्पाद दो प्रकार का होता है-एक स्वप्रत्यय और दूसरा परप्रत्यय । इसमे भी परप्रत्यय से स्वपरप्रत्यय ही अर्थ ग्रहण किया गया है।

इस विवेचन का प्रयोजन यह है कि श्रुतज्ञानी जीव केवल ज्ञान मे प्रतिभासित वस्तु पर्यायों की नियत स्थिति पर जब तक टिक नहीं जाता है अर्थात् उसका श्रुतज्ञान जब तक पूणं निविकल्पक दशा को प्राप्त नहीं हो जाता है जो कि ग्या-रहवें और वारहवे गुण स्थानों में ही सभव है तब तक उसकों कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करने का उपदेश आगम में दिया गया है। छठवे गुणस्थान तक तो श्रुतज्ञानी जीव में कार्य-

१--पज्जाओ दुवियण्पो सपरावेनखो या णिरवेनखो ॥

२- द्विविच उत्पाद - स्विनिमित्त परप्रत्ययश्च।

सिद्धि के लिए पुरुपार्थ का रूप स्पष्ट देखने में आता है और उसका यह पुरुपार्थ कार्यकारणभाव के आश्रित ही हुआ करता है। वैसे तो पुरुपार्थ को प्रक्रिया सजी पचेन्द्रिय जीवो से नेकर एकेन्द्रिय तक के सभी जीवो में पाई जाती है परन्तु कार्यसिद्धि का सकल्प और उसकी सिद्धि के लिए कार्यकारणभाव का विकल्प सज्ञी पचेन्द्रिय जीवो में ही हुआ करता है कारण कि असज्ञी पचेन्द्रिय जीवो से लेकर एकेन्द्रिय तक के जीवो में मन का अभाव होने से कार्यसिद्धि के सङ्कल्प का अभाव पाया जाता है और इस सकत्प का अभाव रहने के कारण उनमें कार्यकारणभाव के विकल्प का भी अभाव रहा करता है।

प० फूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके समपक्षी जनो के सामने सबसे वडा प्रश्न यही है कि यदि उनकी अदूट आस्था एकान्त रूप से केवलज्ञान में प्रतिभासित वस्तु की त्रै कालिक पर्यायों की नियत स्थित पर है तो क्या वे इस वात से इन्कार कर सकते है कि उनके मन में कार्यसिद्धि का सकल्य और मस्तिष्क में कार्यकारणभाव का विकल्प पैदा ही नहीं होता है। यदि वे इस वात से इन्कार करते हैं तो उनका जो कार्यसिद्धि के लिए पुरुपार्थ बुद्धिपूर्वक होता है वह नहीं होना चाहिए था। लेकिन तब वे कार्यसिद्धि के लिए पुरुपार्थ बुद्धिपूर्वक करते देखे जा रहे हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि उनके मन में कार्यसिद्धि का सकल्य और मस्तिष्क में कार्यकारणभाव का विकल्प नियम से पैदा होता है और यह तर्क सगत वात है कि एकान्त नियतवाद में सकल्प, विकल्प और पुरुषार्थ को कोई स्थान ही नहीं रह जाता है।

इस प्रकार यह बात निश्चित हो जातो है कि श्रुत-

स्वीकार करता है और उसमें अटूट आस्था भी रखता है परन्तु इसके साथ ही वह यह भी जानता है कि कार्य की सिद्धि एकात नियतवाद की मान्यता के आधार पर नहीं हो जायगी, इसके लिए तो उसे कार्यसिद्धि के सकल्प और कार्यकारणभाव के विकल्पों के आधार पर पुरुषार्थ करना होगा। मुक्ते आश्चय और दु ख होता है कि प० फूलचन्द्रजी आदि एक ओर तो एकान्त नियतवादों वने हुए है और इसी का वे प्रचार भी करते हैं तथा कथचित् अनियतवाद की मान्यता का इस आधार पर निषेध करते हैं कि इससे सर्वज्ञता की हानि हो जायगी, लेकिन दूसरी ओर अपने कार्य की सिद्धि का सम्दूल्प, उसकी सिद्धि के लिए कार्यकारणभाव के विकल्प तथा सकल्प और विकल्प के आधार पर पुरुषार्थ भी वे करते हैं, साथ ही यह भी कहते फिरते है कि किसी के करने से कुछ नहीं होगा किन्तु जब होना होगा तभी होगा।

तात्पर्य यह है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु में स्वप्रत्यय परिणमन (कार्य) तो स्वत ही होते रहते हैं परन्तु स्वपरप्रत्यय परिणमन (कार्य) जो होते हैं वे निमित्ता सापेक्ष हो होते हैं। एकेन्द्रिय से लेकर असज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीवो का पुरुपार्थ भो उस-उस इन्द्रिय से जन्य ज्ञान के स्वसवेदन रूप श्रुतज्ञान के आधार पर उसमें कारण हुआ करता है। सज्ञी पचेन्द्रिय जीवों का पुरुपार्थ कार्यसिद्धि के सङ्कर्त्य और कार्यकारणभाव के विकल्प के आधार पर उसमें कारण होता है, इसलिए वह जैसी कार्यसिद्धि का सङ्कर्त्य करता है उसके अनुरूप वह अपनी बुद्धि के अनुसार कार्यकारणभाव का भी निर्णय किया करता है और तव वह कार्यसिद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है। यह वात दूमरों है कि पुरुषार्थ कार्यसिद्धि के अनुकूल हो, उगादान

पूर्णता हो और वाधक सामग्री का अभाव हो वहीं कार्योत्पत्ति होती है और जहाँ वे सव अनुक्कल वाते न हो वहाँ कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे स्थलों में इस प्रकार की मान्यता से कार्य नहीं चल सकता है कि कार्योत्पत्ति होना होगी तो हो जायगी अन्यथा नहीं होगी। क्यों कि जो सज्ञी पचेन्द्रिय जीव जब तक श्रुतज्ञान को निर्विकल्पक समाधि को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसके सामने कार्य की सिद्धि करने का हो प्रका रहता है कार्यसिद्धि होना होगी तो हो जायगी ऐसो स्थिति वहाँ नहीं रहा करती है।

माना कि जिसे लोक मे या आगम मे कार्यसिद्धि की वाधक सामग्री कहा जाता है वह भी स्व के अनुकूल कार्यसिद्धि की साधक ही है परन्तु जिस कार्य की सिद्धि वह श्रुतज्ञानी जीव करना चाहता था उसकी तो वह वाधक ही है।

इस प्रकार प० फूलचन्द्र जी आदि के और हम लोगों के मध्य मतभेद केवल इस वात का है कि प० फूलचन्द्र जी आदि कहते है कि जो कार्य होना होगा वही होगा उसी के अनुकूल वहाँ निमित्त सामग्री उपस्थित होगी और हम लोगों का आगम, अनुभव, इन्द्रियप्रत्यक्ष और तर्क के आधार पर यह कहना है कि अनुकूल उपादानगत योग्यता और उसकी कार्यव्यवहितपूर्व पर्याय विशिष्टता विद्यमान रहने पर ही कार्योत्पत्ति होगी लेकिन उपादान के इस स्थिति मे पहुच जाने पर भो उसमे नाना कार्यों की उत्पत्ति सभव रहने के कारण वही कार्य उत्पन्न होगा जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री का सद्भाव अर वाधक सामग्री का अभाव होगा। अत्तज्ञानो जीव को कार्यों-

त्पत्ति के लिये केवलज्ञान पर आधारित नियतवाद का सहारा उपयोगी नही होगा नयोकि नियतवाद मे जब कार्योत्पत्ति का प्रक्त हो नही रहता है तो उसमे कार्यकारण भाव को स्थान कैसे प्राप्त हो सकता है ? और यह निविवाद बात है कि जब वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रीव्यात्मक है तो कार्योत्पत्ति और उसके कार्यकारण भाव को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है यही कारण है कि स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा की "ज जस्स जिम्म देसे-आदि" उपर्युक्त गाथाओं में कार्योत्पित्त के सम्बन्ध मे ''जेणवि हाणेण'' और ''तेण विहासोण'' पदो द्वारा कार्य-कारणभाव को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जब वस्तू व्यवस्था मे कार्योत्पत्ति और उसके कार्यकारण भाव को स्थान मिल जाता है तो केवल त्रान के आधार पर नियतवाद की स्थिति निर्णीत होने पर भी श्रुतज्ञान के आधार पर अनियत-बाद को भी स्थान मिल जाता है तथा जब तक श्रुत ज्ञानी जीव श्रुत ज्ञान की निर्विकल्पक स्थिति को नही प्राप्त कर लेता है तब तक उसे कार्य सिद्धि के लिये पूर्वीक्त प्रकार से सकल्प और विकल्प के आधार पर पुरुषार्थ करने मे प्रवृत्त होना अनि-वार्य ही रहता है तथा इसमें उपादानगत योग्यता, उपादान की कार्याव्यवहित पूर्व पर्यायविशिष्टता, निमित्त सामग्री का सद्भाव और बाघक सामग्री का अभाव ये सभी बाते समाविष्ट हो जाती है। प्रमेय कमल मार्तण्ड का पूर्वीक्त "यच्चो च्यते"-इत्यादि कथन हमे इसी अभिप्राय की सूचना देता है।

इस प्रकार उपादान में कार्य सिद्धि की योग्यता रहते हुए भो और उसके कार्याव्यवहित पूर्वपर्याय में पहुँच जाने पर भी वह कार्योत्पत्ति जब निमित्त सामग्री के सद्भाव और बाधक सामग्री के अभाव की अपेक्षा रखती है तो उस होल में भी उपादान मे नाना प्रकार की कार्योत्पत्ति की सभावना सिद्ध हो जाती है। इस तरह तव वही कार्य उसमे उत्पन्त होता है जिसके अनुकुल निमित्त सामग्री का सन्द्राव और वाधक कारणो का अभाव वहा पर रहा करता है। पूर्व मे में वतला चुका हैं, कि जीव मे जब तक क्रोध कर्म का उदय रहता है तब तक उसकी क्रोध रूप परिणति होती है और जब मान कर्म का उदय हो जाता है तो क्रोध रूप परिणति न हो कर मानरूप परिणति उसकी होने लगती है। इसका फलितार्थ यह है कि जीव मे क्रोध रूप परिणत होने की और मान रूप परिणत होने की दोनो ही योग्यतायें विद्यमान है परन्तु उसमे दोनो परि-णितया एक साथ उत्पन्न नही होती हैं अर्थात् क्रोध कर्म का उदय हो तो क्रोब रूप परिणति होती है और मान कर्म का उदय हो तो मान रूप परिणति होती है। लोक मे देखा जाता है कि महिलायें गूदे हुए आटे मे से अशो को तोड तोड कर पुडी, रोटी, वाटी आदि आवश्यकतानुसार वनाती चली जाती हैं। इसी तरह गूदी हुई मिट्टी में से भी अशो को तोड-तोड कर कूम्भकार घडा, सकोरा आदि आवश्यकतानुसार विविध प्रकार की वस्तुयें वनाता चला जाता है। ऐसे स्थलो मे यह सोवना कि अ। टे के सभी परमाणु अनादि काल से क्रम वद्ध परिणमन करते हुए चले आ रहे थे उनमे से जिनके क्रमवद्ध परिणमनो मे जिस काल मे पूढी का रूप आना था उनमे पुढी का रूप आया, जिनमें रोटी का रूप आना था उनमें रोटी का रूप आया और जिनमे वाटी का रूप आना था उनमे वाटी का रूप आ गया यह विविध प्रकार का परिवर्तन निमित्ताधार पर नही हुआ यह सब पागलपन की निकानी है। मिट्टी के अ को से कुम्भकार के व्यापार के आधार पर जो घडा, सकोरा, आदि बनते चले

जाते है उनके सम्बन्ध में भी उक्त प्रकार का सोचना पागलपन को हो निज्ञानी है क्योंकि इस प्रकार के सोचने से अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम सभी का अपलाप होता है और कार्य सिद्धि की सभावना ही समाप्त हो जाती है। इसलिये जो सज्ञी पचेन्द्रिय जीव लौकिक अथवा पारमार्थिक जिस प्रकार की कार्य मिद्धि करना चाहता है उसे उस की सिद्धि के लिये "जब जो होना होगा सो होगा" इस मान्यता के झमेले में न पढ कर उसके अनुकूल उपादान और निमित्तों के सद्भाव व बाधक कारणों के अभाव पर ही दृष्टि रखना चाहिये तथा इसी आधार पर अनुकूल पुरुषार्थ करने का ही प्रयत्न करना चाहिये और यदि इन सब बातों का समन्वय हो जाता है तो कार्य सिद्धि नियम से होगी तथा उसी प्रकार के कार्य की सिद्धि होगी जिसके अनुकूल इन सब बातों का समन्वय हो जायगा।

पूर्व मे मैने जो यह कहा है कि स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा को "पुव्वपरिणामजुत्त" इत्यादि गाथा का प० फूलचन्द्र जो ने अर्थ तो ठीक किया है परन्तु उसके अभिप्राय मे अन्तर पाड दिया है। अर्थात् उन्होने उसका यह अभिप्राय लिया है कि वस्तु जिस समय कार्याव्यवहित पूर्व पर्याय मे पहुँच जाती है तब उसमे एक नियत कार्य के उत्पन्न होने की योग्यता आ जाती है और तब वही कार्य नियम से उत्पन्न होता है। लेकिन यह अभिप्राय गलत है क्योंकि "यच्चोच्यते" – इत्यादि प्रमेय-कमल मार्तण्ड के पूर्वोक्त उद्धरण से व उपर्युक्त विवेचन से यही फलित होता है कि उस समय भी उसमे नाना योग्यताओ का सद्भाव सिद्ध होता है और जिस कार्य के अनुकूल वहा पर निमित्त सामग्री का सद्भाव और बाघक कारणो का अभाव

रहता है वही काये उत्पन्न होता है। २२२ मन्याक उक्त गाया की आचार्य यूभ चन्द्राचार्य की टीका भे स्पष्ट लिया है कि जिस कार्य के अनुकूल निमित्त गानकी का नद्भाव और वाधक कारणो का अभाव होगा वही काय उससे उत्पन्त होगा। करपना कीजिये कि मिट्टो की घट कार्य की उताति के क्षण से पूर्व धण-क्षणवर्ती वर्याय ने घट को उत्पत्ति होना चाहिये परन्तु उम समय यदि दण्ड का प्रयात उस पर हो जावे तो घटोत्पिति न होकर मिट्टी का चूरा वन जावेगा । इस बात को ध्यान मे रसकर गाया जा अभिप्राय यही निकलता है कि वार्य में अव्यवहिन पूर्व क्षणवती पर्याय कारण कहलाती है और इस पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ने उत्तर धाणवर्ती पर्याय नायं यहनाती है नेकिन कार्य वहीं उलान्न होगा जिसके अनुकूल निमित्त मामग्री का सङ्गाव और वाधक सामगी का अभाव वहां पर होना । उस तरह इस आधार पर कार्योत्पत्ति मे प० पूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहन लाल और उनके समझी जनो का निमित्त को अतिचित्कर मिद्व करने व एक निष्चित कार्य की उत्पत्ति स्वीकार कर उसे नियतवाद का जामा पहिनाने का प्रयाग अबुद्धिमतापूग ही है।

१-द्रवा जो गाँव वन्तु पूर्वविरणम युक्त पूर्व पर्याया विष्ट कारणभावेन उपादानकारणस्त्रेन चतते, तदेत्र द्रव्य जीवादि वस्तु उत्तर परिणाम युक्त उत्तर पर्यायाविध तदेत्र द्रव्य पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभ्त गणिमन्नाविना अप्रति तद्ध मामर्थ्यं कारणात्तरा वैकल्पेन उत्तर क्षरो गार्व निष्पादयस्येव । यथा आतान-विद्यानात्मकास्त्रत्व अप्रतिबद्धमा-मध्यी कारणान्तरावै कल्यास्य अन्त्यक्षण प्राप्ताः पटस्य कारण, उत्तर क्षणे त् पार्यम् ।

५—"प॰जगन्मोहनलाल जो ने जैनतत्त्वमीमासा के प्राक्कथन मे पृष्ठ १३ पर यह भी लिखा है कि निमित्त चाहे क्रियावान् द्रव्य हो या चाहे निष्क्रिय द्रव्य हो, कार्य होगा अपने उपादान के अनुसार ही। अतः निमित्त का विकल्प छोड कर प्रत्येक ससारी जीव को अपने उपादान की ही सम्हाल करनी चाहिये। जो ससारी जीव अपने उपादान की सम्हाल करता है वह अपने मोक्ष रूपी इष्ट प्रयोजन की सिद्धि मे सफल होता है और जो ससारी जीव उपादान की उपेक्षा कर अपने अज्ञान के कारण निमित्तों को मिलाने के विकल्प करता रहता है वह अज्ञानी हुआ ससार का पात्र वना रहता है।"

प० जी के इम कथन के विषय में पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब प० फूलचन्द्र जी और प० जगन्मोहनलाल जी दोनों ही विद्वानों की मान्यता के अनुसार प्रत्येक वस्तु की त्रैकालिक पर्यायें उस-उस समय के साथ नियत होकर ही विराजमान है और उन त्रैकालिक पर्यायों में जेसा भी कार्यकारणभाव सम्भव हो, वह भी उसी प्रकार उस-उस समय के साथ नियत होकर अपना स्थान जमाये हुए है तो ऐसी हालत में जीव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने उपादान की सम्हाल करने की प्रेरणा देना आवश्यक नहीं है। अलावा इसके प० जगन्मोहन लाल जो द्वारा उपादान की सम्हाल करने की वात करना निमित्त के महत्व को प्रस्थापित करना नहीं है तो फिर वया है वयोकि इस तरह प० जी दूसरों को अपने उपादान की सम्हाल करने की प्रेरणा ही तो दे रहे है। दूसरी बात उक्त कथन के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वस्तु में उसकी अपनी त्रैकालिक पर्यायों की उपादान गक्ति जिसे प० फूलचद्र जी

तक तो जीव की उसमें पायी जाने वाली योग्यता के आधार पर क्रोध कषायरूप परिणति होती रही और जिस क्षण क्रोध-कर्म का उदय विनष्ट होकर मानकर्म का उदय जीव के होगया उस क्षण से उसकी उसमे पायी जाने वाली योग्यता के ही आघार पर मान कपाय रूप परिणति होने लगी और यदि लोभ या माया कर्मों में से किसी एक का उदय होगया तो यथायोग्य लोभ या माया कषायरूप पारणीत उस जीव की होने लगी। इस तरह जीव की क्रोध कपायरूप परिणति मान, लोभ या माया कषायरूप उसकी परिणति की कारण सिद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार जीव की ससार रूप परिणति के अनन्तर क्षण मे होने वाली मोक्षरूप परिणति की कारण उससे विलक्षण अव्यवहित पूर्वेक्षणवर्ती ससार रूप परिणति को कदापि नही माना जा सकता है प्रत्युत ससार के कारणभूत द्रव्यकर्मी, नोकमों और भाव कमों के अभाव को ही उसमे कारण मानना उपयुक्त है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव के जब तक कर्मों और नोकर्मो का सयोग विद्यमान रहता है तव तक तो उसकी ससार रूप परिणति रहा करती है और जिस क्षण उसका कर्मो और नोकर्मो के साथ सयोग विछिन्न हो जाता है उस क्षण से उसकी मोक्षरूप परिणति होने लगती है। इस तरह वस्तु मे अनादिकाल से उपादानशक्ति के विद्यमान रहते हुए भी विवक्षित कार्य की उत्पत्ति का यथासमय होना निमित्त सामग्री की अनुकूलता पर ही निर्भर रहा करता है उस कार्य की अन्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय उसकी नियामक कदापि नही होती है। जसे जीव की क्रोधपर्याय के अनन्तर क्रोधपर्याय भी हो सकती है अथवा मान, माथा लोभ पर्यायों में से कोई भी पर्याय हो सकती है वहा ऐसा नियम नही है कि क्रोधपर्याय के

पश्चात् अमुक पर्याय ही होना चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस पर्याय के अनन्तर वस्तु की निजी उपादानशक्ति के आधार पर जो पर्याय उत्पन्न होगी वहं उसके अनुकूल निमित्त सामग्री के आधार पर हो होगी केवल उपादानशक्ति के आधार पर नहीं।

माना कि मिट्टी की कुशूलपर्याय के अनन्तर ही घटपर्याय होगी इसलिये कुशूलपर्याय घटपर्याय की कारण है परन्तु यहा यह वात भी है कि कुशूलपर्याय के अनन्तर घटपर्याय होगी हो—ऐसा कोई नियम नहीं है क्यों कि यदि कुशूल पर दण्ड प्रहार हो जावे तो घटपर्याय उत्पन्न न होकर एक अन्य पर्याय ही उत्पन्न हो जायगी अथवा उस समय कुम्भकार की इच्छा घटपर्याय के निष्पन्न करने की नहीं रही तो भी घटपर्याय निष्पन्न नहीं होगी। एक बात और इसमें विचारणीय है कि कार्य के प्रति उपादान कारण वहीं होता है जो कार्य में अनुस्यूत रहता है। यही कारण है कि आगम में पूर्व पर्याय विशिष्टद्रव्य को ही कार्य के प्रति उपादान कारण माना गया है पूर्व पर्याय को नहीं। इसका आधार यह है कि पूर्व पर्याय विनष्ट होकर ही उत्तरपर्याय की उत्पत्ति होती है इसलिये पूर्वपर्याय उत्तरपर्याय में अनुस्यूत नहीं रहतीं है।

ऊपर मैने कहा है कि जीव की क्रोघपर्याय के अनन्तर क्रोघ, मान, माया और लोभ में से कोई भी पर्याय उत्पन्न हो सकती है इसलिये पूर्व क्रोध पर्याय को उत्तर क्रोघादिपर्याय का कारण मानना अयुक्त है किन्तु क्रोधादि कर्मों के उदय को ही कारण मानना युक्त है—इसी प्रकार जीव की नारकपर्याय के अनन्तर और देवपर्याय के अनन्तर या तो मनुष्य पर्याय होगी या तिर्यग्पर्याय होगी एव मनुष्य अथवा तिर्यग्पर्यायो के अनन्तर मनुष्य, तिर्यग्, देव तथा नारक इन चारो मे से कोई भी पर्याय होगी नियम से एक पर्याय नही होगी अत उनमे से कोई भी पूर्वपर्याय उत्तरपर्याय की कारण नही मानो जा सकती है किन्तु उस-उस आयु कर्म का और उस-उम गतिनाम कर्म का उदय ही उस-उस पर्याय की उत्पत्ति मे कारण माना जा सकता है।

इस सव विवेचन का सार यह है कि विवक्षित कार्य की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय उस विविक्षत कार्य की नियामक कदापि नहीं हो सकती है किन्नु उसकी नियामक निमित्त सामग्री ही होती है। इस सम्बन्ध मे और भी स्पष्टीकरण किया जाय तो यो किया जा सकता है कि मिट्टी अनादिकाल से खानि में पड़ी चली आरही है, तो जब तक उसमे उसके अपने नियत परिणमन स्वभाव के आधार पर यथायोग्य समान और कदाचित् असमान भी परिणमन होते रहते हैं वे सभी परिणमन क्रमश अनायास प्राप्त समान और असमान निमित्तों के सहयोग से ही हुआ करते हैं। यद्यपि ये सभी परिणमन एक-एक के रूप मे उत्तरोत्तर समयो मे ही हुआ करते है परन्तु यहा पर पूर्व परिणमन उत्तर परिणमन का नियामक होता हो--ऐसी बात नही है क्योकि पूर्व परिणमन को यदि उत्तर परिणमन का नियामक माना जायगा तो समान परिणमन होते-होते जो यकायक असमान परिणमन होने लगता है उसकी असगति हो जायगी। खानि मे पडी हुई उस मिट्टी को कुम्भकार द्वारा खोद कर घर लाने पर उसमे जो स्थास, कोश, कुशूल और घट आदि विविध प्रकार के परिणमन होते देखे जाते हैं वे सब तो स्पष्ट हो कुम्भकार, चक्र, दण्ड और

जलादि निमित्तं सामग्री के सहयोग से होते हुए देखे जाते है। यद्यपि यह बात ठीक है कि मिट्टी से स्थूल रूप में स्थास के अनन्तर कोश और कोश के अनन्तर कुशूलपर्याय की उत्पत्ति हो जाने पर ही घट की उन्पत्ति होने का नियम देखा जाता है परन्तु यह बात निर्विवाद ही मानी जानी चाहिये कि दो पर्यायो के मध्य पाया जाने वाला आनन्तर्य कभी भी कार्यकारणभाव का निय। मक नहीं हो सकता है। जैसे कृत्तिका नक्षत्र के उदय के पश्चात् शकट नक्षत्र का उदय नियम से हुआ करता है और यही कारण है कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय आगे शकट के उदय का ज्ञापक है परन्तु इससे यह निष्कर्ष तो नही निकाला जा सम्ता है कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय शकट नक्षत्र के उदय मे कारण होता है। इसी प्रकार यद्यपि मिट्टी की स्थास, कोश, क्शूल और घटपर्यायो की उत्पत्ति मे उत्तरोत्तर आनन्तर्ये पाया जाता है परन्तु इन सबकी उत्पत्ति निमित्तभूत कुम्भकार, दण्ड, चक्र व जलादि सामग्री के सहयोग से ही होती है। यही कारण है कि स्थास के पश्चात् ही कोश, कोश के पश्चात् ही कुशूल और कुशूल के पश्चात् ही घट की उत्पत्ति होने का नियम रहने पर भी ऐसा नियम नहीं है कि स्थास के पश्चात् कोश की, कोश के पश्चात् कुशूल की और कुशूल के पश्चात् घट की उत्पत्ति होती ही है।

इस तरह प० जगन्मोहनलालजो ने जो यह लिखा है कि 'निमित्त का विवत्प छोडकर प्रत्येक ससारी जीव को अपने उपादान की ही सम्हाल करनी चाहिये" सो इसमे उपादान की सम्हाल करने की वात तो ठीक है परन्तु ऊपर के कथन से उपादान की सम्हाल करने का सहारा तो निमित्त सामग्री ही भिद्व होती है अत निमित्त का विकल्प छूट कैसे सकता है ?

दूसरी बात यह है कि "उपादान की सम्हान करनी चाहिये" इस वाक्य का अर्थ परावलम्बनवृत्ति और प्रवृत्ति को समाप्त करके स्वावलम्बनवृत्ति और प्रवृत्ति को अपनाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? लेकिन इस अर्थ का एक तो उक्त उभय विद्वानों के इस मत के साथ विरोध आता है कि "प्रत्येक वस्तु की त्रैकालिक पर्याये अपने-अपने समय मे नियत होकर बैठी हुई हैं" दूसरे इससे यह भी सिद्ध होता है कि परावलम्बनवृत्ति को उक्त उभय विद्वान उपचरित अर्थात् कथन मात्र मानने का भले ही आग्रह करते रहे लेकिन यह बात निश्चित है कि वह परावलम्बनवृत्ति जब जीव के वास्तविक ससार का कारण है तो ऐसी स्थिति मे उसे उपचरित (कथनमात्र) कैसे माना जा सकता है ? तीसरे इससे जीव के ससार की सृष्टि मे निमित्तों की आश्रितता सिद्ध हो जाने से "कार्य केवल उपादान के बल पर ही उत्पन्न होता है" इस सिद्धान्त का व्याधात हो जाता है।

यदि कहा जाय कि जीव का ससार उसकी पर्यायों में ही रहता है इसलिये वह स्वभावत ही जीव में विद्यमान रहता है इस तरह उसमें निमित्तों को आश्रितता सिद्ध नहीं होती है तो ऐसा स्वीकार करने पर "परावलम्बनवृत्ति अपनाने से जीव ससार का पात्र बना रहता है" यह सिद्धान्त व्याहत हा जाता है। एक वात और है कि जब जीव का ससार स्वभावत ही है तो एक तो उसका कभी नाश नहीं होना चाहिये, दूसरे यदि नाश होता ही है तो उसका वह नाश स्वभावत ही हो जायगा इसलिये उसके नाश के लिये परावलम्बनवृत्ति छोड़कर स्वावलम्बनवृत्ति को अपनाने की बात करना असगत ही है,

तीसरे उक्त उभय विद्वानों की दिष्ट में प्रत्येक वस्तु वास्तव में जव सर्वदा स्वतन्त्र ही रह रही है क्योकि उनकी मान्यता के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता है जो कुछ भी वस्तु मे परिवर्तन होता है वह स्वभावतः ही होता है तो ऐसी स्थिति मे भी परावलम्बनवृत्ति छोडने की वात करना वेकार है। यदि ऋहा जाय कि समयसार मे भी एक द्रव्य मे दूसरे द्रव्य द्वारा परिणमन कराने का निपेध किया गया है तो मैं कहगा कि इसका आशय यह नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन मे निमित्त भी नही होता है किन्तु . उसका आगय यह है कि एकद्रव्य के गुणधर्म दूसरे द्रव्य मे प्रविष्ट नहीं होते हैं अर्थात् एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कभी तादात्म्य सम्बन्ध नही हो सकता है लेकिन सयोग तो होता है और यहो कारण है कि जहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ तादातम्य सम्बन्ध न हो सकने के कारण केवल परप्रत्यय परिणमन का आगम मे निषेध किया गया है वहाँ एक द्रव्य का दुसरे द्रव्य के साथ सयोग होने से स्वपरप्रत्यय परिणमन का वही पर (आगम मे) समर्थन भी किया गया है। तात्पर्य यह है कार्य के प्रति उपादानकारणता तादात्म्य सम्बन्ध के आश्रित है इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का उपादानकारण तो नही होता है क्यों कि उन दो द्रव्यों में तादातम्य सम्बन्ध का अभाव है परन्त्र कार्य के प्रति निमित्तकारणता सयोग सम्बन्ध के आश्रित है इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य के प्रति निमित्तकारण तो हो ही सकता है वयोकि उन दो द्रव्यो मे तादातम्य सम्बन्ध का अभाव होने पर भी सयोग सम्बन्ध का सद्भाव तो हो ही सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वस्तु का स्वभाव परिणमन करना है क्योकि यदि वस्तु का स्वभाव परिणमन करना न हो तो न तो उसमें स्वभावत' ही परिणमन हो सकता है और न पर वस्तु हो उसे पिण्मित करा सकती है, परन्तु उम परिणमनशील वस्तु का एक परिणमन न तो ऐसा होता है जो स्वभावत ही हुआ करता है जिसे स्वप्रत्यय परिणमन कहते हैं और एक परिणमन ऐसा होता है जो अन्य वस्तु का सहयोग मिलने पर होता है जिसे स्वपरप्रत्यय परिणमन कहते हैं। इस तरह स्वपरप्रत्यय परिणमन सव अर्थात् उपादानकारण के साथ पर अर्थात् परिणमन सवप्रत्यय अथवा स्वपर प्रत्यय तो होता है लेकिन परप्रत्यय कदापि नहीं होता है।

६-प० जमन्मोहनलाल जी ने अपने प्राक्कथन के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि ''यह तो आगम, अनुभव और युक्ति से ही सिद्ध है कि ससार में जड़ और चेतन जितने भी पदार्थ है वे सब स्वतत्र हैं। जो शरीर ससारी जीव के साथ वाह्य दृष्टि से एक क्षेत्रावगाही हो रहा है वह भी पृथक है। वस्तुत इस सनातन सत्य का बोध न होने के कारण हो यह जीव अपने को भूला हुआ है। उसके दुख का निदान भी यही है। यद्यपि यह ससारी जीव दुख से मुक्ति चाहता है, परन्तु जब तक आत्मा-अनात्मा का भेद विज्ञान होकर इसे ठीक तरह से अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती तब तक इसका दुख से निवृत्त होना असभव है। सब से पहले इसे यह जानना जरूरी है कि मेरे ज्ञान-देशन स्वभाव आत्मा से भिन्न अन्य जितने जड़-चेतन पदार्थ हैं वे पर है। उनका परिणमन उनमे होता है और आत्मा का परिणमन आत्मा में होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बलात् नहीं परिणमा मकता है। यद्यपि वावतालीयन्याय से कभी

ऐसा भी प्रसंग उपस्थित हो जाता है कि हम पदार्थ का जैसा परिणमन चाहते है और उसके लिये प्रयत्न करते है, पदार्थ का वैसा परिणमन होता हुआ देखा जाता है, इसलिये हम मान लेते हैं कि इसे हमने परिणमाया, अन्यथा इसका ऐसा परिणमन न होता। किन्तु यह मानना कोरा भ्रम है और यहो भ्रम ससार की जड है। अतए त सबसे पहले इस ससारी जोव को अपने आत्मस्वरूप को पहिचान के साथ इसी भ्रम को दूर करना है। इसके दूर होते ही इसके स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। स्वावलम्बन का मार्ग कहो, दोनो कथनो का एक ही अभिप्राय है। अतीत काल में जो तीर्थकर सन्त महापुरुष हो गये है वे स्वय इस मार्ग पर चल कर मृक्ति के पात्र तो हुए ही, दूसरे ससारी प्राणियो को भी उन्होने अपती चर्चा और उपदेश द्वारा इस मार्ग के दर्शन कराये।"

प० जगन्मोहन लाल जी ने यह जो कुछ लिखा है वह वहाँ तक ठीक लिखा है जहाँ तक दृष्टि भेद नहीं है परन्तु दृष्टि भेद के कारण इसका महत्व समाप्त हो जाता है। आगे इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है।

इसमें सदेह नहीं कि ससार मेजड और चेतन जिसने पदार्थ हैं वे सब स्वतत्र हैं परन्तु इमका अभिप्राय यह नहीं है कि पदार्थ में परतत्रता का अभाव है। आगम, अनुभव और युक्ति से जिस प्रकार पदार्थ की स्वतत्रता सिद्ध होती है उसी प्रकार उसकी परतत्रता भी सिद्ध होती है इसलिये विचारणीय वात यह है कि पदार्थ क्यों तो स्वतत्र हैं और क्यों परतत्र है।

मैं पूर्व मैं बतला चुका हू कि ससार मे छै प्रकार के पदार्थ हैं - जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें भी जीव नाम के पदार्थ अनन्तानन्त सख्या में है, पुद्गल नाम के पदार्थ भी अनन्तानन्त हैं, घर्म, अधर्म और आकाश नाम के पदार्थों की सत्या एक-एक है तथा काल नाम के पदार्थों की सख्या अख्यात है। इन सब पदार्थों की स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थ मे अपने-अपने पृथक्-पृथक् स्वत सिद्ध अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व अगुरुलधुत्व, प्रदेशवत्व और प्रभेयत्व नाम के छै गुण पाये जाते हैं। ये गुण जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश और काल मे तो पृथक्-पृथक् हैं ही, परन्तु अनन्तानन्त जीवो मे से प्रत्येक जीव मे, अनन्तानन्त पुद्गलो मे से प्रत्येक पुद्गल मे और असंख्यात कालों में से प्रत्येक काल में भी पृथक्-पृथक् ही हैं। इसका फलितार्थ यह है कि इन अनन्तान्त पदार्थी मे से कोई भी पदार्थ कभी दूसरे पदार्थ का रूप घारण नही करता है और न कर सकता है इसलिये इनकी सख्या मे न तो कभी कमी हो सकती है और न बढोत्री ही हो सकती है। इसी तरह उपर्युक्त गुणो की स्वत सिद्धता के कारण न तो किसी पदार्थ की कभी उत्पत्ति हुई है और न किसी पदार्थ का कभी नाश ही हो सकता है। अर्थात् सभी पदार्थ अनादिकाल से ससार मे विद्यमान है और अनन्त काल तक विद्यमान रहेगे।

प्रत्येक पदार्थ मे अपने-अपने पृथक्-पृथक् स्वत सिद्ध उक्त छै गुण पाये जाते हैं—इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थ का अपना निजो अस्तित्व अर्थात् स्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ का अपना निजी वस्तुत्व अर्थात् सार्यकत्व है यानि कोई भो पदार्थ निरुपयोगी नहीं है। प्रत्येक पदार्थ मे अपनी निजी द्रव्यत्व है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। प्रत्येक पदार्थ मे अपना निजी अगुरुलघुत्व है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील तो है परन्तु वह परिणमन प्रत्येक पदार्थ के अपने निजी स्वभाव के दायरे में ही हुआ करता है यानि कोई भी पदार्थ परिणमन करते हुए भी अपने रूप अथवा स्वरूप को न तो सर्वथा समाप्त हो करता है और न अपने रूप अथवा स्वरूप को छोडकर किसी अन्य पदार्थ के रूप अथवा स्वरूप को ही प्राप्त होता है। प्रत्येक पदार्थ का अपना निजी प्रदेशवत्व है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ अपने निजी कुछ न कुछ आकार वाला है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में अपना निजी प्रमेयत्व अर्थात् प्रमाण-विषयत्व है यानि ऐसा ससार में एक भी पदार्थ नहीं है जो प्रमाण द्वारा जाना न जाताहो।

उपर्युक्त विवेचन पदार्थ की स्वतन्त्रता का है। प्रत्येक पदार्थ में परतन्त्रता भी पायो जाती है। अर्थात् उपर्युक्त सभी पदार्थों में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो दूसरे पदार्थों के साथ सयुक्त न हो। आकाश दूसरे सभी पदार्थों के साथ सयुक्त हो रहा है। यही कारण है कि उसमें दूसरे सभी पदार्थों के साथ अवगाह्य-अवगाहकभाव और व्याप्य-व्यापकभाव पाया जाता है। अर्थात् आकाश दूसरे सभी पदार्थों का अवगाहक और उनको व्याप्त कर रहने वाला है तथा दूसरे सभी पदार्थों की प्रदेशवत्ता (आकृति) का सीमित्तरूप आकाश पर आधारित है और चूँकि आकाश की प्रदेशवत्ता (आकृति) को सीमित्त रूप देने वाला कोई अन्य पदार्थ नहीं है इसलिये वह असीमित है। काल नाम के पदार्थों की वृत्ति (मौजूदगी) स्वत सिद्ध है लेकिन अन्य

सभी पदार्थों को वृत्ति (मौजूदगी) के आघार काल नाम के पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ मे जो भूतता, वर्तमानता और भवि-ष्यता पायी जाती है उसके आधार कालद्रव्य ही हैं। यह विभाजन जीवो और पुद्गलो में ही सभव है कारण कि पुद्गल ता अग्रारूप हैं और सिक्रिय हैं तथा जीव यद्यपि समस्त काल पदार्थों के बराबर असख्यात प्रदेशी हैं परन्तु यथायोग्य छोटे-बडे शरीरो के आघार पर सकोच विस्तार वाले है और सिक्रय है इसलिये ये नियत काल द्रव्यो से कभी सयुक्त नहीं रहते हैं तो जव जिन काल पदार्थों से ये पुद्गल और जीव सयुक्त रहते है उनकी अपेक्षा उनमे वर्तमानता रहती है, जिन काल पदार्थों से उनका सयोग विच्छिन्न होता है उनकी अपेक्षा उनमे भूतता रहती है और जिन काल पदार्थों के साथ उनका आगे सयोग होने वाला हो उनकी अपेक्षा उनमे भविष्यत्ता रहती है। चृिक आकाश, धर्म और अधर्म निष्किय पदार्थ है और काल भी निष्क्रिय पदार्थ है तथा आकाश, धर्म और अधर्म का सतत सभी काल पदार्थों के साथ सयोग रहता है अत इनमे भूतता, वर्त-मानता और भविष्यता का उक्त प्रकार का विभाजन नही होता है अर्थात् इनमे काल पदार्थों के सयोग के लाघार पर सतत वृत्ति (मौजूदगी) ही रहा करती है। चुिक सभी पदार्थ परिणमन-शील हैं और काल पदार्थ भी परिणमनशील है, लेकिन काल पदार्थों की पर्यायों का विभाजन अरगुरूप पूद्गल की अत्यन्त मन्दगति के आधार पर होता है और अन्य सभी पदार्थों को पर्यायो का विभाजन काल पदार्थों की पर्यायों के आधार पर होता है, इसलिये यदि पर्यायो के आधार पर भूतता, वतमानता और भविष्यत्ता को ग्रहण किया जाय तो सभी पदार्थों की पर्यायो मे भूतता, वर्तमानता और भविष्यत्ता सिद्ध होती है।

काल पदार्थों की अखण्ड एक पर्याय को समय कहते है और नाना समयो के समूह को आवली, घडी मुहूर्त, सेकड, मिनट, घण्टा, प्रहर, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि कहते है। इस तरह पदार्थों की पर्यायों को दो भागों में विभक्त कर दिया है-एक अति सूक्ष्म पर्याय और दूसरी स्थूल पर्याय। अति सूक्ष्म पर्याय का नाम अर्थपर्याय है और स्थूल पर्याय का नाम व्यञ्जन पर्याय है। जैसे जीव की मनुष्य पर्याय तो स्थूल पर्याय है और उसमें जो क्षण-क्षण का परिणमन है वह अति सुक्ष्म पर्याय है। प्रत्येक पदार्थ के ये परिणमन स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं लेकिन उन परिणमनो का विभाजन एक के पश्चात् एक के रूप मे काल पदार्थों की पर्यायो के आघार पर होता है। टहरे हुए क्रियाशील जीवो और पुद्गलो का जो गमन होता है उसके लिए धर्म पदार्थ अवलम्बन देता है और वे जीव और पूद्गल उस धर्म पदार्थ के अवलम्बन पर गमन करते है। इसी तरह चलते हुए वे जीव और पुद्गल जव ठहरते हैं तब उनके उस ठहरने के लिये अधर्म पदार्थ अव-लम्बन होता है और वे जीव और पुद्गल उस अधर्म द्रव्य के अवलम्वन पर ही ठहरते है। जीव पदार्थ सभी पदार्थों को जानने वाले है और सभी पदार्थ जीव पदार्थों के ज्ञेय हैं। इसी प्रकार सभी पुद्गल एक दूसरे पुद्गल के साथ मिलते और विद्धृ ते रहते हैं यानि अगु मे स्कन्ध और स्कन्ध से अगु का रूप घारण करते रहते है। इस तरह सभी पदार्थ परतन्त्र भी सिद्ध होते है।

जिस प्रकार पुद्गल पुद्गल के साथ मिलते हैं उसी प्रकार जीव भी अनादिकाल से पुद्गलों के साथ मिलकर

(बद्ध होकर) रहते आये है। जीवो और पुद्गलो के वन्ध मे
पुद्गलो और पुद्गलो के वन्ध की अपेक्षा यह विशेषता पायी
जाती है कि पुद्गल परस्पर जहाँ हमेशा मिलते और विछुडते
रहते हैं वहाँ जीवो की पुद्गलो के साथ मिलावट है तो
अनादिकाल से, परन्तु जिस जीव की पुद्गल के साथ विद्यमान
वह मिलावट एकवार समाप्त हो जाती है तो फिर कभी नहो
होती है और न हो ही सकती है। जीव और पुद्गल को
मिलावट का नाम ससार कहलाता है और उसके नष्ट हो जाने
यानि जीव और पुद्गल के पृथक्-पृथक् हो जाने का नाम
मोक्ष है।

जड और चेतन सम्पूर्ण पदार्थ परिणमन स्वभाव वाले होने के कारण जहाँ अपनी स्वतन्त्रता के आघार पर क्षणमात्रवर्ती स्वप्रत्यय परिणमन सतत करते रहते हैं वहाँ वे सभी पदार्थ परिणमन स्वभाव वाले होने के कारण ही यथासम्भव स्पृष्टता या बद्धता के आघार पर यथायोग्य क्षणमात्रवर्ती और नानाक्षणवर्ती स्वपरप्रत्यय परिणमन भी सतत करते रहते हैं। इसी आघार पर नाना वस्तुओ मे आधाराध्यभाव व निमित्तनिमित्तिकभाव की सिद्धि होती है। ये सम्बन्ध यद्यपि नाना वस्तुओ के आधार पर होने के कारण व्यवहारनय के विषय सिद्ध होते हैं फिर भी ये वास्तविक हैं गधे के सीग या बन्ध्या पुत्र के समान अवास्तविक, असत्य या क्थनमात्र नहीं हैं।

यद्यपि प्रत्येक पदार्थ के अपने-अपने उक्त स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय परिणमन उल्लिखित उभय विद्वानो के समान आगम समर्थित होने के कारण हम लोगो की मान्यता के अनुसार भो उस-उस पदार्थ के अन्दर ही हुआ करते है, अर्थात् जो परिणमन जिस पदार्थ में होता है वह उसी पदार्थ का है ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ का कोई परिणमन किसी अन्य पदार्थ में प्रविष्ट हो जाता हो, फिर भी प्रत्येक पदार्थ के स्वपरप्रत्यय परिणमन में स्व के साथ परपदार्थ की सहायता को अपेक्षा रहने क कारण परपदार्थ की कारणता का निषेध किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है।

माना कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बलात नही परिणमा सकता है अर्थात् परिणमन करने वाले पदाथ का वह परिणमन स्व की योग्यता के अभाव मे परपदार्थ द्वारा नही कराया जा सकता है जैसा कि पूर्व मे घटादि हब्टान्तो के आधार पर विस्तार के साथ कहा जा चुका है, परन्तु क्या यह निविवाद नहीं है कि मिट्टी का घटरूप परिणमन मिट्टी मे तदनुकूल योग्यता के रहते हुए भी कुम्भकार, दण्ड, चक्र आदि के सहयोग से हुआ करता है अन्यथा नही। इसलिये "एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बलात् नही परिणमा सकता" इस वाक्य का यह अर्थ—िक एक पदार्थ मे जो भी परिणमन होता है वह केवल उसके अपने परिणमन स्वभाव के आधार पर ही हो जाया करता है उसमे अन्य पदार्थ का सहयोग अपेक्षित नही रहा करता है वह तो वहाँ अकिंचित्कर ही वना रहता है स्वोकार करना भ्रान्त धारणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमे घटादि हण्टान्तो के साथ यह हण्टान्त भी जोडा जा सकता है कि गाड द्वारा हरी झण्डी वताने पर हो ड्राइवर रेलगाडी का चलाता है और सिगनल के जरिये जब तक उते सके । प्राप्त नही होता तत्र तक वह उसे स्टेशन के क्षेत्र मे नही

ले जाता है। यदि कदाचित् कोई ड्राइवर जाने-अनजाने उक्त व्यवस्था का उल्लघन करता है तो भयकर दुर्घटनायें भी हो जाया करती है। यह सब एक पदार्थ के सहयोग से दूसरे पदार्थ में परिणमन होने की वात नहीं तो फिर क्या है?

बात वास्तव मे यह है कि एक पदार्थ के परिणमन मे दूसरे पदार्थ के साथ निमित्तनैमित्तिक भावरूप कार्यकारणभाव की आवश्यकता लोक मे प्रत्येक व्यक्ति के सामने सतत रहा करती है। क्या यह कहा जा सकता है कि जितनी लोक सचालन और जीवन सचालन की व्यवस्थायें बनी हुई हैं 'या बनायी जाती हैं या जो परमार्थ से सम्बन्ध रखने वाली धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, नीति-अनीति आदि की व्यवस्थायें बनायी गयी हैं वे सब उपादानकारण के अघीन होकर भी निमित्तकारण के अधीन नहीं है ? मैं प० फूलचन्द्रजी और पं० जगन्मोहनलालजी से पूछना चाहता हूँ कि जीव की परिणति जो क्रोघ, मान, माया, लोभ, मोह आदि रूप हुआ करती है अथवा उसकी जो हिंसा आदि पापरूप प्रवृत्ति हुआ करती है इन सब मे क्या पूद्गल कर्म तथा नोकर्म निमित्त नही हुआ करते हैं ? और क्या इन्हे जीव की केवल स्वाभाविक अर्थात् केवल स्वप्रत्यय परिणतियो का रूप ही मान लिया जावे ? यदि दोनो विद्वान इन्हे केवल स्वप्रत्यय परिणतियाँ ही मानते हैं तो उनकी यह भ्रान्त घारणा है। एक बात यह भी विचारणीय है कि जीव का सचेतन-अचेतन विविध प्रकार के पदार्थों मे जो अहकार या ममकार होता है उसका अवलम्बन ये सब पदार्थ ही हुआ करते हैं। उक्त दोनो विद्वानो का इन बातो पर लक्ष्य नहीं पहुँच रहा है-यह महान आश्चर्य और दु ख की बात है।

प० जगन्मोहनलालजी ने अपने उपर्युक्त कथन में जो यह लिखा है कि "एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बलात् नहीं परिणमा सकता। यद्यपि काकतालीयन्याय से कभी ऐसा प्रसग उपस्थित हो जाता है कि हम पदार्थ का जैसा परिणमन चाहते हैं और उसके लिये प्रयत्न करते हैं पदार्थ का वैसा परिणमन होता हुआ देखा जाता है इसलिये हम मान लेते है कि इसे हमने परिणमाया, अन्यथा इसका ऐसा परिणमन नहीं होता. किन्तु यह मानना कोरा भ्रम है।"

इस विषय मे मैं पडित जी से पूछना चाहता हूँ कि मिट्टी आदि पदार्थी से घट आदि पदार्थी का निर्माण कुम्भकार आदि के तदनुकूल व्यापार करने पर ही होता हुआ देखा जाता है, अब यदि ऐसी घटनाअ! को काकतालीयन्याय के अनुसार होती हुई ही माना जाय तो घट निर्माण के उद्देश्य से कुम्भकार द्वारा खानि से बुद्धिपूर्वक मिट्टी को खोदकर लाया जाना, उसे घटनिर्माण के योग्य वनाया जाना, फिर दण्ड, चक आदि सावन सामग्री के सहारे पर बुद्धिपूर्वक किये गये अपने व्यापार से ही मिट्टी मे घटनिर्माण की क्रिया उत्पन्न होने सम्बन्धी अनुभव के आधार पर उस प्रकार का व्यापार किया जाना आदि सब प्रकार का प्रयत्न क्या मूर्खता का ही कार्य समझ लिया जाना चाहिये ? और यदि ऐसा है तो फिर प्रत्येक बुद्धिमान और विवेकी-व्यक्ति का घट प्राप्ति के लिय कुम्भकार के घर दौडा जाना कहाँ तक गुद्धि सगत माना जा सकेगा? जब कि इस प्रकार के प्रयत्न से कुम्भकार के घर पर घट की प्राप्ति हाने की अनुभूत वात लोक मे सगत मानी जाती है। इसी तरह प० फूलचन्द्र जी के अन्त करण मे 'जैनतत्त्वमीमासा' पुन्तक लिखने की भावना जाग्रत होना, तदनुसार उसके लिखने

मे उनके द्वारा अपनी बुद्धि का उपयोग किया जाना तथा स्याही, कागज, कलम आदि के सहारे पर हस्त द्वारा लेखन कार्य किया जाना आदि यदि पुस्तक निर्माण मे अनुपयोगी ही रहे, उनके सहयोग से पुस्तक का निर्माण होते हुए भी इसके विना पुस्तक अपने उपादान से अपने आप ही काकतालीयन्याय से निर्मित हो गयो व प० जगन्मोहनलालजी का प्राक्कथन भी उनके सकल्प, बुद्धि के प्रयोग तथा हस्तादि के व्यापार करने पर भी काकतालीयन्याय से अपने आप लेख के रूप मे तैयार हो गया तो ऐसी समझ रखने वाले उक्त दोनो विद्वानो का उक्त प्रकार का सकल्प, बृद्धि का प्रयोग तथा हस्तादि का व्यापार आदि सब उनके अज्ञान का ही कार्य माना जाना चाहिये तथा ऐसी हालत मे प० जगन्मोहनलालजी द्वारा प० फूलचन्द्रजी की प्रशसा किया जाना व इसके लिये प० फूलचन्द्र जी द्वारा प० जगन्मोहनलाल जी के प्रति कृतज्ञता प्रगट किया जाना आदि सब केवल बातूनी जमा-खर्च ही माना जाना चाहिये। क्या दोनो विद्वान समयशार को आचार्य श्री कुन्दकुन्द की रचना नहीं मानते हैं ? और वे कानजी स्वामी को अभूतपूर्व तत्त्व का उपस्कर्ता व लोकोपकार नही मानते हैं ? यदि ऐसा है तो फिर वे अपने लेखन में तथा भाषणों में यह सब प्रगट करते हुए क्यो नही अघाते हैं ? मैं तो उनके ऐसे आचरणो को देखकर इसी निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे दोनो ही विद्वान "हाथी के खाने के दात और व दिखाने के और" वाली कहावत को ही चरितार्थ कर रहे है। इस तरह मै यही कहूँगा कि दोनों ही विदान सत्य को समझते हुए भी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और यदि उनकी विचारधारा को ही तत्त्वप्ररूपक विचारधारा मान लिया जाय तो फिर लोक मे बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति

अपने जीवन को दृष्टि सं, सार्वजनिक दृष्टि से और पारमाधिक दृष्टि से भी जो सकल्प करता है, उसकी पृति के लिये जो मार्ग निश्चित करता है तथा जो उस पर चलता है—तो इन सब बातो का ओचित्य कैमे सिद्ध हो सकता है ? इतना ही नहीं, एक बात यह भो है कि सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनो ही प्रकार के जोव कार्य के लिये सकल्प करते हैं, मार्ग निश्चित करते हैं और मार्ग पर चलते हैं और उनके वे सकल्प समान रूप से मन के सहारे पर होते हैं, निणय समान रूप से मस्तिष्क के सहारे पर होता है और चलना समान रूप से शरीर के सहारे पर होता है और चलना समान रूप से शरीर के सहारे पर होना है—इम तरह सम्यग्दृष्टि को इन बातो का भी औचित्य चेंसे सिद्ध हो सकता है ?

इस प्रकार उपर्युक्त सभी विवेचन हमे इस निर्णय पर पहुँचा देता है कि विश्वित स्थलो पर निमित्त को अकिचित्कर मान कर निमित्त निमित्तिक भाव रूप कार्यकारणभाव की उपेक्षा करना अश्ववय ही है, लेकिन इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति उसकी उपेक्षा करता है तो उसे कृतव्न ही माना जा सकता है, साथ मे यह भी कहा जा मकता है कि वह अपने अनु-भव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष, तर्क और आगम—सभी का अपलाप करता है। प० फूलचन्द्र जी और प० जगन्मोहनलाल जी को इस पर ध्यान देना चाहिये।

यदि कहा जाय कि लौकिक कार्यों ने विद्यमान निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारणभाव का नियेध जैनतत्त्वमीमासा में नहीं किया गया है केवल उतनी यात है कि मुक्ति पाने के लिये जोत्र को निभित्त नामत्रों की आवश्यकता नहीं है और न निभित्त नामग्रों की अपेक्षा रखने वाला जोव कभी मुक्ति पा ही सकता है इस तरह केवल मुक्ति पाने की दृष्टि में ही जनतत्त्व-मीमासा पुस्तक लिखी गई है, तो इस सम्बन्व में भी मेरा यह कहना है कि निमित्त को अकिचित्तर सिद्ध करने के विषय मे जो कुछ जैनतत्त्वमीमासा मे लिखा गया है उसमे लौकिक और पारमायिक दृष्टियों का भेद दिखलाने का नहीं प्रयत्न नहीं किया गया है। दूसरी वात यह है कि मुक्ति के सम्बन्ध मे निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारगभाव के विचार की आव-इयकता नही है-इस वात का निषेध पूर्व मे विया जा चुका है और आगे भी किया जायगा। इसलिये यहाँ पर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुक्ति भी जीव की स्वपरप्रत्यय पर्याय है अत उसकी प्राप्ति के लिये भी निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारणभाव पर दृष्टि रखना अनिवायं हो जाता है। तीसरी वात यह है कि जहाँ तक कार्यकारणभाव की व्यवस्था का सम्बन्व है वहाँ तक उसमे लौकिक और पारमाधिक कार्यों का भेद नही किया जा सकता है, अन्यया पारमायिक मान्यताओ के सम्बन्ध में सर्वत्र जो लौकिक दृष्टान्तों का उपयोग आगम मे किया गया है उसका फिर क्या प्रयोजन रह जायगा ? इस तरह उपादान की कार्य रूप परिणति मे निमित्त के सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता रहा करती है-इस सिद्धान्त को प॰ फूलवन्द्र जी और प० जगन्मोहनलाल जी द्वारा अम पूर्ण वत-लाया जाना दोनो विद्वानो की भूल ही है, अन्यथा पाच लव्धियो को सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में कारण माननाभी असगत हो जायगा।

७—पं० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा के निश्चय व्यवहारमीमासा प्रकरण मे पृष्ठ २५२ पर लिखा है— ''इस जीवं को निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति होने पर व्यव-हाररत्नत्रय होता ही है। उसे प्राप्त करने के लिये अलग से प्रयत्न नहीं करना पडता है। व्यवहाररत्नत्रय स्वय घर्म नहीं है। निश्चयरत्नत्रय के सद्भाव में उसमें धर्म का आरोप होता है—इतना अवश्य है। इसी प्रकार रूढिवश जो जिस कार्य का निमित्त कहा जाता है उसके सद्भाव में भी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती जब तक जिस कार्य का वह निमित्ता कहा जाना है उसके अनुकूल उपादान की तैयारी न हो। अतएव कार्य सिद्धि में निमित्तों का होना अकिचित्कर है।"

प० जी के उक्त कथन से स्पष्ट मालूम पडता है कि निमित्त को कार्य सिद्धि के प्रति गिंकचित्कर सिद्ध करने के लिये ही उन्होने उक्त कथन में निश्चयरत्नत्रय के साथ तैयार उपादान की अर्थात् कार्य से अन्यवहित पूर्व समयवर्तीपर्याय विशिष्ट द्रव्य समर्थे उपादान की तथा व्यवहाररतनत्रय के साथ निमित्त की तुलना की है और इस तरह वे बतला देना चाहते हैं कि मुक्ति रूप कार्य मे कारणता की दृष्टि से जो स्थिति निद्चय रत्नत्रय की होती है वही स्थिति प्रत्येक कार्य मे कारणता की दृष्टि से समर्थ उपादान की होती है तथा मुक्ति रूप काय मे कारणता की दृष्टि से जो स्थिति व्यवहार रत्नत्रय की होती है वही स्थिति प्रत्येक कार्य मे कारणता की दृष्टि से निमित्त की होती है। वह स्थिति क्या है ? उसे उन्होंने अपने उक्त कथन में स्वय ही स्पष्ट किया है। वे कहते है कि व्यवहार रत्नत्रय स्वय धर्म नहीं है केवल निश्चय रत्नत्रय के सद्भाव मे उसमे धर्म का आरोप होता है। इसी प्रकार की वात वे निमित्त के विषय मे भी कहना चाहते है कि कार्य के प्रति निमित्त मे कारणता ती नहीं है लेकिन कार्य सिद्धि के अनुकूल उपादान की तैयारी होने पर

उसमे कारणता का आरोप मात्र किया जाता है। इस प्रसग में उन्होंने एक वात यह भी उक्त कथन में प्रतिपादित की है कि निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति हो जाने पर वहा व्यवहाररत्नत्रय होता ही है उसे प्राप्त करने के लिये अलग से प्रयत्न नहीं करना पडता है। इसी प्रकार निमित्त के विषय में भी वे कहना चाहते है कि उपादान की कार्य सिद्धि के अनुकूल तैयारी होने पर निमित्त वहाँ उपस्थित रहता ही है उसे जुटाने के लिये अलग से प्रयत्न नहीं करना पडता है। आगे इसकी मीमासा की जा रही है।

कार्य सिद्धि के प्रति निमित्त की अकिंचित्करता के विरोध और कार्यकारिता के समर्थन में पर्याप्त लिखा जा चुका है। इसी प्रकार व्यवहाररत्नत्रय की धर्मरूपता या मोक्ष कारणता के समर्थन में भी लिखा जा चुका है फिर भी प्रसगवश पुन लिख रहा हू।

निमित्तकारण की अकिचित्करता के विरोध और कार्य-कारिता के समर्थन में मैंने लिखा है कि आचार्य विद्यानन्दी ने अष्ट सहस्री में "तदसामर्थ्यमखण्यद किचित्करं कि सहकारि-कारण स्यात्" वचन द्वारा तथा आचार्य प्रभाचन्द्र ने प्रमेय-कमल मार्तण्ड में "यच्चोच्यते शक्तिनित्या अनित्याचित्यादि, तत्र किमय द्रव्यशक्ती पर्याय शक्ती वा प्रश्न. स्यात्" इत्यादि वचन द्वारा निमित्त कारण की अकिचित्करता के विरोध और कार्यकारिता के समर्थन में ही अपना अभिमत प्रगट किया है। इससे यह बात निर्णीत होतो है कि कार्य यद्यपि उपाद।नगत योग्यता के आधार पर ही होता है परन्तु निमित्त कारण के सहयोग से ही होता है। अतएव कार्योत्पत्ति मे निमित्त अकि-चित्कर न होकर कार्यकारी ही होता है। इस कथन से मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हू कि प० जगन्मोहन लाल जी अपने पूर्वोद्धृत "एक कार्य के लिये जो निमित्त सामग्री बाधक हो वह दूसरे कार्य के लिये साधक हो जाती है" इस कथन के आधार पर यदि यह बात स्वीकार कर लें कि स्वपरप्रत्यय कार्य उपादानगत निजी योग्यता के आधार पर होते हुए भी निमित्त कारण के सहयोग से होता है तो फिर उनके उक्त कथन का आगम के साथ कोई विरोध नहीं रह जाता है।

व्यवहाररत्नत्रय की धर्म रूपता या मोक्ष कारणता के समर्थन में भी मेरा यह कहना है कि यद्यपि निश्चय रत्नत्रय से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परन्तु उसे निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति व्यवहाररत्नत्रय के आधार पर ही होती है जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। इस तरह मोक्ष के साक्षात् कारणभूत निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति का कारण होने से व्यवहाररत्नत्रय में भी परम्परया मोक्ष कारणता सिद्ध हो जाती है। अत मोक्ष कार्य के प्रति व्यवहार रत्नत्रय भी अर्किचित्कर न होकर कार्यकारी ही सिद्ध होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार निश्चयरत्नत्रय भी मोक्ष का कारण होने से धर्म है उसी प्रकार व्यवहार रत्नत्रय भी मोक्ष का कारण होने से धर्म है। केवल यह विशेपता है कि निश्चयरत्नत्रय मोक्ष का साक्षात् कारण होने से जहाँ निश्चय धर्म है वहा व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का परम्परया अर्थात् निश्चयरत्नत्रय का कारण होकर कारण होने से व्यवहार धर्म है।

इस विवेचन के आधार पर मेरा कहना है कि प० फूल-चन्द्र जी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके सपक्षीजन उपादान मे उत्पन्न होने वाले कार्य मे निमित्त को तथा निश्चय-रत्नत्रय मे प्राप्त होने वाचे मोक्ष मे व्यवहार रत्नत्रय को जो अिक-चित्कर मानते है और इसके आघार पर ही वे जो निमित्त कारण को कार्योत्पत्ति मे उपचरित कारण तथा व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष प्राप्ति मे उपचरित धर्म मानते हैं सो उनकी ये दोनो मान्यतायें भ्रमपूर्ण ही है। इन लोगों के ऐसा मानने से तो यह समझ मे आता है कि ये लोग निमित्तकारण और व्यवहार रत्नत्रय के स्वरूप से ही अनिभन्न हो रहे है। अत यहाँ पर निमित्तकारण और उदादानकारण तथा व्यवहार रत्नत्रय और निश्चयरत्नत्रय के स्वरूप को वतलाया जा रहा है।

निमित्त कारण के स्वरूप को समझने मे पूर्वोद्घृत अष्ट-सहस्री का "तदसामर्थ्यमखण्डयत्" इत्यादि वचन और प्रमेय कमल मार्तण्ड का "यच्चोच्यते" इत्यादि वचन ही पर्याप्त सहायक होते हैं क्यों कि इनका आशय यह है कि जो उपादान की कार्य परिणति मे उपादान का सहायक होता है वह निमित्त कहलाता है। उपादान कारण का स्वरूप समयसार की निम्न-लिखित गाथा मे प्रतिपादित है।

ज भाव मुहममुह करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता। त तस्स होदि कम्म सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०६।

अर्थ-जिस गुभ या अशुभ भाव रूप आत्मा परिणत होता है उस भाव का वह कर्ता (उपादान कर्ता) कहलाता है और वह भाव उसका कर्म कहलाता है तथा उसका वेदक (अनु-भोक्ता) वही (आत्मा) होता है। आचार्य अमृतचन्द्र ने समयसार के कलश पद्य ५१ मे भी उपादान कर्त्तारूपकारण का यहो स्वरूग वतलाया है। यथा-

यः परिणमति स कर्ती यः परिणामो भवेत् तत्कर्म। या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥

इसमे स्पष्ट बतलाया गया है कि जो कार्य रूप परिणत होता है वह कर्ता (उपादान कर्ता) कहलाता है।

उपादान और निमित्त शब्दों के ब्युत्पत्यर्थ पर यदि घ्यान दिया जाय तो इससे भी समझ में आ जाता है कि जो कार्यरूप परिणित होता है वह उपादान कहलाता है और जो उपादान की कार्य परिणित में उस उपादान की सहायता करता है वह निमित्त कहलाता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि 'उप' उपस्गेपूर्वक आदानार्थक 'आ' उपमर्ग विशिष्ट 'दा' घातु से 'ल्युट्' प्रत्यय होकर उपादान शब्द निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ यही होता है कि जो परिणमन को ग्रहण करे अर्थान् जो कार्यरूप परिणत हो वह उपादान है। इसी तरह 'नि' उपस्गेपूर्वक स्नेहार्थक 'मिद्' धातु से 'क्त' प्रत्यय होकर निमित्त शब्द निष्पन्न हुआ है। मित्र शब्द भी इसी 'मिद्' धातु से 'क्र' प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार जो मित्र के समान उपादान के कार्यरूप परिणत होने में उस उपादान का स्नेहन करता है अर्थात् उसको (उपादान को) सहायता पहुचाना है वह निमित्त है।

व्यवहाररत्नत्रय और निश्चयरत्नत्रय के स्वरूप को सम्र्झने के लिये श्रद्धेय प० दौलतराम जी कृत छहढाला की तीसरी ढाल से छठी ढाल तक का अवलोकन करना चाहिये। निश्चयरत्नत्रय का स्वरूप तीसरी ढाल मे निम्न प्रकार बन-, लाया गया है—

परद्रव्यन तें भिन्न आप मे रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप की जानपनी सो सम्यक्तान कला है।। आप रूप मे लीन रहे थिर सम्यक् चारित सोई। अब ववहार मोरवमग सुनिये हेतु नियत को होई।।३-२।।

इसका अर्थ स्पष्ट है। इसमे ऊपर के तीन चरणों में प० जी ने निश्चयरत्नत्रय का स्वरूप बतलाया है तथा चतुर्थ चरण में सकेत किया है कि इससे आगे सम्पूर्ण तीसरी ढाल में व चौथी, पाचवी और छठी ढालों में व्यवहाररत्नत्रय का स्वरूप बतलाया जायगा। इस तरह उन्होंने उक्त सभी ढालों में व्यवहाररत्नत्रय विस्तार से स्वरूप बतला दिया है।

पचास्तिकाय की १६१ वी गाथा' मे निश्चयरत्नत्रय का और १६० वी गाथा में व्यवहाररत्नत्रय का स्वरूप छह-ढाला के अनुरूप ही बतलाया गया है। इसी पञ्चास्तिकाय की १६० वी गाथा की टीका में आचार्य जयसेन ने निश्चय और व्यवहार दोनो ही प्रकार के रत्नत्रयों में मोक्ष की कारणता का

⁽१) णिच्छयणयेण मणि दो तिहि तेहि समाहि दो दु जो अप्पा। ण कुणदि किंचिवि अण्ए ण मुयदि सो मोक्स मगगोत्ति ॥१६१॥

⁽२) धम्मादी सद्दहरा सम्मत्त णाणभगपुन्वगद। चेट्ठा तब हि चरिया ववहारी मोषखमग्गोति॥१६॥

⁽३) तिश्चय व्यवहार मोक्ष कारगे सित मोक्षकार्यं स भवति ।

समर्थन किया है तथा इसी १६० वी गाथा की टीका में आचार्य अमृतचन्द्र ने उक्त दोनो रत्नत्रयों में साध्य साधक भाव बतला कर १६२ और १६३ वी गाथाओं की टीकाओ में उस साध्य साधक भाव को इस प्रकार घटित किया है कि व्यवहाररत्नत्रय साधक है और निश्चयरत्नत्रय साध्य है।

इस प्रकार उक्त आगम वचनो के आधार पर निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयों का इस प्रकार स्वरूप निर्धारित होता है कि जीव की वस्तुतत्त्व व्यवस्था के प्रति "यह ऐसा ही है" इस तरह की आस्था हो जाना ही व्यवहार सम्यग्दर्शन है और इसके आधार पर उसकी आत्मकल्याण में रुचि जाग्रत हो जाना निश्चय सम्यग्दर्शन है। इसी तरह जीव को वस्तुतत्त्व के प्रति-पादक आगम का ज्ञान हो जाना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है और इसके आधार पर आत्मा को ज्ञान हो जाना निश्चय सम्यग्ज्ञान है और इसी तरह उक्त सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वक विश्वय सम्यक्चारित्र के कारणभूत परालम्वन के त्यागरूप पुरुपार्थ की प्रक्रिया को जीव द्वारा अपना लिया जाना व्यवहार

⁽१) निश्चय व्यवहारयो साध्य साधन भावत्वात्।

⁽२) निश्चय मोक्ष मार्ग साघन भावेन पूर्वी हिष्ट ध्यवहार मोक्षमार्ग निर्देशोऽयम् । ध्यवहार मोक्ष मार्ग साध्य भावेन निश्चय मोक्ष मार्गी पन्यासोऽयम् ॥

⁽३) मोहितिमरापहरणे दर्शन लाभादवास सज्ञान । रागद्वेष निवृत्ये चरणं प्रतिपद्यते साधु ॥४७॥ (रत्नकरण्ड श्रा०)

सम्यक् चारित्र है और परावलम्बन के त्याग की पूर्णता हो जाने पर जीव में स्वावलम्बन की स्थिति का विकास हो जाना निश्चय सम्यक्चारित्र है।

यहा इतना विशेष समझना चाहिये कि सम्यग्हिंट और सम्यग्ज्ञानी वही जीव कहलाता है जिसने अनन्तानुबन्धी कषाय का उपशम या क्षय अथवा उसके वर्तमानकाल मे उदय आने योग्य निषेको का उदयाभावी क्षय और आगामी काल मे उदय आने योग्य निषेको का सदवस्थारूप उपशम हो जाने पर क्रोधादि कषायरूपवृत्ति और हिसादि सकल्पी पापरूप को अपने जीवन से निकाल दिया हो - जैसा कि पूर्व मे बतला दिया गया है। इस तरह जो जीव सकल्पी पापो के त्याग के अनन्तर आरम्भी पापो के त्याग की प्रक्रिया अपना लेता है वह व्यवहार सम्यक् चारित्री कहलाने लगता है तथा ऐसा जीव घीरे-घीरे आरम्भी पापो के उस त्याग मे वृद्धि करता हुआ अन्त मे जब सम्पूर्ण बारम्भी पापो का ब्यागी हो जाता है तब उसके व्यवहार सम्यक्चारित्र की पूर्णता होती है और उसके अनन्तर ही उसे स्वावलम्बन की स्थितिरूप निश्चय सम्यक्-चारित्र की प्राप्ति होती है। यह सब भी पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है तथा आगे भी स्पष्ट किया जायगा।

निमित्तकारण और उपादानकारण तथा व्यवहाररत्नत्रय और निश्चयरत्नत्रय के स्वरूप का विवेचन करन वाले इस कथन से यह वात भी स्पष्ट हो जाती है कि आगम में निमित्तकारण को जो उपचरित कारण बतलाया है वह कार्य के प्रति अकिचित्कर होने के आधार पर नहीं बतलाया है प्रत्युत उपादान की कार्य परिणित में उपादान का सहायक होने के आधार पर ही बतलाया है। इसी प्रकार आगम में व्यवहाररत्नत्रय को जो उपचरित धर्म बतलाया है वह मोक्षरूप

कार्य के प्रति अकिचित्कर होने के आधार पर नहां बतलाया है प्रत्युत मोक्षकार्य के प्रति साक्षात् कारणभूत निश्चयरत्नत्रय का कारण होने से परम्परया मोक्ष का कारण होने के आधार पर ही बतलाया है। इस तरह प० फूलचन्द्रजी का यह सब कथन कि "व्यवहाररत्नत्रय स्वय धर्म नहीं है। निश्चयरत्नत्रय के सद्भाव में उसमें धर्म का आरोप होता है—इतना अवश्य है। इसी प्रकार रूढिवश जो जिस कार्य का निमित्त कहा जाता है उसके सद्भाव में भी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है जब तक जिस कार्य का वह निमित्त कहा जाता है उसके अनुकूल उपादान की तयारी न हो, अतएव कार्यसिद्धि में निमित्तों का होना अकिचित्कर है।" मिथ्या सिद्ध हो जाता है।

अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और तर्क भी इस बात को सूचित करते हैं कि कार्यसिद्धि के लिये प्रत्येक व्यक्ति उपादान पर तो लक्ष्य रखता है परन्तु यदि निमित्त पर लक्ष्य नहीं रक्खा जावे अर्थात् उपादान की विवक्षित कार्यरूप परिणित के लिये निमित्त सामग्री का उपयोग नहीं किया जावे तो वह उपादान उस कायरूप परिणत होने में तब तक असमर्थ ही रहेगा जब तक तदनुक्कल निमित्त सामग्री का उपयोग नहीं किया जायगा। जैसे किसी व्यक्ति को यदि भवन का निर्माण करना है तो वह व्यक्ति भवन की उपादानभूत ईट, पत्थर, लकडी, चूना, सीमेट, लोहा आदि का सग्रह करने के साथ निमित्तभूत मिस्त्री, वेलदार, रेजा आदि को व अन्य निमित्त सामग्री को भी जुटाने का प्रयत्न करता है क्योंकि वह जानता है कि उक्त उपादान सामग्री स्वय (अपने आप) ही भवनरूप परिणत नहीं होगी किन्तु उक्त निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त होने पर ही वह भवनरूप परिणत होगी। यहीं वात

नियास और न्यवहाररान्द्रमी से जिएस में भी समझ सेनी पारिये। अचीर् निरमस्तानस्य पर जाहर तथा जीव हो मुक्ति प्राप्त कर नकता है—यह ती ठीक है, परन्तु निरमस्तानस्य पर आगट होने के नियं उने जो भी तस्तुवन प्रसायं परना पडता है यह पुगरायं त्यवहाररहनप्यस्य ही होता है फिर मने ही पर प्रचादकी, पर जयनमोहननात्वा और उनके सपक्षीजन हम बात को स्थीनार परने के निये तैयार नहीं।

निमस्तारण और व्यवहाररत्नथय नी कार्यकारिता के सम्बन्ध में एन बाग यह भी नहीं जा नवती है कि कार्यसिद्ध न सम्बन्ध में आगम में जो निमन्तरक नथन मिनते हैं व लोग में कार्यमिद्धि के निये जो निमन्तर मंथन मिनते हैं व लोग में कार्यमिद्धि के निये जो निमन्तर मां अनिवार्य रम से उपयोग निया जाता है तथा प० पूनचन्द्र जी आदि मीं जो कार्यसिद्धि की उन प्रक्रिया से अहते नहीं है, इनी तरह मोंस प्राप्ति के सम्प्रका में भी आगम में जो व्यवहारत्त्वय का विमाद ने मांय मंबंग उत्तेन मिनता है य लोग में उपकार्या पकारकाय का, ग्रन्थों के लेखन और पठा-पाठन का तथा राग-द्रेपमय गृत्ति और हिसादि पापस्य प्रवृत्ति के त्याग का जो महत्व प्रस्थापित है व प० फूनचन्द्र जी आदि भीं जो इन प्रक्रिया को अपनाय हुए हैं, तो क्या यह सब मिथ्या ही है रे अथवा उनका कोई अनुभय, इन्द्रिय प्रत्यक्ष, तक और आगम सम्मत आधार है—इस पर भी प० पूराचन्द्रजी आदि को विचार करना चाहिये।

व्यवहाररत्नत्रय की उपयोगिता के सम्बन्ध में इस तरह भी विचार किया जा सकता है और जैसा विचार पूर्व में किया भी जा जुका है कि जीव अनादिकाल से काम, क्रोध, मोह आदि रूप जो परिणति कर रहा है वह उसकी विभावपरिणति हो है और इमका कारण जीव की अनादि काल से ही पौद्गलिक कर्म-नोकर्म के साथ बद्धता व इसका भी कारण मोहकर्म के साथ बद्धता है। समयसार मे निम्नलिखित गाथा द्वारा मोह-कर्म बद्धता को ही इसका कारण प्रतिपादित किया गया है।

उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तम्स। मिच्छत अण्णारा अविरदि भावो यणादन्वो।।६६।

अर्थ-पौद्गलिक मोहकर्म के साथ सयुक्त (बद्धता को प्राप्त) हुए जीव के उपयोग का अनादि काल से तीन रूप परि-णमन हो रहा है और उसे मिथ्यात्व, अज्ञान तथा अविरति रूप समझना चाहिये।

जीव मोहकर्म बद्धता के कारण ही ज्ञानावरणादि कर्मी और शरीरादि नोकर्मो से अनादि काल से बद्ध रहता आया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि वह अपने से स्पष्ट पृथक दिखने वाली भोजनादि पर वस्तुओ का अवलम्बी भी अनादि काल से ही हो रहा है। अतएव इस तरह की स्थिति को प्राप्त जीव के सामने मुख्य प्रश्न उक्त कर्मी तथा नोकर्मों से छुटकारा पाना ही है। तत्त्वार्थ सूत्र के दशवे अध्याय के "बन्घहेत्व भावनिर्जराम्या कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षो मोक्ष" सूत्र द्वारा मुक्ति का यही लक्षण प्रतिपादित किया गया है। अर्थात् आगामी कर्म बन्ध के कारणो का प्रतिरोध यानि सवर और बद्ध कर्मो की निर्जरा होने से जो जीव की कर्मों तथा नोकर्मों के साथ बद्धता स्मूल नष्ट हो जाती है उसी का नाम मोक्ष (मुक्ति) है।

इस मुक्ति की शाप्ति के लिये जीव को पहले तो दर्शन मोहनीय कर्म की पूर्वोक्त तीन और अनन्तानुबन्धी चारित्र

गोहनीय कर्म की पूर्वोक्त चार प्रकृतियों के उपराम, क्षय अथवा हागोपणम के आधार पर उत्पन्न पूर्वोक्त व्यवहार सम्यक्तंन-पूर्वक निष्चय सम्यक्तान की प्राप्ति आवश्यक है व इसके पश्चात् पूर्वक निष्चय सम्यक्तान की प्राप्ति आवश्यक है व इसके पश्चात् प्रमण अप्रत्यान्यानावरण, प्रत्यान्यानावरण और सज्वनन क्ष्मायों और नव नोक्षायों के यथासम्भव अनुद्रय, उपराम और ध्रय के आधार पर उत्पन्न व्यवहार सम्यक्चान्त्रिपूर्वक निष्नय सम्यक्नारित की प्राप्ति आवश्यक है क्योंनि इस प्रक्रिया के आधार पर ही जीव वन्य पोग्य कर्मों का सबर और वद्य कर्मों की निजंग किया करता है।

पूर्व में बतलाया जा पुका है कि जीव में स्वभावत. भाव-यतो और क्रियायती नाम की दो शक्तियां विद्यमान हैं। उनमें से भाववती मिक्त के अनादि काल से तीन रूप हो रहे हैं-एक तो वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपजम के आधार पर वीर्यहप, दूसरा दर्गनायरण कमं के क्षयोपयम के आधार पर दर्गनस्प और तीनरा ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपज्ञम के आधार पर ज्ञानरप। उपयुक्ताकार भाववर्ती शक्ति की दर्शन मोहनीय कमं के उदय के आघार पर अनादिकाल मे ही मिथ्यात्व और अज्ञानरूप विकृत म्थित बनी हुई है। इसी तरह क्रियावती शक्ति भी अनादिकाल से मन, वचन और काय की अधीनता में क्रियाशील होती हुई चारित्र मोहनीयकमं के उदय के आधार पर राग तथा हेप रूप विकार को प्राप्त हो रही है। क्रियावती शिक्त वा मन, वचन और काय की अधीनता मे होने वाला क्रिया रूप परिणमन ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का अनादि काल से ही जीव मे आसव कराता चला आ रहा है तथा उस क्रिया रूप परिणमन मे यथा-सभव चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर जो राग

तथा द्वेप रूप विकार अनादि काल से हो रहा है उसके आधार पर उन ज्ञानावरणादि आठो कर्मों का जीव के साथ स्थिति और अनुभागरूप वन्ध होता आ रहा है।

मन, वचन और काय की अधीनता मे होने वाले क्रिया-वती शक्ति के क्रियारूप परिणमन का नाम योग है। इसे आगम मे आस्रव^र नाम दिया गया है क्योंकि इससे कर्मों का आस्रव (आना) होता है। यह दो प्रकार का है-एक तो शुभ रूप और दूसरा अशुभ रूप । शुभ योगवह है जो दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय कर्मी का सातिशय क्षयोपशम तथा पुण्य कर्मी का उदय रहने पर होता है और अशुभयोग वह है जो दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय और उप-भोगान्तराय कर्मों के मन्द क्षयोपशम तथा पाप कर्मों का उदय रहने पर होता है। ४ ये दोनो ही प्रकार के योग जब तक यथा-सम्भव कपायो के उदय से अनुरजित रहते है तब तक रागात्मक और द्वेपात्मक मानसिक, वाचिनक और कायिक प्रवृत्ति (पुरुपार्थ) रूप हुआ करते है, लेकिन दोनो मे इतनी विशेषता हं कि यदि शुभ योग कपायों के उदय से अनुरजित होने के आधार पर रागात्मक और द्वेपात्मक मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति (पुरुपार्थ) रूप होता है तो उसका नाम पुण्या-चरण है तथा याद अशुभयोग यथासम्भव कषायो के उदय से अनुरजित होने के आधार पर रागात्मक और द्वेपात्मक मान-

१. कायवाड्मन कर्मयोग ॥ ६-/॥ त० मू०।

र स आसव ॥ ६-२ ॥ त० मू० ।

रे,४ गुभ परिणाम निर्वृतो योग घुभः । अगु परिणाम निर्वृतो योगः अगुभः । तत्त्रायं सूत्र को सूत्र ६—३ की सर्वायं सिद्धि ।

निन, वाननिक और पायिक प्रमृत्ति (पुरणार्व) हम होता है तो उनका नाम पापानरण है। उनके से पापानरण तो सामान्यतया पापकरों के बन्ध का कारण होता है कीर पुष्पानरण मामान्यतया पुष्पकरों के बन्ध का कारण होता है। बन्ध पर 'नामान्यतया' सन्द तमे हम बान की मूचना देता है कि पापान्यरण मुन्य हम से वर्षि पाप कर्मों के ही बन्ध का कारण होता है परन्तु पापानरण नहते हुए भी जीव के यथावीं य पुष्प कर्मों का भी बन्ध हुआ करता है और पुष्पानरण मुख्य हम ने पुष्प कर्मों के ती बन्ध का कारण होता है परन्तु पुष्पानरण मुख्य हम ने पुष्प कर्मों के ती बन्ध का कारण होता है परन्तु पुष्पानरण महत्व हुल भी जीव के यथायोग्य पाप कर्मों पा भी बन्ध हुआ करता है।

अपर महा जा नुना है कि योग का कार्य झानावरणादि आठ कर्मों का आसच करना है। चूँ कि योग जीव में प्रथम गुणस्यान ने लेकर अयोदश गुणस्थान तक अपनी सत्ता रखता है अत जीव के अयोदश गुणस्थान तक झानावरणादि नर्मों में ये ययासम्भव कर्मों का आसव हुआ करता है और वह योग चूँ कि प्रयम गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक यथासभव क्यायों के उदय से अनुरजित होकर उपयुक्त प्रकार की प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) का रूप पाता है अतः जीव के दशम गुणस्थान तक उन आस्त्रित कर्मों का यथायोग्य प्रकार का स्थित बन्ध और अनुभागवन्ध हुआ करता है। यही कारण कि आगम में कपायों

१ इस विषय को तत्त्वायंसूत्र के छठे अध्याय मे विस्तार से प्रतिपादित शिया गया है।

२. इस विषय को भी तत्यार्थ मूत्र के छठे अध्याय में विस्तार से प्रतिपादित किया गया है।

को ही स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध का कारण स्वोकार किया गया है। यथा-

पविडिहिदि अगुभागप्पदेस भेदा दु चदु विहो बन्धो । जोगा पविडिपदेसा ठिदि अगुभागा कषाव दो होति ॥३३॥ द्रव्य सग्रह

अर्थ-प्रकृति, प्रदेश,अनुभाग और स्थिति के भेद से बन्ध चार प्रकार का होता है। इनमें से प्रकृति और प्रदेश रूप बन्ध तो योगों के आधार पर होता है और स्थिति तथा अनुभाग रूप बन्ध कषाय के आधार पर होता है।

यहाँ पर कषाय शब्द विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है जिसका आश्य यह होता है कि वन्ध का कारण मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। इनमें से वास्तव में देखा जाय तो चारित्र मोहनीय कर्म ही कपाय रूप होने से स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध का साक्षात् कारण होता है तथा दर्शन मोहनीय कर्म कृषाय क्षे प्रभावित करता हुआ ही उपर्यु क्त बन्धों का कारण होता है। इस तरह वह परग्परया कारण होता है। यह आश्रय पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय के निम्नलिखित पद्यों से भी प्रगट होता है।

येनाशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धन नास्ति येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥२१२॥ येनाशेन ज्ञान तेनाशेनास्य बन्धन नास्ति ॥ येनाशेन तु रागरतेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥२१३॥ येनाशेन चरित्र तेनाशेनास्य बन्धन नास्ति ॥ येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥२१४॥ इन गाथाओं में राग शब्द हैं प का उपलक्षण है इस तरह राग शब्द का अर्थ राग और हे प रूप कपाय होता है और इस तरह गाथाओं का अर्थ भी यह होता है कि जिस रूप से जीव में सम्यग्दर्शन है उस रूप से उसके बन्ध नहीं होता है और जिस रूप से जीव में राग तथा है प रूप कपाय है उस रूप से उसके बन्ध होता है। इसी प्रकार जिस रूप से जीव में सम्य-जान है उस रूप से उसके बन्ध नहीं होता है और जिस रूप से जीव में राग तथा होप रूप कषाय है उस रूप से उसके बन्ध होता है तथा इसी तरह जिस रूप से जीव में सम्यक्चारित्र है उस रूप से उसके बन्ध नहीं है और जिस रूप से जीव में राग तथा है प रूप कषाय है उस रूप से उसके बन्ध होता है।

द्रव्य सग्रह और पुरुपार्थसिद्घ्युपाय के उपर्युक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सासादन सम्यग्दृष्टि, औपश्चिमक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवों के जो स्थिति और अनुभाग रूप से कर्म बन्ध होता है उसमें तो कषाय कारण है ही, परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व कर्म का, सम्यग्मथ्या दृष्टि जीव के सम्यग्मथ्यात्व कर्म का और क्षायो-पश्चिमक सम्यग्दृष्टि जीव के सम्यग्मथ्यात्व कर्म का उदय रहते हुए भी जो स्थिति और अनुभाग रूप से कर्म बन्ध होता है उसमें भी कपाय ही कारण होती है।

तात्वर्यं यह है कि मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति ये तीनो दर्शन मोहनीय कर्म के भेद हैं और दर्शन मोह-नीय कर्म उपयुक्ताकार ज्ञान को ही सशय, विपर्यय और अनध्य-वसाय रूप से विकृत करता है—यह वात पूर्व मे बतलायी जा

चुकी है। अब इस बात पर ध्यान देना है कि वह उपयुक्ताकार ज्ञान उपर्युक्त प्रकार से विकृत होने पर भी अपने आप मे बन्ध का कारण नही होता है किन्तु चारित्र मोहनीय कर्म से प्रभा-वित अर्थात् राग व द्वेष रूपता को प्राप्त जीव की मानसिक, वाचिनक और कायिक क्रिया ही बन्ध का कारण होती है। इसका अवस्य है कि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से विकार को प्राप्त वह उपयुक्ताकार ज्ञान उस क्रिया मे प्रेरक हुआ करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने विष को यदि अमृत (औषिष) समझ लिया तो ऐसा समझ लेने मात्र से तब तक उस व्यक्ति को हानि नही होती है जब तक वह व्यक्ति औषधि के रूप मे उसका. उपयोग महो करता है लेकिन इतनी बात अवश्य है कि विष को औषघि समझने वाला व्यक्ति उस ज्ञान के आवार पर तत्काल या कभी न कभी उसका औषधि के रूप मे उपयोग कर सकता है। इस तरह जिस प्रकार विष को अमृत (ओषिध) समझना परम्परया हानिकर है उसी प्रकार दर्शन मोहनीय कर्म से विकृत हुआ जाब भी परम्परया बन्ध का कारण होता है लेकिन साक्षात् कारण तो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित अर्थात राग तथा द्वेष रूपता को प्राप्त जोव की मानसिक वाचनिक और कायिक क्रिया ही हुआ करती है।

तात्पर्य यह है और जैसा कि ऊगर बतलाया जा चुका है कि मन, वचन और काय की अधीनता मे होने वाली जीव की क्रिया ंयोग) तो कर्मों के प्रकृति वन्य और प्रदेश बन्व मे अथवा यो कहिये कि आस्रव मे कारण होती है और वह क्रिया जब तक चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से प्रमावित रहती है यानि राग तथा द्वेष रूपता को प्राप्त रहती है तब तक वह उन अ स्रवित

कर्मों के स्थिति और अनुभाग रूप से बन्ध मे कारण होती है। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि जीव की क्रिया ज्ञान के अनु-सार ही हुआ करती है। इसका आशय यह हुआ कि यदि ज्ञान दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से विकृत हो रहा हो तो क्रिया भी · उससे प्रभावित हुए बिना नही रह सक्ती है, इसलिये जब दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर ज्ञान मे से उक्त प्रकार का विकार समाप्त हो जाता है तो जीव की उक्त क्रिया मे भी अन्तर आ जाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के प्रादर्भाव मे दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के साथ ही अनन्तानुबन्धी कपाय के उपशय या क्षय को अथवा उपशम और क्षय दोनो ही को कारण स्वीकार किया गया है। इससे यह निष्कर्ष भी सहज ही निकल आता है कि जो जीव दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर क्वींन की निर्विकारता को प्राप्त हो जावे उसमे सम्यग्दृष्टि बनने के लिये अनन्तानुबन्धी कपाय के उपशम या क्षय अथवा उपशम और क्षय दोनो के आघार पर सर्कैल्पी पापो का त्याग अवस्य हो जाना चाहिये क्योकि जीव सकन्पी पाप भी करता रहे और सम्यग्दृष्टि भी हो जावे यह व्यवस्था आगम की नही है। इसलिये जो विद्वान् या साधारणजन गोम्मट-सार जीवकाण्ड की "णो इन्दियेसुविरदो" इत्यादि गाया २६ का विपरीत अर्थ करके यह बतलाते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टि जीव अन्याय, अत्याचार, उच्छृह्वल या अनुचित सकल्पी पाप रूप प्रवृत्ति करते हुए भी सम्यग्दृष्टि बना रहता है वे अपने आगम सम्बन्धी अज्ञान को ही प्रगट करते हैं, क्योंकि जीव की उक्त सकल्पी पाप रूप प्रवृत्ति अनन्तानुबन्धी कपाय के उदय मे ही

हुआ करती है अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन न पायों के उदय में नहीं, क्यों कि इनका कार्य तो क्रमश देशवत, महाव्रत तथा यथाख्यात चारित्र को घात करना ही है। अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणादि उक्त कपायें यथायोग्य रूप में अनिवार्यता को प्राप्त आरम्भी पापों में ही जीव की प्रवृत्ति करातों है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जीव की क्रियावती शक्ति का मन, वचन (मुख) और काय की अधीनता में होने वाला पूर्वोक्त प्रकार का शुभ या अशुभरूप क्रियात्मक (योगात्मक) परिणमन तो यथासभव ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के प्रकृति-वन्ध और प्रदेश वन्ध का अर्थात् आस्रव का कारण होता है और उसमें जो अनन्तानुबन्धी आदि कषायों का राग अथवा द्वेप रूप अनुरञ्जन रहा करता है वह उन कर्मों के स्थिति वन्ध और अनुभागवन्ध का कारण होता है। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय यद्यपि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से विकास को प्राप्त जीव की भाववती शक्ति के उपयोगात्मक ज्ञानरूप परिण-मन को ही विकारी बनाता है तथापि उसके साहचर्य में यथा-सभव कषायों का उदय अवश्य रहा करता है इसलिए उक्त कर्मा वन्ध में उसे भी कारण माना जाता है।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि मिथ्यात्व कर्म के उदय के साहचर्य मे अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याच्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन इन चारो ही कषायो का उदय रहा करता है,सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के उदय के साहचर्य मे अनन्तानु-बन्धी कषाय को छोडकर शेष तीन कषायो का उदय रहा करता

है तथा सम्यक् प्रकृति कर्म के उदय के साहचर्य मे चीये गुण-स्थानवर्ती जीव के तो सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के समान अनन्तानु-बन्बी कपाय को छोड़कर भेप तीनो ही कपायों का उदय रहा करता है, पचम गुणस्थानवर्ती जीव के अनन्तानुबन्बी और अप्रत्याख्यानावरण कपायो को छोटकर शेप दो कपायो का उदय रहा करता है व छठे प्रमत्तविरत तथा सातवें स्वस्थानाप्रमत्त-इन दोनों गुणस्थानो मे रहने वाले जीवो के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याम्यानावरण-इन तीनो कपायो को छोड कर केवल सज्वलन कपाय का ही उदय रहा करता है। यद्यपि सम्यक् प्रकृति कर्म का उदय समाप्त हो जाने पर अर्थात् सम्पूर्ण दरान मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय हो जाने पर ही जीव श्रेणी माडता है यानि क्रमश अध करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप आतम परिणामो मे जीव प्रवृत्त होता है लेकिन अध-करण परिणामो के स्थानभूत सातवें सातिजय अप्रमत्त नामक गुणस्थान मे, अपूर्वकरण परिणामो के स्थानभूत आठवे अपूर्वकरण नामक गुणस्थान मे और अनवृत्तिकरण परिणामो के स्थानभूत नववें अनवृत्तिकरण नामक गुणस्थान मे तथा सूक्ष्मसापराय नामक दशम गुणस्थान मे रहने वाले जीवो के भी सज्वलन कषाय का उत्तरोत्तर मन्द, मन्दतर और मन्दतम उदय रहा करता है। इस तरह यह वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि उक्त चारो कपाये ही यया-योग्य गुणस्थानो मे उदय की प्राप्त होती हुई यथासम्भव कर्मी के स्थित बन्ध और अनुभाग बन्ध की कारण होती हैं तथा दर्शन मोहनीय कर्म उक्त कर्म वन्धो का साक्षात् करण न होकर - यथास्थान उक्त कपायो को प्रभावित करता हुआ परम्परया ही कारण होता है।

- पूर्व मे आत्मा की क्रियावती शक्ति की मानसिक, वाच-निक और कायिक क्रिया रूप योग के ग्रुभ व अग्रुभ दो भेद और उनके लक्षण बतलाते हुए मैं कह आया हूँ कि यदि शुभ योग यथासम्भव कषायो के उदय से अनुरजित होने के आधार पर रागात्मक और द्वेषात्मक मानसिक, वाचिनक और कायिक प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) रूप हो तो उसका नाम पुण्याचरण है व यदि अगुभयोग यथासम्भव कपायो के उदय से अनुरजित होने के आधार पर रागात्मक और द्वेषात्मक मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) रूप हो तो उसका नाम पापाचरण है। इनमे से पापाचरण दो प्रकार का होता है--एक तो सकल्पी पाप रूप और दूसरा आरम्भी पाप रूप । सकल्पी पाप रूप पापाचरण अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय मे होता है और आरम्भी पाप रूप पापाचरण अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्याना-वरण और सज्वलन कषायों के उदय में होता है। इस तरह प्रथम और द्वितीय गुणस्थानो मे तो अप्रत्याख्यानावरणादि तीनो कषायों के साथ अनन्तानुबन्धी कपाय का भी उदय रहा करता है अत. इन गुणस्थानों मे रहने वाला जीव अविरत तथा उच्छृह्वल प्रवृत्ति वाला होता है लेकिन तृतीय गुणस्थान मे अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय न रहने के कारण जीव उच्छ ह्वल प्रवृति वाला तो नही होता फिर भी अप्रत्याख्याना-वरणादि तीन कषायो का उदय रहने के आधार पर अविरत सम्यग्मिथ्यादृष्टि हुआ करता है। इसी तरह चतुर्थ गुणस्थान मे दर्शनमोहनीयकर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के साथ अनन्तानुबन्धी कवाय का भी उपशम या क्षय अथवा क्षय और उपशम दोनो रहने के कारण जीव उच्छृह्खल प्रवृत्ति वाला न होता हुआ अप्रत्याख्यानावरणादि कषायो का उदय रहने के

आधार पर अविरत सम्यग्दृष्टि रहा करता है। तात्पर्य यह है कि प्रथम और द्वितीय गुणस्थानों में रहने वाले जीवों के अनन्तानुबन्धी आदि चारी कषायी का उदय रहा करता है इसलिए उन जीवो के अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय रहने के कारण तो सकल्पी पाप रूप पापाचरण होता है और अप्रत्या-ख्यानावरणादि कषायो का उदय रहने के कारण आरम्भी पाप रूप पापाचरण होता है। इन दोनों गुणस्थानवर्ती जीवो मे विशेषता यह है कि प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव तो मिथ्यात्व कर्म का उदय रहने के कारण मिय्यादृष्टि कहलाता है जब कि द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव दर्शनमोहनीयकर्म की किसी भी प्रकृति का उदय न रहने के कारण सासादनसम्यग्दृष्टि कहलाता है। इसी तरह तृतीय और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवो के अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय न रहने के कारण सकल्पी पाप रूप पापाचरण तो नही होता है लेकिन अप्रत्याख्यानावरणादि तीनो कषायो का उदय रहने के कारण आरम्भी पाप रूप पापा-चरण तो होता ही है। इन दोनो गुणस्थानवर्ती जीवो मे भी यह विशेषता है कि तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव तो सम्य-ग्मिथ्यात्व कर्म का उदय रहने के कारण सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहलाता है लेकिन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव दर्शनमोहनीय-'कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम रहने के कारण सम्य-न्दृष्टि कहलाता है।

पचम गुणस्थान से लेकर आगे के सभी गुणस्थानों में रहने वाले जीव दर्शन मोहनीय कर्म का यथायोग्य रूप में अभाव रहने के कारण सम्यग्दृष्टि और अनन्तानुबन्धी कपाय का अभाव रहने के कारण सकल्पी पाप रूप पापाचरण रहित तो होते ही

है साथ मे पश्चम गुणस्थानवर्ती जीव के चू कि अप्रत्याख्याना-वरण कषाय का अनुदय (आगामी काल मे उदय आने योग्य निषेको का सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान काल मे उदय आने योग्य निषेको का उदयाभावी क्षय) भी हो जीता है अतः वह जीव आरम्भी पाप रूप पापाचरण का भी एक देश त्याग हो जाने के कारण देशवृती कहलाने लगता है। इसी तरह षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय के साथ चूँ कि प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अनुदय हो जाया करता है अत आरम्भी पाप रूप पापाचरण का नियमित विशेष रूप मे त्याग हो जाने के कारण वह जीव सर्ववृती या महावृती कहलाने लगता है।

षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव की जो सर्वव्रत या महाव्रत रूप स्थिति हो जाती है वह आगे के गुणस्थानों में रहने वाले जीवों के भी रहा करती है लेकिन उन जीवों में इतनी विशेषता समझना चाहिये कि सप्तम गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक के जीवों के सज्वलन कषाय का उत्तरोत्तर मन्द, मन्दतर और मन्दतम उदय रहने के कारण आरम्भी पाप रूप पापाचरण के त्याग की विशेषता होती जाती है और दशम गुणस्थान के अन्त समय में तो सज्वलन कषाय का भी पूर्णतया उपशम या क्षय हो जाने के कारण समस्त आरम्भी पाप रूप पापाचरण का सर्वथा अभाव हो जाता है अत. एकादश गुणस्थान से लेकर चतुर्दश गुणस्थान तक के जीव यथाख्यात चारित्र के घारक निश्चय सम्यक्चारित्री हुआ करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एकादश गुणस्थान से पूर्व यानि पश्चम गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक के जीव

आरम्भी प परुप पापाचरण के त्याग रूप मे व्यवहार सम्यक् चारित्रो हुश करते हैं। वयोकि उपर्युक्त कथन से एक तो यह चात निर्णीत होती है कि चतुर्य गुणस्थानवर्ती जीव के दर्शन-मोहनीय कर्म क साथ अनन्तानुबन्धी कपाय का भी यथायोग्य रूप मे अभाव रहने के कारण यद्यपि सकत्वी पापरूप पापा-चरण का अभाव हो जाता है परन्त् अप्रत्याख्यानावरणादि तीनो कपायो का उदय रहने के कारण उसके आरम्भी पापरप पापाचरण का अरापात भी त्याग नहीं हो पाता है अतएव वह अविरत सम्यग्दिष्ट कहलाता है। दूसरी वात यह निर्णीत होती है कि दशम गुणस्थान के अन्त समय तक कपाय का उदय रहने के कारण यथारयात चारित्रहप निश्चय चारित्र का अभाव ही रहा करता है । इस तरह आरम्भी पापरूप पापाचरण का त्याग अप्रत्याख्यानावरण कपाय के अनुदय के साथ पचम गुणस्थान से ही प्रारव्य होता है अत व्यवहार सम्यक्चारित्र का प्रारम्भ भी पचन गुणस्थान से ही स्वीकार किया गया है। व्यवहार सम्यक्चारित्र को निश्चय सम्यक्-च।रित्र का कारण मानने का भी यही अभिप्राय है कि दशम गुणस्थान तक तो जीवो के पूर्वोक्त प्रकार व्यवहार सम्यक्-चारित्र ही रहा करता है व दशम गुणस्थान के अनन्तर पश्चात् ही जीव को निश्चय सम्यक्चारित्र की उपलब्धि होती है।

उपर्युक्त कथन से यह वात भी निर्णीत होती है कि पापाचरण सकल्पी और आरम्भी पापो के रूप मे प्रथम और द्वितीय दोनो गुणस्थानों में ही रहा करता है व तृतीय गुण-स्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक वह केवल आरम्भी पाप के रूप में ही रहा करता है। वह वर्णन कषायों के तीवोदय, मन्दादय, मन्दतरोदय और मन्दतमोदय के आधार पर किया गया है। इसमे विशेषता इतनी है कि प्रथम गुणस्थान से लेकर षठ्ठ गुणस्थान तक पापाचरण यथासभव अन्तरग और विहरग प्रवृत्तियों के रूप में रहा करता है, लेकिन सप्तम गुणस्थान से दशम गुणस्थान तक कषायोदय के आधार पर केवल अन्तरग प्रवृत्ति के रूप में ही रहा करता है। इसमें यदि पुण्याचरण की हिष्ट से विचार किया जाय तो वास्तव में पापाचरण षठ्ठ गुणस्थान तक ही रहा करता है। यद्यपि आरम्भी पाप रूप पापाचरण का सद्भाव आगम में पचम गुणस्थान की आरम्भ त्याग प्रतिमा के पूर्व तक ही बतलाया गया है परन्तु जब षठ्ठ गुणस्थान में भी जीव भोजनादिक में व कमण्डलु व पीछी आदि के उठाने-धरने में प्रवृत्त होता है तो यह भी तो एक प्रकार की आरम्भ क्रिया ही है। इस तरह इस कथन का समन्वय उस उस हिष्ट से कर लेना चाहिये।

पुण्याचरण देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दान के रूप में ही आगम में प्रतिपादित किया गया है। यह भी प्रथम गुणस्थान से लेकर पष्ठ गुणस्थान तक अन्तरग और बहिरग प्रवृत्तियों के रूप में यथासभव दोनों प्रकार का होता है तथा सप्तम गुणस्थान से दशम गुणस्थान तक केवच अन्तरग प्रवृत्ति के रूप में ही हुआ करता है। यद्यपि एकादश गुणस्थान से त्रयोदश गुणस्थान में जब तक योग का निरोध नहीं हो जाता, तब तक भी पुण्याचरण का सद्भाव मानना चाहिये परन्तु वह कषाय रहित केवल योग के रूप में ही वहाँ रहा करता है। तात्पर्य यह है कि कषाय सहित शुभ योगमय प्रवृति (पुष्पार्थ) का नाम ही पुण्याचरण है और कषाय सहित अगुभ योगमय प्रवृत्ति (पुरुपार्थ) का नाम ही पापाचरण है इस तरह इस रूप मे उनका सद्भाव यथामभव दशम गुणस्थान तक ही रहा करता है। उसलिये दशम गुणस्थान के आगे शुभ स्प मे केवल योग का ही सद्भाव रहा करता है।

सप्तम गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक जो पुण्याचरण रहता है वह केवल धर्म ध्यान के रूप मे ही रहा करता है और यही कारण है कि दशम गुणस्यान तक घमं ध्यान का सद्भाव आगम मे म्बीकार किया गया है। इसका भी कारण यह है कि यदि पुण्याचरण का सन्द्राव दशम गुणस्थान तक नहीं माना जाय तो फिर वहाँ कर्मवन्य का होना असभव ही हो जायगा। यद्यपि सप्तम गुणस्थान की सातिशय अप्रमत्त अवस्था से गुनल ध्यान का सद्भाव आगम मे स्वीकार किया गया है परन्तृ इसका आघार आत्म विशुद्धि की अध करणादि परिणाम रूपता को ही माना गया है जो कि कर्मों के उपशम अथवा क्षय का कारण होती है वयोकि धर्म ध्यान पृण्याचरण . रूप होने से वन्ध का ही कारण होता है । आत्म विशुद्धि की अध करणादि परिणामरूपता दर्शन मोहनीय कर्म व अनन्तानुबन्धी कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के लिये 'आवश्यक होने से सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव के भी हुआ करती है।

इस तरह पापाचरण और पुण्याचरण दोनो ही यथायोग्य प्रकार से बन्ध के कारण होते हैं और दोनो बन्ध के ही कारण होते हैं । इन दोनो मे विशेषता यह हैं कि पापाचरण तो जीव को बाह्यरूप मे छोडना पडता है लेकिन अन्तरग रूप मे जैसा-जेसा कपायो का अनुदय अथवा उपशम या क्षय होता जाता है वैसा-वैसा छूटता जाता है। पुण्याचरण छोडने की यद्यपि जीव को आवश्यकता नहीं है परन्तु वह जैसा-जैसा दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्मों के यथासभव उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर सकल्पी पापों के साथ आरम्भी पापों का भी त्याग करता हुआ आगे-आगे के गुणस्थानों की ओर बढता जाता है वैसा-वैसा उसका रूप परिवर्तित होता जाता है और अन्त में वह जब सपूर्ण मोहनीय-कर्म का सर्वथा उपशम अथवा क्षय हो जाने पर पापों की आरम्भ रूपता को सर्वथा समाप्त करता हुआ क्रियावती शक्ति के केवल योगात्मक रूप को प्राप्त हो जाता है तब क्रमश. मनो-वर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणा में होने वाली निष्क्रिया के आधार पर वह स्वयमेव छूट जाता है।

इस विवेचन से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहार रत्नत्रय को उपचरित रत्नत्रय, उपचरित धर्म या उपचरित मोक्षमार्ग इसलिये नहीं कहा जाता है कि वह केवल पुण्याचरण रूप ही होता है या मोक्षरूप कार्य की उत्पत्ति में वह अकिंचित्कर बना रहा है किन्तु इसलिये कहा जाता है कि एक तो वह सकल्पी पापरूप पापाचरण के समाप्त हो जाने पर आरम्भी पापरूप पापाचरण के त्याग के आधार पर होता है और दूसरे मोक्षकार्य की उत्पत्ति में साक्षात् कारण न होकर भी मोक्ष के साक्षात् कारणभूत निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्षमार्ग का कारण होकर कारण होता है।

इसी तरह इस विवेचन से यह वात भी अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि कार्योत्पत्ति मे निमित्तकारण को जो उपचरित कारण कहा जाता है वह इसलिये नहीं कहा जाता है कि वहाँ पर वह अकिचित्कर ही रहा करता है किन्तु इसलिये कहा जाता है कि वह वहा पर उपादानकारण की तरह कार्यक्ष परिणत न होकर भी उपादानकारण की वार्यमप परिणति में उसकी (उपादानकारण की) महायता करता है।

रस तरह प० फूनचन्द्रजी का "निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति जीव को होने पर व्यवहाररत्नत्रय होता ही है उने उसकी प्राप्ति के लिये अलग मे प्रयत्न नहीं करना पटता है" इत्यादि कथन निरर्थक सिद्ध हो जाता है।

यहा पर भे प्रसगवश इतना और कह देना चाहता ह कि आगम में निरचयरत्नत्रय, निरचयधमें या निरचय मोक्षमार्गे को जो निष्चय, परमार्थ, यथार्थ, गत्यार्थ, भूतार्थ, बास्तविक, अन्तरग और मुख्य आदि नामों में पुकारा जाता है उसका अभिप्राय यही है कि वह मोक्ष की प्राप्ति में माक्षात् कारण होता है और न्यवहार रत्नन्रय, न्यवहार धर्म या न्यवहार मोद्मार्ग को जो व्यवहार, अपरमार्य, अययार्य, असत्यार्य, अभूतार्थ, अवाम्तविक, विहरग और उपचिन्त आदि नामो से पकारा जाता है उसका भी अभिप्राय यही है कि वह मोक्ष की प्राप्ति मे साक्षात् कारण न होकर उक्त प्रकार परपरण कारण होता है। इस प्रकार आगम में उपादानकारण को जो उपादान, निइचय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरंग और मुख्य आदि नामो से पुकारा जाता है उसका अभिप्राय यही हैं कि वह कार्यरूप परिणत होता है और निमित्तकारण को जो निमित्त, व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, अमत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, विहरग और उपचरित आदि नामो से पुकारा जाता है उसका भी अभिप्राय यही है कि वह कार्यरूप परिणत न होकर उपादान के कार्यरूप परिणत होने मे उसकी सहायता करता है।

इस प्रकार प० फूलचन्द्र जी,प० जगन्मोहनलालजी और

उनके संपक्षीजनो का व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्षमार्ग को अकिचित्कर रूप मे व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग, और उपचरित आदि नामो से तथा निमित्तकारण को भी अकिचि-त्कररूप मे निमित्त, व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग और उपचरित आदि नामो से पुकारना मिथ्या है।

वास्तिवक बात यह है कि प० फूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहन-लाल जी और उनके सपक्षीजनों को निमित्त, ज्यवहार, अपर-मार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तिवक, बहिरग और उपचरित आदि शब्दों का अर्थ समझने में भ्रम उत्पन्न हो गया है जिसके कारण हो उन्हें ज्यवहार रत्नत्रय, ज्यवहार धम या ज्यवहार मोक्षमार्ग को मोक्षरूप कार्य की उत्पत्ति में तथा निमित्त कारण को उपादान की परिणतिरूप कार्य की उत्पत्ति में अकिचित्कर मानने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं रह गया है।

यहा इतना घ्यान रखना चाहिये कि निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्षमार्ग मे निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तिवक, अन्तरग और मुख्य आदि शब्द एकार्थक शब्द है तथा व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्षमार्ग मे व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तिवक, बहिरग और उपचरित आदि शब्द भी एकार्थक है। इसी तरह उपादान कारण मे भी उपादान निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तिवक, अन्तरग और मुख्य आदि शब्द एकार्थक हैं तथा निमित्तकारण मे भी निमित्त, व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ अवास्तिवक

विहरण और उपचरित्र आदि शब्द एकार्थक हैं अत' यहाँ पर केवल उपचार को लेकर प० फूलचन्द्र जी आदि की प्रकृत विषय सम्बन्धी मान्यता की मीमामा की जा रही है।

प० फूलचन्द्र जी जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ २ पर उपचार के विषय में निरमते हैं—

"इस प्रसग में प्रकृत में विचार यह करना है कि तीर्थ-करों का जो उपदेश चारों अनुयोगों में सकलित है उसे वचन ज्यवहार की दृष्टि से कितने विभागों में विभक्त किया जा सकता है ? विविध प्रमाणों के प्रकाश में विचार करने पर मालूम होता है कि उसे हम मुन्य रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—उपचरित कथन और अनुपचरित कथन। जिस कथन का प्रतिपाद्य अर्थ तो असत्यार्थ है (जो कहा गया है पदार्थ वैसा नहीं है) परन्तु उससे परमार्थभूत अर्थ का ज्ञान हो जाता है उसे उपचरित कथन कहते हैं और जिस कथन से जो पदार्थ जैसा है उसका उसी रूप में ज्ञान होता है उसे अनुचरित कथन कहते हैं।"

आगे जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ = पर भी प० जी लिखते

"यहां पर कोई प्रश्न करता है कि यदि भिन्न कर्नृ-कर्म आदि रूप व्यवहार उपचरित ही है तो बास्त्रों में उसका निर्देश क्यों किया गया है समाधान यह है कि एक तो निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना इसका मुख्य प्रयोजन है इसलिये यह कथन किया गया है। आलाप पद्धति में कहा भी है—

सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार प्रवर्तते ।

निमित्त और प्रयोजन के होने पर उपचार प्रवृत्त होता है। दूसरे उपचरित अर्थ के प्रतिपादन द्वारा अनुपचरित अर्थ का बोघ हो जाता है इसलिये उसका कथन किया गया है। नयचक्र मे कहा भी है—

तह उपघारो जाणह साहणहेऊ अगुवयारे ।।८८।। उसी प्रकार अनुपचार की सिद्धि का हेतु उपचार को जानो ।

प० जी के इन दोनों कथनो द्वारा ऐसा मालूम पडता है कि वे उपचार को केवल वचन परक मानते है जिसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे वचन से अर्थ का प्रतिपादन तो नही होता है क्यों कि पदार्थ जैसा है वैसा प्रतिपादन ऐसे कथन से हो नही सकता है परन्तु अनुपचरित (पदार्थ जैसा है वैसे) अर्थ की सिद्धि का वह हेतु होता है। आगे इसकी मीमासा की जाती है।

इस सम्बन्ध मे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि प० जी की मान्यता के अनुसार यदि उपचरित कथन अनु-पचरित अर्थ की सिद्धि का कारण है तो वह निर्थंक या कथन-मात्र कैसे हो सकता है र दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आगम मे उपचार प्रवृत्ति एक वस्तु या धर्म मे अन्य वस्तु या धर्म की स्वीकृत की गयी है तथा लोक मे भी यही बात प्रचलित है—जेसा कि आगे प्रगट हो जायगा। इसका आशय यह है कि उपचार पदाथ मे होता है और शब्द उस उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करता है। इस तरह उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करता है। इस तरह उपचरित माना जाता है वह केवल निर्थंक या कथन-मात्र नही रहा करता है। लर्थात् उपचरित कथन ऐसा नही होगा कि उसका कोई अर्थ ही न हो। जसे 'बन्ध्या का पुत्र' 'आकाश के फूल' या 'गधे के सीग' आदि वचन न तो वास्तविक

(अनुपचरित) ही हैं और न उपचरित ही है क्यों कि इनका कोई अर्थ ही नहीं है अर्थात् ये वचन निरर्थंक या कथन मात्र ही है। चूँकि उपचरित वचन ऐसे निरर्थंक या कथनमात्र न होकर उपचरित अथ का प्रतिपादन करते है इसलिये ही उन्हे उपचरित कहा जाता है।

उपचरित अर्थ क्या है ? इस प्रश्न का समाघान हा आलाप पद्धति के निम्नलिखित वचन द्वारा होता है। यथा-

"मुख्याभावे सित निमित्ते प्रयोजने च उपचार. प्रवर्तते ।"

अर्थात् मुख्य अर्थ का अभाव रहने पर यदि निमित्त और प्रयोजन का सद्भाव हो तो उपचार की प्रवृत्ति होती है।

तात्पर्य यह है कि लोक मे अथवा आगम मे प्रयुक्त वचन का प्रतिपाद्य अर्थ यदि मुख्यार्थ नहीं है तो ऐसे सभी वचनों को क्या 'वन्ध्या का पुत्र', 'आकाश के फूल' या 'गंधे के सीग'आदि वचनों की तरह निर्धिक ही मान लेना चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि ऐमें सभी वचन निर्धिक नहीं होते हैं। अर्थात् ऐसे वचनों में से उन वचनों को हो निर्धिक वचन कहा जा सकता है जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे 'वन्ध्या का पुत्र' आदि वचन, इनके अतिरिक्त कोई-कोई वचन ऐसे भो होते हैं जिनके प्रतिपाद्य अर्थ की निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर सङ्गित बैठ जाती है। इस तरह उन वचनों द्वारा प्रतिपादक होने के आधार पर वे वचन भी उपचरित कहलाने लगते है। जैसे "अन्न वै प्राणा" (अन्न हो प्राण है) इस वचन द्वारा प्रतिपादित अन्न शब्द का प्राण अर्थ मुख्यार्थ नहों

है क्यों कि अन्न और प्राण दोनो पृथक्-पृथक् पदार्थ हैं लेकिन लोक मे अन्न को प्राण कहा तो जाता है इसलिए आलाप पद्धति के उल्लिखित कथन द्वारा यह निर्णीत होता है कि "अन्न वै प्राणा" (अन्न ही प्राण है) इस वचन मे अन्न शब्द का प्राण अर्थ उपचरित अर्थ है और इसका अधार यह है कि एक तो अन्न प्राणों के सरक्षण मे कारण होता है दूसरे इस तरह प्राणों के परक्षण मे अन्न के उपयोग की महत्ता प्रस्थापित हो जाती है। इस तरह मुख्यार्थ का अभाव रहते हुए निमित्त और प्रयोजन के सद्भाव के आधार पर अन्न का प्राण अर्थ उपचरित सिद्ध होता है और अर्थ के उपचरित सिद्ध हो जाने पर उस अर्थ का प्रतिपादक "अन्न वै प्राणा" (अन्न ही प्राण है) यह वचन भी उपचरित सिद्ध हो जाता है।

इस विवेचन के आधार पर प्रकृत मे उपचार का समन्वय इस प्रकार करना चाहिए कि कुम्भकार व्यक्ति को घटोत्पत्ति के सम्बन्ध मे निमित्तकारण, व्यवहारकारण, अपरमार्थकारण, अयथार्थकारण, असत्यार्थकारण, अभूतार्थकारण,
अवास्त्विककारण, वहिरङ्गकारण और उपचरितकारण आदि
नामो से इसलिए पुकारते है कि वह कुम्भकार व्यक्ति एक ओर
तो घटकार्यरूप परिणत नहीं होता अत. उसमे मुख्यार्थता का
अभाव है व दूसरी ओर मिट्टी से घट का निर्माण होने मे कुम्भकार व्यक्ति की सहायता की अपेक्षा रहा करती है अत वह
निर्यंक (अकिंचित्कर) भी नहीं है अत्तएव ही कुम्भकार
व्यक्ति को कुम्भकार शब्द से पुकारा जाता है। इस प्रकार
तत्त्वार्थ श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन, अपरमार्थ सम्यग्दर्शन,
अयथार्थ सम्यग्दर्शन, असत्यार्थसम्यग्दर्शन, अभूतार्थ गम्यग्दर्शन,

अवास्त्रविक सम्यय्दर्शन, बहिरात्रसम्य दशन और उपचरिन सम्यग्दर्णन आदि नामो में, आगमज्ञान को व्यवहार गम्यग्ज्ञान, अपरमार्थं सम्यन्नान, अयथार्थं सम्यन्नान, अयत्यार्थं सम्यन्नान, अभूतार्थंगम्यगान, अवास्तविक गम्यगान, ब्रह्स्ट्स सम्यग्नान और उपनरित मन्यगान आदि नामो में तथा अगुवन-महा-प्रत आदि को व्यवहार सम्याचारिय, अपरमाय सम्यक्-चारित्र, अयथार्थं सम्यक्तारित्र, अमत्यार्थं सम्यक्तारित्र, अभूतार्थं नम्याचारिय, अवास्तविक सम्यक्चारिय, बहिरङ्ग मम्यक्नारिय और उपनरित सम्यक्चारिय बादि नामो मे इसिनये पुकारते हैं कि तत्त्वायं श्रद्धान, आगमज्ञान और अगु-यत-महायत आदि मे एक और तो मोझ की मासात् कारणता-मप मुख्यार्थता का अभाव है व दूसरी ओर मोझ के माक्षात् कारणभून और पूर्वोक्त निश्चय सम्यग्दर्शन, परमार्थ सम्यग्दर्शन, ययार्थं नम्यग्दर्शन, सत्यार्थं मम्यग्दर्शन, भूतार्यं सम्यग्दर्शन, वास्तविक मम्यग्दर्शन, अन्तरङ्ग मम्यग्दर्शन और मुख्य सम्यग-दर्शन आदि नामो से पुकारे जान वाले आतम कल्याण की रुचि जागत होने हप सम्यग्दर्शन में तत्त्वार्य श्रद्धान कारण होता है, इसी तरह मोक्ष के साक्षात् कारणभून और पूर्वोक्त निञ्चय सम्यन्तान, परमार्थं मम्यग्नान, यथार्थसम्यग्नान, सत्यार्थसम्यग्-ज्ञान, भूतार्थं मम्यग्ज्ञान, वास्तविक सम्यग्ज्ञान, अतरगसम्यग्-ज्ञान और मुह्य सम्यग्ज्ञान आदि नामो से पुकारे जाने वाले आत्मज्ञानरूप सम्यन्ज्ञान मे आगमज्ञान कारण होता है तथा इसी तरह मोक्ष के साक्षात् कारणभूत और निश्चय सम्यक् चारित्र, परमार्थ सम्यक्चारित्र, यथार्थ सम्यक् चारित्र, सत्यार्थं सम्यक् चारित्र, भूतार्थं सम्यक् चारित्र, वास्तविक मम्यक्चारित्र, अन्तरग सम्यक्चारित्र और मुख्य-

सम्यक्चारित्र आदि नामो से पुकारे जाने वाले आत्मलीनता रूप सम्यक्चारित्र मे अणुव्रत-महाव्रत आदि कारण होते है-इस तरह मोक्ष की परम्परया कारणता का तत्त्वार्थ श्रद्धान, आगमज्ञान व अगुत्रत-महात्रत आदि मे सद्भाव है अत वे निर-र्थक (अकिश्वित्कर) भी नहीं है अतएव ही तत्त्वार्थ श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन, आदि नामो से, आगमज्ञान को व्यव-हार सम्पर्गात आदि नामो से और अणुव्रत-महाव्रत आदि को व्यवहार सम्यक्चारित्र आदि नामो से व तीनो को सामूहिक रूप मे व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म का व्यवहार मोक्षमार्ग आदि नामो से पूकारा जाता है। प० फलचन्द्रजी, पु० जगन्मोहनलालजी और उनके सपक्षीजन कहते है कि "कुम्भ-कार मिट्टी से निर्मित होने वाले घट के निर्माण मे अकिश्व-त्कर है इसलिए निमित्तकारण आदि नामो से पुकारा जाता है। इसी तरह तत्त्वश्रद्धान, आगमज्ञान और अगुव्रत-महावृत आदि मोक्ष की उपलब्धि मे अकिश्वित्कर है इसलिए तत्त्व ्श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन आदि नामो से, आगमज्ञान को व्यवहार सम्यग्ज्ञान आदि नामो से और अगुव्रत-महाव्रत आदि को व्यवहार सम्यक्चारित्र आदि नामो से तथा सामूहिक रूप मे व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्ष मार्ग आदि नामों से पुकारा जाता है" परन्तु उनका ऐसा मानना मिथ्या है क्योंकि मिट्टी से उत्पन्न होने वाले घट के निर्माण में कुम्भ-कार के और निश्चय स्वरूप उपर्युक्त रत्नत्रयो से उत्पन्न होने वाले मोक्ष की प्राप्ति में व्यवहार स्वरूप उपर्युक्त रत्नत्रयों के प० फूलचन्द्रजी की मान्यता के अनु तार अकि श्वित्कर हो जाने से उनमे उपचार का ऊपर बतलाया गया लक्षण घटित नही होता है।

मैंने ऊपर वतलाया है कि आगम के अनुसार उपचार एक वस्तु या धर्म में अन्य वस्तु या धर्म का होता है और "अन्न वै प्राणा" (अन्न ही प्राण हैं) के उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट भी किया है, परन्तु इस विषय में आगम के दृष्टिकोण से भिन्न ही प० पूलचन्द्र जी आदि का दृष्टिकोण है अत इस विषय में प० पूलचन्द्र जी का दृष्टिकोण क्या है ? इस वात को आगे वतलाया जा रहा है।

प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा के विपय प्रवेश प्रकरण मे पृष्ठ ६ पर लिखा है कि "जो वचन स्वय अमत्यार्थ होकर भी इष्टार्थ का ज्ञान कराने मे हेतु है वह लोक व्यवहार मे असत्य नही माना जाता" तथा अपने इस कथन का चन्द्रमुखी शब्द के उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि "यह शब्द ऐसी नारी के लिये प्रयुक्त होता है जिसका मुख मनोज्ञ और आभायुक्त होता है। यह इष्टार्थ है। चन्द्रमुखी शब्द से इस अर्थ का ज्ञान हो जाता है इसलिये लोक व्यवहार मे ऐसा वचन प्रयोग होता है तथा इसी अभिप्राय से शास्त्रों में भी इसे स्थान दिया गया है, परन्तु इसके स्थान में यदि कोई इस शब्द के अभिधेयार्थ को ग्रहण कर यह मानने लगे कि अमुक स्त्री का मुख चन्द्रमा ही है तो यह असत्य ही माना जायगा क्योंकि किसी भी स्त्री का मुख न तो कभी चन्द्रमा हुआ है और न हो सकता है।"

प॰ फूलचन्द्र जी के उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि "लोक व्यवहार में और शास्त्रों में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है जिनके अभिघेयार्थ को स्वीकार करना असगत है। इसलिये अपने अभिधेयार्थ को प्रगट नहीं कर सकने के कारण ऐसे शब्दों को चन्द्रमुखी शब्द की तरह असत्य ही मानना उचित है फिर भी लोक में ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। इस का कारण यह है कि इस तरह के प्रयोग से इष्टार्थ का ज्ञान हो जाया करता है। इस तरह प० जी कहना चाहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय में रत्नत्रयरूपता, धर्मरूपता या मोक्ष कारणता का अभाव रहते हुए भी तथा निमित्त कारणभूत वस्तु में कारणतों का अभाव रहते हुए भी इनके प्रतिपादक जो वचन शास्त्रों में पाये जाते है वे सब वचन अपने अभिधेयार्थ का प्रतिपादन करने में असमर्थ होने के कारण यद्यपि सत्य नहीं है फिर भी उनकों जो शास्त्रों में प्रयुक्त किया गया है उसका कारण यह है कि इस तरह के प्रयोगों से इष्टार्थ का ज्ञान हो जाया करता है।" इस अभिप्राय को प० जी ने स्वय निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है।

"इसमे सदेह नहीं कि आगम में व्यवहारनय की अपेक्षा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता स्वीकार किया गया है, परन्तु यह कथन यहाँ पर अभिधेयार्थ को घ्यान में रखकर किया गया है या लक्ष्यार्थ को घ्यान में रखकर किया गया है—इसे समझ-कर ही इष्टार्थ का निर्णय करना चाहिये। प्रकृत में इष्टार्थ (लक्ष्यार्थ) दो हैं ऐसे वचन द्वारा निश्चयार्थ का ज्ञान कराना यह मुख्य इष्टार्थ है क्योंकि यह वास्तविक है और इसके द्वारा निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना यह उपचरित इष्टार्थ है क्योंकि इस कथन द्वारा कहाँ कौन निमित्त है—इसका ज्ञान हो जाता है। यदि इन दो अभिप्रायों को घ्यान में रखकर इस प्रकार का वचन प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिधेयाथ असत्य होने पर भी व्यवहार मे । लक्ष्यार्थ की दृष्टि से) यह असत्य नही माना जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द प्रभृति आचार्यों ने ऐसे शब्द प्रयोगों को असत्य शब्द द्वारा व्यवहृत न कर जो उपचरित कहा है वह इसी अभिप्राय से कहा है।" (जैनतत्त्व-मीमासा विषय प्रवेश प्रकरण पृष्ठ १०-११)

आगे प० जी द्वारा उपचार के विषय मे अपनाये गये इस दृष्टिकोण मे आगम के दृष्टिकोण से क्या अन्तर है ? इसे स्पष्ट किया जाता है।

उपचार के सम्बन्ध में मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है और जैनतत्त्वमीमासा के उद्धरण दिये है इससे स्पष्ट है कि आगम मे जहाँ एक वस्तु या धर्म का अन्य वस्तु या धर्म मे निमित्त और प्रयोजन के आधार पर उपचार (आरोप) करके उस जपचरित अर्थ को प्रयोग मे आये हुए शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ माना गया है वहाँ प० फुलचन्द्र जी आदि उसकी प्रयोग मे आये हुए शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ मानने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उनके मत से उस प्रकार के शब्द प्रयोग का नाम उपचार है जो किसी भी प्रकार के अर्थ का प्रतिपादक तो नही होता केवल वह इष्टाय का ज्ञान कराने में हेतु मात्र होता है। इस प्रकार (आगम में उपचार को जहाँ अर्थगत स्वीकार करके शब्द की . उसका प्रतिपादक स्वीकार किया गया है वहाँ प० फूलचन्द्र जी उसको केवल शब्दगत यानि जवानी जमा-खर्च मानकर सतुष्ट हो जाना चाहते है कारण कि वे यही तो कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता केवल वचन द्वारा उसका कथन ू मात्र किया जाता है जब कि इस विषय में आगम का अभिप्राय

यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नही होता, यह एकान्त नियम नही है। अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नही होता— यह भी सत्य है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता है-यह भी सत्य है। इतनी बात अवदय है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता — यह कथन तो निञ्चय कर्तृ त्व,परमार्थ कर्तृ त्व, यथार्थं कर्तृत्व, सत्यार्थं कर्तृत्व, भूतार्थं कर्तृत्व, वास्तविक कर्तृत्व, अन्तरग कर्तृत्व व मुख्य कर्तृत्व रूप उपादान कर्तृत्व की दृष्टि से सत्य है क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप त्रिकाल मे कभी परिणत नही होता है तथा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता है-यह कथन व्यवहार कर्नृत्व,अपरमार्थ कर्नृत्व, अयथार्थ कर्तृ त्व, असत्यार्थं कर्तृ त्व, अभूतार्थं कर्तृ त्व, अवास्तविक कर्तृ त्व, वहिरग कर्तृत्व व उपचरित कर्तृत्व रूप निमित्त कर्तृत्व की दृष्टि से सत्य है क्यों कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य रूप परि-णत होने मे आवश्यकतानुसार सहायक अवश्य होता है। जैसे मिट्टी मे जिस प्रकार कुम्भ निर्माण का कर्नृत्व विद्यमान है उसी प्रकार कुम्भकार व्यक्ति में भी कुम्भ निर्माण का कर्तृत्व विद्य-मान है, परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि मिट्टी कुम्भ की कर्ता इस दृष्टि से है कि वह कुम्भ रूप परिणत होती है और कुम्भ-कार व्यक्ति कुम्भ का कर्ता इस दृष्टि से है कि वह मिट्टी के कुम्भ रूप परिणत होने मे सहायक होता है।

प॰ फूलचन्द्रजी आदि कहते हैं कि "कुम्भकार व्यक्ति में कुम्भ निर्माण का सहायक होने रूप कर्तृ त्व भी विद्यमान नहीं है केवल उसे (कुम्भकार व्यक्ति को) कुम्भ निर्माण का कर्ता कहा मात्र जाता है। अर्थात् मिट्टी स्वय (अपने आप) ही स्वकाल आने पर कुम्भ रूप परिणत हो जाया करती है कुम्भ-

कार व्यक्ति तो वहाँ पर सर्वथा अकिश्वित्कर ही वना रहता है।" परन्तु उनका ऐसा कहना मिथ्या है क्योंकि यदि प० फूलचन्द्रजी आदि को इस मान्यता को स्वीकार कर लिया जाय तो मिट्टी से उत्पन्न हाने वाले कुम्म के निर्माण मे कुम्भकार व्यक्ति को तरह तन्तुवाय (जुलाहे) को भी कुम्भकार शब्द से कहने का प्रसग उपस्थित हो जायगा। इसलिए वास्तविक वात यह है कि कुम्भकार व्यक्ति मे कुम्भ-निर्माण का कर्तृ त्व तो है परन्तु उसका वह कर्तृ त्व मिट्टी की तरह कुम्भरूप से परिणत होने रूप निश्चय कर्तृ त्व, परमार्थ कर्तृ त्व, यथार्थ कर्तृ त्व, सत्यार्थ कर्तृ त्व, भूतार्थ कर्तृ त्व, वास्तविक कर्तृ त्व, अन्तरग कर्तृ त्व या मुख्यकर्तृ त्व अर्थात् उपादान कर्तृ त्व नही है अपितु उसका वह कर्तृ त्व मिट्टी से निर्मित होने वाले कुम्भ-निर्माण मे सहायक होने रूप व्यवहार कर्तृ त्व, अपरमार्थ कर्तृ त्व, अयथार्थ कर्तृ त्व, असत्यार्थ कर्तृ त्व, अस्तार्थकर्तृ त्व, वास्रतार्थकर्तृ त्व, वास्तिविक होने वाले कुम्भ-निर्माण मे सहायक होने रूप व्यवहार कर्तृ त्व, अपरमार्थ कर्तृ त्व, अयथार्थ कर्तृ त्व, असत्यार्थ कर्तृ त्व, अस्तार्थकर्तृ त्व, वास्रतार्थकर्तृ त्व, वास्रतार्थकर्त्व वास्रतार्थकर्ति वास्रतार्थकर्त्व त्व, वास्रतार्थकर्तृ त्व, वास्रतार्थकर्त्व वास्रतार्थकर्ति वास्रतार्यकर्ति वास्रतार्थकर्ति वास्रतार्थकर्ति वास्रतार्थकर्ति वास्रतार्यकर्ति वास्रतार्यकर्ति वास्रतार्यकर्ति वास्रतार्यकर्ति वास्रत

इस कथन का आशय यह है कि कर्नृ त्व दो प्रकार का होता है—एक तो निश्चय कर्नृ त्व आदि नामो से कहा जाने वाला कार्यं रूप से परिणत होने रूप उपादान कर्नृ त्व और दूसरा व्यवहार कर्नृ त्व आदिनामो से कहा जाने वाला कार्यं रूप से परिणत होने वाली वस्तु के उस परिणमन मे सहायक होने रूप निमित्त कर्नृ त्व। इनमे से मिट्टो मे तो कुम्म निर्माण का पहला कर्नृ त्व रहता है और कुम्मकार व्यक्ति मे कुम्भ निर्माण का दूसरा कर्नृ त्व रहता है। इस तरह मिट्टी और कुम्भकार दोनो शब्द कुम्म निर्माण के प्रति क्रमश मिट्टी और कुम्भकार व्यक्ति मे विद्यमान उस-उस कर्नृ त्व का ही प्रतिपादन करते है।

प० फूलचन्द्र जी आदि कहते है कि "मिट्टी शब्द तो कुम्भ निर्माण के प्रति मिट्टी के कर्तृ त्व का प्रतिपादन करता है क्योंकि मिट्टी में कुम्भरूप से परिणत होनेरूप कर्तृ त्व विद्यमान रहता है परन्तु कुम्भकार शब्द कुम्भ निर्माण के प्रति कुम्भकार व्यक्ति के कर्तृ त्व का प्रतिपादन नहीं करता है क्योंकि कुम्भकार व्यक्ति में मिट्टो से निर्मित होने वाले कुम्भ के निर्माण में सहा-यक होनेरूप कर्तृ त्व विद्यमान ही नहीं रहता है। अर्थात् मिट्टी स्वय (अपने आप) ही स्वकाल आने पर कुम्भरूप परिणत हो जाया करती है कुम्भकार व्यक्ति तो वहाँ पर सर्वथा अकि-चित्कर हो बना रहता है।" परन्तु उनका ऐसा कहना पूर्वोक्त प्रकार मिथ्या है।

इस कथन से यह निष्कर्प भी निकल आता है कि प्रकृत मे उपादानकारण को जो निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरग और मुख्य आदि शब्दो से पुकारा जाता है वह इसलिए पुकारा जाता है कि उपादानकारण कार्यरूप परिणत होता है और निमित्तकारण को अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अवास्तविक, बहिरग और उपचरित आदि शब्दों से पुकारा जाता है वह इसलिए पुकारा जाता है कि निमित्त-कारण स्वय (आप) कार्यरूप परिणत न होते हुए भी उपादान के कार्य हिंप परिणत होने में सहायक होता है। प० फूलचन्द्र आदि का कहना है कि "निमित्तकारण उपादानकारण की कायरूप परिणति मे सहायक भी न होकर सर्वथा अकि व्यत्कर ही वना रहता है इसलिए व्यवहार आदि उक्त शब्दों से पुकारा जाता है।" परन्तु उनका ऐसा कहना पूर्वोक्त मिध्या है।

इस विवेचन का समन्वय निश्चय रःनत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्ष मार्ग मे तथा व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्षमार्गमे भी अनुकूलता के साथ कर लेना चाहिये। अर्थात् आत्मकल्याण के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने रूप सम्यग्दर्शन,आत्मज्ञान रूप सम्यग्ज्ञान और आत्मलीनता रूप सम्यक्चारित्र को जो निश्चय आदि शब्दो से पुकारा जाता है वह इसलिए पुकारा जाता है कि ये सब मोक्ष के साक्षात् कारण होते हैं और तत्त्रश्रद्धानरूव सम्यग्दर्शन, आगम ज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान और अग्युत्रत-महात्रत आदि सम्यक् चारित्र को जो व्यवहार आदि शब्दों से पुकारा जाता है वह इमलिए पुकारा जाता है कि ये सब मोक्ष के परम्परया अर्थात् उक्त निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्षमार्ग के कारण होकर कारण होते है। प० फूलचन्द्रजी आदि का कहना है कि "जैसे व्यवहाररत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति में निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्ष मार्ग का भी कारण न होकर सर्वथा अिंकचिल्कर हो वना रहता है इसलिये व्यवहार आदि शब्दो से पुकारा जाता है।" परन्तु उनका ऐसा कहना पूर्वोक्त प्रकार मिथ्या है।

बात वास्तव मे यह है कि अर्थ पाच प्रकार का होता है—एक मुख्यार्थ, दूसरा जपचिरत अर्थ, तीसरा लक्ष्यार्थ, चौथा व्यग्यार्थ और पाँचवा मिथ्या अर्थ। इनमे से मुख्यार्थ वह है जो अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए शब्दिनष्ठ अभिधावृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है। जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आम,

नीम, इमली, नीवू, वस्त्र आदि अर्थ। उपचरित अर्थ वह है जो अपनी पराश्रित सत्ता रखते हुए अर्थात् निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर आरोपित होकर अभिघावृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है। जैसे कुम्भकार अध्यापक, पाचक (रसोइया) आदि रूप अर्थ । ये अर्थ उपचरित इसलिये हैं कि ये स्वय तो कार्य रूप परिणत नही होते परन्तु अन्य पदार्थ की कार्य रूप परिणति मे सहायक अवश्य होते हैं। अर्थात् मिट्टी ही कुम्भरूप परिणत होती है कुम्भकार तो मिट्टी की उस परिणति में सहायक मात्र होता है, इसी तरह विद्यार्थी ही पढता है अध्यापक तो पढाता है अर्थात् उसके पढने मे सहायक मात्र होता है और इसी तरह आटा, दाल, चावल आदि ही रसोई रूप परिणत होते हैं पाचक (रसोइया) तो रसोई को वनाता है अर्थात् आटा आदि के रसोई रूप पःरणमन मे सहायक म त्र होता है। लक्ष्यार्थ वह है जो उपचार प्रवृत्ति का निमित्त होता है और शब्दनिष्ठ लक्षणावृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है। जैसे "मश्वा क्रोशन्ति" यहाँ पर मश्व और मञ्जो पर बैठे पुरुषो मे विद्यमान आघाराघेय सम्बन्ध तथा 'धनुर्घावति" यहाँ पर धनुर् और धनुर्घारी पुरुष मे विद्यमान सयोग सम्बन्ध या स्वस्वामिभाव सम्बन्ध । व्यग्यार्थ वह है जो उपचार प्रवृत्ति का प्रयोजन होता है और शब्द निष्ठ व्यजना-वृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है। जैसे "अन्न वै प्राणा " यहाँ पर प्राणो के सरक्षण के लिये अन्न को उपयोग की महत्ता की प्रस्थापना तथा "गगायाँ घोष" यहाँ पर शैत्य व पावनत्वादि की प्रतीति । मिथ्या अर्थ वह है जी सशय, विपर्यय या अनध्यवसित रूप मिथ्या अभिधेय के रूप मे शब्द हारा प्रतिपादित होता है। जैसे शीप में "यह शीप है या

चाँदी" इस वचन से प्रतिपादित सशय रूप अर्थ, शीप में "यह चाँदी हैं" इस वचन से प्रतिपादित विपयंय रूप अर्थ और किमी भी वस्तु में "कुछ हैं" इस वचन से प्रतिपादित अनघ्यवसित रूप अर्थ। यत अर्थ उपर्यु क्त प्रकार से पाँच प्रकार का होता है अत उस-उस अर्थ का प्रतिपादन करने के आघार पर शब्द भी पाँच प्रकार का हो जाता है। अर्थात् मुख्यार्थ का प्रति-पादन करने वाला मुख्य शब्द, उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करने वाला उपचरित शब्द, लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन करने वाला लाक्षणिक शब्द, व्यग्यार्थ का प्रतिपादन करने वाला व्यजक शब्द और सश्य, विपयंय या अनध्यवसित रूप मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करने वाले क्रम्श सश्य, विपयंय या अनध्यवाय रूप मिथ्या शब्द।

यहाँ पर इतना विशेष जानना चाहिये कि जिस प्रकार उपर्युक्त पांच प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन करने के आधार पर शब्द पांच प्रकार का होता है उसी प्रकार एक शब्द ऐसा भी होता है जिसका कोई अर्थ ही नही होता है अर्थात् गब्द निर्थंक भी हुआ करते हैं। जैसे "वन्ध्या का पुत्र", "आकाश के फूल" और "गधे के सीग" आदि। ये वचन न तो मुख्यार्थ का प्रतिपादन करते हैं, ओर न उपर्युक्त उपचरित, लक्ष्य, व्यग्य या सशय, विपर्यय अथवा अन्ध्यवसित रूप मिथ्या अर्थों मे से किसी भी अर्थ का प्रतिपादन करते हैं क्योक न तो वन्ध्या का पुत्र होता है, न आकाश के फूल होते हैं और न गधे के सीग होते हैं तथा न तो यहाँ पर कोई लक्ष्यार्थ है और न व्यग्यार्थ ही है। इसी तरह निमित्तभूत लक्ष्यार्थ और प्रयोजन भून व्यग्यार्थ का अभाव होने से उपचरित अर्थ का भी अभाव यहाँ

पर है। इतना ही नहीं सशय, विपर्यय या अनध्यवसित रूप मिथ्या अर्थ का भी अभाव यहाँ पर है। इस तरह उक्त पाँच प्रकार के अर्थों में से किसी भी प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन न कर सकने के कारण "बन्ध्या का पुत्र", "आकाश के फूल" तथा "गधे के सीग" ये तीनो वचन निरर्थक ही सिद्ध होते हैं।

यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिये कि यदि कोई बन्ध्या किसी अन्य के पुत्र को गोद ले ले, इसी प्रकार सभी वस्तुएँ आकाश पर आधारित होने से आकाश की फूलो का भी आधार मान लिया जावे तथा इसी प्रकार गधे के सिंर पर सींग बाँध दिये जावे तो निमित्त तथा प्रयोजन का सद्भाव सिद्ध हो जाने से "बन्ध्या का पुत्र", "आकाश के फूल" तथा "गधे के सींग" ये तीनो वचन फिर निरर्थक न रहकर उपचरित अर्थ के प्रतिपादक सिद्ध हो जाते हैं।

प० फूलचन्द्र जी का कहना है कि "जो वचन अपने अभिषेय अर्थ का प्रतिपादन करता है वह तो सत्यार्थ है और जो वचन अपने अभिषेय अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता वह असत्यार्थ है", परन्तु यहाँ यह घ्यान रखना चाहिये कि उप-चरित शब्द की असत्यार्थता इसलिये नहीं है कि वह अपने अभिष्यार्थ का प्रतिपादन नहीं करके निर्श्यक ही है अपितु उसकी असत्यार्थता इसलिये है कि वह मुख्य अभिष्येय का प्रतिपादन करके उपचरित अभिष्य का ही प्रतिपादन करता है। इसी तरह लाक्षणिक शब्द को भी इसलिए असत्यार्थ मानना चाहिये कि उसका प्रतिपाद अर्थ अभिष्येय न होकरें उपचार में कारणभूत लक्ष्यार्थ होता है और इसी तरह व्यक्षक शब्द को भी इसलिए असत्यार्थ मानना चाहिंगे कि उसका प्रतिपाद्य अर्थ भी अभिवेय न होकर उपचार का प्रयोजनभूत व्यग्यार्थ होता है तथा इसी तरह सशय, विपयंय अनव्यवसित रूप शब्दों को भी असत्यार्थ इसलिए मानना चाहिंगे कि उनका प्रतिपाद्य अर्थ सम्यक् अभिवेय न होकर सशय, विपयंय और अनव्यवसित रूप मिथ्या अभिवेय होता है। इनके अतिरिक्त "वन्ध्या का पुत्र" आदि निर्यंक शब्दों को असत्यार्थता इसलिए मानना चाहिंगे कि वे उपगुंक्त पाच प्रकार के अर्थों में से किसी भी प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन न करने के कारण निर्यंक माने गये हैं। इस प्रकार प० फूलचन्द्र जी आदि का उपचरित अर्थ को सर्वथा असत्यार्थ तथा उसके प्रतिपादक शब्द को भी सर्वथा असत्यार्थ अर्थान् निर्यंक या कथन मात्र मानना मिथ्या है।

यह बात में पूर्व में वतला चुका हूँ कि यदि उपचरित शब्द निरयंक ही होता है तो फिर उससे इष्टार्थ का बोध कैसे हो सकता है। यही कारण है कि "अन्त वे प्राणा." इम वचन के प्रतिपाद्य हाप से निमित्त और प्रयोजन के आधार पर अन्न में प्राण ह्प अभिधेय अर्थ की स्थापना की गयी है जैसी कि पत्यर को मूर्ति में निमित्त और प्रयोजन के आधार पर भगवान की स्थापना की जाती है। इससे भी यह आशय निकलता है कि उपचार अर्थगत ही होता है शब्द तो उपचरित अर्थ का प्रतिक पादक होने के कारण उपचरित कहलाता है।

यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिये निमित्तो और प्रयोजनो की विविधता पायी जाती है इसलिये उपचरित अर्थ भी विविध प्रकार के हो जाते हैं। जैसे ''अन्ने वै प्राणा " यहाँ पर अन्न का प्राणरूप जो उप-चरित अर्थ है वह अन्न मे प्राण सरक्षण की कारणता का सद्भाव रहने के आधार पर है, क्रम्भकार शब्द का कुम्भ-निर्माण कर्तृत्व रूप जो उपचरित अर्थ है वह कुम्भ निर्माण में मिट्टी का सहायक होने के आधार पर है, यही व्ययस्था अध्या-पक, पाचक (रसोइया) आदि शब्दो के उपचरित अर्थ के विषय मे भी समझ लेना चाहिये। इसी प्रकार व्यवहार रतनत्रय, च्यवहार धर्म और व्यवहार मोक्ष मार्ग शब्दो से कहे जाने वाले ष्यवहार-सम्यग्दर्शनादि का मोक्ष कारणता रूप जो उपचरित उपचरित अर्थ हैं वह परम्परया कारण होने के आधार पर है और इसी प्रकार "ओ लकडी" व "ओ तागा" आदि स्थलों में लकडी शब्द का लकडीवाला व तौगा शब्द का तागावाला रूप जो उपचरित अर्थ है वह आधाराधेयभाव व स्वस्वामिभाव आदि सम्बन्धो के आधार पर है। यही वात "गगाया घोष.", "मञ्चा क्रोशन्ति" और 'घनुर्घात्रति" आदि स्थलो मे भी जान लेना चाहिये। अर्थात् 'गगाया घोष " यहाँ पर गङ्जा शब्द का गङ्गा तट रूप उपचरित अर्थ गङ्गा और घोष मे विद्यमान समीपतारूप सम्बन्ध के आधार पर है, "मञ्चा क्रोशन्ति" यहाँ पर मश्च शब्द का मश्चस्य पुरुष रूप उपचरित अर्थ मश्च और पुरुष में विद्यमान आधाराधेयभाव सम्बन्ध के आधार पर है और "धनुधीवति" यहाँ पर धनुर् शब्द का धनुधीरो रूप उप-चरित अर्थ घनुर् और पुरुष मे विद्यमान सयोग सम्बन्ध के आधार पर है। इन सब स्थलों में निमित्तों के आधार पर उप-चरित अर्थ का स्पष्टीकरण किया है इसी तरह प्रयोजन के आधार पर उपचरित अर्थ का स्पष्टीकरण यथासम्भव इन्ही स्थलो ने तथा अन्य स्थलो में भी समझ लेना चाहिये।

यहाँ इतनी विशेषता समझ लेनी चाहिये कि कही-कही तो उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिए निमित्त और प्रयोजन दोनो ही उपयोगी होते है लेकिन कही-कही केवल निमित्त ही उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिए उपयोगी होता है। जैसे-"गङ्गाया घोष " यहाँ पर तो उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिए निर्मित्त और प्रयोजन दोनो ही उपयोगी हैं लेकिन "मञ्चार क्रोशन्ति" व "घनुर्घावति" इन स्थलो मे उपचरित अर्थः की सिद्धि के लिये केवल निमित्त ही उपयोगी है। निमित्त और प्रयोजन दोनों में से निमित्त तो शब्द का लक्ष्यार्थ होता है और वह शब्द निष्ठ लक्षणावृति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है लेकिन प्रयोजन शब्द का व्यग्यार्थ होता है और वह शब्द निष्ठ व्यञ्जना वृत्ति के आघार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है। इससे यह बात निश्चित होती है कि लक्ष्यार्थ, और व्यग्यार्थ ही उपचरित अर्थ की स्थापना (सिद्धि) मे काऱण होते हैं। इस तरह अलाप पद्धति के "मुख्याभावे सात निमित्तो प्रयोजने च उपचार प्रवर्तते" वचन का क्या अभिप्राय है ? यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है।

प० फूलचन्द्र जी का कहना है कि जो वचन अपने अभि-धेय अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता है वह असत्यार्थ माना जाता है और इस प्रकार असत्यार्थ होकर भी जो वचन इष्टार्थ का ज्ञान कराने में हेतु होता है उसे उपचरित वचन कहना चाहिये। इसकी मीमासा में यह बात तो ऊपर बतजा दी गयी है कि आगम के अनुसार उपचरित वचन वहीं कहलाता है जो उप-चरित अर्थ का प्रतिपादन करता है इसलिये उपचरित वचन इस रूप में अस्त्यार्थ नहीं होता है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं हो केवल कथनमात्र रूप ही वह हो, अपितु इस रूप मे ही वह असत्यार्थ होता है कि वह मुख्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं करके उपचरित अर्थ का ही प्रतिपादन करता है।

यहाँ पर अव प॰ जी के इस अभिप्राय की मीमासा की जाती है कि वे उपचरित अर्थ को शब्द का प्रतिपाद्य अभिधेयें रूप मे नही मानना चाहते हैं जंब कि आगम मे शब्द के प्रति-पाद्य मुख्य अर्थ को जिस प्रकार अभिघेय रूप मे स्वीकार किया गया हैं उसी प्रकार शब्द के प्रतिपाद्य उपचरित अर्थ को भी अभिन्नेय रूप मे ही स्वीकार कियो गया है। मैं प० जी से पूछना चाहुँगा कि कूम्भकार, अध्यापक और पाचक शब्दो का प्रति-पांच काई अर्थ है या नहीं ? यदि नहीं है तो क्या दें शब्द बन्ध्यापुत्र, आकाशकुसुम व शशशृङ्ग के समान सर्वथा निरर्थक या कथन मात्र हैं ? तो कहना पडता है कि प० जी कुम्भकार, अध्यापक और पाचक शब्दो को बन्ध्यापुत्र आदि शब्दों की तरह सर्वथा निरर्थक तो नहीं मानते हैं क्यों कि उनका कहना है कि ये शब्द इष्टार्थ का बोध कराते है इसलिये उपचरित शब्द से व्यवहृत किये जाते है। अब मेरा क इना यह है कि प० फूलचन्द्र जी को यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि कुम्भकार शब्द का अर्थ कुम्भ कर्तृ व्य है, अध्याप क शब्द का अर्थ शिक्षण कर्तृ त्व है और पाचक शब्द का अर्थ पाक कर्तृत्व है ऐसा तो वे कह नहीं सकते कि ये शब्द निरर्थक ही हैं अर्थात् इनका कोई अर्थ ही नही है। केवल वे इतना ही कह सकते है कि कुम्भकार शब्द का कुम्भकर्व व्या, अध्यापक शब्द का शिक्षण कर्त व्य और पाचक शब्द का पाककर्तृत्व ये तीनो अर्थ उगचरित अर्थ हैं मुख्य अर्थ नहों है। अब मैं उनसे यह भी पूछना चाहगा कि ये तीनो अर्थ जो

क्रमश कुम्भकार, अध्यापक और पाचक शब्द से प्रतिपादित होते है तो वे शब्दनिष्ठ कोन सी वृति के आधार पर प्रति-पादित होते हैं ? लक्षणा और व्यजना वृत्ति के आघार पर तो प्रतिपादित होते नही हैं क्यों कि कुम्भ कर्नु त्व, शिक्षण कर्नु त्व और पाककर्तृ व्य इन तीनों में से कोई भी अर्थ न लक्ष्यार्थ है और न व्यग्यार्थ ही है क्यों पूर्व में उपचरित अर्थ से भिन्न ही लक्ष्यार्थं और व्यग्यार्थं को सिद्ध किया जा चुका है इतना ही नही वह पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लक्ष्यार्थ और और व्यग्यार्थ उपचरित अर्थ की सिद्धि के कारण होते हैं। यत शब्द में अर्थ प्रतिपादन की दृष्टि से अभिधावृत्ति, लक्षणा-वृत्ति और व्यजनावृत्ति नाम की तीन ही वृत्तिया मानी गयी हैं अत यही मानना होगा कि उपचरित अर्थ का प्रतिपादन शब्द-निष्ठ अभिधावृत्ति के आधार ही होता है। इतना ही नही, जितना भी सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूप मिथ्या अर्थ है वह भी बब्द निष्ठ अभिघावृत्ति के आघार पर ही शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है। क्या यह मानना उचित होगा कि उप-चरित या सशय, विषयय या अनध्यवसाय रूप मिथ्या अर्थ कोई अर्थ ही नही है ? यदि ऐसा माना जायगा तो कुम्भ-कार, अध्यापक और पाचक रूप उपचरित शब्दो और सशय विपर्यय तथा अनध्यवसित रूप मिथ्या शब्दो मे बन्ध्यापुत्र आदि शब्दो से क्या भेद रह जायगा ? इसलिये यही मानना पडता है कि कुम्भकार आदि उपचरित तथा सशय आदि मिथ्र्या शब्द भी वन्ध्यापुत्र आदि शब्दो को तरह निरर्धक नही है किन्तु अर्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं। क्या कोई यह कह सकता है कि कि जीप के विषय में "यह शीप है या चादी" अथवा "यह चौदी है" या "यह कुछ है" इस प्रकार के शब्द प्रयोगो का कोई

अर्ध ही नही है ? यह बात दूसरी कि पहला शब्द प्रयोग सशय रूप मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करता है, दूसरा शब्द प्रयोग विपर्ययरूप मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करता है और तीसरा शब्द प्रयोग अनस्यवसित रूप मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करता है। इनमें से कोई शब्द प्रयोग 'बन्ध्यापुत्र' शब्द प्रयोग की तरह निर्शिक या कथन मात्र नहीं है। यही बात उपचरित शब्द प्रयोग के विषय में भी जान लेना चाहिये। इस तरह अर्थ प्रतिपादन की दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो निर्शिक बन्ध्यापुत्र आदि शब्दों को छोडकर उपचरित और सशयादि रूप सभी शब्द अपने-अपने अभिध्यार्थ का प्रतिपादन करने के कारण सत्यार्थ (सार्थक) ही सिद्ध होते हैं असत्यार्थ। निर्श्वक) नही। यह बात दूसरी है कि उपचरित शब्द उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं और सशय आदि शब्द अपने-अपने मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करते हैं व मुख्यार्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं इसलिये असत्यार्थ है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि अभिघेयरूप अर्थ तीन प्रकार का होता है-एक तो मुख्यरूप, दूसरा उपचरित रूप और तीसरा मिथ्यारूप। और इन सब का प्रतिपादन उस-उस गब्द द्वारा उस-उस शब्द निष्ठ उस-उस प्रकार की अभिघावृत्ति के आधार पर होता है।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि मुख्य रूप जो अभिषय है वह भी विवक्षित और अविवक्षित के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। जेसे "सैन्धवमानय" इस वचन मे सैन्घय का अर्थ भोजन के समय नमक रूप हो विवक्षित है और घोडारूप अविवक्षित है। इसी तरह युद्ध की तैयारी मे या कही

वाहर जाने की तैयारी मे घोडा रूप अर्थ हो विवक्षित है तथा नमक रूप अर्थ अविवक्षित है लेकिन सैन्धव शब्द के दोनो ही अर्थ अभिधेय है। इसी तरह एक ही शब्द नाना भाषाओं में भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर भी भाषा भेद के आधार विवक्षित और अविवक्षित का भेद अभिधेय में कर लेना चाहिये।

इस तरह प० फूलचन्द्र जी का उपचरित अर्थ को शब्द द्वारा अनिभधेय मान कर असत्यार्थ मानना मिथ्या है इसी तरह उपचरित शब्द को निरर्थ कता के आधार पर असत्यार्थ मानना भी मिथ्या है तथा आगमानुसार उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करने के आधार पर असत्यार्थ मानना ही सम्यक् है। असत्यार्थता की यही स्थिति सशय आदि मिथ्या अर्थ के प्रतिपादक शब्दों में भी समझ लेना चाहिये।

आगम मे जो नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप निक्षेप वतलाये गये हैं उन्हें अर्थगत हो स्वोकार किया गया है तथा अर्थगत उस-उस निक्षेप का प्रतिपादन करने के आधार पर शब्द को भी नामादि रूप मे विभक्त कर दिया गया है। इनमे से नाम, स्थापना और द्रव्य रूप निक्षेप तो उपचरित अर्थ है तथा भावरूप निक्षेप अनुपचरित अर्थ है। इसी तरह जो शब्द नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप निक्षेपों में से भावरूप निक्षेप का प्रतिपादन करता है-वह तो अनुपचरित शब्द है और जो नाम, स्थापना और द्रव्य रूप निक्षेपों में से किसी एक निक्षेप का प्रतिपादन करता है वह उपचरित शब्द है।

इन चारों को इस तरह समझा जा सकता है कि जैन शब्द का अर्थ यदि मोक्षमार्गी जीव माना जाय तो जो सम्यग-

दर्शनादि मोक्षमार्गरूप परिणत हो रहा है वह जीव भावनिक्षेप स्वरूप निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरग या अनुपचरित जैन है तथा जो सम्यग्दर्शनादि-मोक्ष-मार्ग रूप परिणत न होता हुआ भी आगे उस रूप परिणत होने वाला हो वह जीव द्रव्य निक्षेप स्वरूप व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, वहिरग या उपचरित जैन है। इसी प्रकार जो सम्यग्दर्शनादि मोक्षमार्ग रूप परिणत न होता हुआ भी उस जैसा निर्दोप वाह्य रूप घारण किये हुए हो वह जीव स्थापना निक्षेप स्वरूप व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग या उपचरित जैन है और इसी प्रकार जो जैन कुल मे उत्पन्न होकर उम कुल के अनुकूल आचरण कर रहा हो वह जीव नाम निक्षेप रूप व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग या उपचरित जैन है।

इससे भी सिद्ध होता है कि उपचार तो अर्थगत ही होता है तथा उसके प्रतिपादन के आधार पर शब्द को भी उपचरित मानना श्रेयस्कर है जिसका तात्पर्य यह होता है कि उपचरित शब्द निरयंक नहीं होता और उसका जो भी अर्थ होता है वह अभिधेय रूप में ही उस शब्द का प्रतिपाद्य होता है।

प० फूल वन्द्र जी ने अपने कथन में 'चन्द्रमुखी' शब्द को जो मुख्यार्थ का प्रतिपादक न मानकर उपचरित अर्थ का प्रतिपादक माना है वह भी मिथ्या है कारण कि 'चन्द्रमुखी' शब्द समस्त शब्द है। अर्थात् मध्यम पदलोपी बहुन्नीहि समास होकर ही इस शब्द की निष्पत्ति हुई है इस तरह ''चन्द्र इव मुख यस्या सा" इस विग्रह के आधार पर चन्द्रमा के समान मनोज्ञ और आभायुक्त मुखवाली नारी चन्द्रमुखी शद्द का मुख्यार्थ ही निश्चित होता है। इसे उपचरित, लक्ष्य या व्यग्य अर्थ किसी भी हालत में नहीं माना जा सकता है। इतना अवश्य है कि उत्प्रेक्षा लकार में "अमुक्त नारी का मुख मानो चन्द्रमा ही है" या रूपकालकार में "निरखत मुखचन्द्र" इत्यादि शब्द प्रयोग भी देखे जाते हैं, तो इन स्थलों में निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर मुख में चन्द्रमा का आरोप करके उसे उपचरित अर्थ मानना भी असगत नहीं है। यहा पर मुख में चन्द्रमा का आरोप करने के लिये मुख और चन्द्रमा दोनों में विद्यमान मनोज्ञता और आभायुक्तता का साहयरूप लक्ष्यार्थ तो निमित्त है तथा मुख के देखने वालों का आकृष्ट होते रूप व्यग्पार्थ उसका प्रयोजन है।

प० फूलचन्द्रजी ने आरोप के विषय में "गगाया घोष ", "मञ्चा क्रोशन्ति ' और "धनुर्वावति" इन तीन उदाहरणो को उपस्थित करके जो इन्हे उपचरित कहा है-यह तो ठीक है परन्तु यहा यह बात ध्यान मे रखने की है कि आरोपित (उपचरित) अर्थ लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ से अलग ही अपना अस्तित्व रखता है। लक्ष्यार्थ व व्यग्यार्थ के साथ आरोपित अर्थ का भेद दिखलाने के लिये यह भी कहा जा सकता है कि आरोप के उद्भव में लक्ष्यार्थ को निमित्त का व व्यग्यार्थ को प्रयोजन का ही स्थान मिला हुआ है। एक अन्य बात यह भी जा सकती है कि एक वस्तू मे अन्य वस्तु या घर्म का आरोप होने पर उसके अभिधेय वन जाने पर शब्द निष्ठ अभिधावृत्ति के आधार पर ही उसका प्रतिपादन होता है जब कि शब्द निष्ठ

लक्षणा और व्यजना वृत्तियों के आघार पर ही क्रमश लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ का प्रतिपादन हुआ करता है। इसके भी अतिरिक्त एक अन्य बात यह भी कही जा सकती है कि जहा निमित्त और प्रयोजन आरोप प्रवृत्ति के आघार के रूप में विद्यमान रहेगे वही पर आरोप प्रवृत्ति का उद्भव हो सकता है अन्यत्र नहीं। लेकिन इसमें इतनी विशेषता समझ लेनी चाहिये कि आरोपित अर्थ की सिद्धि के लिये कही तो लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ दोनों ही उपयोगी रहा करते हैं तथा कही केवल लक्ष्यार्थ ही उपयोगी रहा करता है। जैसे 'गगाया घोष.' यहा पर तो आरोपित अर्थ की सिद्धि के लिये निमित्तभूत लक्ष्यार्थ और प्रयोजन भूत व्यग्यार्थ दोनों ही उपयोगी है लेकिन ''मश्वा क्रोशन्ति'' व ''घनुर्घावति'' स्थलों में केवल निमित्तभूत लक्ष्यार्थ ही उपयोगी है, क्योंकि प्रयोजनभूत व्यग्यार्थ का वहाँ पर अभाव ही है।

प० फूलचन्द्र जी ने जो यह लिखा है कि "इसमे सदेह नहीं कि आगम में व्यवहारनय की अपेक्षा एक द्रव्य का कर्ता आदि कहा गया है परन्तु वहा पर यह कथन अभिधेयार्थ को ध्यान में रख कर किया गया है या लक्ष्यार्थ को ध्यान में रख-कर किया गया है इसे समझकर हो इष्टार्थ का निर्णय करना चाहिये" और इसके अनन्तर जो यह लिखा है कि "प्रकृत में इष्टार्थ (लक्ष्यार्थ) दो हैं—ऐसे कथन द्वारा निश्चयार्थ का ज्ञान कराना यह मुख्य इष्टार्थ है, क्योंकि यह वास्तविक है और इस द्वारा निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना यह उपचरित इष्टार्थ है, क्योंकि इस कथन द्वारा कहाँ कौन निमित्त है इसका ज्ञान हो जाता है।" इस विषय में मेरा कहना है कि और जैसा पूर्व में वर्त-लाया भी चुका है कि मुख्यार्थ की तरह उपचरित अर्थ भी शब्द का अभिघेय हुआ करता है केवल बात यह है कि 'मुख्यार्थ तो स्वत सिद्ध रहता है और उपचरित अर्थ निमित्तभूत लक्ष्यार्थ के आघार पर निष्पन्न होता है। जैसे कुम्भकार व्यक्ति में जो कुम्भकर्तव्य है वह कुम्भकार शब्द का अभिधेय तो है परन्तु उपचरित रूप में अभिधेय हैं, क्योंकि कुम्भकार व्यक्ति में कुम्भ कर्तृत्व की सिद्धि उसके घटोत्पत्ति में सहायक होने 'रूप लक्ष्यार्थ के आघार पर ही होती है। इस तरह कुम्भकार शब्द दो अर्थों का प्रतिपादन करता है एक तो अभिधावृत्ति के आघार पर कुम्भ कर्तृत्व रूप उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करता है और दूसरे लक्षणावृत्ति के आघार पर घटोत्पत्ति में सहायक होने रूप लक्ष्यार्थ का भी प्रतिपादन करता है।

मेरे इस विवेचन से प० फूलचन्द्र जी का यह लिखना कि "प्रकृत में इष्टार्थ (लक्ष्यार्थ) दों हैं—ऐसे कथन द्वारा निश्च-यार्थ का ज्ञान कराना यह मुख्य इष्टार्थ है, क्यों कि यह वास्त-विक है और इस द्वारा निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना उपचरित इष्टार्थ है, क्यों कि इस कथन द्वारा कहा कौन निमित्त है इसका ज्ञान हो जाता है" व्यर्थ हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि कुम्मकार शब्द से कुम्भकार व्यक्ति में जो कुम्मकर्तृ त्व का बोध होता है यह भी अनुभवगम्य है और उसका वह कर्तृ त्व उसके घटोत्पत्ति में सहायक होने के आधार पर निर्णीत होता है यह भी अनुभवगम्य है। यद्यपि इस वात को अस्वीकृत करते हुए प० फूलचन्द जी का कहना है कि "ऐसे कथन द्वारा निश्चयार्थ का ज्ञान कराना यह मुख्य इष्टार्थ है, क्योकि यह वास्तविक है और इस द्वारा निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना यह उपचरित इष्टार्थ है क्योकि इस कथन द्वारा कहा कौन निमित्त है इसका ज्ञान हो जाता है" परन्त्र इससे वे क्या अभिप्राय लेना चाहते हैं इसे उन्होने स्पष्ट नहीं किया है। यदि कहा जाय कि ऐसे कथन से निश्चय स्वरूप उपादान कर्ता रूप इष्टार्थ का बोध होता है तो यह भी असगत है क्योकि यह अनुभवगम्य नही है और यदि इस तरह उपादान कत्ती का बोध होने लग जावे तो फिर उपादान का अलग से कथन करने की क्या आवश्यकता रह जाती है ? दूसरी वात यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि उक्त प्रकार निर्मित्त परक कथन से निश्चय स्वरूप उपादान कर्ता रूप इष्टार्थ का बोध कराना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस प्रकार यही मानना श्रीयस्कर है कि कुम्भकार शब्द लक्ष्यार्थ से समन्वित निमित्त कर्तृत्व (सहायक कर्तृत्व) रूप अपने अभिधेयार्थ का ही प्रति-पादन करता है और बोध भी इसी का होता है। इस प्रकार कूम्भ के निर्माण में कूम्भकार के निमित्त कर्तृत्व की उतनी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है जितनी कि मिट्टी के उपादान कर्तृत्व की सिद्धि होती है कारण कि कुम्भकार के निमित्त हुये बिना मिट्टी का घटरूप परिणमन होना असम्भव ही रहा करता है और यह अनुभवगम्य ही है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि क्रमभकार में मिट्टी की तरह घट का उपादान कर्नृत्व तो नही हैं फिर भी घट के निर्माण में सहयोग रूप निमित्त कर्तृत्व तो है ही । इस तरह प० फूलचन्द्र जी का निमित्त कर्तृत्व को कल्पित अर्थात् अभावरूप मानकर उसके प्रतिपादक वचन को निरर्थक (कथनमात्र) मानना असगत ही है।

एक वात और है कि प० पूलचन्द्र जी एक ओर तो यह कहते है कि "व्यवहार रत्नत्रय स्वय धर्म नही है निश्चय रत्न-त्रय के सद्भाव मे उसमे धर्म का आरोप होता है—यह वात अवश्य है। इसी प्रकार रुढिवश जो जिस कार्य का निमित्त कहा जाता है उसके सद्भाव मे भी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है जब तक जिस कार्य का वह निमित्त कहा जाता है उसके अनुरूप उपादान की तैयारी न हो अतएव कार्य की सिद्धि मे निमित्त अकिंचित्कर है।" (जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५२) व दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि "साधारण नियम यह है कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति मे ये पाँच कारण नियम से होते हैं—स्वभाव, पुरुपार्थ, काल, नियति और कर्म (परपदार्थ व्यवस्था)" (जैनतत्त्वमीमांसा पृष्ठ ६५)।

प० फूलचन्द्र जी के इन दोनो कथनो पर एक साथ दृष्टि डालने से स्पष्ट मालूम होता है कि कार्योत्पित्ता में निमित्तों की कारणता के विषय में उनकी परस्पर विरुद्ध दो मान्यताएँ हैं। अर्थात् जहाँ पहले कथन से वे यह प्रगट करना चाहते हैं कि कार्य की सिद्धि केवल उपादान के तैयार हो जाने पर यानि उपादानकारणभूत वस्तु के कार्य से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में पहुँच जाने पर नियम से हो जाया करती है निमित्तों का कार्य की सिद्धि में कोई उपयोग नहीं होता वे तो सदा अकिंचित्कर ही बने रहते हैं वहाँ दूसरे कथन से पहली मान्यता के ठीक विपरीत वे यह भी प्रगट कर रहे हैं कि कार्य की सिद्धि स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियित और कमं इन पाँचो का समवाय हो जाने पर ही हुआ करती है। इतना ही नहीं, उक्त

दूसरे कथन के प्रसंग में आगे वही पर वे गोम्मटसार कर्मकाण्ड के आधार का उल्लेख करते हुए यह भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन पाँचो कारणो में से किसी एक से ही कार्य की उत्पत्ति मानता है वह मिथ्यादृष्टि है और जो इन पाँचो के समवाय से कार्योत्पत्ति मानता है वह सम्यग्दृष्टि है। अपने इस कथन मे पं० जी ने कार्योत्पत्ति मे जिन स्वभाव आदि पाँच के समवाग को कारण माना है उनमे पठित कर्म शब्द का अर्थ भी उन्होने निमित्त किया है। जैसे वे लिखते है कि "यहाँ स्वभाव से द्रव्य की स्वशक्ति या नित्य उपादान लिया गया है, पूरुषार्थ से उसका वल-वीर्य लिया गया है, काल से स्वकाल का ग्रहण किया है, नियति से समर्थ उपादान या निश्चय की मुख्यता वतलाई गई है और कर्म से निमित्त का ग्रहण किया है।" (जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६५) इस तरह देखने में आ रहा है कि ्एक जगह निमित्तों को कार्य सिद्धि में अकिचित्कर मानते हुए भी दूसरी जगह प० फूलचन्द्र जी कार्य सिद्धि के प्रति उन्ही निमित्तो की अनिवार्य कारणता की आप स्वय स्वीकार कर रहे हैं।

प० जी ने कार्योत्पत्ति में निमित्तों की अकिंचित्करता के विषय में जैनतत्त्वमीमासा में जो कुछ लिखा है उसकी मीमासा पूर्व में विस्तार के साथ की जा चुकी है, इसलिये इस विषय में कुछ न लिखकर यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि कार्य की उत्पत्ति में प० जी ने जो स्वभाव आदि पाँच के समवाय को कारण माना है उनकी इस मान्यता के विषय में तो मेरा साधारणतया कोई विरोध नहीं है, फिर भी जो विरोध है वह यह है कि सभी कार्यों की उत्पत्ति में प० फूलचन्द्र जी द्वारा

उक्त स्वभाव आदि सभी के समवाय को कारण मानना असगत है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का प्रतिक्षण जो षड्गुण हानि वृद्धि रूप स्वप्रत्यय परिणमन हो रहा है उसमे निमित्तो को कारणता प्राप्त नहीं है। यदि उस परिणमन में भी निमित्तो को कारण माना जाय तो फिर उसका स्वप्रत्ययपना ही समाप्त हो जायगा जिससे आगम में प्रदिश्ति परिणमन के स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दो मेदो की व्यवस्था ही भग हो जायगी। अर्थात् तब सभी परि-णमन स्वपरप्रत्यय ही सिद्ध होंगे कोई भी परिणमन स्वप्रत्यय सिद्ध नहीं होगा।

यद्यपि प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा के निमित्त कारण की स्वीकृति नामक प्रकरण मे पृष्ठ ४२ पर यह बत-लाया है कि "वस्तु की शुद्ध पर्याय परिनरपेक्ष (केवल स्व-प्रत्यय) होते हुए भी काल निमित्तक तो वह है ही" परन्तु इस विषय मे मैं पहले बतला चुका हूँ कि काल किसी भी वस्तु के किसी भी परिणमन मे निमित्त नही होता है। अर्थात् परिणमन तो वस्तु का अपने-अपने प्रतिनियत कारणो के बल पर ही होता है केवल इतना अवश्य है कि काल उस परिणमन का समय, आवली, मुहूर्त, घडी, घण्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष आदि के रूप मे विभाजन मात्र करता रहता है और यदि किसी कार्य के साथ काल का अन्वय व्यतिरेक घटित होता हो तो उस कार्य की उत्पत्ति मे काल को निमित्त मानने भी कोई आपत्ति नही है परन्तु स्वप्रत्यय परिणमन मे काल के अन्वय-व्यतिरेक के घटित होने की कभी सम्भावना नही है। इस विषय पर आगे विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा।

गोम्मटसार कर्मकाण्ड मे क्रियावादी मिथ्या दृष्टियो की गणना करते हुए आचार्य श्री नेमिचन्द्र ने काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव इनमे से एक-एक आधार से कार्योत्पत्ति मानने वाले मिथ्यादृष्टियो का कथन किया है। इस पर से प० फुलचन्द्र जी द्वारा यह सिद्धान्त स्थिर किया गया मालूम होता है कि यदि ईश्वर आदि पाँच मे से एक-एक से कार्योत्पत्ति मानने वाले मिथ्यादृष्टि है तो इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानने का सिद्धान्त सत्य है क्योंकि उन्होने उक्त स्वभाव आदि के समवाय को कार्योत्पत्ति मे कारण माना है और चू कि जैन-दर्शन मे ईश्वर को कर्ता नहीं माना गया है अत उन्होंने ईश्वर के स्थान पर कर्म को कारण मानकर उसका अर्थ निमित्त कर दिया है तथा आत्मा समस्त वस्तुओं के समस्त परिणमनो मे जैन-दर्शन के अनुसार कारण नहीं होता है अतः उसके स्थान पर पुरुषार्थ को कारण मानकर उसका अथ प्रत्येक वस्तु का वल-वोर्य कर दिया है, परन्तु एक तो मैं पूर्व मे वतला चुका हूँ कि वस्तु के स्वप्रत्यय परिणमनो मे निमित्त की कारणता अपेक्षित नही रहा करती है, दूसरे अब मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि प० फूलचन्द्र जी कर्म का अर्थ भले ही निमित्ता मान लें व पुरुषार्थ का अर्थ भी वस्तु का बल-वीर्य मान ले, तो भी प० प्रवर बनारसी दास जी के-

"पद स्वभाव पूरव उदै निहचै उद्यम काल। पच्छपात मिण्यात तज सरवगी शिव चाल।।"

इस पद्य मे पठित "पूरव उदे" शब्द का वे सामान्य रूप मे निमित्ता अर्थ कैसे करेगे ? इसी तरह उद्यम भी चित्राक्ति

١

विशिष्ट आत्मा में ही सम्भव है अचेतन पदार्थों में उद्यम की कल्पना करना असम्भव है। तीसरी बात इस विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि गोम्मटसार कर्मकाण्ड से कथन के आधार पर प० फूलचन्द्र जी स्वभाव आदि पाँच के समवाय को कारण मानते हैं तो फिर गो० कर्मकाण्ड में ही अलग से पौरुषवाद, देववाद, सयोगवाद, तथा लोकवाद का कथन करते हुए नेमिचन्द्राचार्य ने अन्त में गाथा ८१४ द्वारा जो यह कहा है कि "जितने वचन के प्रकार सम्भव हो उतने ही नयवाद हैं और जितने नयवाद हों उतने ही पर समय हैं" इसके रहते हुए केवल स्वभावादि पाँच के समवाय में कार्योत्पत्ति के प्रति कारणता को सीमित करना कहाँ तक तर्क सगत है ?

इस विवेचन का सार यह है कि उक्त कथन में आचार्य श्री नेमिचन्द्र की दृष्टि यह नहीं रही है कि ईश्वर आदि एक-एक के आश्रय से कार्योत्पत्ति मानने वाले मिथ्यादृष्टि हैं और इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानने वाले सम्यग्दृष्टि हैं। उनकी दृष्टि तो उसमे केवल इतनी ही रही है कि कौन परसमयवादी किस आधार पर कार्योत्पत्ति मानता है और उसकी वह मान्यता सत्य है अथवा असत्य है। एक बात और है कि यदि आचार्य नेमिचन्द्र की दृष्टि ईश्वर आदि के समवाय से कार्योत्पत्ति स्वीकार करने की होती तो वे अपने उक्त कथन में ईश्वरवाद या आत्मवाद को किसी भी प्रकार स्थान नहीं दे सकते थे क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि जैन दर्शन में न तो ईश्वर को कार्योत्पत्ति का कर्ता माना गया है और न समस्त कार्यों में आत्मा को ही कारण माना गया है। इसके अतिरिक्त इस विषय में मेरा कहना यह भी है कि स्वभाव आदि पाच में

स्वभाव से नित्य उपादान और नियति से क्षणिक उपादान का अर्थ ग्रहण करने का कोई आधार पं० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा में नहीं प्रस्तुत किया है जब कि आचार्य श्री नेमिचन्द्र ने स्वभाववाद का अर्थ कर्मकाण्ड गाया ८८३ में और नियतिवाद का अर्थ गाया ८८२ में प० फूलचन्द्र के अभिप्राय से भिन्न ही किया है। इसी प्रकार पुरुषार्थ का अर्थ भी गाया ८६० में आचार्य श्री ने आत्मा द्वारा अपने में उत्पन्न उत्साह के सहारे प्रयत्न करने रूप ही किया है। पुरुषार्थ का अर्थ करने में उनकी दृष्टि वस्तु सामान्य के बल-वीर्य की ओर नहीं रही है। इतना ही नहीं, काल शब्द का अर्थ स्वकाल करके भी प० जी ने यह बतलाने का प्रयत्न नहीं किया है कि वह स्वकाल क्या है? और फिर मैं उनसे (प० जी से) यह भी कहना चाहूँगा कि कर्मकाण्ड में स्थित नियति का लक्षण देखते हुए उसमें आपके द्वारा स्वीकृत काल का अन्तर्भाव क्यो नहीं हो सकता है ? इसका भी स्पष्टीकरण उन्हें करना चाहिये था।

मैं कह आया हू कि कार्य के प्रति स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियित और कर्म (निमित्त) के समवाय को कारण मानने मे मेरा साधारणतया विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वभाव से मेरा अभिप्राय आगमानुसार वस्तु की स्वतः सिद्ध परिणमन शक्ति का है अर्थात् परिणमन के लिये वस्तु मे परिणमन करने की स्वत सिद्ध योग्यता का अस्तित्व होना आवश्यक है। यदि यह योग्यता वस्तु मे स्वत सिद्ध न हो तो फिर अन्य कोई वस्तु उसमे परिणमन नहीं करा सकती है। इसी प्रकार वस्तु के परिणमन प्रतिनियत ही हुआ करते है। यह असम्भव है कि मिट्टी से कभी जुलाहा आदि के सहयोग से

पट भो तैयार हो सरता है। अर्थात् मिट्टी में जब भी परिणमन होगा तो यह अनुक्रून निमित्तों के सहयोग से घट अथवा सकोरा आदि प्रतिनियत रण ही होगा। इतना ही नियति का अभिप्राय यहाँ नेना नाहिये। कान के विषय में भी मेरा कहना यह है कि मिट्टी में अनुकूत निमित्तों के महयोग में जब भी घट नी उलात्ति तागी तो वह म्यान, कोश, कुशून आदि के क्रम से ही होगी। यह नहीं हो नकता है कि इस क्रम में कभी व्यतिक्रम भी हो जावे। उम तरह इस नियत फ्रम की सूचना देने वाला काल को मानना चाहिये। इसी तरह वस्तु मे जितने स्वपरप्रत्यय परिणमन होते हैं साधारणतया अनुकूल निमित्तो के सहयोग म ही हुआ करते हैं और उनमें भी कोई परिणमन ऐसे भी हुआ करते है जिनमे साधारण निमित्तों के साथ-माथ प्राणियो द्वारा किया गया प्रयत्न (पुरुषार्थ) भी कारण होता है। इस प्रकार यह व्यवस्था निश्चित होती है कि जितने भी स्वप्रत्यय परिणमन है वे सब वस्तु मे पाये जाने वाले स्वभाव, नियति और क्रमानुसार होते हैं तथा जो स्वपरप्रत्यय परिणमन है वे सव स्वभाव, नियति और क्रमानुसार होते हुए भी सामान्य अनुकूल निमित्तो के सहयोग से अयवा इनके साथ-साथ पुरुपकृत प्रयत्न से हुआ करते हैं।

प॰ फूलचन्द्र जी कहते हैं कि उपादान की तैयारी हो जाने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है और मैं भी कह देना चाहता हूं कि प॰ जी की इस मान्यता से मेरा कोई विरोध नहीं है क्यों कि मैं मानता हूँ कि स्थास के अनन्तर ही कोश वनता है और कोश के अनन्तर ही कुशूल वनता है तव कही कुशूल के अनन्तर ही घट की उत्पत्ति होती है, परन्तु साथ मे यह

भी बात है कि घट का उपादान जो स्थूल रूप से कुशूल है उसकी उत्पत्ति भी तो अनुकूल निमित्तो के सहयोग से ही हुआ करती है। इसी प्रकार कुशूल का उपादान जो कोश है और कोश का उपादान जो स्थास है इनकी उत्पत्ति भी अनुकूल निमित्तो के सहयोग से ही हुआ करती है। यही व्यवस्था क्षण-वर्ती पर्यायों के विषय मे भी समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि स्वपरप्रत्यय परिणमनो मे जो एक का उपादान है वही दूसरे का कार्य है। अर्थात् प्रत्येक वर्तमान पर्याय जहाँ पूर्ववर्ती अनुकूल पर्याय का कार्य है वही वह उत्तरवर्ती अनुकूल पर्याय का कीरण भी है। इसलिए उपादान की तैयारी मे भी निमित्तो का सई-योग अपेक्षणीय रहा करता है—यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है। उपादान की तैयारी सम्बन्धी इस कथन का प० फूलचन्द्र जो की विचार घारा के साथ कहा तक मेल बिठलाया जा सकता है-इस दृष्टि से यह विवेचन किया है, परन्तु वास्त-विकता यही है कि उपादान हमेशा द्रव्य ही हुआ करता है। वह पर्याय विशिष्ट ही होता है-यह बात दूसरी है लेकिन पर्याय तो कार्य मे ही अन्तर्भूत होती है वह उपादान कभी नही होती। इसका कारण यह है कि पूर्व पर्याय का विनाश होने पर ही उत्तर पर्याय उत्पन्न हाती है जब कि उपादान को कार्य मे हमेशा अनुस्यूत ही रहना चाहिये। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि जहाँ भी कार्यकारण भाव का निर्घारण करना हो तो वहाँ पर अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ही करना चाहिए।

भ्रीमद्भंट्टाकलङ्क देव ने अपने ग्रन्थ अष्टशती 'मे आप्त-मीमासा की ८६ वी कारिका की टीका करते हुए निम्नलिखित पद्य का उद्धरण दिया है-

"ताहशी जायते वृद्धि व्यवसायश्च ताहश । सहायास्तहश. सन्ति याहशी भवितव्यता॥"

श्रीमद्भट्टाकलन्द्व देव का वल पाकर इस पद्य का उद्ध-रण प० फूलचन्द्र जी ने भी अपने "कार्य की सिद्धि केवल समर्थ उपादान से ही हो जाया करती है निमित्त तो वहा पर अिंकचित्कर हो रहा करते हैं।" इस पक्ष की पुष्टि के लिये जैनसत्त्वमीमासा के पृष्ठ ६६ पर दिया है और इसका अर्थ भी उन्होंने वही पर यह किया है कि "जिस जीव की जैसी भवित-व्यता (होनहार) होती है उसकी वैसी ही बुद्धि हा जाया करती है, वह प्रयत्न भी उसी प्रकार का करता है और उसे सहायक भी उसी प्रकार के मिलते हैं।"

इस पद्य को लेकर मुक्ते यहाँ पर इन वातो का विचार करना है कि श्रीअकलन्द्व देव ने उक्त पद्य का उद्धरण अपने ग्रन्थ में किस आशय से दिया है तथा जैन-दर्शन में मान्य कारण व्यवस्था के साथ उसका एक तो मेल बैठता ही नहीं है और यदि मेल बैठता भी है तो किस तरह बैठता है ? इतना ही नहीं, इसके साथ मुक्ते इस बात का भी विचार करना है कि उतकी सहायता से प० फूलचन्द्र जी कारण व्यवस्था सम्बन्धी अपने पक्ष की पुष्टि करने में कहाँ तक सफल हो सके है ?

स्वामी समन्तभद्र ने अपनी कृति आप्तमीमासा मे आप्त की मीमासा के प्रसङ्ग को लेकर जिनशासन मे मान्य अनेका-न्तात्मक तत्त्व व्यवस्था की पुष्टि की है। और इसी प्रसङ्ग मे उन्होने यह बात भी मान्य की है कि प्राणियो की अर्थ सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनो कारणो के परस्पर सहयोग से ही हुआ करती है।

अर्थ सिद्धि के विषय में इसके अतिरिक्त परस्पर विल-क्षण विविध प्रकार की ऐकान्तिक मान्यताये भी लोक में प्रच-लित हैं जो निम्न प्रकार है—

कोई दर्शन प्राणियों की अर्थ सिद्धि पुरुषार्थ के बिना केवल दैव से ही मानता है। इसके विपरीत कोई दर्शन यह कहता है कि प्राणियों की अर्थ सिद्धि दैव के बिना केवल पुरु-षार्थ से ही हो जाया करती है। यही नहीं, कोई दर्शन यह भी कहता है कि प्राणियों को कोई अर्थ सिद्धि तो पुरुषार्थ-विहीन केवल देव से होती है और कोई अर्थ सिद्धि दैवविहीन केवल पुरुषार्थ से होती है। एक चौथा दर्शन भी लोक मे पाया जाता है जो कहता है कि प्राणियों की अर्थ सिद्धि न तो केवल देव से होती है, न केवल पुरुषार्थ से होती है और न पृथक्-पृथक् अथवा सयुक्त रूप से दैव और पुरुषार्थ दोनों से होती है—इस तरह अर्थ सिद्धि के विषय में कारणता की दृष्टि से अवक्तव्य विकल्प को छोड कर अन्य कोई विकल्प उसके मत में स्वीकृत करने योग्य नहीं है।

इन सब अथवा इसी तरह के ऐकान्तिक पक्षों के प्रति अनास्था प्रगट करते हुये आप्त मीमासा की दद से ६१ तक की कारिकाओ द्वारा स्वामी समन्तभद्र ने यह सिद्ध किया है कि प्राणियों की अर्थ सिद्धिन केवल देव से होती है, न केवल पुरुषार्थ से होती है और न पृथक्-पृथक् दंव और पुरुषार्थ से ही होतों है तथा न दैव और पुरुषार्थ दोनो के बिना ही अर्थ सिद्धि होती है, अपितु दैव और पुरुषार्थ दोनो के परस्पर सहयोग से ही अर्था सिद्धि हुआ करती है।

इसमे यह निर्णीत होता है कि यदि कोई व्यक्ति कार्य सिद्धि के लिये पुरुषार्थ कर रहा हो और वहाँ पर दैव की अनु-कूलता रहने के कारण कार्य की सिद्धि भी हो रही हो लेकिन दैव दुर्लक्षित हो रहा हो तो यह नही समझना चाहिये कि वह काय सिद्धि केवल पुरुषार्थ द्वारा हो हो गयी है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की कार्य सिद्धि के लिये देव की अनुकूलता हो और पुरुषाथ की अनुकूलता के कारण कार्य की सिद्धि भी हो रही हो लेकिन पुरुषार्थ दुर्लिक्षित हो रहा हो तो यह नहीं सम-झना चाहिये कि वह कार्य सिद्धि केवल दैव द्वारा ही हो गयी है किन्तु ऐसा समझना चाहिये'कि वह कार्य सिद्धि देव और पुरुषार्थ दोनों के परस्पर सहयोग से ही हुई है। इस प्रकार कारणो की खोज किये जाने पर यही फलित होता है कि प्राणियो की अर्थ सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनो के परस्पर सहयोग से ही हुआ करती है। इसकी पुष्टि स्वामी समन्तभद्र के श्रीमद्अकलकदेव के और आचार्य विद्यानन्दी के उन कथनो से होती है जो उन्होने क्रमश आप्त मीमासा मे अष्टशती मे और अष्ट सहस्रो मे किये है। आचार्य विद्यानन्दी ने अष्ट सहस्री पृष्ठ २५८ पर भी लिखा है--

''तथापेक्षानपाये परस्पर सहायत्वेन देव षोरुषाभ्यामर्थ सिद्धि "

इसका अर्थ यह है कि चूँ कि प्राणियो की अर्थ सिद्धि में कारणभूत देव पुरुपार्थ की अपेक्षा रखुता है और प्रपाय देव की अपेक्षा रखता है अत. परस्पर की अपेक्षा रखने के कारण देव और पुरुपार्थ दोनो ही अर्थ सिद्धि के कारण हुआ करते है। इस तरह इससे ऊपर के कथन की पृष्टि होती है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि "ताहकी जायते बुद्धि" इत्यादि रूप में ग्रथित उक्त पद्य प॰ फूलचन्द्र जी द्वारा प्रतिपादित (उल्लिखित अर्थ के आधार पर प्राणियों की अर्थ सिद्धि के विषय में जैन-दर्शन द्वारा मान्य दैव और पुरुषार्थ की सम्मिलित कारणता का प्रतिरोध ही करता है, कारण कि उक्त पद्य के उक्त अर्थ से यही ध्वनित होता है कि "प्राणियो की अर्थ सिद्धि केवल भवितव्य के अधीन है और यदि उस अर्थ सिद्धि मे प्राणियो की बुद्धि, व्यवसाय तथा अल्प सहायक कारणो की अपेक्षा रहती भी हो तो वे वृद्धि, व्यवसायादि सभी कारण भी उक्त पद्य के उक्त अर्थ के अनुसार भवितव्यता की अवीनता मे ही प्राप्त हुआ करते हैं।" यत यह व्यवस्था जैन-दर्शन मे मान्य नहीं की गयी है क्योकि जैन-दर्शन की मान्यता के अनुसार प्राणियो के अर्थ की मिद्धि मे दैव और पुरुपार्थ दोनो ही परस्पर सहयोगी वन-कर समान रूप मे कारण हुआ करते है अत उक्त पद्य की जैन-दर्शन की मान्यता के साथ विरोध की स्थिति निविवाद हो जाती है। इससे यह बात भी अच्छो तरह स्पष्ट हो जाती है कि र्जन दर्शन की मान्यता के विरुद्ध होने के कारण इस पद्य की प० पूलचन्द्र जी हारा अपने पक्ष की पुष्टि में प्रमाण रूप से जपस्यित किया जाना अनुनित ही है। श्री मदकलकदेव ने उक्त पद्य का जो उद्धरण आप्तमीमासा की दह दी कारिका की अप्ट शती में दिया है उसमें उनका आराय इससे साक्षान् अपने पक्ष की पृष्टिका न हो कर केवल पृष्टपार्ध से अर्थ सिद्धि मानने

वाले दर्शन के खण्डन करने मात्र का ही है। यही कारण है कि उक्त पद्य को उन्होने जैन-दर्शन का अग न मानकर केवल लोकोक्ति के रूप में ही स्वीकार किया है। यह वात उनके (श्री मदकलक देव के) द्वारा उक्त पद्य के पाठ के अनन्तर पठित "इति प्रसिद्धे" वाक्याश द्वारा ज्ञात हो जाती है। तात्पर्य यह है कि श्रीमदकलन्द्र देव उन लोगो से-जो देव की उपेक्षा करके केवल पौरुपमात्र से प्राणियो को अर्थ सिद्धि स्वीकार करते हैं - यह कहना चाहते हैं कि एक ओर तो तुम दैव के विना केवल पुरुपार्थ से ही अर्थ की सिद्धि मानते हो और दूसरी ओर यह भी कहते हो कि अर्थ सिद्धि मे कारणभूत वृद्धि, व्यवसायादि की उत्पत्ति या सप्राप्ति भवितव्यता से हो हुआ करती है। इस तरह वुद्धि, व्यवसायादि की उत्पत्ति या सप्राप्ति मे दैव (भवितव्यता) को कारणता प्राप्त हो जाने से पर-स्पर विरोधी मान्यताओं को प्रश्रय प्राप्त हो जाने के कारण ''केवल पुरुषार्थ से ही अर्थ सिद्धि होतो हैं' यह मान्यता खण्डित हो जाती है।

एक वात और है कि उक्त पद्य का जो अर्थ प० फूलचन्द्र जी ने किया है वह स्वय ही एक तरह से उनकी इस मान्यता का विरोधी है कि "कार्य केवल भवितव्यता (समर्थ उपादान शक्ति) से ही निष्पन्न हो जाया करते हैं निभित्त तो वहाँ पर सर्वथा अकिचित्कर ही वने रहते हैं।" क्योंकि उक्त पद्य से यही ध्वनित होता है कि कोई भी काय भवितव्यता के साथ-साथ बुद्धि, व्यवसायादि कारणों का सहयोग प्राप्त हो जाने पर ही निष्पन्न होता है। केवल इनको विशेषता जानना चाहिये कि वे बुद्धि, व्यवसायादि सभी दूसरे कारण भवितव्यता के अनुसार हा प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिये उस पद्य को बुद्धि, व्यवसायादि मे अर्थ सिद्धि की विद्यमान कारणता का निषेधक कदापि नहीं कहा जा सकता है।

यदि कहा जाय कि उक्त पद्य जब उक्त प्रकार से भवि-तन्यता के साथ-साथ बुद्धि-न्यवसायादि को भी कार्य के प्रति कारण बतलाता है तो फिर इसे जैन-दर्शन मे मान्यकारण व्यवस्था का विरोधी कहना असत्य है तो इस विषय मे मेरा कहना यह है कि पद्य में कार्य के प्रति भवितव्यता के साथ-साथ जिन बुद्धि, व्यवसायादि की कारणता का समर्थन किया गया है उनकी उत्पत्ति अथवा प्राप्ति को उसी भवितव्यता की दया पर छोड दिया गया है जो कार्य की जननी है और यह बात अयुक्त है कि जो भवितन्यता कार्य की जननी है वही भवितन्यता उस कार्य की कारणभूत बुद्धि आदि की भी जननी है क्यों कि यदि ऐसा माना जायगा तो इस तरह अनवस्था दोष की प्रसक्ति होगी। इसका कारण यह है कि कार्य की कारणभूत बृद्धि आदि को भी यदि कार्य की कारणभूत भवितव्यता का ही कार्य माना जायगा तो उनकी उत्पत्ति के लिये अन्य बुद्धि आदि कारणो की आवश्यकता होगी और उनके भी भवितव्यता का कार्य हो जाने से उनकी उत्पत्ति के लिये भी अन्य बुद्धि आदि कारणी की आवश्यकता होगी-इस तरह अनवस्था दोष को टालना असभव हो जायेगा । इसलिये इस अनवस्था दोष को टालने के लिये यदि यह माना जाय कि कार्य मे कारणभूत बुद्धि आदि की उत्पत्ति के लिये अन्य वृद्धि आदि कारणो की अपेक्षा नही रहा करती है—उनकी उत्पत्ति तो केवल कार्य मे कारणभूत भवितव्यता से ही हो जाया

करती है इसलिये अनवस्था दोष की प्रसक्ति नही होगी, तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसी दशा मे कार्य की उत्पत्ति को भी केवल भवितव्यता से मानने की प्रसक्ति हो जायगी तब इसका भी परिणाम यह होगा कि कार्य की उत्पत्ति मे बुद्धि आदि की ऑर्कचित्करता प्रसक्त हो जायगी। इस पर यदि प० फूलचन्द्र जी यह कहे कि कार्य तो केवल भवितव्यता के आघार पर ही उत्पन्न हुआ करता है वृद्धि आदि उसमे अिंक-चित्कर ही रहा करते हैं तो इस विषय मे भी मेरा कहना यह है कि कार्योत्पत्ति के प्रति वृद्धि आदि को अकिचित्कर मान लेने पर "ताहशी जायते वृद्धि" इत्यादि पद्य ही निरर्थक हो जायगा। दूसरी वात मैं यह कहना चाहता हैं कि पूर्व में कार्यों-त्पत्ति के प्रति निमित्त कारणो की अकिचिन्करता का खण्डन और कार्यकारिता का समर्थन विस्तार से किया गया है उससे यह निर्णीत हो जाता है कि प० फूलचन्द्र जी का कार्य की उत्पत्ति को केवल भवितन्यता के आधार पर स्वीकार कर उसमे बुद्धि आदि की अकिंचित्करता को मानना मिथ्या है।

इस तरह जैन-दशन की मान्यता के अनुसार तो यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि स्वपरप्रत्यय कार्योत्पत्ति में जिस प्रकार उपादानकारणरूप से स्वत सिद्ध भवितव्यता कारण होती है उसो प्रकार निमित्त कारण रूप से अपने-अपने कारणो से निष्पन्न बुद्धि आदि भी कारण हुआ करते हैं। अपनी-अपनी सत्ता मे भवितव्यता और बुद्धि आदि दोनो ही एक दूसरे के अधीन नहीं हैं। इतना अवश्य है कि कार्योत्पत्ति मे दोनो ही एक दूसरे की अधीनता स्वीकार किये हुए हैं। अर्थात् वस्तु मे कार्योत्पत्ति की योग्यता हो लेकिन बुद्धि आदि का सहयोग उसे प्राप्त न हो तो कार्योत्पत्ति नहो होगी व इसी तरह बुद्धि आदि का सहयोग प्राप्त हो लेकिन भिवतव्यता न हो तो भी वस्तु मे कार्योत्पत्ति नही होगी। इसका फिलतार्थ यह हुआ कि "ताहशी जायते बुद्धि" इत्यादि पद्य जैन-दर्शन की मान्यता के प्रतिकूल ही है क्योंकि जिस भिवतव्यता से कार्य की उत्पत्ति होती है उसी भिवतव्यता से उस कार्य की उत्पत्ति मे कारणभूत बुद्धि आदि की उत्पत्ति अथवा सप्राप्ति मानना पूर्वोक्त प्रकार जैन-दर्शन की मान्यता के साथ समन्वय को प्राप्त नही होती है।

प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा के 'उपादान निमित्त मीमासा' प्रकरण में पृष्ठ ६७ पर अपने मन्तव्य की पृष्टि के लिये प० प्रवर टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ के अधिकार ३ पृष्ठ ६१ का उद्धरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि "ताहशी जायते वुद्धि" इस पद्य में प्रतिपादित कारण व्यवस्था को जैन-दर्शन में इसी ढग से मान्य किया गया है। उनका वह कथन निम्न प्रकार है—

"सो इनकी सिद्धि होय तौ कपाय उपशमनेते दु ख दूरि होइ जाइ सुखी होइ। परन्तु इनकी सिद्धि इनके किये उपायिन के आधीन नाही, भिवतन्य के आधीन है। जाते अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न हो है। वहुरि उपाय वनना भी अपने आधीन नाही, भिवतन्य के आधीन है। जाते अनेक उपाय करना विचारे और एक भी उपाय न होता देखिये है। वहुरि काकतालीय न्यायकरि भिवतन्य ऐसी ही होइ जैसा आपका प्रयोजन होइ तैसा ही उपाय होइ अर ताते कार्य की सिद्धि भी होइ जाइ तौ जिस कार्य सम्बन्धी कोई कपाय का उपशम होइ।" प० फूलचन्द्र जो ने प० प्रवर टोड्रमल जी के इस कथन के विषय मे अपना मन्तव्य भी वही पर यह लिखा है कि "यह पण्डित प्रवर टोडरमल जी का कथन है मालूम पडता है कि उन्होंने "ताहशी जायते बुद्धि" इत्यादि श्लोक मे प्रतिपादित तथ्य को ध्यान मे रखकर ही यह कथन किया है इसलिये इसे उक्त अर्थ के समर्थ न मे ही जानना चाहिये।

इस विषय में मेरा कहना यह कि प० फूलचन्द्र जी प० प्रवर टोडरमल जी के उल्लिखित कथन से जो अर्थ फलित कर रहे हैं वह ठीक नहीं है क्यों कि मैं वतला आया हूँ कि जैन-दर्शन में केवल भवितव्य से कार्य सिद्धि न मानकर भवितव्य और पुरुवार्थ दोनों के परस्पर सहयोग से कार्य सिद्धि मानी गयी है। इसलिये जैन-दर्शन की इस मान्यता को घ्यान में रखकर ही प० प्रवर टोडरमल जो के कथन का आशय निकालना चाहिये।

वात यह है कि प० प्रवर टोडरमल जी के उक्त कथन से यह तो प्रगट होता नहीं कि कार्य की सिद्धि केवल भिवतव्य से ही हो जाती है उसमें पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं रहता है। वे तो अपने उक्त कथन से इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि कितने ही उपाय करते जावो यि भिवतव्य अनुकूल नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष तो कदापि नहीं निकाला जा सकता है कि यदि भिवतव्य अनुकूल है तो बिना पुरुषार्थ के ही कार्य की सिद्धि हो सकती है। जैसे मैं पहले कई स्थलों पर स्पष्ट कर चुका-हूँ कि मिट्टी में पट बनने की योग्यता नहीं है तो जुलाहा आदि निमित्त सामग्री का कितना ही योग मिलाया जावे उससे पट का निर्माण नहीं होगा, फिर

भी इससे यह निन्कर्ष तो कदापि नहीं निकाला जा सकता है कि मिट्टी में यदि घट के निर्माण की योग्यता है तो कदाचित् कुम्भ-कार आदि निमित्त सामग्री के सहयोग के विना ही घट का निर्माण हो जायगा।

सत्य बात तो यह है कि एक ओर तो मिट्टी में पटिनमीण की योग्यता के अभाव में जुलाहा आदि निमित्त सामग्री का सहयोग उससे पट के निर्माण में सर्वदा असमर्थ ही रहेगा और दूसरी ओर उस मिट्टी से घट निर्माण की योग्यता के सद्भाव में भी घट का निर्माण तभी सभव होगा जब कि उसे कुम्भकार आदि निमित्त सामग्री का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और जब तक उसे कुम्भकार आदि निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक उससे घट का निर्माण असभव ही रहेगा । यह बात दूसरी है कि उस समय मिट्टी को जैसी अनुकूल निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त होगा वैसा हो कार्य उस मिट्टी से उस समय उत्पन्न होगा।

प० प्रवर टोडरमलजी के उक्त कथन का यह भी अभिप्राय नहीं है कि अमुक मिट्टी से चूकि घट का निर्माण होना है अत उसकी प्रेरणा से कुम्भकार तदनुक्कल व्यापार करता है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय तो व्यक्ति को कभी कार्य मे असफलता नहीं मिरानी चाहिये, दूसरे यह बात अनुभव के भी विरुद्ध है। इसका कारण यह है कि लोक मे कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के करते समय यह अनुभव नहीं करता है कि चू कि अमुक वस्तु से इस समय अमुक कार्य निष्पन्न होना है इसलिये मेरा व्यापार उसके अनुकूल हो रहा है। इसके विपरीत वह तो कार्योत्पत्ति के समय केवल इतना

ही जानता है कि अमुक कार्य मुफे उत्पन्न करना है और वह मेरे प्रयत्न द्वारा अमुक वस्तु मे उत्पन्न हो सकता है इसलिये वह तदनकूल प्रयत्न करने लगता है। अब यदि इस वस्तु मे उन कार्यम्प परिणत होने की योग्यता है और उसका प्रयत्न भी तदनकुल हो रहा है तो उसमे उम कार्य की उत्पत्ति पूर्ण निमित्त गामग्री का महयोग मिलने पर हो जाती है और यदि उस वन्मे उस कात्र्यंरूप परिणत होने की योग्यता नहीं हो, या उन व्यक्ति का प्रयत्न उसके अनुकूल न हो अथवा सम्पूर्ण आवश्यक निमित्त सामग्री का महयोग प्राप्त न हो तो उससे वह कार्य निष्पन्न नही होगा या जैसी योग्यता हो, अथवा जैसा प्रयत्न हो या जैसी निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त हो वैसा ही कार्यं उस वस्तु से होगा। अर्थात् वस्तु की योग्यता, व्यक्ति का प्रयत्न और अन्य निमित्त सामग्री का योग मिलने पर ही वियक्तित कार्य की उत्पत्ति हुआ करती है। यही कारण है कि यस्तुगत योग्यता का ठीक-ठीक ज्ञान न होने पर अथवा व्यक्ति की अपनी अकुशनता के कारण अथवा अन्य निमित्त सामग्री की अनकूलता के कारण व्यक्ति को अनेको वार विव-क्षित कार्य की उत्पत्ति में असफलता ही हाथ लग जाया करती है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भवितव्यता हो, तयनुकूल उपाय किये जावें और तदनुकूल अन्य निमित्ता सामग्री का सहयोग प्राप्त हो तो विवक्षित कार्य की सिद्धि नियम से होगी, अन्यथा तीनों में से किसी एक भी कारण का यदि अभाव होगा तो विवक्षित काय की सिद्धि नहीं होगी।

इस विवेचन से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि प० फूल- चन्द्रजी प० प्रवर टोडरमल जी के उक्त कथन से जो 'ताहशी .

जायते वुद्धि "इस पद्य का समर्थन करना चाहते है वह उचित नहीं है।

यद्यपि प० प्रवर टोडरमल जी ने अपने उल्लिखित कथन मे लिखा है कि ''वहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाही भवितव्य के आधीन है", परन्तु इससे भी प० फूलचन्द्रजी के इस अभिप्राय का समर्थन नहीं होता है कि "जो भवितव्यता कार्य की जनक है वही भवितव्यता उस कार्य मे कारणभूत बुद्धि और पुरुपार्थ आदि की जनक होती है।" इसका कारण यह है कि प० प्रवर टोडरमल्जी के कथन मे भवितव्यता शब्द से सामान्यतया चेतन रूप और अचेतन रूप सभी तरह के कार्यो की उपादानशक्ति को नहीं ग्रहण किया गया है, केवल प्राणियो की अर्थमिद्धि में कारणभूत भवितव्यता को ही ग्रहण किया गया है, अत. ऐसी भवितव्यता जीव के पारिणामिक भाव भन्यत्व या अभन्यत्व ही हो सकते हैं अथवा कर्म के यथासभव उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से प्राप्त अर्थसिद्धि के अनुकूल जीव की योग्यता हो सकती है। अब यहा पर घ्यान इस वात पर देना है कि मान लीजिये-किसी व्यक्ति मे वनी यनने की योग्यता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल योग्यता का सद्भाव होने से ही धनी वन जायगा - यह मान्यता जैनदर्शन की नहीं है किन्तु जैनदर्शन की तो मान्यता यह है कि उस व्यक्ति को धनी वनने के लिये अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, तदनुकूल पुरुपार्थ करना होगा तथा उसमे तदनुकूल अन्य महकारी कारण भी अपेक्षित होंगे। यह जो प० पृलचन्द्रजी के कहे अनुसार निद्ध होता है कि उस व्यक्ति मे पायी जाने वाली धनी वनने की योग्यता ही "ताहकी जायते बृद्धि"

इत्यादि पण के अनुमार बुद्धि, पुरुषायं तथा अन्य साधन सामग्री को मंग्रहीत एर नेगी, तो यह कथन जैनदर्शन की मान्यना के विपरीत है—यह मैं पूर्व में स्पष्ट ही कर चुका हूं। इनना होने पर भी मैं यह मानने के निये तैयार ह कि जैनदर्शन की गान्यजा के अनुमार भी व्यक्ति में युद्धि का उद्भव तदनुकून शानावरणकर्म के धर्मापशम से प्रकटता को प्राप्त योग्यता (भवितव्यता) के आधार पर ही होता है और यही वात पृद्यामं के उद्भव में भी गमज नेना चाहिये। इस प्रकार प० प्रवर टोडरमल जी ने जो यह नित्ता है कि "उपाय वनना अपने आधीन नाही भवितव्य के आधीन हैं" यह न तो असगत है और न जैन-दर्शन के प्रतिक्षन ही है, कारण कि प्राणियों की अर्थ गिद्धि में जो भी बुद्धि, पुरुषार्य आदि उपाय अपेक्षित रहते हैं वे सब अपने-अपने अनुकूल ज्ञानावरणादि कर्मों के धर्मोपशम आदि के आधार पर निष्यन्न भवितव्यता के आधार पर ही हुआ करते हैं।

इस प्रकार यदि यह दृष्टि "ताहको जायते बुद्धि." इत्यादि पद्म का अर्थ करने मे अपनायो जावे तो फिर इसके माय भी जैन-दर्शन मे मान्य कारण व्यवस्था का कोई विरोध नहीं रह जाता है।

अन्त में में पुन इस वात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पदि हमारे बुद्धि, व्यवसाय आदि उसी भवितव्यता के अनु-सार हुआ करते हैं जो कार्य को जननी होती है तो इसका अयं यह हुआ कि हमारा कार्य करने का सकल्प भी उसी भवितव्यता के अनुसार ही होना चाहिये, ऐसी हालत में कार्य के विषय में मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही कार्य नियम से होना चाहिये, इस तरह "मनुष्य चाहता तो कुछ और है और कार्य कुछ होता है" यह स्थिति कदापि नहीं होनी चाहिये।

एक और भी अर्थ "ताहशी जायते बुद्धि" इत्यादि पद्य का किया जा सकता है, वह यह है कि जिस कार्य के अनुकूल वस्तु मे भिवतब्यता (उपादान शक्ति) विद्यमान रहती है उस वस्तु से समझदार व्यक्ति उसी कार्य के उत्पन्न करने की बुद्धि (भावना) करता है और वह पुरुपार्थ भी तदनुकूल ही करता है तथा वहाँ पर तदनुकूल सहायक साधनों का उपयोग होता है। इस तरह पद्य का यदि ऐसा अभिप्राय निकाला जाय तो भी जैन-दर्शन की मान्यता के साथ इसका विरोध नहीं रह जाता है।

तात्पर्य यह है कि उक्त पद्य का जो भी अर्थ किया जाय उससे प० फूलचन्द्र जी का यह मत पुष्ट नहीं होता है कि "भवितव्यता (उपादान शक्ति) से ही कार्य उत्पन्न होता है, निमित्त वहाँ अकिंचित्कर ही रहा करते है।"

इस प्रकार "कार्य के प्रति निमित्तो की सार्थकता" नामक इस प्रकरण में मैंने अनुभव, इन्द्रियप्रत्यक्ष, तर्क और यथावरयक आगम के प्रमाणो द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कार्योत्पत्ति के लिये जिस प्रकार वस्तु की निजी योग्यता आवश्यक है उसी प्रकार यदि वह कार्य स्वपरप्रत्यय हो तो वहा सहायक होने रूप से निमित्त सामग्री की भी आवश्य-कता है। अर्थात् प्रत्येक स्वपरप्रत्यय कार्य प्रत्येक वस्तु में उसमें विद्यमान निजी उपादान शक्ति तथा अनुकूल निमित्त सामग्री के सहयोग से ही हुआ करते है। यानि कार्यं रूप परि-णत तो उपादान ही होता है लेकिन उसका वह परिणमन अनुकूल निमित्त सामग्री का सहयोग मिलने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त जो भी वस्तु के स्वप्रत्यय कार्य हुआ करते है वे निमित्तों के सहयोग के बिना केवल वस्तु की उपादान शक्ति के आधार पर ही कालक्रम से होते रहते हैं। इतना अवश्य है कि कोई भी कार्य केवल परप्रत्यय नहीं हुआ करते हैं।

यद्यपि इस प्रकरण से जैनतत्त्वमीमासा के प्राय सभी विषय मीमासित हो जाते हैं फिर भी शेष विषयो की मीमासा दूसरे भाग मे यथावश्यक रूप से की जायगी।

॥ इति ॥

श्रावश्यक शुद्धि-पत्र

			•
वृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
ሂ	१५	लिखा जाना	लिखे जाने
હ	8	जैनतत्त्वमीमासा	जैनतत्त्वमीमासा
		प्रारम्भ	की मीमासा प्रारम्भ
ø	ሂ	तत्त्वमीमासा	जनतत्त्वमीमांसा
৩	છ	1 7	1)
5	२	होना है	होता है
१०	१८	होकर	हांने पर
१२	२०	मतभेद कहा कहा है	[?] इस वाक्यको पक्ति २०से
-			अलगकरके उपशीर्षक
			के रूप मे पृथक् पढ़ना
			चाहिये ।
१६	¥	जहां भी प०	जहा प० फूलचन्द्र जी
		फूलचन्द्र जी	
१६	१२	भिन्न रखने वालो	भिन्न मत रखने वालो
१६	२५	कहना है जब	कहना है कि जव '
१७	x	निमित्त	निमित्तो
१८	3	1)	"
१९	6-60	े अस्पष्ट ,गलत	अस्पष्ट, गलत
२०	४	गाथा १८३	गाया १८२
२०	દ્ધ	गाथा १८४	गाथा १८३

ås	पक्ति	अगुद्धि	युद्धि
Şο	'5	टोना है	होना है
२१	=,€,‡0	आदि नोकिक पः	में "ताहनी जायते बुदि
		का नहारा लिया है	। व्यवसायभ्र ताहम ।
		''ताहमी जावते बु	द नहायाम्ताहमा मितः
		व्यवसायम ताहर	: गाहमी कवितव्यता।"
		सहायान्ताहमा न	न्त आदि लौकिक पद्यों का
		याहणी भवितव्य	- त्रहारा निया है।
		ता ॥"	
२३	ર્દ	हो जाते हैं।	होते जाते हैं।
२४	च् च्	अंग्सा अंग्रेसित हो	राहायता वपेदात हो
२६	१६		मूर्यंकान्तमणि
38	१इ	म्बत. मिद्धय्	स्वन. सिद्धम्
5 X	3	ग यानियत	सन्या नियत
эX	१८	परहपेणापरिणमयाव	पररूपेण परिणम नाद
३७	१४	वरत्वस्ति	वस्त्वस्ति
४०	११	एव च एति	एव च सति
४१	ও	घट मीलिमुवर्णायों	
४६	5	भेद कारण	भेद का कारण
र्द्र	११	यक्पने	ज्ञायकपने
४७	3	दर्शन्त	दार्शन्त
ሂና	२	करण	कारण
3,2	19		यथावश्यक निमित्त प्रधान
3,2			गुरापु प्याओ
3%			॥ ३७२ ॥
६१	38	अकित्करता	अिकचित्करता

ब्रष्ट	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
-	२३,२४	_	शब्दादिना
	१५	दोनो	दोनो के
६७	१५	प्रत्येक परिणमन	प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक
			परिणमन
६७	१६	परिणमन स्वभाव	परिणमन-स्वभाव
६७	२०	आवती	आवली
६५	१५	कथन	कथन करना
६९	२२,२३		(स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष
			तथा स्वपरसापेक्ष)
		परसापेक्ष	
७०	६		स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष
		निरपेक्ष	
७३	१	तो	तव
৬४	३	परपदार्थ व गाहब	क परपदार्था व गाहक
७५	२३	मुख—	मुख
८१	२६	यही कारण है	यही कारण है कि
5२	Ę	अपके	अपने
58	६७	प्रतिफलनि	प्रतिफलति
59	१६	पुद्गल द्रव्य	अनन्त पुद्गल द्रव्य
55	२१		नही
22	३		वर्तन
55	१४	जीव को	जीव की
58	•		समस्त पदार्थ प्रतिक्षण
58	. १०	एकस्पर्शन	एक स्पर्शन
58	. १२	नासिक	नासिका

वृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	गुद्धि
83	२३	दर्शन को	दर्शन का
६२	8	आगम के	आगम मे
६२	११	प्रतिभास न	प्रतिभासन
₹3	२	रहते हुए	रहते हुए भी
€3	3	निर्णित	निर्णीत
६३	२२	पर व्यवसायात् का	न परव्यवसायात्मकता का
४३	38		व पदार्थ दर्शन का सद्भाव
£X	२		पाँच प्रकार का
६६	ሂ	जो जिसमे	जिसमे
७३	ሂ	·	अात्मनः परम्
७३	<i>e</i>	अर्थज्ञान	अर्थ ज्ञान
થ3	१३		ो इन्द्रियों में से किसी भी
		इन्द्रिय द्वारा	इन्द्रिय द्वारा
७३	२५		न पदार्थ के आकार का
٤5	3	होने होने वाले	होने वाले
23	११	केवय ज्ञान मे	और केवलज्ञान मे
६५	38		और ये तीनो ज्ञान
		तीनो ज्ञान	
33	አ		पदार्थ दर्शन का असन्द्राव
		सद्भाव	5 5 2
१००	१०	प्रत्येकज्ञानदर्शन	के प्रत्येक ज्ञान दर्शन के
ξο9	१५		उदासीन रूप से ही निमित्त
		निमित्त ही	
१०४	88	अखण्डता के लिये हुए	अखण्डता को लिये हुए
		2.2	

र्वेड	पक्ति	अशुद्धि	गुद्धि
१०५	६	यही	यहा
११०	१३-१४	जीव पुद्गल	जीव और पुद्गल
१११	२३	अभव्यत्तत्व	अभव्यत्व
११४	१५	सम्यग्दर्शन प्राप्ति	सम्यग्दर्शन की प्राप्ति
११७	११	विरोध्वत्	विरोघात्
११७	<i>१७</i>	शुद्धिभाजायात्मन	ा शुद्धि भाजामात्मना
१२२	ጸ	सादि है	व्यक्ति सादि है
१२२	3	यार तत्र्यस्यानु-	पार तत्र्यस्यानुभवात्
		भावात्	
१२२	१४	अशुद्ध शक्ति	अशुद्धि शक्ति
१२५	. २	दर्शन्त	दार्शन्त
१२५	. ሂ	दृष्टान्त के साथ	दार्शन्त के साथ
ร่อส	११	दृष्टीन्त के साथ	दार्ष्टान्त के साथ
१२५	५७	योगान्तिश्चयिते	योगान्निश्चीयते
१२६	Ę	प्रत्येक जीवो	प्रत्येक जीव
१३८	3	वद्धस्पृष्ट अवद्ध	बद्ध स्पृष्ट और अबद्ध स्पृष्ट
		स्पृष्ठ	-
१३	१ ६	बद्ध समाप्त	वद्ध स्थिति समाप्त
१३	३ २१	पारिणामकौ	पारिणामिकौ
१३	४ १८	अधिक आवश्यव	क अत्यन्त आवश्यक
१३	५ २२	नोकर्म परिणत	नोकर्म रूप परिणत
१३	प्र २४	गाथा ८६	
१३	७ १४		से नियत रूप से
83	ह १८	रूप मे छोडकर	रूप को छोडकर

वृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
१४•	१५		एक ही अर्थे
१४०	१६		देशाशो
१४४	२ २		ा जो स्वीकार किया गया है
•	• • •		इसका आशय यह है कि
१४६	२४	उनके आकार	
• •	•		इसका आशय यह है कि
१५०	१०-११		अवस्था में निमित्त
१५१	દ્	स्थान-स्थान उस	उस पर तो यथास्यान
•		पर तो	
१५४	४	परिणति सहायक	परिणति मे सहायक
१५७	5	निमित्त नैमित्तिन	निमित्त नैमित्तिक भाव
		भाव	=H===+++++++
१५८	१–२		व्यवहारनय
१६०	8	पदार्थों से	पदार्थों मे
१६१	१६		। इननी वात अवश्य है कि
		है एक की	एक की
१६१	१७	रहने से निश्चय-	रहने से वह निश्चयनय का
		नय का	
१६१	१६	रहने से व्यवहार-	रहने से वह व्यवहारनय का
	-	नय का	
१६१	२३	शव्दो द्वारा प्रति-	शब्दो द्वारा अर्थ का प्रति-
,		पादन	पदिन्
१६७	२	भूलार्थ	भूतार्थ
१६७	१२	सप्ताचि प्रत्ययी-	सप्ताचि प्रत्ययीप्ण्य
• ``	•	प्र्य	•
१६६	¥	कथचित्	कल्पित

१७७ १७७ १७७ १७७ १७७	पक्ति ६ ११ १-१२ १ १२ १४	प्रदेशका प्रदेशवान	मुद्धि ह्याश्रित प्रदेश और प्रदेश वान गाथा न० २०, २१, २२,२३ २४, २५ एय सत्तो पाये जाने वाले सयोग तथा सयोग के आघार पर पाये जाने वाले
\$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	२० १ <u>५</u>	ही अन्तर स्वतत्र आत्मा कल्याण आत्म ज्ञान मे मिथ्या का बद्धदशा का सद्भूत बद्धता सयोग	आत्मकल्याण आगम ज्ञान मे मिथ्या या बद्ध दशा सद्भूत बद्धता रूप सयोग
१ <i>६</i> १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	 ₹ 70 ₹ 88 ₹ 8 ₹ 8 ₹ 7 	इसदतन मेथा क्रम से	इरादतन मे यथाक्रम से व्यवहार सम्यक् चारित्र

वृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
२२१	२५	पापाचरण	पापाचरण रूप व्यवहार
		व्यवहार	•
२२४	છ	हेतु को बनाकर	हेतु बनाकर
२२८	२४		जीव के केवल ज्ञान
२२६	ሂ	प्रसत्त	प्रसक्त
२३३	9	हो जाती है	हो जातो हो
२३४	११	कार्माणि वर्गणा	कार्मण वर्गणा रूप
		रूप	
२३४	38		। कार्माण वर्गणायें
२३७	१२-१३		ते सयमपरिणमते कह गु
		. •	परिणामयदि चेदा ॥ गा०
		यदि पाणी ।।गाः	११८ का उत्त०
		१२५ का उत्तराई	
२३७	२२२३		ात सयम परिणमत कह गु
			परणामयदि कोहो ।। गा०
			१२३ का उत्तरार्घ ॥
		। १२५ का उत्तराध	
२३८	२०	कार्य-कर्तव्य	-
२४३	5	•	पटरूप
२५७	१६	युक्त द्रव्य	
ं २६३	२	-	इस वात मे है कि
२ = ३	११	_	- निरपेक्ष, परनिरपेक्ष
		पेक्ष	<u>* </u>
२६४	१६–१७	पैदा ही नही	पैदा होता है
		होता है	

БВ	पक्ति	अशुद्धि	খুৱি
२६४	38	तब वे	जब वे
२६६	¥	सकप	सकल्प ,
२६६	१ २	प० जगन्मोहन	प० जगन्मोहन लाल जी
		लाल जी कर	का
२६ ६	१७	प्रश्न	प्रश्न है
२६६	२४,	निमित्ता नैमित्तिव	निमित्त नैमित्तिक
२६६	१२	केवल त्रान	केवल ज्ञान
२६९	२६	उस हाल मे	उस हालत मे
२७०	9	प्रयात	प्रपात
२७०	१५	उनके समक्षी	सपक्षी
२७०	१५	अतिचित्कर	अकिंचित्कर
२७४	१्५	शब्द से	शब्द मे
२८२	४	परिणमन न तो	परिणमन तो
२६५	9	कहा जाना	कहा जाता
२६५	१४	द्रव्य समर्थ	द्रव्य रूप समर्थ
३००	२३	सभवति	सभवति
३०१	१३	आत्मा को	आत्मा का
३०६	१७	उपयुक्ताकार भार	व उपयुक्ताकार ज्ञान रूप
		वर्ती	भाववती
३०७	3	सातिशय क्षयोपः	तम सातिशय क्षयो शम अथवा
			क्षय
308	१७	यह आश्रय	यह आशय
३११	ភ		
३२१	१०	निष्क्रिया	निष्क्रियता

३६० ३ सहायास्तरण त्या । ३६४ २४ केवल उनकी केवल उतनी ३६४ २४ केवल उनकी केव करती	37 X	१५ अनुचरित २४ लथीत् २५ जसे २१ उपचरित अर्थ १४ वरिरग कर्नृत १४ जैसे व्यवहार प्रय २२ अन्न क २१ प्रतिपादन क द यह वात दूस ६ जुम्म कर्तव्य ३ सहायास्तहर	व वहिरम कतृ त्व रत्न- जिसे व्यवहार रत्नप्रम अझ के रक्षे प्रतिपादन न करके वहां पर यह बात दूसरी हैं गुम्म पर्नृ त्व महापाम्नाहमा केवल उतनी
--	---	---	--